प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं ।

3. तीसरे अध्याय में विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है जबकि चौथे अध्याय में लोक निर्माण कार्यों कि सिंचाई, स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप में चल रहे वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के साथ ही लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है । पाँचवे अध्याय में राज्य में चयनित विभागों में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर अभ्युक्तियों का वर्णन किया गया है ।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी ही अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किए गए हैं।

5. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2005-06 के दौरान लेखाओं की नमूना जांच के समय जानकारी में आए, साथ ही वे प्रकरण भी हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी; 2005-06 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरण भी यथा आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं ।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2005-06 के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखाओं पर अभ्युक्तियों को समाविष्ट करते हुए दो अध्याय तथा सात समीक्षाओं, एक लम्बी कंडिका और चयनित कार्यक्रमों तथा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित 31 कंडिकाओं के साथ-साथ सरकार के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा सहित तीन अन्य अध्याय सम्मिलित हैं ।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गई है । लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धतियों तथा विवेचना के आधार पर निकाले गए हैं । कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का उल्लेख समीक्षाओं में किया गया है । लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सरकार के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गये हैं तथा अनुशंसाएं की गई हैं ।

राज्य की वित्तीय स्थिति तथा पशुपालन विभाग में आतंरिक नियंत्रण प्रणाली के अतिरिक्त कतिपय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के निष्पादन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे दिया गया है :

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

राजस्व व्यय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में केवल 4 प्रतिशत की संवृद्धि अंकित की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 2004-05 के दौरान 1717 करोड़ रुपए की राजस्व बचत के विरुद्ध 2005-06 के वर्ष के दौरान 34 करोड़ रुपए की राजस्व बचत हुई । वेतन, पेन्शन एवं ब्याज भुगतानों पर वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत व्ययित हुआ । सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसके अनुपात के अतिरिक्त राजकोषीय दायित्वों में हो रही नियमित वृद्धि ने ऋण धारणीयता को संकट में डाल दिया ।

सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों में सरकार के निवेश का प्रतिलाभ नगण्य था तो भी सरकार ने घाटा उठाने वाले सांविधिक निगमों तथा कंपनियों में निवेश करना जारी रखा ।

इन कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार ने उनके द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए गारंटी देने के अलावा इनमें से अधिकांश कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी थी । 2000-06 के दौरान, निवेश के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज तथा उस पर प्रतिलाभ के मध्य अंतर में वृद्धि हो गई थी ।

(कंडिका 1.1 से 1.11)

2. आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

43673.93 करोड़ रुपए के कुल अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध, 2005-06 के दौरान वास्तविक व्यय 31220.80 करोड़ रुपए था जिसके परिणामस्वरूप 12453.13 करोड़ रुपए की बचत हुई जो अनुदानों/विनियोगों के 200 प्रकरणों में 12490.71 करोड़ रुपए की बचतों तथा अनुदानों/विनियोगों के छह प्रकरणों में 37.58 करोड़ रुपए के आधिक्य का निवल परिणाम थीं । 1993-94 से 2004-05 तक के वर्षों से संबंधित 5087.83 करोड़ रुपए के कुल अधिक व्यय का नियमितीकरण नहीं किया गया था (अगस्त 2006) । अधिक व्यय के लिए संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता थी ।

वर्ष के दौरान 57 प्रकरणों में प्राप्त 730.85 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

नियंत्रण अधिकारियों ने 10 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अंतर्निहित 1716.71 करोड़ रुपए जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के 5.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यय के आंकडों का समाधान नहीं किया ।

(कंडिका 2.1 से 2.7)

3. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं, पालक शिक्षक संघ को प्रभावी रुप से सम्मिलित करते हुए सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंगभेद के अंतर को पाटने के लिए समुदाय को सक्रिय सहभागिता से 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को सन 2010 तक उपयोगी एवं सुसंगत प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है । कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 2001-02 तथा 2002-03 के वर्षो के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया था जिससे निधियों के अनुमोदन एवं जारी करने में विलंब हुआ । परिणामतः 2001-02 के दौरान क्रियाकलाप प्रारंभ नहीं किए जा सके और केवल 50 प्रतिशत योजनाबद्ध क्रियाकलापों को 2002-03 के दौरान पूर्ण किया जा सका । सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी थी । समस्त बच्चों को विद्यालय में लाने का कार्यक्रम का उद्देश्य 2005 तक प्राप्त नहीं किया जा सका था क्योंकि 2005-06 के अंत तक 2.72 लाख बच्चे विद्यालय के बाहर थे । 17.95 करोड़ रुपए की कुल निधियों का व्यपवर्तन, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक एवं प्राथमिक बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के मुद्रण, शैक्षणिक कैलेन्डर का मुद्रण, श्रेणी-III के शिक्षा कर्मियों को मानदेय, वाहनों के क्रय, ग्रामीण शिक्षा समितियों को पुरस्कार एवं राज्य परियोजना कार्यालय भवन के क्रय के लिए, किया गया था । 43821 शिक्षकों की कमी (2005-06) से शिष्य शिक्षक अनुपात

प्रभावित हुआ । सर्व शिक्षा अभियान निधि से 1.82 करोड़ रुपए मूल्य की डुप्लीकेटिंग मशीनों, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की अनावश्यक अधिप्राप्ति की गई थी ।

(कंडिका 3.1)

4. खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सहायता एवं खाद्यान्नों का प्रबंधन

खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की खाद्य प्रबंधन कार्यनीति में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उनका भंडारण, सम्हालना, इस प्रकार अधिप्राप्त खाद्यान्नों का संचलन एवं विनिधान के लिए लक्षित जनसंख्या को संभाव्य वितरण, जनता को समर्थनीय दर पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा लघु स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा की वृद्धि सम्मिलित हैं । अधिप्राप्ति एवं वितरण की प्रणाली कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण पाई गई थी । गेहूँ की अधिप्राप्ति वाले जिलों द्वारा, गेहूँ के अतिरिक्त भंडार को, आवश्यकता वाले जिलों को, अधिप्राप्ति केन्द्रों से सीधे ही परिवहन किया जाना चाहिए था परन्तु इसके स्थान पर 2003-05 के दौरान खाद्यान्नों का भंडारण मध्यवर्ती स्थानों पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय परिवहन, सम्हालने, ब्याज इत्यादि पर 2.67 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई । आरक्षित भंडारण स्थल खाली पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप 24.32 लाख रुपए की हानि हुई । अधिक लंबे/चक्करदार मार्ग से गेहूँ के संचलन से 45.27 लाख रुपए की परिहार्य हानि हुई। खाद्यान्नों की अवमानक गुणवत्ता की अधिप्राप्ति के प्रकरण भी पाए गए थे । बैंक कमीशन पर 48.56 लाख रुपए का परिहार्य व्यय किया गया था । खाद्यान्नों के वितरण में यह पाया गया कि राशन कार्ड बहुत अधिक मात्रा में जारी किए गए थे तथा खाद्यान्नों का वितरण निर्धारित मान से कम किया गया था । उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में अनेक कमियां थीं तथा परिवीक्षण तंत्र कमजोर एवं अप्रभावी था । मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने दोहरे लाभ (डबल मार्जिन) के कारण संचित 68.15 करोड़ रुपए न तो वापस किए और न ही उसका समायोजन प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए आर्थिक सहायता दावों में किया गया । मूल्यांकन प्रतिवेदन से प्रकट हुआ कि आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के रिसाव (लीकेज) का प्रतिशत 54.48 था । परिवीक्षण एवं सतर्कता तंत्र प्रभावी नहीं था ।

(कंडिका 3.2)

5. प्राजेक्ट टाइगर एवं इंडिया ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

राज्य वन विभाग ने "प्रोजेक्ट टाइगर", नाम से एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना को राज्य के पांच टाइगर रिजर्वस मे कार्यान्वित किया । परियोजना का उद्देश्य देश में बाघों की जीवनक्षम आबादी को बनाए रखने तथा जैविक महत्व के क्षेत्रों को सदैव के लिए राष्ट्रीय विरासत के रूप में मनुष्यों की शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संरक्षित रखना था । राज्य सरकार द्वारा टाइगर रिजर्वस की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी । प्रबंधन योजनाओं का कार्यन्वयन प्रारम्भ करने के पूर्व उनका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से नहीं

कराया गया था । राज्य सरकार ने निधियों के अपने अंश (शेयर) की संपूर्ण निधियों को विमुक्त नहीं किया । अन्य उद्देश्यों के लिए भारत सरकार की निधियों के विचलन के प्रकरण भी लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए । टाइगर रिजर्वस मे अतिक्रमणों को हटाए जाने के अतिरिक्त उसमें रहने वाले मनुष्यों के पुनः स्थापन के साथ-साथ टाइगर रिजर्वस में जैविक दबाव को हल्का करने की अनिवार्यता का पूर्णरूपेण पालन किया जाना नहीं पाया गया । टाइगर रिजर्वस में अपर्याप्त बीट निरीक्षणों के कारण, अस्त्र-शस्त्र एवं बारूद के अपर्याप्त प्रावधान के कारण संरक्षण उपायों की कमी थी । वन्य प्राणियों की जीवगणना हेतु सुस्पष्ट कार्यप्रणाली का पालन नही किया गया था ।

(कंडिका 3.3)

6. नाबार्ड ऋण से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने, ज. सं. वि. एवं न.घा.वि.प्रा. की सिंचाई परियोजनाओं पर, इनके पूर्ण हितलाभों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही किए गए निवेश, जो डूब गए थे को क्रियाशील (अनलॉकिंग) करने के लिए, नाबार्ड ऋण से कार्य करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1995)। 2.98 लाख हेक्टेयर (हे.) एवं 2.51 लाख हेक्टेयर (हे.) की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 1995-96 से 2005-06 के दौरान क्रमशः 1418.17 करोड़ रुपये एवं 1163.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर जल संसाधन विभाग की परियोजनाएं (627) तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं (35) नाबार्ड ऋण से स्वीकृत की गईं थीं । जून 2006 तक, क्रमशः 1087.75 करोड़ रुपए एवं 787.23 करोड़ रुपए के व्यय से ज. सं. वि. की तीन सौ बयासी एवं न.घा.वि.प्रा.की तीन मात्र परियोजनाएं पूर्ण की जा सकी। कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमा था । ज.सं.वि. की दो सौ बत्तीस परियोजनाएं एवं न.घा.वि.प्रा.की 32 परियोजनाएं अब तक प्रगतिरत थीं। 51 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अननुमोदित कार्य-मदों पर, ज.सं.वि. द्वारा व्यय किए गए 249.70 करोड़ रुपये एवं न.घा.वि.प्रा. द्वारा व्यय किए गए 83.91 करोड़ रुपए नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत किए गए। अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अयर्थाथ प्राक्कलन के कारण ज.सं.वि. द्वारा 161.26 करोड़ रुपये एवं न.घा.वि.प्रा. 74.46 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किए गए। सात परियोजनाओं के निर्माण पर 51.64 करोड़ रुपए का निवेश निष्फल रहा क्योंकि उनसे अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 22.67 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के विरूद्ध 23.55 करोड़ रुपए के निवेश से पाँच परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न विवशताओं के कारण त्रुटिपूर्ण ढंग से परिकल्पित था। परियोजित क्षमता 1.69 लाख हेक्टेयर एवं 0.51 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग क्रमशः 0.53 लाख हेक्टेयर एवं 0.04 लाख हेक्टेयर था ।

(कंडिका 3.4)

7. पुलिस बल का आधुनिकीकरण

भारत सरकार द्वारा, पुलिस बल के आधुनिकीकरण (योजना) का प्रारंभ (1969), पुलिस बल की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए एवं आधारिक संरचना की कमियों यथा

भवन, गतिशीलता, संचार, कम्प्यूटरीकरण, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला तथा बढ़ते हुए अपराधों, आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने तथा आंतरिक सुरक्षा धमकी का सामना करने इत्यादि को दूर करने के लिए किया गया था । उपयोग की धीमी गति के कारण 77.93 करोड़ रुपए मूल्य के भारत सरकार के अंश का राज्य सरकार द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सका । निर्माण एजेन्सियों के पास बड़ी मात्रा में राशियां रखी हुई थीं जिन्हें भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों मे किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया था । भवनों के निर्माण पर बड़ी मात्रा में राशि का व्यय किए जाने के बावजूद पूर्ण रूप से निर्मित भवनों को सौंपा नहीं गया था । अवासीय एवं प्रशासनिक भवनों के निर्माण में विलम्ब हुआ था तथा संस्वीकृत किए गए अनेक निर्माण कार्य अनुमोदन, रेखांकन, रूपांकन के अभाव में तथा स्थल की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण प्रारंभ नहीं हो सके । प्रत्युत्तर समयावधि की कमी में कोई सुधार दृष्टिगत नहीं हुआ । यद्यपि वाहनों का क्रय एवं प्रदाय किया गया था परन्तु पर्याप्त संख्या मे वाहन चालक उपलब्ध नहीं थे । ऑन लाइन संयोजन (कनेक्टिविटी) को सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा सीपा परियोजना के लिए क्रय किए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उपयोग में नही लाया जा सका । डी.एन.ए. प्रयोगशाला की स्थापना मे विलम्ब हुआ था तथा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अधोसंरचना का सृजन नहीं किया गया था ।

(कंडिका 3.5)

8. भू-अभिलेखो का कम्प्यूटरीकरण

भारत सरकार ने 1988-89 में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का प्रर्वतन इस दृष्टिकोण से किया था कि भू-स्वामियों को स्वत्व के अभिलेखों(आर..ओ.आर) (खसरा-खतोनी) की परिशुद्ध प्रतियां समय पर उपलब्ध कराई जा सकें तथा भू-अभिलेखों की आधार-सामग्री (डाटाबेस) में हुए परिवर्तनों को अद्यदिनांकित किया जा सके । लक्ष्य के अनुसार योजना का कार्यान्वयन करने में विभाग विफल रहा क्योंकि जिलों में कम्प्यूटर केन्द्रों की अधिष्ठापना और अन्य जिलों तथा तहसीलो में अकार्यात्मक कम्प्यूटर केन्द्रों की अधिष्ठापना नहीं की जा सकी । तहसीलों में भू-स्वामियों को अद्यतन स्वत्व के अभिलेखों (आर.ओ.आर) (खसरा-खतौनी) की हस्तलिपियां जारी की जा रही थीं । 18440 ग्रामों की डाटा प्रविष्टियों को अद्यदिनांकित नहीं किया गया था । विभाग द्वारा अपनी सूचना प्रणाली के लिए कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी नीति/कार्यनीति प्रतिपादित नहीं की गई थी अतः अन्तर्गामी नियंत्रण के अभाव के कारण आधार सामग्री (डाटाबेस) में तथा तहसील स्तरों पर समुचित विधिमान्यकरण के अभाव में विसंगतियां पाई गई थीं । व्यवस्थित परिवीक्षण एवं नियंत्रण तंत्र शिथिल था ।

(कंडिका 3.6)

9 केन्द्रीय सड़क निधि(के.स.नि.), ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (ग्रा.अ. वि.नि.) एवं फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

कार्यक्रम का उद्देश्य, 437.60 करोड़ रुपए की लागत पर केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय राजमार्ग एवं प्रमुख जिला मार्ग के 102 सड़क कार्यो (2150 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नाबार्ड ऋण से 309.97 करोड़ रुपए की लागत से 167 ग्रामीण सड़कों (2420 कि.मी.) का निर्माण तथा उपरोक्त में से किसी कार्यक्रम के अंतर्गत न लिए गए राज्यीय राजमार्ग एवं प्रमुख जिला मार्ग के 377 सड़क कार्यो (7751 कि.मी.) का फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण है । अप्रभावी परिवीक्षण एवं कार्य की धीमी प्रगति के फलस्वरुप मार्च 2006 के अंत तक, क्रमशः 286.55 करोड़ रुपए, 119.94 करोड़ रुपए एवं 275.56 करोड़ रुपए का व्यय करने के पश्चात भी केंन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मात्र 59 कार्य, नाबार्ड के अंतर्गत 42 कार्य एवं फास्ट ट्रेक के अंतर्गत 192 कार्य ही पूर्ण किए गए। कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिए गए 8 से 24 माह के समय के अनुसार, मार्च 2005 के अंत तक प्रारंभ किए गए 82 कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण हो जाना चाहिए थे परंतु केंद्रीय सड़क निधि के अंतगत मात्र 59 कार्य ही पूर्ण किए गए। नाबार्ड ऋण के अंतर्गत कार्यों का चरणबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना नियत नहीं था । मार्च 2005 के अंत तक, फास्ट ट्रेक के अंतर्गत उपलब्धि 39 प्रतिशत तक कम थी । 21.54 करोड़ रुपए का केंद्रीय सड़क निधि से ग्रामीण सड़को के चयन पर दुरुपयोग किया गया एवं केंद्रीय सड़क निधि, नाबार्ड एवं फास्ट ट्रेक निधियों से 2.27 करोड़ रुपए व्यपर्तित भी किए गए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों का पालन नहीं किया गया एवं 12.68 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत का भार उठाया तथा 2.11 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य निविदा आमंत्रित किए बिना सौंपे गए। 9.87 करोड रुपए का अधिक/अस्वीकार्य भुगतान एवं 12.80 करोड़ रुपए राशि के अवमानक कार्यो के मामले भी देखे गए ।

(कंडिका 3.7)

10. पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पशुपालन विभाग पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन की संभावनाओं के आवर्धन एवं उनको पशुचिकित्सा स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है । पशुपालन विभाग कृषकों को पशुपालन के संबंध में जागरूकता उपलब्ध कराने तथा अपने कर्मचारियों को बुनियादी एवं नवीनतम पशुपालन पद्धतियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है । पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन में प्रकट हुआ कि विभाग में अप्रभावी एवं अपूर्ण नियंत्रण विद्यमान था क्योंकि प्राथमिक रोंकड लेखा अभिलेख के संधारण की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, बजट अनुमानों की तैयारी में सकल रूप से कमी थी क्योकि सतत बचतें हुई थी एवं निधियों का पुनर्विनियोजन भी किया गया था । विभागीय आंकडों का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से नहीं किया गया था । साप्ताहिक एवं मासिक बकाया प्रतिवेदन आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवा, को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे । प्रचालन नियंत्रण अप्रभावी हो गए थे क्योंकि सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को अनियमित रूप से स्वस्थाने

पदोन्नतियां प्रदान की गई थीं और सरकार द्वारा पदों को लगातार जारी रखने के लिए स्वीकृति भेजे बिना वेतनों का आहरण किया जा रहा था । निषिद्ध एवं अपरीक्षित औषधियां पशओं को दी जा रहीं थी । पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सकों/ सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापनाएं आनुपातिक रूप से नहीं की गई थीं क्योकिं 35 चिकित्सालयों और 171 औषधालयों में ये पद रिक्त पड़े हुए थें । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवा, ने कभी भी अपने अधीनस्थ कार्यालयो का निरीक्षण नही किया था । आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन में 71 से 100 प्रतिशत तक की सीमा में कमी थी जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया ।

(कंडिका 5.1)

11. लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणाम

उपरोक्त के अतिरिक्त भी, शासन के विभिन्न विभागों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों (फंक्शनरीज) की वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा में की गई नमूना जाँच में हानियों, निष्फल व्यय, परिहार्य व्यय एवं अन्य अनियमितताओं के दृष्टांत, जिनमें 44.10 करोड़ रुपए सन्निहित थे, प्रकट हुए जैसा कि नीचे दिया गया है:-

इनमें कृषि विभाग (1.84 लाख रुपए), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (37.50 लाख रुपए), नर्मदा घाटी विकास विभाग (92.76 लाख रुपए), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (1.89 करोड़ रुपए), लोक निर्माण विभाग (38.57 लाख रुपए) एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (23.14 लाख रुपए) में देखे गए 3.83 करोड़ रुपए के गबन/हानियाँ एवं कपटपूर्ण आहरण सम्मिलित थे ।

नर्मदा घाटी विकास विभाग (59.62 लाख रुपए), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (78.02 लाख रुपए), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (3.37 करोड़ रुपए), लोक निर्माण विभाग (2.10 करोड़ रुपए) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विभाग (24.48 लाख रुपए) तथा जल संसाधन विभाग (1.14 करोड़ रुपए) में 8.23 करोड़ रुपए के निरर्थक/निष्फल/अधिक व्यय एवं अधिक भुगतान देखे गए ।

नर्मदा घाटी विकास विभाग (14.23 करोड़ रुपए) एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (65.16 लाख रुपए) में 14.88 करोड़ रुपए के संविदागत दायित्वों का उल्लंघन देखा गया ।

आवास एवं पर्यावरण विभाग (35.37 लाख रुपए), लोक निर्माण विभाग (47.66 लाख रुपए) एवं जल संसाधन विभाग (79.37 लाख रुपए) में 1.62 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय देखा गया ।

जेल विभाग (28 लाख रुपए), स्वास्थ्य शिक्षा (3.50 करोड़ रुपए) एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (69.60 लाख रुपए) में 4.48 करोड़ रुपए का निष्क्रिय निवेश/निधियों का अवरोधन एवं निधियों का व्यपवर्तन देखा गया ।

इनके अतिरिक्त, गृह विभाग (4.89 करोड़ रुपए), जेल विभाग (2.38 करोड़ रुपए), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (32.82 लाख रुपए), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (2.66 करोड़ रुपए), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (80.30 लाख रुपए) में नियमितता मुद्दे एवं अन्य बिंदु थे जिनमें 11.06 करोड़ रुपए सन्निहित थे।

(कंडिकाएं 4.1.1 से 4.6.5)

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के लेखे (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा- तीन भागों में रखे जाते हैं (परिशिष्ट 1.1-भाग क)। मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे उन्नीस विवरण पत्रों में दिये गये हैं जो मध्यप्रदेश राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियाँ एवं व्यय,राजस्व तथा पूंजी को दर्शाते हैं। वित्त लेखाओं की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1-भाग 'ख' में दर्शाई गई है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के क्रमांक 28) के अनुसार पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के 16[♣] जिलों से ' निश्चित दिवस ' 1 नवम्बर 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य गठित किया गया। निश्चित दिवस के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक प्रकरण में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे हैं । इस दिशा में वास्तविक प्रगति परिशिष्ट 1.3 में दर्शाई गई है।

1.1.1 प्राप्तियों एवं संवितरण का सारांश

सारणी क्रमांक - 1 में वर्ष 2005-06 के लिये मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय,पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय तथा लोक लेखे प्राप्तियाँ/संवितरण समाविष्ट हैं जो कि वित्त लेखे के विवरण पत्र कमांक-1 एवं अन्य विस्तृत विवरण-पत्रों से प्रकट हुये हैं।

सारणी -1 वर्ष 2005-06 के लिये प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

2004-05	प्राप्तियां	2005-06	2004-05	संवितरण	2005-06		
			अनुभाग-क:राजस्व				
					आयोजनेतर	आयोजना	योग
19743.25	I. राजस्व प्राप्तियां	20596.79	18026.37	I. राजस्व व्यय	16351.00	4212.47	20563.47
7772.97	कर राजस्व	9114.70	7468.35	सामान्य सेवायें	7563.32	29.79	7593.11
4461.86	कर भिन्न राजस्व	2208.20	5672.45	सामाजिक सेवायें	4397.92	2260.42	6658.34
5076.68	संधकरों/शुल्कों का अंश	6341.35	3968.91	आर्थिक सेवायें	3475.06	1719.64	5194.70
2431.74	भारत सरकार से अनुदान	2932.54	916.66	राहायता अनुदान/अंशदान	914.70	202.62	1117.32

♣ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जाँजगीर-चम्पा, जशपुर, कांकेर,कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़,रायपुर, राजनांद गाँव तथा सरगुजा

अनुभाग-ख:पूंजीगत							
--	II विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	4950.98	II पूंजीगत परिव्यय	2923.47	3699.81	6623.28
53.20	III. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	2851.98	3310.86	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	796.54	37.91	834.45
8849.00	IV सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	5160.65	3391.38	IV सार्वजनिक # ऋण का पुनर्भुगतान	953.96	--	953.96
24790.22	V लोक लेखा प्राप्तियां	29037.68	23591.45	V लोक लेखा# संवितरण	28095.77	--	28095.77
--	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--		VI. अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	--	--
1.00	VII आकस्मिकता निधि	--	--	VII आकस्मिकता निधि	8.14	--	8.14
94.21	**प्रारंभिक रोकड़ शेष**	259.84	259.84	**अंतरोकड़ शेष**	827.87	--	827.87
53530.88	***योग***	***57906.94***	***53530.88***	योग	***49956.74***	***7950.20***	***57906.94***

राजस्व प्राप्तियां अनुभाग के अंतर्गत कर राजस्व 2004-05 में 7772.97 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में 9114.70 करोड़ रुपए हो गया। जबकि कर भिन्न राजस्व 2005-06 के दौरान 4461.86 करोड़ रुपए से घटकर 2208.20 करोड़ रुपए रह गया। सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवायें के अंतर्गत राजस्व व्यय 2004-05 में 5672.45 करोड़ रुपए तथा 3968.91 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर 2005-06 में क्रमशः 6658.34 करोड़ रुपए तथा 5194.70 करोड़ रुपए हो गया। पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत भी व्यय 2004-05 में 4950.98 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में 6623.28 करोड़ रुपए हो गया । 2004-05 में 53.20 करोड़ रुपए के विरुद्ध 2005-06 में 2851.98 करोड़ रूपए के ऋणों एवं अग्रिमों की अच्छी वसूली हुई।

1.1.2 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम 2005 अधिनियमित किया है जो राजस्व घाटे के प्रगामी विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्विमत्ता, राजकोषीय संधारणता, सरकार के राजकोषीय परिचालनों एवं मध्यम वर्ग की रूपरेखा में राजकोषीय नीति के आचरण एवं उनसे सम्बंधित अथवा उनको प्रासंगिक प्रकरणों के लिये उच्चतर पारदर्शिता से संयुक्त बुद्विभत्तापूर्ण ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये 1जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ । अधिनियम और/अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये (30 जनवरी 2006) नियमों में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को प्रभावशील करने के लिये राज्य सरकार हेतु निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये:

- 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को दूर करने के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा कम करना तथा तत्पश्चात् राजस्व बचत निर्मित करना

आयोजना एवं आयोजनेतर का विभाजन उपलब्ध नहीं है

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा कम करना ताकि यह घाटा नीचे आकर 31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक न होने पाये।

- 10 वर्षों की अवधि के अंतर्गत अर्थात् 31 मार्च 2015 को यह सुनिश्चित करना कि कुल देयतायें उस वर्ष के लिये अनुमानित जी.एस.डी.पी.के 40 प्रतिशत से अधिक न होने पायें।

- वार्षिक वृद्धि सम्बंधी गारंटियों को यह सुनिश्चित करने के लिये सीमित करना कि कुल गारंटियां चालू वर्ष से पहले के वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होने पायें।

यह शर्त रखते हुये कि भारत संघ के बजट सम्बंधी अनुमानों से सम्बंधित केन्द्रीय कर हस्तांतरण में कमी के आधारों और/अथवा आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा अथवा राज्य सरकार द्वारा बिनिर्दिष्ट किये गये ऐसे ही अन्य अपवादात्मक आधारों के कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकता है।

यह शर्त रखते हुए भी कि वित्त मंत्री महोदय प्रत्येक छःमाही में बजट अनुमानों से सम्बंधित प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा करेंगे तथा ऐसी समीक्षा के निष्कर्ष विधान मण्डल के समक्ष रखेंगे ।

1.1.3 राजकोषीय नीति विवरण पत्रक 2005-06

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बजट के साथ (क) वृहत्-आर्थिक रुपरेखा विवरण पत्रक (ख) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक तथा (ग) राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण-पत्रक प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। चूंकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 1जनवरी 2006 को प्रभावशील हुआ अतः इन विवरण-पत्रकों का पहला सैट विधान मण्डल में वर्ष 2006-07 के बजट के साथ रखा गया।

कंडिका 1.1.4 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मानचित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम और/अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में आयोग की नियम (अवार्ड) अवधि के लिये भारत सरकार द्वारा गणना की गई राज्यों के राजकोषीय घाटे में कमी की प्रत्याशित वार्षिक दर में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुये,राज्य सरकार को 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लक्ष्य दिनांकों के साथ राजकोषीय संकेतक दर्शानेवाला अपना स्वयं का राजकोषीय सुधार पथ विकसित करना आवश्यक होता है। वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण-पत्रक में उपलब्ध

2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के लिये चयन संसूचकों की प्रवृत्तियां ***परिशिष्ट 1.2*** में दी गई हैं।

1.2 राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन

1.2.1 राजकोषीय समूहों की प्रवृत्तियां

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति सारणी-2 में दी गई है ।

सारणी- 2

(करोड़ रुपए में)

2004-05	क्रम संख्या	मुख्य समूह	2005-06
19743	1.	**राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)**	20597
7773	2.	कर राजस्व	9115
4462	3.	कर भिन्न राजस्व	2208
7508	4.	अन्य प्राप्तियाँ	9274
53	5.	**ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ**	2852
53	6.	जिसमें से ऋणों की वसूली	2852
19796	7	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	23449
19019	8.	योजनेतर व्यय (9+11)	20070
14861	9.	राजस्व लेखे पर	16351
3661	10.	जिसमें से ब्याज भुगतान	3422
4158	11.	पूँजीगत लेखे पर	3719
2775	12.	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	796
7269	13.	आयोजना व्यय (14+15)	7950
3165	14.	राजस्व लेखे पर	4212
4104	15.	पूँजीगत लेखे पर	3738
536	16.	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	38
26288	17.	कुल व्यय (8+13)	28020
(+) 1717	18.	राजस्व बचत (+) (9+14-1)	(+) 34*
6492	19.	राजकोषीय घाटा (17-1-5)	4571
2831	20.	प्रारम्भिक घाटा (19-10)	1149

2004-05 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये 1717 करोड़ रुपए की राजस्व बचत उल्लेखनीय रुप से घटकर 34 करोड़ रुपए रहगई थी। 2004-05 के दौरान 1717 करोड़ रुपए की बचत, 2003-04 में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को दिये गये 2749 करोड़ रुपए के अनुदान का ऋण में समायोजन किये जाने के कारण, बढ़ाकर दर्शाई गई थी तथा 2004-05 में समायोजन किया गया था परिणामस्वरुप कर भिन्न राजस्व में वृद्धि हुई । राजकोषीय घाटा एवं प्रांरभिक घाटा मुख्यतः ऋणों एवं अग्रिमों की उत्तम वसूली के कारण 2004-05 में 6492 करोड़ रुपए तथा 2831 करोड़ रुपए से घटकर 2005-06 में क्रमशः 4571 करोड़ रुपए तथा 1149 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.19 प्रतिशत था।

* राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अंतर्गत किये गये निवेश को अनुदान में परिवर्तित किये जाने के कारण राजस्व बचत 814.78 करोड़ रुपए कम उल्लेखित की गई।

1.3 लेखापरीक्षा पद्धति

वर्ष 2005-06 के लिये वित्त लेखे के विवरण-पत्रकों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से प्राप्तियों एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समूहों की प्रवृत्तियां स्पष्ट होती हैं जहाँ आवश्यक है वहाँ इन्हें समय श्रंखला आँकड़ा ***(परिशिष्ट 1.4 से 1.6)*** और आवधिक तुलना के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया गया है। कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूजीगत व्यय, आंतरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटे जैसे मुख्य राजकोषीय समूह चालू बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी के संचालक द्वारा 1993-94 को आधार मानकर यथा प्रकाशित नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला का उपयोग किया गया है। कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रदर्शित आधार के संदर्भ में घट-बढ़ की सीमा के आगामी अनुमान के लिये उत्प्लावकता प्रक्षेपण भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रयोजन के लिये अपनाये गये आधार संसूचक हैं (i) परिमाण एवं स्रोतों से संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसम्पत्तियां एवं देयतायें तथा (iv) घाटे का प्रबंधन/लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में संसाधन गतिशीलन प्रयास, ऋण सेवा तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संचयी प्रभाव को भी सभाविष्ट किया गया है। संस्थागत निकाय के रुप में राज्य सरकार का समग्र वित्तीय निष्पादन राजकोषीय समूहों की सम्बंधित व्याख्या हेतु सामान्य रुप में स्वीकार किये गये अनुपात समूहों को लागू करते हुये प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त, सरकार के वित्तीय निष्पादन के चयनित संदर्शक भी इस अनुभाग में सूचीबद्व किये गये हैं, इस प्रसंग में उपयोग किये गये कतिपय निबंधनों का विवेचन ***परिशिष्ट 1.1. भाग 'ग'*** में किया गया है।

1.4 मुख्य संदर्शकों से राज्य वित्त व्यवस्था

1.4.1 समूहों एवं स्रोतों से संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि निविवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों) से उधारियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम व साथ ही लोक लेखाओं से उपार्जन समाविष्ट हैं। सारणी-3 दर्शाती है कि वर्ष 2005-06 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 57648 करोड़ रुपए थीं। इनमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां केवल 20597 करोड़ रुपए थीं जो कुल प्राप्तियों का 35.73 प्रतिशत थीं। शेष प्राप्तियां उधारियों, आकस्मिकता निधि एवं लोकलेखा से प्राप्तियों के रूप में थीं।

सारणी-3 मध्यप्रदेश के संसाधन

(करोड़ रुपए में)

I राजस्व प्राप्तियां	*20597*
II पूंजीगत प्राप्तियां	*8013*
क - ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	2852
ख - लोक ऋण प्राप्तियां	5161
ग - विविध पूंजीगत प्राप्तियां	
III आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	
IV लोक लेखा प्राप्तियां	*29038*
क - लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1330
ख - आरक्षित निधि	676
ग - जमा एवं अग्रिम	4156
घ - उचंत एवं विविध	16559
ङ - प्रेषण	6317
कुल प्राप्तियां	57,648

16,499 करोड़ रुपए के संवितरण के विरुद्ध उचंत एवं विविध प्राप्तियां 16559 करोड़ रुपए थी जो प्राप्ति एवं संवितरणों के मध्य सीमान्तअंतर को सूचित करती है। 16,559 करोड़ रुपए की उचंत एवं विविध प्राप्तियां लोक लेखा प्राप्तियां का 57 प्रतिशत हैं।

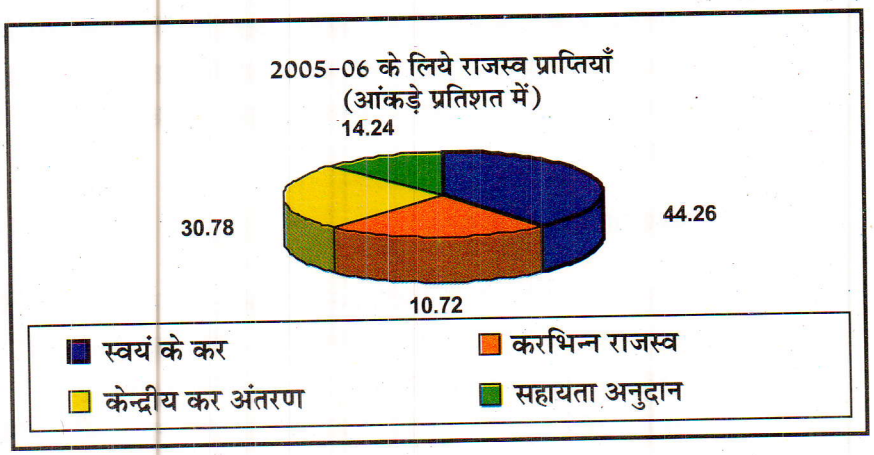
1.4.2 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दिया गया है। राजस्व प्राप्तियों में सरकार के अपने स्वंय के कर तथा कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार से केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। कुल राजस्व प्राप्तियां, उनकी वृद्धि की वार्षिक दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इन प्राप्तियों का अनुपात तथा उत्पादकताएं सारणी-4 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 4- राजस्व प्राप्तियां - आधारभूत मानदण्ड

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रुपए में)	12839	11211	13391	14289	19743	20597
स्वयं के कर (करोड़ रुपए में तथा प्रतिशत)	5640 (43.93)	4679 (41.74)	6165 (46.04)	6789 (47.51)	7773 (39.37)	9115 (44.26)
कर भिन्न राजस्व (करोड़ रुपए में तथा प्रतिशत)	1724 (13.43)	1602 (14.29)	1635 (12.21)	1480 (10.36)	4462 (22.60)	2208 (10.72)
केन्द्रीय कर अंतरण (करोड़ रुपए में तथा प्रतिशत)	3955 (30.80)	3439 (30.68)	3729 (27.85)	4247 (29.72)	5077 (25.72)	6341 (30.78)
सहायता अनुदान (करोड़ रुपए में तथा प्रतिशत)	1520 (11.84)	1491 (13.30)	1862 (13.90)	1773 (12.41)	2431 (12.31)	2933 (14.24)
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)2.76	(-) 12.68	19.45	6.70	38.16	4.32
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.52	13.79	16.13	14.14	18.29	18.88
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	*	*	9.166	0.309	5.588	4.130
राज्य की स्वयं के कर की उत्प्लावकता (अनुपात)	*	*	14.962	0.466	2.122	16.501

राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	*	*	0.612	0.662	2.633	0.250
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	(-) 10.45	(-) 8.09	2.122	21.703	6.828	1.046



सामान्य प्रवृत्ति

2005-06 के दौरान 20597 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां 21344 करोड़ रुपए के अनुमान से कम थीं जो कि मुख्यतः भारत सरकार से सहायता अनुदानों के लिये अनुमानित 862 करोड़ रुपए की गिरावट के कारण थीं। 2005-06 में राजस्व प्राप्तियों में 41.85 प्रतिशत और 10.49 प्रतिशत कर राजस्व एवं करभिन्न राजस्व के अनुमानित अंश के विरुद्ध ये 2005-06 के दौरान वास्तविक तौर पर क्रमशः 44.26 और 10.72 प्रतिशत थे।

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर,जो कि 2004-05 के दौरान 38.16 प्रतिशत थी मुख्यतः कर भिन्न राजस्व में गिरावट के कारण वर्ष 2005-06 के दौरान 4.32 प्रतिशत तक उल्लेखनीय रुप से गिर गयी है। स्वयं के कर, केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान से प्राप्तियों में क्रमशः 4.89 प्रतिशत, 5.06 प्रतिशत तथा 1.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि करभिन्न राजस्व से प्राप्तियों में 11.88 प्रतिशत की गिरावट हुई। 2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 854 करोड़ रुपए की वृद्धि मुख्यतः विक्रय,व्यापार आदि पर कर (596 करोड़ रुपए), ब्याज प्राप्तियां (501 करोड़ रुपए), निगम कर (306 करोड़ रुपए) तथा निगम कर से अतिरिक्त आय पर कर (304 करोड़ रुपए) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी। राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण में 854

* 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं स्वयं के कर राजस्व तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि भी ऋणात्मक थी ।

करोड़ रुपए की वृद्धि राज्य सरकार को वर्ष के दौरान 34 करोड़ रुपए की राजस्व बचत प्राप्त करने में सहायक हुई।

औसतन लगभग 55 प्रतिशत राजस्व राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ जबकि केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायता अनुदान ने कुल राजस्व का लगभग 45 प्रतिशत अंशदान करना साथ में जारी रखा। विक्रय,व्यापार आदि पर मिलानेवाला कर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य स्त्रोत था जिसका कर राजस्व में 50 प्रतिशत अंशदान था,उसके पश्चात् राज्य आबकारी (15 प्रतिशत) स्टाम्प एवं पंजीकरण पर कर (11प्रतिशत) इत्यादि का क्रम था।

स्वयं का कर राजस्व

बारहवें वित्त आयोग ने 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिये राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 14.40 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। 2005-06 के दौरान वास्तविक वृद्धि 17.26 प्रतिशत की हुई जिससे यह प्रदर्शित होता है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा रखा गया लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा भली भाँति प्राप्त किया गया था। 2005-06 की अवधि में 9115 करोड़ रुपए तथा 2208 करोड़ रुपए का क्रमशः राज्य का स्वयं का कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित क्रमशः 9034 करोड़ रुपए तथा 2137 करोड़ रुपए से अधिक था। स्वयं के कर की उत्प्लावकता में,2004-05 में 2.12 से बढ़कर 2005-06 में 16.5 हो जाने की,तेज वृद्धि मुख्यतः पूर्व वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान सकल राज्य घरलू उत्पाद की सीमान्त वृद्धि के कारण हुई।

करभिन्न राजस्व

बारहवें वित्त आयोग ने करभिन्न राजस्व में 11प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का सुझाव दिया है। यह अवलोकन किया गया कि 2000-01 तथा 2003-04 के दौरान क्रमशः 30.17 प्रतिशत तथा 9.48 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई। 2004-05 के दौरान इसमें 201 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2005-06 में 51 प्रतिशत की गिरवाट हुई। यह स्थिति मुख्यतः 2004-05 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राज्य सरकार को 2749 करोड़ रुपए का अनुदान वापस किये जाने के कारण निर्मित हुई। कर भिन्न राजस्व स्त्रोतों में अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (37प्रतिशत) ब्याज प्राप्तियां (24 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्य जीवन (22 प्रतिशत) प्रधान अंशदाता थे। पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत 501 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई तथा सिंचाई,सामाजिक सेवायें तथा आर्थिक सेवायें के अंतर्गत क्रमशः 8 करोड़ रुपए,13 करोड़ रुपए,274 करोड़ रुपए की गिरावट हुई।

केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर हस्तांतरण का निर्णय बारहवें वित्त आयोग पंचाट द्वारा किया जाता है। वृहत आर्थिक रुपरेखा विवरण-पत्रक में दिये अनुसार 6341 करोड़ रुपए का केन्द्रीय कर अंतरण 6377 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि से सीमान्त तौर पर कम था ।

सहायता अनुदान

आयोजनेतर अनुदान जो कि 2004-05 में 458.82 करोड़ रुपए के थे, वे मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275 (i) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान (183 करोड़ रुपए) तथा आपदा राहत निधि में अंशदान के रूप में अनुदान (132 करोड़ रुपए) शीर्ष के अंतर्गत वृद्धि के कारण बढ़कर 2005-06 में 767.86 करोड़ रुपए हो गये। केन्द्रीय आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान 2004-05 में 59.73 करोड़ रुपए तथा 599.44 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में क्रमशः 65.88 करोड़ रुपए तथा 835.20 करोड़ रुपए हो गया जबकि राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान 2004-05 में 1313.75 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में 1263.60 करोड़ रुपए हो गया।

राजस्व बकाया

2005-06 के दौरान राजस्व के बकाया की विभागवार स्थिति का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	विभाग का नाम	राजस्व का बकाया (करोड़ रुपए में)
1.	वाहन पर कर	33.83
2.	राज्य आबकारी	53.73
3.	विद्युत	32.85
4.	वाणिज्यिक कर	759.30
5.	खनन	11.11
6.	सहकारिता	9.36
7.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन	66.38
8.	वन	18.99
	योग	**985.55**

संबंधित विभागों ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों के कारण बकाया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

1.4.3 प्राप्तियों के स्त्रोत

2000-06 की अवधि के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों के स्त्रोत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद सारणी-5 में दर्शाये गये हैं।

सारणी-5: प्राप्तियों का स्त्रोत - प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ				कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		गैर-ऋण प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ	आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	लोक लेखा में उपार्जन		
2000-01	12839	13	3101	7	16520	32480	88445
2001-02	11211	1588	3281	--	15013	31093	81286
2002-03	13391	43	4949	--	20120	38503	83011
2003-04	14289	36	9938	--	22285	46548	101027
2004-05	19743	53	8849	1	24790	53436	107926
2005-06	20597	2852	5161	--	29038	57648	109055 अ

अ - अग्रिम अनुमान

कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश वर्ष 2000-01 में 39.53 से घटकर वर्ष 2005-06 में 35.73 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का अंश वर्ष 2000-01 में 60.47 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 64.27 प्रतिशत हो गया जबकि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अंश 2000-01 में 60.47 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 64.27 प्रतिशत हो गया। गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा में उपार्जन पूर्व वर्ष की तुलना में 2005-06 की अवधि में तीव्र गति से बढ़कर क्रमशः 5281 प्रतिशत तथा 17.14 प्रतिशत हो गया, जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान ऋण प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 41.68 प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष 2005-06 के दौरान गैर ऋण प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि मुख्यतः मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा मुख्य शीर्ष 6801- " बिजली/शक्ति परियोजनाओं के लिए ऋण " के अंतर्गत ऋण के पुनर्भुगतान के कारण थी ।

1.5 संसाधनों का उपयोग

1.5.1 व्यय की वृद्धि

वित्त लेखे के विवरण पत्रक 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय दर्शाये गये हैं। राज्य पूंजीगत व्यय तथा निवेशों के माध्यम से अपने संप्रभु कार्यों का निष्पादन करने, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रदान किए जाने की उनकी विद्यमान प्रकृति बनाए रखने तथा इन सेवाओं के नेटवर्क/जाल का विस्तार करने तथा अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं।

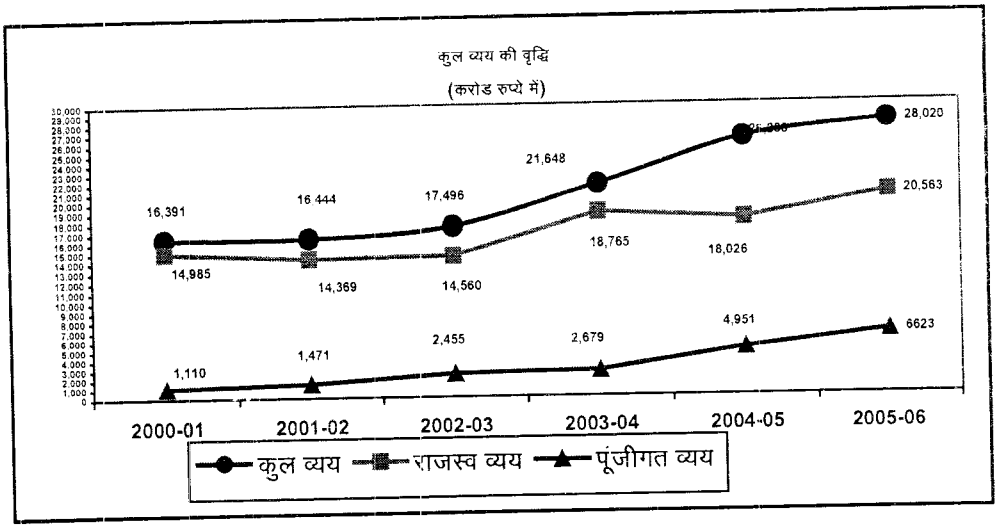
राज्य का कुल व्यय वर्ष 2000-01 में 16391 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 28020 करोड़ रुपए हो गया। कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू

उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में व्यय का अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में इसकी उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियाँ सारणी-6 में दर्शायी गई हैं।

सारणी:6- कुल व्यय - मूलभूत प्राचल

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
कुल व्यय[@] (करोड़ रुपए में)	16391	16444	17496	21648	26288	28020
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	--	0.32	6.40	23.73	21.43	6.58
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	18.53	20.23	21.08	21.43	24.36	25.69
राजस्व प्राप्तियों/कुल व्यय का अनुपात (प्रतिशत)	78.33	68.18	76.54	66.00	75.10	73.50
निम्नलिखित के संदर्भ में कुल व्यय की उत्प्लावकता						
सकल राज्य घरेलू उत्पादन (अनुपात)	*	*	3.014	1.093	3.142	6.290
राजस्व प्राप्तियाँ/अनुपात	*	*	0.328	3.541	0.561	1.523

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में वृद्धि मूलतः राजस्व भाग के अंतर्गत 2537 करोड़ रुपए तथा पूँजीगत भाग के अंतर्गत 1672 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2004-05 में 75 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 74 प्रतिशत हो गया जो इंगित करता है कि राज्य के कुल व्यय का लगभग 74 प्रतिशत की पूर्ति इसके चालू राजस्व से की गई तथा शेष 26 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था उधारियों से की गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में कुल व्यय का उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की न्यूनतम वृद्धि के कारण वर्ष 2004-05 में 3.142 तथा 0.561 से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 6.290 तथा 1.523 हो गया।



@ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

* 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।

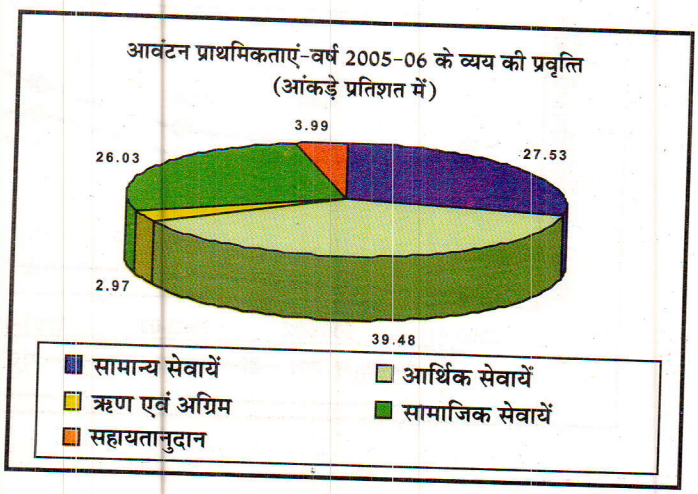
गतिविधियों के रुप में कुल व्यय ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम का योग माना जा सकता है। कुल व्यय में उक्त संघटकों का सापेक्षिक अंश सारणी 7 में दर्शाया गया है।

सारणी - 7: (व्यय के संघटक-सापेक्षिक अंश)

(प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सामान्य सेवायें	**32.57**	**30.80**	**31.33**	**30.53**	**28.96**	**27.53**
जिनमें से ब्याज भुगतान	14.70	13.70	14.30	14.80	13.92	12.21
सामाजिक सेवायें	36.43	28.92	33.26	27.05	23.22	26.03
आर्थिक सेवायें	25.97	34.30	30.34	38.74	31.73	39.48
सहायता अनुदान	3-22	2-27	2-32	2-73	3-49	3-99
ऋण एवं अग्रिम	1-81	3-64	2-75	0-95	12-60	2-97

व्यय के उक्त संघटकों के सापेक्षक अंशों की प्रवृत्ति दर्शाती है कि कुल व्यय में ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण का अंश वर्ष 2004-05 में 12.60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 2.97 प्रतिशत रह गया। हालांकि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं वर्ष 2004-05 में 23.22 तथा 31.73 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में क्रमशः 26.03 तथा 39.48 प्रतिशत हो गया। ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्षिक अंश में तीव्र कमी मुख्यतः उर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कम संवितरण के कारण थी, जबकि सामाजिक सेवाओं के सापेक्षिक अंश में वृद्धि मुख्यतः " शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति " (330 करोड़ रुपए) " सामाजिक कल्याण एवं पोषण " (330 करोड़ रुपए) तथा " अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग " (156 करोड़ रुपए) के अंतर्गत अधिक राजस्व व्यय के कारण हुई। आर्थिक सेवाओं के सापेक्षिक अंश में वृद्धि मुख्यतः उर्जा (517 करोड रुपए) तथा परिवहन (158 करोड़ रुपए) पर अधिक व्यय के कारण हुई।



1.5.2 राजस्व व्यय का प्रभाव क्षेत्र

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सेवाओं एवं भुगतान के विद्यमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्वों के लिए किया जाता है और इस प्रकार

यह राज्य की अधोसंरचना तथा सर्विस नेटवर्क में वृद्धि नहीं करता है। निम्नांकित सारणी-8 में कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी उत्प्लावकता दर्शायी गई है।

सारणी-8 राजस्व व्ययः आधारभूत प्राचल

(करोड़ रुपए में तथा प्रतिशत कोष्ठक में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व व्यय	14985	14369	14560	18765	18026	20563
जिसमें से आयोजनेतर राजस्व व्यय	12302 (82.10)	11853 (82.49)	11040 (75.82)	15949 (84.99)	14861 (82.44)	16351 (79.52)
आयोजना राजस्व व्यय	2683 (17.90)	2516 (17.51)	3520 (24.18)	2816 (15.01)	3165 (17.56)	4212 (20.48)
वृद्धि दर (प्रतिशत में) आयोजनेतर राजस्व व्यय	नगण्य	नगण्य	नगण्य	44.46	नगण्य	10.02
आयोजना राजस्व व्यय	नगण्य	नगण्य	39.90	नगण्य	12.39	33.08
आयोजनेतर राजस्व व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.90	14.58	13.29	15.78	13.76	14.99
कुल व्यय के प्रतिशत के रुप मे आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.05	72.08	63.10	73.67	56.53	58.35
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	95.81	105.72	82.44	111.61	75.27	79.38
राजस्व व्यय की निम्नलिखित के साथ उत्प्लावकता						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	Ψ	Ψ	0.622	1.330	Ψ	13.451
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	Ψ	Ψ	0.067	4.310	Ψ	3.256

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2004-06 में 18026 करोड़ रुपए से 14 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2005-06 में 20563 करोड़ रुपए हो गया। विगत वर्ष की तुलना में मुख्यतः बिजली (518 करोड़ रुपए), सामान्य शिक्षा (356 करोड़ रुपए), प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (320 करोड़ रुपए), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (227 करोड़ रुपए) तथा अन्य ग्रामीण विकास योजना (289 करोड़ रुपए) पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, आयोजनेतर राजस्व व्यय तथा आयोजना राजस्व व्यय के दोनों अवयव वर्ष 2004-05 में 14861 करोड़ रुपए तथा 3165 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 में क्रमशः 16351 करोड़ रुपए तथा 4212 करोड़ रुपए हो गये थे। आयोजनेतर राजस्व व्यय तथा आयोजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2004-05 में ऋणात्मक तथा 12.39 प्रतिशत से तीव्र गति से बढ़कर वर्ष 2005-06 के दौरान 10.02 प्रतिशत तथा 33.08 प्रतिशत हो गई। आयोजनेतर राजस्व व्यय का कुल व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अनुपात वर्ष 2004-05 में 56.53 तथा 75.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 58.35 तथा 79.38 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात 13.451 था जो सम्पूर्ण अवधि 2000-06 के दौरान अधिकतम अनुपात था। कर-भिन्न राजस्व में कमी के कारण वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 3.256 थी। आयोजनेतर राजस्व व्यय के लिए अनुमानित 11.46 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध, वर्ष

Ψ 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा 2004-05 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि भी ऋणात्मक थी।

2005-06 में 10.02 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। हालांकि वर्ष के दौरान वेतन (5669 करोड़ रुपए), ब्याज भुगतान (3422 करोड़ रुपए) तथा पेंशन (1557 करोड़ रुपए) पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत था। 16351 करोड़ रुपए का कुल आयोजनेतर राजस्व व्यय 12 वें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित 13150 करोड़ रुपए के आँकड़े से अधिक था। मुख्यतः ब्याज भुगतान (167 करोड़ रुपए) '' सामान्य सेवायें " (565 करोड़ रुपए), सामाजिक सेवायें (393 करोड़ रुपए) तथा " आर्थिक सेवायें " (1910 करोड़ रुपए) के अंतर्गत वृद्धि हुई।

1.5.3 प्रतिबद्ध व्यय

वेतन पर व्यय

सारणी-9: वेतन पर व्यय

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
वेतन पर जिसमें से	5715*	4669*	5258*	5312*	6176*	5669*@
आयोजनेतर शीर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5058
आयोजना शीर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	611
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में	6.46	5.74	6.33	5.26	5.72	5.20
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में	44.51	41.65	39.27	37.17	31.28	27.52

* विभाग से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार

@ स्त्रोत वर्ष 2005-06 के वित्त लेखे

वर्ष 2005-06 के लिए वेतन सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.20 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्ति का 27.52 प्रतिशत था। वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण पत्रक में वर्ष 2007-08 से वेतन में वृद्धि 7.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई।

पेंशन भुगतान

सारणी 10 : पेंशन पर व्यय (करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
पेंशन पर व्यय	962.65	1010.76	1082.68	1197.27	1329.89	1557.14
सकल राज्य घरेलू के प्रतिशत के रुप में	1.09	1.24	1.30	1.18	1.23	1.43
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रुप मे	7	9	8	8	7	8

राज्य शासन ने मध्यम अवधि भौतिक नीति विवरण पत्रक में वर्ष 2007-08 से पेंशन में 9.66 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर का ऑकलन किया था। बारहवें वित्त आयोग ने 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को अंगीकार किया तथा पूर्वानुमान अवधि में भुगतान नामपत्र उत्पन्न करने के लिए आँकलित आधार वर्ष में इसे लागू किया । तथापि यह अवलोकित किया गया कि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्तों तथा सामान्य वृद्धि व्यय पर अधिक व्यय के कारण वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में क्रमशः 11.11 प्रतिशत तथा 17.06 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर थी।

जबकि राज्य शासन ने वर्ष 2005-06 के दौरान 1548 करोड़ रुपए की पेंशन देयताओं को प्रक्षेपित किया, वास्तविक पेंशन भुगतान 1557 करोड़ रुपए था।

ब्याज भुगतान

सारणी-11 ब्याज भुगतान

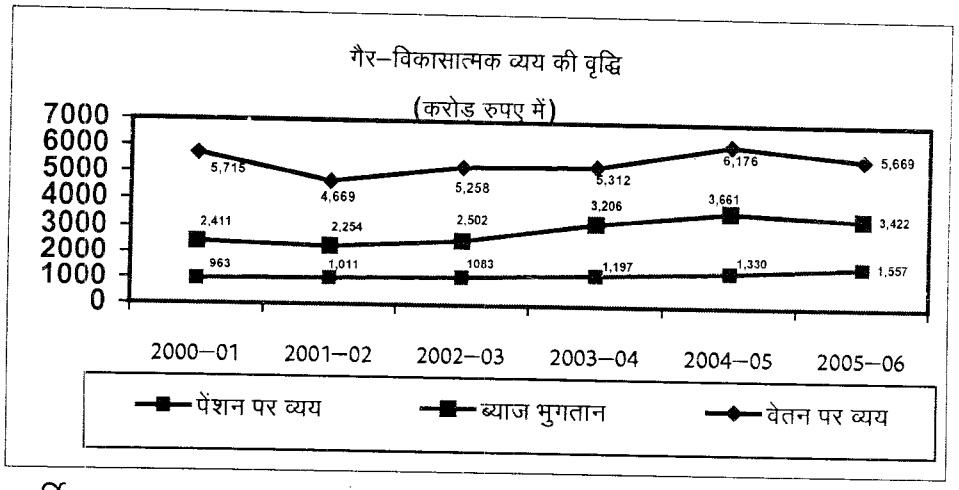
वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	ब्याज भुगतान	निम्नलिखित के संदर्भ में ब्याज भुगतानों का प्रतिशत	
	करोड़ रुपए में		कुल राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2000-01	12839	2411	18.78	16.09
2001-02	11211	2254	20.11	15.69
2002-03	13391	2502	18.68	17.18
2003-04	14289	3206	22.43	17.08
2004-05	19743	3661	18.54	20.31
2005-06	20597	3422	16.61	16.64

राज्य सरकार ने बहुत से स्रोतों से उधार लिए गए ऋणों के कारण वर्ष के दौरान वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण पत्रक में निर्धारित 3686 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के विरुद्ध 3422 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान किया था । वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य रुप से खुले बाजार से उधार लिए गए ऋण पर ब्याज के रुप में 826 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय बचत सुरक्षा निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के रुप में 946 करोड़ रुपए का भुगतान किया । राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं को उनसे प्राप्त ऋणों पर ब्याज के रुप में 490 करोड़ रुपए का भुगतान किया तथा भारत सरकार से उधार लिए गए ऋणों पर ब्याज के रुप में भी 699 करोड़ रुपए का भुगतान किया ।

बारहवें वित्त आयोग (नवम्बर 2004) तथा वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण पत्रकों में अनुशंसा की गई थी कि राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतानों का स्तर वर्ष 2009-10 तक लगभग 15 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिये । यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में ब्याज भुगतान 17 प्रतिशत था । वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण पत्रकों के अनुसार भारत सरकार के ऋण की 587.55 करोड़ रुपए की राशि 14.5 प्रतिशत की दर से चुकता की गई थी । वर्ष 2003-04 में 1507.17 करोड़ रुपए की राशि 13 प्रतिशत तथा 14.5 प्रतिशत के मध्य की ब्याज दर से चुकता की गई थी । इसी प्रकार नाबार्ड ऋण की राशि 732 करोड़ रुपए भी वर्ष 2004-05 में चुकता कर दी गई थी । इन तीन वर्षों में ऋण चुकता किए जाने के कारण ब्याज में लगभग 225 करोड़ रुपए की राहत मिली थी ।

ऋण एकीकरण का प्रभाव

वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण पत्रकों में निर्धारित किया गया था कि सामान्य ऋण राहत, जिसमें एकीकरण पुनर्निर्धारण तथा ब्याज दर 7.5 प्रतिशत तक कम करना सम्मिलित है, उस वर्ष से सभी राज्यों को उपलब्ध होगी जिस वर्ष से वे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करते हैं । इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लिए 7256 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्निर्धारण किया गया है । 5 वर्षों की अवधि में ऋण पुनर्भुगतान तथा ब्याज भुगतान के कारण कुल बचत 1927.60 करोड़ रुपए अनुमानित की गई ।



आर्थिक सहायता

यद्यपि राज्य की वित्त व्यवस्था पर दबाव है फिर भी राज्य शासन विभिन्न निगमों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है । राज्य शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता की प्रवृत्तियाँ **सारणी - 12** में दी गई हैं ।

सारणी -12: आर्थिक सहायता

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	पूर्व वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि(+)/ ह्रास(-)	कुल व्यय में आर्थिक सहायता की प्रतिशतता
2001-02	2038.16	(+)395.26	12.40
2002-03	938.88	(-)53.93	5.37
2003-04	3926.78	(+)318.24	18.14
2004-05	1465.93	(-)62.67	5.58
2005-06	1983.47	(+)35.30	7.08

टिप्पणीः प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण केवल मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बंधित है। अन्य कॉरपोरेशनों एवं निगम से सम्बंधित विवरण वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

यद्यपि आर्थिक सहायताओं के भुगतान पर व्यय में वर्ष के दौरान 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई फिर भी यह कुल व्यय का 7 प्रतिशत ही रहा जो कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को भुगतान किया गया था।

1.6 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

1.6.1 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में उत्तम सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता से व्यय की अपनी गुणवत्ता प्रतिबिम्बित होती है। अतः कुल व्यय के साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर पूँजीगत व्यय के अनुपात तथा सक्षमता एवं प्रभावोत्पादकता के साथ चल रही विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात से व्यय की गुणवत्ता तय की जायेगी। कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इन संघटकों

का उच्चतर अनुपात होना ही व्यय की उत्तम गुणवत्ता है। सारणी-13 में 2000-06 की अवधि के इन अनुपातों को दर्शाया गया है।

सारणी-13: व्यय की गुणवत्ता के संसूचक

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
पूंजीगत व्यय	1110	1471	2455	2679	4951	6623
राजस्व व्यय	14985	14369	14560	18765	18026	20563
निम्नांकित के साथ						
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं *(i) वेतन एवं मजदूरी संघटक** *(ii) गैर वेतन एवं मजदूरी संघटक*	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	4140 7712
कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में						
पूंजीगत व्यय	6.77	8.95	14.03	12.39	18.83	23.64
राजस्व व्यय	91.42	87.38	83.22	86.68	68.57	73.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में						
पूंजीगत व्यय	1.25	1.81	2.96	2.65	4.59	6.07
राजस्व व्यय	16.94	17.68	17.53	18.57	16.70	18.86

* आंकड़े केवल वेतन से सम्बधित हैं

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण-पत्रकों में 2005-06 के दौरान 21370 करोड़ रुपए तथा 6853 करोड़ रुपए का क्रमशः राजस्व एवं पूंजीगत व्यय अनुमानित था ।

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2004-05 में 18026 करोड़ रुपए तथा 4951 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में क्रमशः 20563 करोड़ रुपए तथा 6623 करोड़ रुपए हो गया। कुल व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में,इन दोनों व्यय में वर्ष के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। इन संघटकों के उच्चतर अनुपातों से यह प्रकट होता है कि व्यय की गुणवत्ता उत्तम थी। 2005-06 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की वृद्धि क्रमशः 14 एवं 34 प्रतिशत थी। पूंजीगत व्यय की सार्थक वृद्धि से उत्तम वित्तीय स्थिति प्रदर्शित होती है। विकासात्मक व्यय (18,355 करोड़ रुपए) कुल व्यय (28020 करोड़ रुपए) का 65.5 प्रतिशत लेखांकित किया गया। गैर-विकासात्मक प्रयोजनों पर होने वाला व्यय (4140 करोड़ रुपए) विकासात्मक व्यय (18355 करोड़ रुपए) का 22.6 प्रतिशत था। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में से 35 प्रतिशत और 65 प्रतिशत व्यय क्रमशः वेतन एवं गैर वेतन संघटक पर किया गया था। गैर वेतन संघटक पर किये गये व्यय में सामाजिक सेवाओं का 46 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं का 54 प्रतिशत शामिल था।

1.6.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

यह तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा,स्वास्थ्य सेवाओं तथा पेय जल एवं स्वच्छता सुविधाओं इत्यादि तक पहुँच जैसे मानव विकास संसूचकों की गरीबी के उन्मूलन एवं आर्थिक प्रगति से सुदृढ़ सम्बद्धता रहती है अतएव राज्य में इन सेवाओं के विस्तार एवं सक्षम व्यवस्था से सम्बंधित आंकलन करना बुद्धिमानी होगी। सारणी-14 में 2000-06 की

अवधि में राज्य में सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का सारांश दिया गया है।

सारणी-14: सामाजिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004.-05	2005-06 (®)
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति						
राजस्व व्यय	2750	2110	2296	2355	2552	2906
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1786(97.8)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1120(39.6)
पूँजीगत व्यय	13	16	17	20	24	42
योग	**2763**	**2126**	**2313**	**2375**	**2576**	**2948**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
राजस्व व्यय	832	667	761	761	856	925
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	596(82.9)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	329(62.6)
पूँजीगत व्यय	30	21	18	38	43	64
योग	**862**	**688**	**779**	**799**	**899**	**989**
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास						
राजस्व व्यय	683	536	397	459	479	556
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	109(95.4)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	447(36.0)
पूँजीगत व्यय	18	72	394	361	242	394
योग	**701**	**608**	**791**	**820**	**721**	**950**
अन्य सामाजिक सेवाएं						
राजस्व व्यय	1571	1270	1830	1747	1785	2271
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	600(74.3)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलबध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1671(37.4)
पूँजीगत व्यय	75	63	107	116	123	135
योग	**1646**	**1333**	**1937**	**1863**	**1908**	**2406**
योग (सामाजिक सेवाएं)						
राजस्व व्यय	**5836**	**4583**	**5284**	**5322**	**5672**	**6658**
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	**3091(90.3)**
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	**3567(45.0)**
पूँजीगत व्यय	**136**	**172**	**536**	**535**	**432**	**635**
योग	**5972**	**4755**	**5820**	**5857**	**6104**	**7293**

* वेतन व्यय से संबंधित हैं।

(®) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आयोजनेतर राजस्व व्यय के अंश को प्रतिशत में दर्शाते हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय एव पूँजीगत व्यय में वृद्धि वर्ष 2004-05 में 6.58 प्रतिशत तथा ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में, क्रमशः 17.38 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत थी। वर्ष 2005-06 के दौरान "शिक्षा खेल-कूद, कला एवं संस्कृति ", "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण " तथा जल आपूर्ति, सफाई एवं आवास एवं शहरी विकास " संघटकों के अंतर्गत क्रमशः 13.87 प्रतिशत, 8.06 प्रतिशत तथा 16.08

प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2005-06 के दौरान "शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति " "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण " तथा "जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास" संघटकों के अंतर्गत वेतन पर व्यय क्रमशः 61.46 प्रतिशत, 64.43 प्रतिशत तथा 19.60 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान सामाजिक सेवाएं (7293 करोड़ रुपए) विकासात्मक व्यय (18355 करोड़ रुपए) का 40 प्रतिशत लेखांकित की गईं। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में से 40 प्रतिशत 'शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति' पर, 13 प्रतिशत 'जल आपूर्ति सफाई आवास एवं शहरी विकास' पर, 14 प्रतिशत 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' पर तथा 33 प्रतिशत अन्य सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया। 12वें वित्त आयोग द्वारा 'शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति' तथा "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' के संबंध में वेतन पर आयोजनेतर राजस्व व्यय, 85 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत के विरुद्ध क्रमशः 98 प्रतिशत तथा 83 प्रतिशत अवलोकित किया गया।

1.6.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

"आर्थिक सेवाओं पर व्यय " में ऐसे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से राज्य की अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादक क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। आर्थिक सेवाओं पर व्यय (11061 करोड़ रुपए) कुल व्यय का 39.48 प्रतिशत लेखांकित हुआ (सारणी 15)। इसमें से कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा तथा परिवहन पर लगभग 83.4 प्रतिशत राशि व्यय की गई।

सारणी-15 आर्थिक क्षेत्र पर व्यय

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
कृषि, सम्बद्ध गतिविधियाँ						
राजस्व व्यय	1215	1108	1226	1148	1244	1285
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	**अनुपलब्ध**	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	544 86.4)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	**अनुपलब्ध**	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	741 47.6)
पूँजीगत व्यय	43	23	34	50	59	38
योग	**1258**	**1131**	**1260**	**1198**	**1303**	**1323**
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण						
राजस्व व्यय	336	261	251	270	300	327
जिसमें से						
(क) *वेतन एवं मजदूरी संघटक*	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	233(67.8)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	94(94.7)
पूँजीगत व्यय	487	685	950	1081	1699	1254
योग	**823**	**946**	**1201**	**1351**	**1999**	**1581**
विद्युत एवं उर्जा						
राजस्व व्यय	410	2037	980	3954	1466	1983
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1983(96.7)
पूँजीगत व्यय	239	173	348	328	1747	3236
योग	**649**	**2210**	**1328**	**4282**	**3213**	**5219**
परिवहन						
राजस्व व्यय	295	246	224	190	140	298
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	98(100)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	200(100)
पूँजीगत व्यय	116	237	315	407	547	809
योग	**411**	**483**	**539**	**597**	**687**	**1107**

अन्य आर्थिक सेवाएं						
राजस्व व्यय	1042	711	744	717	819	1301
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	174(79.3)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1127(72.6)
पूँजीगत व्यय	74	159	236	241	321	530
योग	**1116**	**870**	**980**	**958**	**1140**	**1831**
योग (आर्थिक सेवाएं)						
राजस्व व्यय	**3298**	4363	3425	6279	3969	5194
जिसमें से						
(क) वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1049(82.4)
(ख) गैर-वेतन एवं मजदूरी संघटक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4145(63.0)
पूँजीगत व्यय	**959**	1277	1883	2107	4373	5867
योग	**4257**	**5640**	**5308**	**8386**	**8342**	**11061**

* ऑकड़े केवल वेतन व्यय से संबंधित हैं।

(&) कोष्ठक में दिए गए ऑकड़े आयोजनेतर राजस्व व्यय के अंश को प्रतिशत में दर्शाता हैं।

वर्ष 2004-05 में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व तथा पूँजीगत व्यय 3969 करोड़ रुपए तथा 4373 करोड़ रुपए वर्ष 2005-06 में बढ़कर क्रमशः 5194 करोड़ रुपए तथा 5867 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व व्यय पर 5194 करोड़ रुपए में से 4145 करोड़ रुपए (80 प्रतिशत) गैर-वेतन तथा मजदूरी संघटक पर व्यय किए गए। इससे पता चलता है कि इन आर्थिक सेवाओं के संधारण पर सारभूत राशि व्यय की गई।

1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

6वर्ष की अवधि 2000-06 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि सारणी 16 में प्रस्तुत की गई है

सारणी-16: वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
शैक्षणिक संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालय आदि)	156.20	154.80	134.56	173.96	158.74	133.37
नगर निगम तथा नगर पालिका	190.72	430.72	506.00	557.35	320.61	1027.34
जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएं	218.89	431.90	526.29	524.58	437.82	685.98
विकास अभिकरण	9.08	153.05	253.29	21.30	7.33	2.00
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	18.90	4.60	7.08	13.71	8.67	7.14
अन्य संस्थाएं	170.36	29.65	121.22	113.72	170.90	311.43
योग	**764.15**	**1204.72**	**1548.44**	**1404.62**	**1104.07**	**2167.26**
संशोधित अनुमान के प्रतिशत के अनुसार सहायता	संभव नहीं	8	11	7.5	6.12	16.54

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वर्ष 2004-05 में 1104.07 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वर्ष 2005-06 में बढ़कर 2167.26 करोड़ रुपए हो गयी। वृद्धि मुख्यतः "नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं" तथा जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत हुई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रुप में सहायता वर्ष 2004-05 में 6.12 प्रतिशत थी जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 10.54 प्रतिशत हो गई।

1.6.5 उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब

वर्ष 2005-06 तक प्रदत्त कुल 2859.86 करोड़ रुपए के अनुदानों तथा ऋणों के संबंध में 2478 उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे। विभागवार बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों का विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है।

1.6.6 लेखाओं को प्रस्तुत न किया जाना

ऐसी संस्थाओं की पहचान करने के लिए, जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, शासन/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से संबंधित विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना वांछित है। सितम्बर 2006 तक शासन के किसी भी विभाग ने वर्ष 2005-06 से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे।

1.6.7 स्वायत्त निकायों के निष्पादन का सार

राज्य में तीन निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा का दायित्व भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा के दायित्व को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं को प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा इसे विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में स्थिति **परिशिष्ट 1.8** में इंगित की गई है।

1.6.8 दुर्विनियोग, हानियाँ, व्यपहरण आदि

राज्य शासन द्वारा 1965-66 से मार्च 2006 की समाप्ति तक की अवधि से संबंधित 5.30 करोड़ रुपए की शासकीय राशि से अंतर्निहित दुर्विनियोग, व्यपहरण आदि के 801 प्रकरण प्रतिवेदित किए गए जिन पर अंतिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा **परिशिष्ट 1.9** में दिया गया है।

1.6.9 हानियों आदि का अपलेखन

लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान 80 प्रकरणों में चोरी, आगजनी तथा वसूल न किए जाने योग्य राजस्व के कारण 29.84 करोड़ रुपए की हानियों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपलेखित किया गया था। संबंधित विवरण **परिशिष्ट- 1.10** में दिए गए हैं ।

1.7 परिसम्पत्तियाँ तथा देयतायें

शासकीय लेखांकन प्रणाली में शासकीय स्वामित्व की भूमि तथा भवनों जैसी स्थिर परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। लेकिन शासकीय लेखाओं में शासन की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण अवश्य सम्मिलित किया जाता है। 31 मार्च 2005 की संगत स्थिति की तुलना में, 31 मार्च 2006 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का सार **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है। इस परिशिष्ट में आंतरिक कर्जों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों, लोक लेखा तथा संचित निधियों की प्राप्तियों को देयताओं के अंतर्गत समाविष्ट किया गया हैं,जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय,राज्य शासन द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को शामिल किया गया है। **परिशिष्ट 1.11** में अवधि 2000-2006 से संबंधित राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था के समय श्रंखलाबद्ध आँकड़े दर्शाये गए हैं।

1.7.1 सिंचाई निर्माण कार्यो के वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान 324.75 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय वाली 13 बड़ी,मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया कि वर्ष 2005-06 के दौरान इन परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व (37.32 करोड़ रुपए) राजस्व व्यय का 11.49 प्रतिशत था जो संधारण पर किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था।

1.7.2 निवेश एवं विवरणियाँ

31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार सरकार ने सांविधिक निगमों,ग्रामीण बैंकों संयुक्त पूँजी कंपनियों तथा सहकारिताओं में 6965.99 करोड़ रुपए का निवेश किया था (सारणी-18)। इनमें से 2005-2006 तक कुल मिलाकर 638 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 3 सांविधिक निगम तथा 13 सरकारी कम्पनियाँ हानि वहन कर रहीं थीं तथा इन कम्पनियों द्वारा 2004-05 तक प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियाँ 2899 करोड़ रुपए की थीं (**परिशिष्ट-1.12**)।

इस प्रकार सरकार को बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने हेतु उच्च लागत की उधारियों का अधिक विवेकपूर्ण ढ़ंग से निवेश करना ही आवश्यक नहीं है अपितु ऐसी इकाईयों का विनिवेश करते हुए बीमार इकाईयों के संबंध मे हानियों का समाधान भी करना चाहिये। अवधि 1996-98 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में 710 करोड़ रुपए का निवेश किया गया जिसे छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्यों में पुनर्गठित किया गया (नवम्बर 2000),परंतु इसकी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का अभी पुनर्वितरण किया जाना है।

मार्च 2006 के अंत तक 6965.99 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से 1619.56 करोड़ रुपए की राशि संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थी परंतु मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सांविधिक निगमों (935.47 करोड़ रुपए) सरकारी कम्पनियों (199.54 करोड़ रुपए) सहकारी बैंकों तथा समितियों (483.01 करोड़ रुपए) तथा संयुक्त पूँजी कम्पनियों

के मध्य आवंटन लंबित होने के कारण उक्त राशि को मध्यप्रदेश में प्रतिधारित किया गया।

वर्ष 2005-06 में इस निवेश पर प्रतिलाभ 0.08 प्रतिशत था, जबकि अवधि 2000-2006 के दौरान शासन ने अपनी उधारियों पर 7.33 से 9.94 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

सारणी-18: निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ का प्रतिशत	*शासकीय उधारी पर ब्याज की औसत दर*	ब्याज दर तथा प्रतिलाभ का अंतर
	(करोड़ रुपए मे)		(प्रतिशत)		
2000-01	1679.09	0.31	0.02	9.94	9.92
2001-02	1687.08	1.64	0.10	9.19	9.09
2002-03	1702.39	4.09	0.24	8.81	8.57
2003-04	1737.29	8.42	0.48	9.41	8.93
2004-05	4151.65	2.50	0.06	8.96	8.90
2005-06	6965.99	5.72	0.08	7.33	7.25

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगम तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार इनमें से बहुत सी संस्थाओं/संगठनों को भी कर्जे एवं अग्रिम उपलब्ध करा रही है। 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार ऋणों एवं अग्रिमों की कुल बकाया राशि 3848 करोड़ रुपए थी (सारणी-19)। वर्ष 2005-06 के दौरान इन ऋणों तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज, विगत वर्ष में 0.09 प्रतिशत के विरूद्ध, 12.50 प्रतिशत था।

सारणी-19: राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
प्रारंभिक शेष	2845	2991	2002	2440	2608	5866
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	295	599	481	204	3311	834
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	13	1588	43	36	53	2852
अंतिम शेष	2991	2002	2440	2608	5866	3848
निवल वृद्धि	146	(-)989	438	168	3258	(-)2018
प्राप्त ब्याज	157	237	24	11	5	481
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रुप में प्राप्त ब्याज	5.25	11.84	0.98	0.42	0.09	12.5
राज्य सरकार द्वारा उधारियों पर भुगतान की गई भारित ब्याज दर (प्रतिशत में)	9.48	7.23	7.20	6.90	7.22	7.45
प्रदत्त एवं प्राप्त भारित ब्याज के मध्य अंतर	4.23	(-)4.61	6.22	6.48	7.13	(-)5.05

वर्ष के दौरान इन कर्जों पर प्राप्त ब्याज में, मुख्य रुप से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को कर्जों (465 करोड़ रुपए) तथा अन्य ऋणों एवं अग्रिमों (11 करोड़ रुपए) पर ब्याज के कारण विगत वर्ष की तुलना में 476 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। उधारी पर भुगतान किए गए भारित ब्याज की दर 7.45 प्रतिशत शासन द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान दिए गए ऋण तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत से कम थी ।

वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3757 करोड़ रुपए के ऋण तथा अग्रिम बकाया हैं। वसूली में वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों से 25 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि करने की योजना है।

वर्ष 2004-05 के ऋणों तथा अग्रिमों में अचानक अत्यधिक वृद्धि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 2749 करोड़ रुपए के ऋणों के भुगतान के कारण थी जिसका वर्ष 2005-06 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुनर्भुगतान किया गया।

1.7.3.1 ऋण की वसूली न होना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 1989-90 से प्रत्येक वर्ष ग्रेटर ग्वालियर के लिए जल निकासी एवं जल मल निकासी परियोजना हेतु नगर निगम ग्वालियर को ऋण स्वीकृत किया। ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ओर से कलेक्टर ग्वालियर द्वारा नगर निगम के साथ अनुबन्ध निष्पादित किए गए। ऋण की ब्याज सहित वसूली, ऋण के स्वीकृत होने के वर्ष से चार वर्ष के बाद अथवा कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष पश्चात, जो भी पहले हो, 25 समान किस्तों में की जानी थी। ऋण के पुनर्भुगतान में विफल रहने की स्थिति में ऋणी 3 प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज के भुगतान के दायित्वाधीन होगा।

कलेक्टर ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2006) तथा नवम्बर 2006 में प्राप्त आगामी जानकारी से पता चला कि 1991-92 तथा 1999-2000 के मध्य नगर निगम ग्वालियर को उपरोक्त कार्य के लिए 22.73 करोड़ रुपए के ऋण (1991-92:0.23 करोड़ रुपए; 1997-98:0.20 करोड़ रुपए;1998- 99:0.30 करोड़ रुपए तथा 1999-2000:22.00 करोड़ रुपए) स्वीकृत किए गए लेकिन ऋणी द्वारा अभी तक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु कोई भी किस्त अदा नहीं की गई। इसके परिणामस्वरुप नवम्बर 2006 तक 2.82 करोड़ रुपए के ऋण की वसूली नहीं हुई, इसके अतिरिक्त ऋण पर ब्याज तथा तीन प्रतिशत की दर से शास्ति की राशि भी आरोपणीय थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मार्च तथा नवम्बर 2006), कलेक्टर ने बताया कि ऋण की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

1.7.4 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

सामान्यत: यह अपेक्षित है कि राज्य के आर्थिक स्त्रोतों का प्रवाह इसके व्यय दायित्वों के अनुरुप होना चाहिये। तथापि स्त्रोतों के प्रवाह एवं व्यय दायित्वों मे किसी अस्थाई अंतर के संबंध में सावधानी बरतने हेतु भारतीय रिजर्व बैक से - विशिष्ट तथा साधारण-अर्थोपाय अग्रिमों के लिये एक कार्यविधि की व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान राज्य ने कोई भी अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया है।

2000-2006 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम, उपयोग किए गए अधिविकर्ष, अवसरों की संख्या जब अधिविकर्ष का उपयोग किया गया तथा राज्य द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का विवरण सारणी-20 में दिया गया है।

सारणी-20: राज्य के अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
अर्थोपाय अग्रिम						
वर्ष में लिया गया अर्थोपाय अग्रिम	2246.46	2491.64	2306.65	5330.26	2234.74	निरंक
बकाया अर्थोपाय अग्रिम, यदि कोई हो	--	--	--	266.78	--	निरंक
भुगतान किया गया ब्याज	8.22	10.51	11.55	14.06	3.75	निरंक
दिनों की संख्या	165	117	103	200	127	निरंक
अधिविकर्ष						
वर्ष में उपयोग किया गया	1220.14	3722.79	4140.40	1083.54	--	निरंक
दिनों की संख्या	47	172	176	60	--	निरंक
भुगतान किया गया ब्याज	2.79	5.08	6.69	3.41	--	निरंक

1.8 अमुक्त देयताएं

राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में पूर्ण देयताओं से अभिप्राय राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं से है जिनमें राज्य शासन के जोखिम भारित प्रत्याभूत देयताएं सम्मिलित की जाती हैं तथा जहाँ मूलधन तथा/अथवा ब्याज का भुगतान राज्य बजट से किया जाता है।

1.8.1 राजकोषीय देयताएं - लोक ऋण एवं गारंटियाँ

देयताएं दो प्रकार की होती हैं - लोक ऋण तथा अन्य देयताएं । लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण सम्मिलित होता है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रकों में संचित निधि पूँजीगत लेखा के अतंर्गत प्रतिवेदित किया जाता है। इसमें बाजार ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं।

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत की सीमा के अंदर अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर उन सीमाओं के अंतर्गत जो समय समय पर राज्य विधायिका ने अधिनियम द्वारा निर्धारित की हों, उधार ले सकता है तथा ऐसी सीमाओं के अंदर जो निर्धारित की जाएं, प्रतिभूति दे सकता है। अन्य देयताओं में, जो लोक लेखा का भाग होती हैं, लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधिओं, तथा अन्य जमाओं के अंतर्गत जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है।

सारणी-21 में राज्य की राजकोषीय देयताएं, इसकी वृद्धि दर, इन देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियों तथा स्वयं के संसाधनों की तुलना मे अनुपात और इन कारकों के संबंध में राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता दर्शाई गई है

सारणी-21 राजकोषीय देयताएं - मूलभूत प्राचल

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजकोषीय देयताएं (करोड़ रुपए में)	22548	26487	30340	37525	44235	49173*
वृद्धि कर (प्रतिशत)	नगण्य	17.46	14.55	23.68	17.9	11.16
राजकोषीय देयताओं का निम्नलिखित की तुलना में अनुपात						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.49	32.58	36.55	37.14	40.99	45.09
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	175.62	236.26	226.57	262.61	224.05	238.73
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	306.19	421.70	388.97	453.80	361.54	434.28
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता का निम्नलिखित की तुलना में अनुपात						
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	♣	♣	6.856	1.091	2.618	10.669
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	♣	♣	0.748	3.534	0.468	2.583
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	♣	♣	0.601	3.940	0.372	♣

* **इसमें मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजित न की गई 662 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित हैं ।**

♣ 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा 2000-01,2001-02 तथा 2005-06 के दौरान स्वयं की प्राप्तियों की भी वृद्धि ऋणात्मक थी ।

राज्य की 2000-01 मे 22548 करोड़ रुपए की कुल राजकोषीय देयताएं बढ़कर 2005-06 में 49173 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2005-06 के दौरान राजकोषीय देयताओं में 4938 करोड़ रुपए की वृद्धि मुख्यतः शासन के आन्तरिक ऋण (4328 करोड़ रुपए) अर्थात बाजार ऋण (944 करोड़ रुपए), रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि साख निधि से ऋण (399 करोड़ रुपए) तथा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय बचत सुरक्षा निधि (2999 करोड़ रुपए) में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2005-06 के दौरान वृद्धि दर विगत वर्ष से 11.16 प्रतिशत अधिक थी।

राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अनुपात 2000-01 में 25.49 प्रतिशत से 2005-06 में बढ़कर लगभग 45.09 प्रतिशत हो गया। 2005-06 की समाप्ति पर ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 2.39 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों का 4.34 गुना हो गई थीं। राजकोषीय देयताओं में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता 10.669 थी जो यह इंगित करती थी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि पर राजकोषीय देयताओं में 10.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता वर्ष 2004-05 में 0.468 से वर्ष 2005-06 में बढ़कर 2.583 हो गई। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 देयताओं को सीमित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे कि 31 मार्च 2015 अर्थात 10 वर्ष की अवधि के भीतर कुल अनुमानित देयताएं उस वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो सकें वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.09 प्रतिशत थी। वर्ष 2005-06 के दौरान कुल देयता का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अनुपात क्रमशः 45.09 प्रतिशत तथा 238.73 प्रतिशत था जो राजकोषीय स्थिति विवरण पत्रक मे निर्धारित 52.35 प्रतिशत तथा 278.03 प्रतिशत के अनुमानित अनुपात के कम था।

1.8.2 गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

गारंटियाँ उस उधारग्रहीता के द्वारा जिसके लिए गारंटी दी गई है,चूक होने की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर प्रभारित आकस्मिक देयताएं हैं। वित्त लेखों के विवरण पत्रक 6 के अनुसार वर्ष 2000-01 से वर्ष के अंत में अधिकतम राशि,जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियाँ दी गई हैं तथा लंबित गारंटियों का विवरण सारणी-22 में दिया गया है।

सारणी-22: मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी गई गारंटियाँ

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अधिकतम राशि जिसके लिए गारंटी दी गई है।	गारंटियों की बकाया राशि	अधिकतम राशि,जिसके लिए गारंटी दी गई है, का कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में प्रतिशत
2000-01	9709.60	467.43	75.62
2001-02	9701.32	471.49	86.53
2002-03	11572.37	584.65	86.41
2003-04	12131.29	973.72	84.89
2004-05	12506.62	2016.27	63.34
2005-06	12636.80	613.37#	61.35

उस सीमा तक जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई थी ।

राज्य शासन द्वार कुछ देयताओं के निर्वाह में जैसे सांविधिक निगमों,शासकीय कम्पनियों,संयुक्त पूँजी कम्पनियों,सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मो तथा व्यक्तियों आदि को दिए गए ऋणों के लिए गारंटियाँ दी गई हैं। ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर शासन गारंटी दे सके। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 12637 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई थी जिसमें से वर्ष के अंत में 613 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। 613 करोड़ रुपए की बकाया गारंटी में से,ब्याज के रुप में 92 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी राज्य शासन ने वर्ष 2005-06 के दौरान 1.04 करोड़ रुपए की राशि के प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना की । राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 वार्षिक वृद्धि गारंटी को सीमित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विगत वर्ष से पूर्व वर्ष में कुल गारंटियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हों। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई गारंटी की अधिकतम राशि 12637 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियों का 61.35 प्रतिशत थी। यदि 613 करोड़ रुपए की गारंटी की बकाया राशि के कारण आकस्मिक देयता की प्रतिपूर्ति उधारग्रहीता द्वारा नहीं की जाती है तो यह राज्य की संचित निधि पर देयता होगी तथा राजकोषीय देयता में उपरोक्त सीमा तक वृद्धि होगी। परिणामस्वरुप ऋण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 45.65 प्रतिशत तक न्यूनतम वृद्धि होगी।

बैंक से ऋण,राष्ट्रीय बचत सुरक्षा निधि के कारण देयताओं आदि सहित सभी ऋणों के प्रत्युत्सर्जन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी डूबंत निधि की स्थापना नहीं की गई थी।

1.8.3 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रुप में परिभाषित की जाती है। सरल शब्दों में लोक ऋण तब तक धारणीय माना जाता है, जब तक प्रारम्भिक शेष धनात्मक अथवा शून्य रहने की शर्त के साथ आय की वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक ऋणों की लागत से अधिक होती है। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा परिमाण (मात्रा) प्रसार (ऋण दर प्रसार) दिए जाने पर ऋण धारणीयता की शर्त में उल्लेख है कि यदि प्रारम्भिक घाटा सहित परिमाण प्रसार शून्य है, तो ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात स्थिर अथवा धारणीय होगा। दूसरी तरफ यदि लोक ऋण परिमाण प्रसार से अधिक है तो ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि होगी और यदि लोक ऋण परिमाण प्रसार से कम है तो इसमें कमी होगी।

सारणी-23: ऋण धारणीयता-ब्याजदर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)

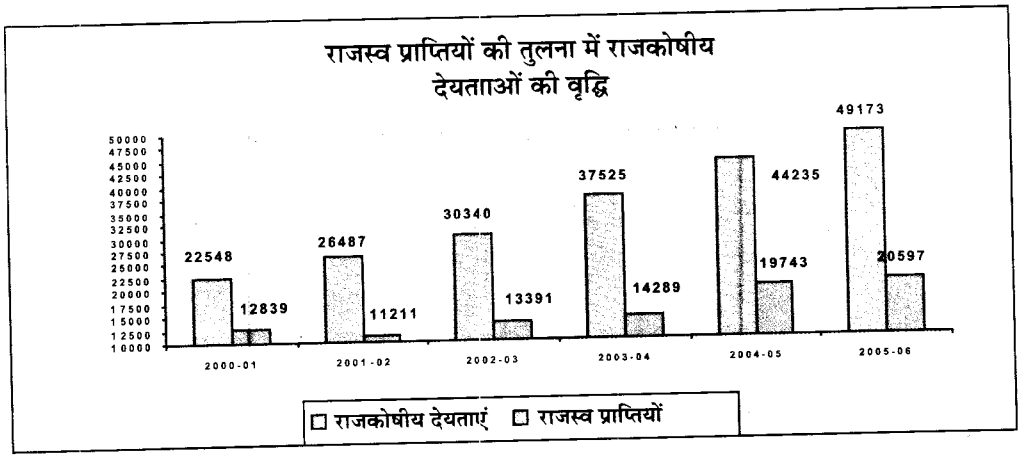
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
भारित ब्याज दर	9.48	7.23	7.20	6.90	7.22	7.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	(-)10.45	(-)8.09	2.12	21.70	6.83	1.05
ब्याज प्रसार	(-)19.93	(-)15.32	(-)5.08	14.80	(-)0.39	(-)6.40
राजकोषीय देयता (करोड़ रुपए में)	22548	26487	30340	37525	44235	49173
परिमाण प्रसार (करोड़ रुपए में)	(-) 4494	(-)4058	(-)1541	5554	(-) 173	(-) 3147
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपए में)	1128	1391	1560	4117	2831	1149

वर्ष 2003-04 को छोड़कर, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जो राज्य की ऋण स्थिति की आधारणीयता को इंगित करती है

1.8.4 निधियों की निवल उपलब्धता

पूर्व संविदाकृत देयताओं तथा ब्याज के कारण मूलधन के भुगतान के पश्चात निधियों की निबल उपलब्धता ऋण धारणीयता का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचक है।

नीचे दी गई सारणी-25 में विगत 6 वर्षों के दौरान आंतरिक ऋण की प्राप्ति तथा पुनर्भुगतान एवं अन्य राजकोषीय देयताओं की स्थिति दर्शाई गई है।



सारणी-25: उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आंतरिक ऋण						
प्राप्ति	1876	1830	3169	7949	6968	4867
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	843	906	1105	1857	3061	2806
उपलब्ध निवल निधि	1033	924	2064	6092	3907	2061
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	55	50	65	77	56	42
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम						
प्राप्ति	994	1451	1780	1723	1881	294
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	1494	1368	2468	3158	3052	1115
उपलब्ध निवल निधि	(-)500	83	(-)688	(-)1435	(-)1171	(-)821
पलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	(-)50	6	(-)39	(-)83	(-)62	(-)279
अन्य दायित्व						
प्राप्ति	1866	2625	3643	3922	3887	4574
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	1947	1963	3363	4153	3801	3916
उपलब्ध निवल निधि	(-)81	662	280	(-)231	86	658
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	(-)4	25	8	(-)6	2	14
कुल देयताएं						
प्राप्ति	4736	5906	8592	13594	12736	9735
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	4284	4237	6936	9168	9914	7837
उपलब्ध निवल निधि	452	1669	1656	4426	2822	1898
उपलब्ध निवल निधि (प्रतिशत)	10	28	19	33	22	19

ब्याज एवं पुनर्भुगतानों तथा अन्य देयताओं के लिए व्यवस्था करने के पश्चात आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के कारण उपलब्ध निवल निधि 2004-06 के दौरान 22 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत हो गई।

राज्य शासन ने वर्ष के दौरान 1260.82 करोड़ रुपए के बाजार ऋण लिए। वर्ष के दौरान उधारी पर औसत ब्याज दर 7.59 प्रतिशत थी जबकि राज्य शासन ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 9.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से 3035.02 करोड़ रुपए तथा भारत सरकार से 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से 294 करोड़ रुपए उधार लिए। राज्य ने नीलामियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बाजार ऋण प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया। 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार, राज्य शासन के मौजूदा बाजार ऋणों के 44 प्रतिशत पर ब्याज दर 10 प्रतिशत से अधिक थी। इस प्रकार पूर्व ऋणों पर उधारियों की प्रभावी लागत उस दर से बहुत अधिक है जिस दर पर शासन वर्तमान में बाजार से संसाधनों की व्यवस्था कर सकती है। राज्य सरकार के बाजार ऋणों का परिपक्वता - विवरण इंगित करता है कि कुल बाजार ऋणों का लगभग एक तिहाई आगामी पाँच वर्षों के भीतर पुनर्भुगतान योग्य है जबकि शेष दो तिहाई ऋणों का पुनर्भुगतान 5 से 10 वर्षों के भीतर किया जाना वांछित था।

वर्ष 2004-05 में प्राप्त 250 करोड़ रुपए के विरुद्ध, वर्ष 2005-06 के दौरान "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए ऋण" (1330 करोड़ रुपए) के अंतर्गत कम प्राप्ति तथा अर्थोपाय अग्रिमों की प्राप्ति न होने के कारण भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की प्राप्ति 2004-05 में 1881 करोड़ रुपए से वर्ष 2004-05 में अत्यधिक घटकर 294 करोड़ रुपए रह गई। इसी प्रकार उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत ही पुनर्भुगतान

की राशि जो वर्ष 2004-05 में 3052 करोड़ रुपए थी, वर्ष 2005-06 में घटकर 1115 करोड़ रुपए रह गई है ।

1.9 घाटे का प्रबंधन

सरकारी लेखाओं में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की दूरर्शिता दर्शाती है। इसके साथ ही घाटे का जिन तरीकों से वित्तपोषण एवं उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता है, वे भी राजकोषीय सुदृढ़ता के महत्वूपर्ण सूचक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा जो कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसके राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है, वर्ष 2000-01 में 2146 करोड़ रूपए से बढ़कर 2003-04 में 4476 करोड़ रूपए हो गया । वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान क्रमशः 1717 करोड़ रूपए तथा 34 करोड़ रूपए की राजस्व बचत रही । राजकोषीय घाटा, जो कि सरकार की कुल उधारियाँ एवं इसके कुल संसाधन के अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2000-01 में 3539 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 7323 करोड़ रूपए हो गया तथा 2004-05 तथा 2005-06 में घटकर क्रमशः6492 करोड़ रुपए तथा 4571 करोड़ रुपए रह गया । वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में 10.03 प्रतिशत की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तथा ब्याज भुगतान में 6.53 प्रतिशत की कमी के साथ स्वयं के कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अनुपात भी वर्ष 2004-05 में 7.20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 8.36 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2000-01 में राज्य का प्रारम्भिक घाटा 1128 करोड़ रूपए था जो वर्ष 2003-04 में बढ़कर 4117 करोड़ रूपए हो गया तथा वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में घटकर क्रमशः 2831 करोड़ रूपए तथा 1149 करोड़ रूपए हो गया, जैसा कि सारणी 26 में इंगित किया गया है

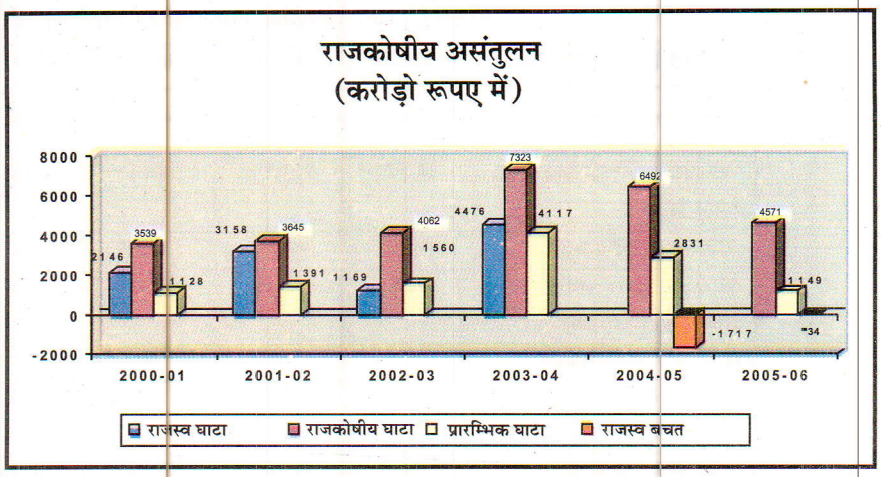
वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व बचत का राजकोषीय घाटे की तुलना में अनुपात 0.74 प्रतिशत था जो यह इंगित करता था कि उधार ली गई निधियों का लगभग एक प्रतिशत चालू खपत के लिए उपयोग किया गया । वर्ष 2005-06 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में, राजकोषीय घाटा 4.19 प्रतिशत तक पहुँच गया था ।

सारणी- 26: राजकोषीय असंतुलनः मूलभूत कारक

प्राचल	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व घाटा (-) / राजस्व बचत (+) (करोड़ रुपए में)	(-)2146	(-)3158	(-)1169	(-)4476	(+)1717	(+)34@
राजकोषीय घाटा (करोड रुपए में)	3539	3645	4062	7323	6492	4571
प्रारम्भिक घाटा (करोड रुपए में)	1128	1391	1560	4117	2831	1149
राजस्व घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.43	3.89	1.41	4.43	1.59*	0.03*
राजकोषीय घाटा /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	4.00	4.48	4.89	7.25	6.02	4.19
प्रारम्भिक घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.28	1.71	1.88	4.08	2.62	1.06
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	60.64	86.64	28.78	61.12	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

* आँकडे राजस्व बचत/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित हैं।

@ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अंतर्गत निवेश का राज्य सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तन के कारण राजस्व बचत को 814.78 करोड़ रुपए कम बताया गया ।



राजकोषीय उत्तर दायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था कि राज्य शासन (i) राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस तरह कम करेगा कि 31 मार्च 2009 तक इसे समाप्त करने के पश्चात राजस्व बचत की जा सके तथा (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में 31 मार्च 2009 तक इस तरह कमी की जाएगी कि यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो । वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण-पत्रक के अनुसार, 25 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व घाटे तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.21 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के विरूद्ध, वर्ष 2005-06 के दौरान 34 करोड़ रुपए की राजस्व बचत हुई तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.19 प्रतिशत था ।

34 करोड़ रुपए की राजस्व बचत मुख्यतः निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, विक्रयों व्यापार आदि पर कर, ब्याज प्राप्तियों शीर्षों तथा बिजली के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा ब्याज भुगतान पर व्यय में कमी के कारण हुई ।

वर्ष 2005-06 के दौरान, मुख्यतः ऋणों तथा अग्रिमों के कम संवितरण तथा उधारियों की अधिक वसूली के कारण राजकोषीय घाटे में कमी आई । वर्ष 2004-05 के दौरान 1717 करोड़ रुपए की बचत को, वर्ष 2003-04 में म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड को दी गई अनुदानों का 0801 - पावर (बिजली) में प्रतिपक्षीय जमा द्वारा म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को दिए गए ऋण में समायोजन किए जाने के कारण, 2749 करोड़ रुपए अधिक बताया गया । वर्ष 2005-06 के दौरान, प्रचुर वसूली तथा ऋणों के कम संवितरण तथा कम ब्याज भुगतान के कारण राजकोषीय घाटे तथा प्रारम्भिक घाटे में भी सुधार हुआ है।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्तीय व्यवस्था धारणीय, लचीली तथा अभेद्य रहनी चाहिये । निम्नांकित सारणी - 27 में उन कतिपय मूल संदर्शकों के संदर्भ में अवधि 2000-2005 में सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जो उपलब्ध स्त्रोतों तथा उनके अनुप्रयोगों

की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने में सहायक हैं, महत्व के क्षेत्रों की ओर ध्यानाकर्षित करते हैं तथा इसके महत्वपूर्ण पहलुओं का अभिग्रहण करते हैं ।

सारणी -27: वित्तीय सुदृढ़ता के संदर्शक (प्रतिशत में)

राजकोषीय संदर्शक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	
I संसाधन संगठन						
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.52	13.79	16.13	14.14	18.29	18.88
राजस्व उत्प्लावकता	नगण्य	नगण्य	9.166	0.309	5.588	4.130
स्वयं का कर/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.38	5.76	7.43	6.72	7.20	8.36
II व्यय प्रबंधन						
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.53	20.23	21.08	21.43	24.36	25.69
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियाँ	127.66	146.67	130.65	151.50	133.15	136.03
राजस्व व्यय/कुल व्यय	91.42	87.38	83.22	86.68	68.57	73.39
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर** वेतन एवं मजदूरी व्यय/ राजस्व व्यय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.54
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर गैर वेतन एवं मजदूरी व्यय /राजस्व व्यय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	73.72
पूजींगत व्यय/ कुल व्यय	6.77	8.95	14.03	12.38	18.83	23.64
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	6.67	8.81	13.82	12.20	18.27	23.20
कुल व्यय की राजस्व प्राप्तियों के साथ उत्प्लावकता	नगण्य$^{\Psi}$	नगण्य$^{\Psi}$	0.328	3.541	0.561	1.523
राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों के साथ उत्प्लावकता	नगण्य$^{\Psi}$	नगण्य$^{\Psi}$	0.067	4.310	नगण्य$^{\Psi}$	3.256
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन						
राजस्व घाटा (करोड़ रुपए में)	2146	3158	1169	4476	1717#	34#
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए में)	3539	3645	4062	7323	6492	4571
प्रारम्भिक घाटा (करोड़ रुपए में)	1128	1391	1560	4117	2831	1149

** केवल वेतन व्यय

$^{\Psi}$ 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा स्वयं की प्राप्तियों 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा 2000-01, 2001-02 तथा 2005-06 के दौरान स्वयं की प्राप्तियों की वृद्धि भी ऋणात्मक थी।

राजस्व बचत से संबंधित है ।

राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	60.64	86.64	28.78	61.12	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन						
राजकोषीय देयतांए/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.49	32.58	36.55	37.14	40.99	45.09
राजकोषीय देयतांए/ राजस्व प्राप्तियां	175.62	236.26	226.57	262.61	224.05	238.73
राजकोषीय देयताओं की राजस्व प्राप्तियों के साथ उत्प्लावकता	नगण्य$^{\Psi}$	नगण्य$^{\Psi}$	0.748	3.534	0.468	2.583
राजकोषीय देयताओं की स्वयं की प्राप्तियों के साथ उत्प्लावकता	नगण्य$^{\Psi}$	नगण्य$^{\Psi}$	0.601	3.940	0.372	नगण्य$^{\Psi}$
प्रारम्भिक घाटे की तुलना में परिमाण (मात्रा) प्रसार	0.25	0.34	1.01	(-)0.74	16.37	0.37
निवल उपलब्ध निधियाँ	10	28	19	33	22	19
V वित्तीय सुदृढ़ता के अन्य संदर्शक						
निवेश पर प्रतिलाभ	0.11	0.02	0.39	0.48	0.06	0.08
चालू राजस्व का शेष (करोड़ रुपए में)	(-)793	(-)1811	791	(-)3057	2909	2081
वित्तीय परिसम्पत्तियां /देयताएं	0.80	0.71*	0.71*	0.65*	0.75*	0.77*

अवधि 2000-06 के दौरान ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही । यह अनुपात वर्ष 2004-05 में 40.99 प्रतिशत था जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 45.09 प्रतिशत हो गया । बढ़ता हुआ अनुपात ऋण दायित्वों की पूर्ति करने में शासन की क्षमता में कमी को इंगित करता है । अतः ऋणदाता के लिए जोखिमों में वृद्धि होने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

वर्ष 2005-06 में परिसम्पत्तियों/देयताओं का अनुपात एक प्रतिशत से कम था जो इंगित करता है कि देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक हैं तथा यह दर्शाता है कि राज्य शासन शोधक्षम नहीं है। हालांकि 0.75 प्रतिशत का अनुपात वर्ष 2004-05 में बढ़कर 0.77 प्रतिशत हो गया था जो परिसम्पत्तियों/देयताओं के प्रबंधन में न्यूनतम सुधार को इंगित करता है । चालू राजस्व का धनात्मक शेष दर्शाता है कि आयोजना व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शासन के पास अतिरिक्त राजस्व है । यद्यपि वर्ष 2005-06 के दौरान चालू राजस्व शेष धनात्मक था, लेकिन यह वर्ष 2004-05 में 2909 करोड़ रुपए से वर्ष 2005-06 में घटकर 2081 करोड़ रुपए हो गया। स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2004-05 में 7.20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 8.35 प्रतिशत हो गया जो धारणीयता तथा लचीलेपन को इंगित करता है। पूंजीगत

* परिसम्पत्तियों एवं कतिपय देयताओं का अभी विभाजन किया जाना है तथा छत्तीसगढ़ राज्य को इसका अंतरण किया जाना है ।

व्यय/ कुल व्यय का अनुपात वर्ष 2004-05 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 23.64 प्रतिशत हो गया तथा सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय वर्ष 2004-05 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 23.64 प्रतिशत हो गया तथा सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय वर्ष 2004-05 में 18.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 23.20 प्रतिशत हो गया जो विकास गतिविधियों /क्रियाकलापों में सुधार को इंगित करता है ।

1.11 निष्कर्ष

चूँकि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व आम बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (अधिनियम) 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ तथा इस संबंध में नियम म.प्र.राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक, 30 जनवरी 2006 से प्रभावी हुए, अतः अधिनियम का वास्तविक अनुपालन प्रभावी रूप से वर्ष 2006-07 से माना जाएगा । हालांकि राज्य ने अधिनियम में उल्लिखित राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । विगत वर्ष की तुलना में, वर्ष 2005-06 के दौरान बेहतर/अधिक वसूली तथा ऋणों एवं अग्रिमों के कम संवितरण के कारण वर्ष 2005-06 के दौरान 34 करोड रुपए की राजस्व बचत हुई तथा राजकोषीय घाटे में 4571 करोड़ रुपए की कमी आई । वर्ष 2005-06 में 4.21 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का अनुपात 4.19 प्रतिशत था।

अवधि 2000-06 के दौरान ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 25.49 प्रतिशत से बढ़कर 45.09 प्रतिशत हो गया जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है हालांकि 2000-06 के दौरान स्वयं के कर/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार होने के फलस्वरूप यह 6.38 प्रतिशत से 8.36 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2005-06 के दौरान वेतन (5669 करोड़ रुपए), ब्याज भुगतान (3422 करोड़ रुपए) तथा पेंशन (1557 करोड़ रुपए) पर कुल आयोजनेतर प्रतिबद्ध व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत हुआ जिसे कम किए जाने की आवश्कता है । '' शिक्षा, खेलकूद एवं संस्कृति '' तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर आयोजनेतर राजस्व व्यय क्रमशः 77.10 प्रतिशत तथा 75.7 प्रतिशत था जो वर्ष के दौरान विकासात्मक उद्देश्यों के लिए संसाधनों की कम उपलब्धता का सूचक है ।

निवेश पर राज्य का अल्प प्रतिफल निहित सरकारी आर्थिक सहायता तथा निवेशों के लिए उच्च लागत ऋण / उधारियों का सूचक है जिससे अत्यंत अल्प प्राप्ति होती है ।

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे प्रतिवर्ष तैयार किए जाते हैं जिसमें विनियोग अधिनियम/अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों से संबंधित विभिन्न विशिष्टीकृत सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को तुलनात्मक रूप से दर्शाया जाता है ।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम/अधिनियमों के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है । इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है ।

2.2 विनियोग लेखे का सार

2005-2006 के दौरान 98 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सार निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
दत्तमत	I. राजस्व	16827.59	2585.98	19413.57	16866.92	-2546.65
	II. पूंजीगत	5018.43	4690.43	9708.86	8379.32	-1329.54
	III. ऋण एवं अग्रिम	828.80	589.12	1417.92	1235.20	-182.72
कुल दत्तमत		**22674.82**	**7865.53**	**30540.35**	**26481.44**	**-4058.91**
प्रभारित	IV. राजस्व	*4571.54*	*17.09*	*4588.63*	*3781.99*	*-806.64*
	V. पूंजीगत	*12.47*	*1.06*	*13.53*	*3.41*	*-10.12*
	VI. लोकऋण	*8531.42*	--	*8531.42*	*953.96*	*-7577.46*
कुल प्रभारित		*13115.43*	*18.15*	*13133.58*	*4739.36*	*-8394.22*
महायोग		**35790.25**	**7883.68**	**43673.93**	**31220.80**	**-12453.13**

टिप्पणी: - *व्यय में, राजस्व व्यय: 85.44 करोड रुपये एवं पूंजीगत व्यय: 2160.20 करोड़ रुपये के व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित हैं।*

12453.13 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचतें, अनुदानों एवं विनियोगों के 200 प्रकरणों में हुई 12490.71 करोड़ रुपये की बचतों का निवल परिणाम थीं जिसे अनुदानों एवं विनियोगों के छह प्रकरणों में हुए 37.58 करोड़ रुपये के आधिक्य से प्रतिसंतुलित किया गया था।

उपर्युक्त सारणी राज्य सरकार के बजट अनुमानों को दोषपूर्ण रीति से तैयार किए जाने का चित्रण प्रस्तुत करती है जिसमें प्रभारित भाग में 64 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बचत एवं

7883.68 करोड़ रुपए के समग्र अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान को प्रमाणित किया गया है क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान की तुलना में भी कम था।

नमूना जाँच किये गए कतिपय अनुदानों के प्रकरण में व्यय एवं बजट नियंत्रण प्रणालियों पर विस्तृत टिप्पणियां कंडिका 2.7 में सम्मिलित हैं । विनियोग लेखे की संवीक्षा में निम्नांकित तथ्य और प्रकट हुए :

(क) व्यय का अतिकथन किया गया था:

212.78 करोड़ रुपए (राजस्व (दत्तमत) भाग: 144.84 करोड़ रुपए राजस्व (प्रभारित) भाग: 0.44 करोड़ रुपए एवं पूँजीगत (दत्तमत) भाग: 67.50 करोड़ रुपए का अतिकथन किया गया जो कि अव्ययीत राशियां होने के कारण निरंक भुगतान वाउचरों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800 अन्य जमा में अंतरित किए गए थे।

शासकीय संस्थाओं के विषय में 132.90 करोड़ रुपये (जमा: 895.83 करोड़ रुपयों में से संवितरणों को घटाकर : 762.93 करोड़ रुपये) एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं से संबंधित 90.04 करोड़ रुपए (जमा:155.65 करोड़ रुपए में से 65.61 करोड़ रुपए के संवितरणों को घटाकर) का अतिकथन किया गया जिन्हें मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 106-वैयक्तिक जमा खाते के शेष में जोड़ा गया था । वर्ष के दौरान 1051.48 करोड़ रुपए के कुल जमा में से, 451.92 करोड़ रुपए निरंक भुगतान वाउचरों के माध्यम से जमा किए गए थे।

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों पर आहरित 0.99 करोड़ रुपये के व्यय की यथार्थता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(ख) कुल व्यय का अतिकथन इसके न्यूनकथन द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था:

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया गया 0.60 करोड़ रुपये तक का व्यय जिसके लिए वर्ष के दौरान कोषालयों से वाउचर प्राप्त नहीं हुए थे; राशि तदनुसार लेखांकित नहीं हो सकी और इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम की पुस्तकों में आपत्ति के रुप में रखा गया था।

वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरित 8.14 करोड़ रुपए की भरपाई (अनुदान संख्या 6 राजस्व (प्रभारित) भाग के अन्तर्गत 7.14 करोड़ रुपए एवं अनुदान संख्या 79 पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अन्तर्गत 1.00 करोड़ रुपए) वित्त वर्ष की समाप्ति तक नहीं हो पाई।

बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोग लेखे) के विवरण नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गये थे जिसमें महत्वपूर्ण विभिन्नताओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था । विनियोग लेखे में कुल 788 उपशीर्षों पर की गई अभ्युक्तियों में से बचतों/आधिक्यों के 588 उपशीर्षों (74.6 प्रतिशत) के संबंध में स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा सुसंगत नहीं थे।

2.3 आबंटनीय प्राथमिकताओं का पालन

2.3.1 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा विनियोग

किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचतें यह दर्शाती हैं कि व्यय, अनुमानों के अनुसार तथा योजनाबद्ध रीति से नहीं किया गया था । यह त्रुटिपूर्ण बजट तैयार करने अथवा निष्पादन में कमी को इंगित करता है जो कि उन परिस्थितियों एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत अनुदान अथवा विनियोग उपलब्ध कराया गया था।

आबंटनीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

अनुदान संख्या 13 - कृषि

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	298.76	342.20	230.43	111.77
अनुपूरक :	43.44			

43.44 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान 111.77 करोड़ रुपए की अंतिम बचत की दृष्टि से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि कुल व्यय मूल अनुदान की तुलना में कम था । बचत मुख्यतः 2401 -फसल कृषिकर्म- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (10.34 करोड़ रुपए), केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-मेक्रो मेनेजमेन्ट योजना (31.58 करोड़ रुपए) एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-राज्य उद्यानिकी मिशन (40.50 करोड़ रुपए) शीर्ष के अन्तर्गत हुई । मेक्रो मेनेजमेन्ट योजना के अंतर्गत 31.58 करोड़ रुपए की आंशिक बचत, राज्य के हिस्से तक नवीन कार्यान्वित कृषि विस्तार विकास कार्यक्रम एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना की एग्रिसनेट परियोजना तथा पौध संरक्षण हेतु कीटनाशकों के रासायनिक विश्लेषण हेतु नई प्रयोगशाला की स्थापना (3.56 करोड़ रुपए), अव्ययीत प्रावधान के कारण हुई । शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2006)।

अनुदान संख्या 23 - जल संसाधन विभाग

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	504.47	507.34	400.89	106.45
अनुपूरक :	2.87			

2.87 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान 106.45 करोड़ रुपए की अंतिम बचत के दृष्टिकोण से अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि कुल व्यय मूल अनुदान की तुलना में कम था । बचतें मुख्यतः 4701 - वृहद एवं मध्यम सिंचाई-राज्य आयोजना योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- बांध एवं उससे संलग्न निर्माण कार्य (21.62 करोड़ रुपए), नहर एवं उससे संलग्न निर्माण कार्य लघु शीर्ष 216 (36.18 करोड़ रुपए) एवं निर्देशन एवं प्रशासन (22.06 करोड़ रुपए) शीर्ष के अन्तर्गत हुई । 21.62 करोड़ रुपए एवं 36.18 करोड़ रुपए की बचतें मुख्यतः सर्वेक्षण कार्य पर कम व्यय के कारण हुई । 22.06 करोड़ रुपए की बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2006)।

अनुदान संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	578.30	666.97	474.67	192.30
अनुपूरक :	88.67			

88.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान 192.30 करोड़ रुपए की अंतिम बचत के दृष्टिकोण से अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योकि कुल व्यय मूल अनुदान की तुलना में कम था । 31 मार्च 2006 को 474.67 करोड़ रुपए के व्यय को इस अनुदान के अन्तर्गत 11.31 करोड़ रुपए के नामे के द्वारा तथा मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा के अन्तर्गत जमा के द्वारा बढ़ाकर बताया गया । बचतें मुख्यतः 4225-अनुसूचित जातियों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं टी एस पी - छात्रावास भवन निर्माण (18.99 करोड़ रुपए), आश्रम/शाला भवन का निर्माण (18.27 करोड़ रुपये) एवं 4701 - वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- ओंकारेश्वर परियोजना (116.13 करोड़ रुपये), मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य (23.58 करोड़ रुपए) एवं 4702- लघु सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य (नाबार्ड) (13.54 करोड़ रुपए), शीर्षो के अन्तर्गत हुई, जिसे अंशतः मुख्य शीर्ष 4701- एन एच डी सी को भुगतान किए गए परियोजना के आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंश के अंतर्गत 60.51 करोड़ रुपए के अधिक्य के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया । 18.99 करोड़ रुपए एवं 18.27 करोड़ रुपए की बचत मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई जबकि 116.13 करोड़ रुपए की बचत मुख्यतः एजेन्सी निर्धारित नहीं होने के कारण हुई । अन्य बचत/अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2006)।

अनुदान संख्या 48 - नर्मदा घाटी विकास

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	540.63	540.67	2.11	538.56
अनुपूरक :	0.04			

बचतें मुख्यतः 2801- बिजली - सरदार सरोवर परियोजना - मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को बिक्री परिचालन एवं संधारण व्यय (15 करोड़ रुपए) एवं इंदिरा सागर परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन- म.प्र.राज्य (नधाविप्रा) द्वारा विद्युत मंडल को विद्युत की बिक्री (516.66 करोड़ रुपए) शीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि परिचालन एवं संधारण पर व्यय नहीं होने के कारण सूचित की गई थी।

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	733.37	1258.37	942.51	315.86
अनुपूरक :	525.00			

बचतें मुख्यतः 4701- मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य)- बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना (50.44 करोड़ रुपए), नहर एवं उससे संबंधित निर्माण कार्य (65.48 करोड़ रुपए), इंदिरा सागर परियोजना इकाई-I (8.28 करोड़ रुपए) एवं 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (11.26 करोड़ रुपए), सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्य (72.50 करोड़ रुपए) एवं सरदार सरोवर परियोजना (डुबान) विशेष उदारीकृत पैकेज (64.00 करोड़ रुपए) के शीर्ष के अन्तर्गत हुईं । 50.44 करोड़ रुपए, 65.48 करोड़ रुपए एवं 72.50 करोड़ रुपए की बचत मुख्यतः कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार राशि की आवश्यकता नहीं होने, एजेंसी का निर्धारण नहीं होने एवं विस्थापित लोगों द्वारा क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त नहीं किए जाने के कारण हुई । 8.28 करोड़ रुपए की बचत, कंसल्टेन्सी द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने एवं एन.एच.डी.सी. से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण, 11.26 करोड़ रुपए एन.एच.डी.सी. से कार्य के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं 64 करोड़ रुपए गुजरात से विशेष उदारीकृत पैकेज के अंतर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55 - महिला एवं बाल विकास

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	367.69	370.52	230.02	140.50
अनुपूरक :	2.83			

2.83 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय कुल अनुदान की तुलना में कम था । 230.02 करोड़ रुपए के व्यय को इस अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा 800 - अन्य जमा के अंतर्गत 31 मार्च 2006 को 76.98 लाख रुपए के नामे तथा जमा में बढाकर बताया गया था । बचतें मुख्यतः 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण - केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य - एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता प्राप्त योजना) (23.92 करोड़ रुपए), एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (30.91 करोड़ रूपए), एवं 2236- पोषाहार - राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) - न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-विशेष पोषण आहार (10.29 करोड़ रुपए) एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य - प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (60 करोड़ रुपए) शीर्ष के अन्तर्गत हुईं । 60 करोड़ रुपए की बचत भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द करने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2006)।

अनुदान संख्या 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	241.70	537.66	421.81	115.85
अनुपूरक :	295.96			

बचतें मुख्यतः 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान (16.72 करोड़ रुपये), अग्नि पीड़ितों को राहत (39.74 करोड़ रुपए), पेयजल की पूर्ति (40.13 करोड़ रुपए) एवं नगद दान (6.20 करोड़ रुपए) एवं अन्य कार्यों हेतु पुनः स्थापना के लिए सहायता (10.27 करोड़ रुपये) शीर्ष के अन्तर्गत हुईं जिसे आंशिक रुप से मुख्य शीर्ष 2245- तहसीलदारों के माध्यम से राहत कार्यों का क्रियान्वयन के अंतर्गत 22.25 करोड़ रुपए के अधिक्य के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया। बचत/आधिक्य के लिए कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2006)।

अनुदान संख्या 64 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल :	445.47	509.93	374.63	135.30
अनुपूरक :	64.46			

64.46 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से कम था । बचतें मुख्यतः 2029 - भू -राजस्व - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - भूमिहीनों को निजी भूमि क्रय कर पट्टे पर दिए जाने की योजना (9.70 करोड़ रुपए) 2210 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - चिकित्सा गारंटी योजना (7.34 करोड़ रुपए), 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - विशेष घटक योजना के लिए एक मुश्त प्रावधान (8.72 करोड़ रुपए), 2236 - पोषाहार - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अनुसूचित जातियों के लिए शहरी गंदी बस्तियों हेतु विशेष पोषाहार कार्यक्रम (11.04 करोड़ रुपए), केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.पी.- शहरी गंदी बस्तियों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम (24 करोड़ रुपए) एवं 2401- फसल कृषिकर्म- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (11 करोड़ रुपए) एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं एस.सी.पी.- राज्य उद्यानिकी मिशन (7.33 करोड़ रुपए) शीर्ष के अन्तर्गत हुईं । चिकित्सा गारंटी योजना के अन्तर्गत 7.34 करोड़ रुपए की बचत का कारण पहले अनुपूरक अनुदान में योजनाओं का अंतरण आयोजना से आयोजनेतर में किए जाने के कारण बताया गया जबकि 24 करोड़ रुपए की बचत शहरी गंदी बस्तियों के लिए विशेष पोषक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत हुई जिसका कारण वित्तीय वर्ष के अंत में योजनाओं के केन्द्रीय अंश का पचास प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो जाने एवं वित्त विभाग द्वारा बिलों एवं आहरणों को स्वीकार करने पर अधिरोपित किए गए प्रतिबंध के कारण थी । शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2006)।

अनेक दूसरे प्रकरणों में भी, बचतें/अधिक्य निम्नानुसार थे :-

- 22 प्रकरणों में कुल, 299.27 करोड़ रुपए में एक करोड़ रुपए एवं अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान प्रत्येक प्रकरण में, जो कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया था, अनुपयोगी रहा, जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

- 14 योजनाओं में, प्रत्येक प्रकरण में व्यय अनुमोदित प्रावधानों से पांच करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक हो गया एवं कुल प्रावधान का 100 प्रतिशत से अधिक रहा जिसका योग 356.60 करोड़ रुपए था । अधिक्य दोषपूर्ण बजट तैयार करने एवं व्यय पर कमजोर नियंत्रण के परिचायक हैं । विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

- 86 योजनाओं में, 5 करोड़ रुपए अथवा अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से अधिक की कुल 9614.31 करोड़ रुपए की सारभूत बचत ध्यान में आई थी । इनमें से 54 योजनाओं में, सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोगी रहा । ब्यौरा **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

2.3.2 सतत बचतें

अनुदानों के 23 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक एवं प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक की सतत बचतें हुईं थी। सतत बचतें अनुपयुक्त पूर्वानुमानों पर आधारित बजट बनाऐ जाने का सूचक हैं। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

2.3.3 अधिक्य का अपेक्षित नियमन

(i) विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को, किसी अनुदान/विनियोग में हुए अधिक व्यय का नियमन राज्य विधानमंडल से कराया जाना अनिवार्य है । तथापि 1993-94 से 2004-05 तक के वर्षों के दौरान 5087.83 करोड़ रुपये के किए गए व्यय का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। (अगस्त 2006)। यह विनियोगों पर विधानमंडल के नियंत्रण का उल्लंघन है।
विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	आधिक्य की राशि	राशि, जिसके लिये स्पष्टीकरण लोक लेखा समिति को प्रेषित नहीं किये गए
1993-1994	21	258.11	1.12
1994-1995	15	407.46	0.39
1995-1996	21	251.59	प्रेषित
1996-1997	18	224.17	प्रेषित
1997-1998	13	302.79	0.97
1998-1999	17	1276.45	1.81
1999-2000	17	1584.94	प्रेषित
2000-2001	07	265.07	प्रेषित
2001-2002	03	6.26	0.64
2002-2003	08	424.79	12.40
2003-2004	07	2.54	2.54
2004-2005	15	83.66	83.66
योग		5087.83	103.53

(ii) 2005-06 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष के दौरान छह अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत 37,58,14,518 रुपये के अधिक व्यय का नियमन संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन कराए जाने की आवश्यकता है। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक्य की राशि (आधिक्य की प्रतिशतता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क - राजस्व - दत्तमत					
1	24	लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल	2,87,65,86,100	2,95,40,92,494	7,75,06,394 (2.7)
2	67	लोक निर्माण - भवन	2,08,05,29,000	2,08,64,78,876	59,49,876 (0.3)
ख - पूंजीगत - दत्तमत					
1	06	वित्त	5,31,47,10,000	5,58,43,36,909	26,96,26,909 (5.1)
2	39	खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	25,75,39,000	28,01,97,105	2,26,58,105 (8.8)
ग - पूंजीगत - प्रभारित					
1	21	आवास एवं पर्यावरण	200,000	2,26,546	26546 (13.3)
2	45	लघु सिंचाई निर्माणकार्य	40,00,000	40,46,688	46,688 (1.2)
		महायोग (क+ख+ग)	**10,53,35,64,100**	**10,90,93,78,618**	**37,58,14,518**

आधिक्यों के कारणों को सरकार द्वारा अगस्त 2006 तक संसूचित नहीं किया गया था।

2.3.4 मूल बजट और अनुपूरक प्रावधान

इस वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान (7883.68 करोड़ रुपए) विगत वर्ष के 11.22 प्रतिशत की तुलना में कुल प्रावधान (43673.93 करोड़ रुपए) का 18.05 प्रतिशत थे ।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 57 प्रकरणों में किए गए 730.85 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान, 2390.82 करोड़ रुपये की कुल बचत (प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक बचत) के दृष्टिकोण से अनावश्यक सिद्ध हुए, जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिये गये हैं।

38 प्रकरणों में केवल 5332.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 6664.74 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की बचतें तथा कुल 1332.57 करोड़ रुपये की बचतें हुईं। इन प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिये गए हैं।

तीन प्रकरणों में, 35.31 करोड़ रुपये के असमाविष्ट अधिक व्यय को छोड़ते हुए 417.63 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिये गये हैं।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

पुनर्विनियोग एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है । वे प्रकरण जिनमें (क) पहले से ही अधिक व्यय को चुका था ऐसे शीर्षो से निधियों का आहरण (ख) उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का आहरण (ग) बचत के बावजूद भी निधियों का अनावश्यक आवर्धन तथा (घ) अधिक व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यकता से अधिक निधियों का आवर्धन करने के कारण प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपए से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिए गए हैं।

2.3.7 अभ्यर्पित नहीं की गईं अप्रत्याशित बचतें

(क) नियमानुसार, व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हों, वे अनुदानों / विनियोगों अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें। तथापि वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर अनुदानों/विनियोगों के 154 प्रकरणों में विभागों द्वारा बड़ी बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया था; जिसमें 9747.59 करोड़ रुपये की राशि समाविष्ट थी। इसमें से, 44 प्रकरणों में, उपलब्ध बचतों की महत्वपूर्ण राशियाँ (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक) जो कुल 9663.28 करोड़ रुपये थीं, अभ्यर्पित नहीं की गई थीं; जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.9** दिए गए अनुसार हैं।

(ख) इसके अतिरिक्त, 116 प्रकरणों में, 2817.48 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 2583.25 करोड़ रुपए (91.7 प्रतिशत) मार्च 2006 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का परिचायक है।

2.3.8 निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

(क) 14 प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गई राशि उपलब्ध बचत से अधिक थी, जो कि अदक्ष बजट नियंत्रण का द्योतक है। यह ध्यान में लाया गया कि 880.63 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध बचतों के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि 923.54 करोड़ रुपये थी, जिसके परिणामस्वरूप 42.91 करोड़ रुपये का अविवेकपूर्ण अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

(ख) 2 प्रकरणों में, 31.47 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किए गए थे, यद्यपि इनमें 2.87 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हो गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

2.3.9 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

बजट में निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि दो प्रकरणों में मूल अनुमानों/अनुपूरक मांगो में प्रावधान किए बिना 48,000 रुपए का व्यय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

2.4 समाधान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों में आदेशित है कि नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विभागीय आंकड़ों का समाधान समय-समय पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करना चाहिये। तथापि 1 मुख्य शीर्षों से संबंधित 15 अनुदानों के अन्तर्गत 1716.71 करोड़ रुपये के व्यय का समाधान, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय के 5.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न विभागों में होना बकाया था। विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिये गए हैं।

2.5 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की त्रुटिपूर्ण संस्वीकृतियाँ

राज्य सरकार के अनुदेशों (अगस्त 1996) एवं वित्तीय नियमों के अनुसार (i)पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों हेतु समस्त संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिए और लेखाओं में उनको समाविष्ट करने हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में समय सीमा में प्राप्त हो जानी चाहिये, (ii) "कार्यालय व्यय" शीर्ष के अंतर्गत किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोग द्वारा बजट प्रावधान को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए; (iii) प्रभारित से दत्तमत तथा राजस्व से पूंजीगत और इसके विपरीत क्रम से किसी राशि का पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता, (iv) "वेतन एवं मजदूरी" शीर्ष से किसी दूसरे शीर्षों में तथा इसके विपरीत क्रम से पुनर्विनियोग करना अनुमत्य नहीं हैं, (v) जिन योजनाओं से अभ्यर्पण/विनियोग संस्वीकृत किए गए हों, उनके उचित विवरण दिये जाने चाहिये तथा पुनर्विनियोग की संस्वीकृति के दोनों पक्षों का योग मिलना चाहिए । लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अनुदेशों का उल्लंघन कर वर्ष के दौरान 306.12 करोड़ रुपए पुनर्विनियोग/अभ्यर्पित किए गए थे । तथापि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा इनको लेखे में समाविष्ट करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिये गये हैं।

2.6 व्यय की अत्यधिकता

वित्तीय नियमों में आदेशित है कि सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिये। व्यय की अधिकता, विशेषकर वित्त वर्ष के अंतिम माहों में होना वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चार तिमाहियों से संबंधित व्यय तथा माह मार्च 2006 में किए गए व्यय की स्थिति जैसी कि **परिशिष्ट 2.14** में दर्शायी गयी है, से भी यह प्रकट होता है कि 10 प्रकरणों में मार्च 2006 में किया गया व्यय वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के 45 और 90 प्रतिशत के मध्य रहा जो वित्त वर्ष के अंत में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति का सूचक है।

2.7 बजट नियंत्रण

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा तथा आठ अनुदानों* के प्रकरण में अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य प्रकट हुए;

2.7.1 व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण न करना

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण एवं परिवीक्षण के उद्देश्य से, अनुदान नियंत्रक के कार्यालय में एक पंजी संधारित की जानी चाहिए तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियंत्रण अधिकारी को मासिक व्यय पत्रक नियमित रुप से भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त व्यय के आंकड़ों को व्यय नियंत्रण पंजी में प्रविष्ट किया जाकर नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनका प्रगामी योग माह-दर-माह निकाला जाकर व्यय स्थिति को अद्यतन रखा जाना चाहिए।

आठ अनुदानों* के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि न तो किसी नियंत्रण कार्यालय द्वारा व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण किया गया था और न ही अधीनस्थ कार्यालय द्वारा नियमित रुप से मासिक व्यय पत्रक अपने नियंत्रण अधिकारी को भेजे गए थे। यह, व्यय पर उचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण के अभाव का परिचायक है जिसके कारण (क) कतिपय उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानों से बहुत अधिक व्यय/वृहद बचतें हुईं, (ख) अपर्याप्त/अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान किए गए एवं (ग) निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग हुआ एवं उनका अभ्यर्पण नहीं किया गया। अनुदान संख्या 06 के नियंत्रक ने बताया कि व्यय के लेखे पुस्तक संख्या 04 में उपलब्ध हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कथित पंजी संधारित नहीं की गई थी । अनुदान संख्या 6 के अनुदान नियंत्रक के कार्यालय में आवश्यक अभिलेख यथा बजट प्रस्ताव पंजी, अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय पत्रक की प्राप्तियों की जांच पंजी, निधियों के पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की पंजी, बजट आवंटन पंजी, समाधान पंजी एवं जमा/निवेश पंजी इत्यादि का संधारित होना नहीं पाया गया।

2.7.2 बजट अनुमानों की त्रुटिपूर्ण तैयारी

2005-06 के अनुदानों* एवं विनियोग लेखे की नमूना जांच में अपनाई गई प्रक्रिया से प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों के लिए माँगें तदर्थ आधार पर तैयार की गई थीं। बजट तैयार करने एवं बजट संचालन में हीन गुणवत्ता के निम्न परिणाम हुए;

(i) राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत पांच अनुदानों (6, 15, 19, 29 एवं 93) में 45.27 करोड़ रुपये से 172.92 करोड़ रुपये की सीमा में अधिक प्रावधान हुए। पूंजीगत दत्तमत

* 6-वित्त (राजस्व दत्तमत), 15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत), 19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत), 24- लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल (पूंजीगत दत्तमत), 27- शालेय शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) (पूंजीगत दत्तमत), 29- विधि एवं विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत) 75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहाय्यित परियोजनाएं (पूंजीगत दत्तमत) एवं 93- त्वरित ऊर्जा विकास से सम्बन्धित व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत दत्तमत) ।

भाग में भी चार अनुदानों (24, 27, 75, एवं 93) में 7.2 करोड़ रुपए से 62.38 करोड़ रुपये की सीमा में अधिक प्रावधान हुए।

(ii) 2005-06 में नमूना जाँच किए गए अनुदानों की 45 योजनाओं के अंतर्गत (37 योजनाओं में सतत बचतें हुई थीं) दो करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की सारभूत बचतें तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक तथा कुल 709.17 करोड़ रुपए की बचतें हुई थीं जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया हैं। जबकि 17 योजनाओं के अन्तर्गत, **परिशिष्ट 2.16** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपए से अधिक की सारभूत बचतें हुईं तथा 2005-06 के वर्ष के दौरान (नौ योजनाओं में सतत अधिक्य रहे थे) कुल 266.91 करोड़ रुपए की बचतें ध्यान में आईं।

2.7.3 चयनित अनुदानों की योजनाओं के अन्तर्गत अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

नमूना जांच किए गए अनुदानों की आठ योजनाओं में, कुल 14.86 करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रावधान अनुपयोगी रहे एवं अनावश्यक सिद्ध हुए, सात योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान 15.64 करोड़ रुपए तक अधिक थे एवं पांच योजनाओं में, 1.88 करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रावधान 62.47 करोड़ रुपए के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुए जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में दिया गया है।

2.7.4 मार्च में व्यय की अत्यधिकता

संपूर्ण वर्ष में नियमित रूप से व्यय का प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। अनुदान संख्या 24 एवं 75 की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्च 2006 के दौरान व्यय की प्रतिशतता निम्नानुसार थीः-

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	योजनाओं के विवरण	कुल व्यय	मार्च- में व्यय	मार्च-06 में व्यय की प्रतिशतता
1	24	5053-02-102-0101-4727 हवाई पट्टी का निर्माण एवं विस्तार	1625.46	815.66	50.2
2	24	5054 -03-101-0101-4149 बडे पुलों का निर्माण	138.55	57.92	41.8
3	24	5054-04-800-0101-7088 सर्वेक्षण कार्य	370.78	311.80	84.1
4	24	5054 –04-800-0101-1513 जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	795.30	270.26	34.0
5	24	5054-04-800-0101-2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	398.67	236.73	59.4
6	24	5054-05-337-0101-6841 मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण।	11974.35	8974.35	74.9
7	75	4701-03-243-0101-2897 बाँध एवं उससे जुड़े निर्माण कार्य	71.70	69.63	97.1
8	75	4701-03-252-0101-2897- बाँध एवं उससे जुड़े निर्माण कार्य	524.44	374.75	71.5

इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या - 15 (मत्स्योद्योग विभाग) में यह देखा गया कि 70.04 लाख रुपए के कुल व्यय में से 62.09 लाख रुपए फरवरी एवं मार्च 2006 में व्यय किए गए थे जो कि कुल व्यय का 88.6 प्रतिशत था । वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अत्यधिकता शिथिल वित्तीय नियंत्रण का परिचायक है ।

2.7.5 व्यय के आंकडों का मिलान न करना

नियत्रंण अधिकारियों को व्यय की सही एवं अद्यतन स्थिति को सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अभिलेखों में व्यय के आकडों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I मध्य प्रदेश के कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गए आंकड़ों से करना चाहिए । 2005-06 के वर्ष के लिए विभागीय व्यय के आकडों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश ग्वालियर के आंकड़ों से अनुदान संख्या 6,15,19,24,27 एवं 75 के किसी भी नियंत्रण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण रहा । नियंत्रण अधिकारियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया ।

2.7.6 जमा शीर्ष में निधियों का अनियमित अंतरण

मुख्य शीर्ष 2210 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों की बचत से 41.95 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्विनियोग (29 मार्च 2006), अनुदान संख्या - 19 की योजना 2210-01-110-1473 जिला अस्पताल के लिए 2005-06 के दौरान औषधियों एवं अन्य सामग्री के बकाया बिलों का भुगतान, के अन्तर्गत किया गया । 41.95 करोड़ रुपए की पुनर्विनियोग की गई राशि में से 41.67 करोड़ रुपए की राशि उसी दिनांक में (29 मार्च 2006) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं के वैयक्तिक जमा खाते में अंतरित की गई तथा लेखे में व्यय के रूप में दर्शाई गई । इस प्रकार पुनर्विनियोग की गई राशि जिसका उपयोग 2005-06 के दौरान किया जाना चाहिए था, वैयक्तिक जमा खाते में अंतरित की गई जिससे कि बजट अनुदान को व्यपगत होने से टाला जा सके, इसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक व्यय में स्फीति-वृद्धि हुई । इसी प्रकार बारहवे वित्त आयोग से सम्बन्धित 1.01 करोड़ रुपए की राशि को 2515-789-101-130 - बारहवे वित्त आयोग की अनुशंसाएं (विशेष घटक योजना) - 6905- अनुदान संख्या -15 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता योजना से वैयक्तिक जमा खाते में, वित्त विभाग की संस्वीकृति (28 फरवरी 2006) के द्वारा अन्तरित किया गया (मार्च 2006)।

2.7.7 आयोजना से आयोजनेतर प्रावधान का अनियमित अन्तरण

वित्त विभाग के दिसम्बर 1974 तथा अगस्त 1996 के अनुदेशों में प्रावधान है कि आयोजनागत योजनाओं पर व्यय के लिए आबटित निधियाँ आयोजनेतर व्यय की पूर्ति हेतु अथवा इसके विपरीत क्रम से पुनर्विनियोजित नहीं की जानी चाहिए । तथापि, 24.21 करोड़ रुपए की राशि को अनुदान संख्या- 19 में योजना 2210-03-103-0101-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आयोजनागत से आयोजनेत्तर में अनियमित रूप से पुनर्विनियोजित किया गया था ।

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

- सर्व शिक्षा अभियान
- खाद्य सुरक्षा,आर्थिक सहायता एवं खाद्यान्नों का प्रबंधन
- प्रोजेक्ट टाइगर एवं इडिया ईको डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट
- नाबार्ड ऋण से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण
- भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण
- केंन्द्रीय सड़क निधि,ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि एवं फास्ट ट्रैक योजना से सड़कों का चौड़ीकरण , सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

तीसरा अध्याय
निष्पादन समीक्षाएं

इस अध्याय में छह निष्पादन समीक्षाएं तथा एक लम्बी कंडिका अर्थात सर्व शिक्षा अभियान (3.1), खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्यान्न का प्रबंधन (3.2) प्रोजेक्ट टाइगर तथा इंडिया ईको डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (3.3), नाबार्ड ऋण से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण (3.4), पुलिस बल का आधुनिकीकरण (3.5), भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (3.6) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) तथा फास्ट ट्रेक योजना (3.7) से सड़को का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं स्तरोन्नयन सम्मिलित हैं ।

स्कूल शिक्षा विभाग

3.1 सर्व शिक्षा अभियान

विशेषताएँ

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतीराज संस्थाओं, पालक शिक्षक संघ (पा.शि.सं.) को प्रभावी ढंग से शामिल करते हुए समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंगभेद के अंतर को पाटने के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोगी एवं सुसंगत प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है । वर्ष 2001-02 और 2002-03 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (ए.डब्लू.पी.एन्ड बी.) अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गयी जिससे निधि के अनुमोदन एवं विमुक्ति में विलंब हुआ । परिणामतः वर्ष 2001-02 में क्रियाकलाप प्रारंभ नहीं किये जा सके एवं वर्ष 2002-03 में योजनाबद्ध क्रियाकलापों का केवल 50 प्रतिशत ही पूर्ण किया जा सका । सिविल कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी । कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को 2005 तक विद्यालय में लाना था जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योकि वर्ष 2005-06 के अंत में 2.72 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे । महत्वपूर्ण निष्कर्षो में से कुछ निम्नानुसार हैः-

17.95 करोड़ रुपए की कुल निधि का मुख्य रूप से प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक एवं प्राथमिक बोर्ड परीक्षा पेपरों की छपाई, शैक्षणिक केलेण्डर की छपाई और कार्यालय भवन के क्रय के लिए व्यपवर्तन किया गया ।

(कंडिका क्र. 3.1.8.3,3.1.8.4.एवं 3.1.8.5)

43821 शिक्षकों की कमी से विद्यार्थी-शिक्षकों का अनुपात 1:40 प्रभावित हुआ और जिसके कारण 9 से 70 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय (प्रा.वि.) एवं 3 से 63 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय (उ.प्रा.वि.)की एकल शिक्षक के रूप में परिणिति हुई ।

(कंडिका क्र. 3.1.9.2)

जिला परियोजना समन्वयक (जि.प.स.)उज्जैन ने 3.76 करोड़ रुपए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्यो के निष्पादन के लिए अनियमित रूप से भुगतान किया एवं जि.प.स., धार में 96.42 लाख रुपए संबंधित विद्यालयों के पालक शिक्षक संघ (पा.शि.सं.) के शाला शिक्षा कोष में राशि जमा किये जाने के बजाय दरवाजें एवं खिडकियों का क्रय किया । जि.प.स. होशंगाबाद ने 80 ई.जी.एस. भवनों के निर्माण के लिए 1.24 करोड़ रुपए की अनियमित रूप से स्वीकृत दी एवं भुगतान किया ।

(कंडिका क्र. 3.1.10.2 एवं 3.1.10.3)

जिला परियोजना समन्वयकों ने पढाने सीखने के उपकरण (टी.एल.ई) अनुदान की राशि 5.96 करोड़ रुपए को प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पालक शिक्षक संघ खातों में जमा नहीं किया । बड़वानी जिले में राशि 68.85 लाख रुपए की सामग्री का अनियमित क्रय भी देखने में आया ।

(कंडिका क्र. 3.1.9.4)

राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यार्थियों को सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) निधि से 76.08 करोड़ रुपए मूल्य की पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया ।

(कंडिका क्र. 3.1.9.5)

स.शि.अ. निधि से 1.82 करोड़ रुपए मूल्य की डुप्लीकेटिंग मशीनें, उपस्कर तथा अन्य सामग्रियों का अनावश्यक क्रय किया गया ।

(कंडिका क्र. 3.1.9.7)

3.1.1 प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार का एक व्यापक एवं एकीकृत झंण्डापोल कार्यक्रम, का उददेश्य मिशन पद्धति से राष्ट्र में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना है । इसे राज्य शासन एवं स्थानीय स्वशासन की साझेदारी से जनवरी 2001 में लागू किया गया । जबकि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजना का क्रियान्वयन 2001-02 से प्रारंभ किया गया ।

सर्व शिक्षा अभियान, पंचायतीराज संस्थाओं, शाला प्रबंधन समितियों ,ग्रामीण एवं शहरी गन्दी बस्ती स्तर की शिक्षा समितियों, पालक शिक्षक संघो, मातृ शिक्षक संघो, आदिवासी स्वशासी परिषदों और अन्य शालाओ के प्रबंधन में जमीनी स्तर के संगठनों को प्रभावी ढंग से शामिल करकें समुदाय के सक्रिय सहयोग से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिगंभेद की खाई पाटने के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोगी एवं संगत प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करने का एक कार्यक्रम है । कार्यक्रम प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (इ.सी.सी.ई) के महत्व को निरन्तर महसूस करता है एवं 3 से 14 आयु समूह पर निरन्तर दृष्टि रखता है ।

3.1.2 उद्देश्य

योजना के उद्देश्य है:-

- वर्ष 2005 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक शाला,स्कूल में वापस हों।
- यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2007 तक प्राथमिक विद्यालय के 5 वर्ष सभी बच्चों ने पूरे किये है ।
- यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2010 तक प्रारंभिक विद्यालय के आठ वर्ष सभी बच्चो ने पूरे किये हों ।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देने के साथ संतोषप्रद गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना ।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर और वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक सभी सामाजिक वर्ग एवं लिंगभेद को पाटना,और
- वर्ष 2010 तक व्यापक अवरोधन ।

3.1.3 संगठनात्मक स्वरूप

राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्वशासी पंजीकृत संस्था के रूप में राजीव गाँधी शिक्षा मिशन की स्थापना की गई। राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के कार्यकारी प्रमुख प्रबन्ध संचालक होते है, जो कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है राजीव गाँधी शिक्षा मिशन का 20 दिसम्बर 1999 को राज्य शिक्षा केन्द्र में संविलियन हो गया है ।

जिला स्तर पर, जिला परियोजना समन्वयक जिला मिशन संचालक (जि.मि.स.) के रूप में जिला कलेक्टर तथा जिला परियोजना निदेशक (जि.प.नि.) के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है । विकास खण्ड स्तर पर, खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) और संकुल स्तर पर, संकुल स्त्रोत केन्द्र समन्वयक (सी.आर.सी.सी.) कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है ।

ग्राम स्तर पर, क्रांतिक इकाई ग्रामीण शिक्षा समिति/पालक शिक्षक संघ है, जो कि स्थानीय समुदाय का बुनियादी शिक्षा प्रणाली में सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करके गांव में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन को देखने में सहयोग करती है ।

3.1.4 समीक्षा का कार्यक्षेत्र

समीक्षा अवधि 2001-06 के मध्य सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की प्रगति को समाविष्ट करती है । जिलों के चयन में स्तरीय सांख्यिकीय नमूना पद्धति का उपयोग किया गया है । असमान सम्भाव्यता के साथ (आकार की आनुपातिक सम्भाव्यता के आधार पर एवं सर्वशिक्षा अभियान के अधीन वर्ष 2001-05 के मध्य कुल व्यय के आकार के साथ प्रतिस्थापित पी.पी.एस.डब्लयू. आर.)

48 जिलों में से राजधानी जिला भोपाल एवं 10 अन्य जिलों[1] का चयन किया गया । इसके अलावा वर्ष 2001-05 के मध्य किए गये व्यय के आधार पर छः अन्य जिलों[2] का भी चयन किया गया ।

राज्य क्रियान्वयन अभिकरण (एस.आई.ए.) एवं विकास खण्डों सहित ऊपर बताये गये 17 जिलों तथा 176 शालाओं (43 शिक्षा गारन्टी शाला (ई जी एस), 60 प्राथमिक विद्यालय, 73 उच्च प्राथमिक विद्यालय) के आवृत अवधि 2001-06 के अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रेल से दिसम्बर 2005 एवं नवम्बर 2006 में की गई । निष्पादन लेखा परीक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पर सुझाव आमंत्रित करने एवं सूचनाओं का आदान प्रदान हेतु विभाग के साथ प्रारंभिक सम्मेलन 01 अप्रैल 2005 को हुआ ।

लेखा परीक्षा द्वारा हितग्राहियों एवं उनके अभिभावकों के दृष्टिकोण से सर्वशिक्षा अभियान के प्रभाव का आँकलन करने हेतु भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो इन्टरनेशनल (आई.एम.आर.बी.) की विशिष्ट ईकाई, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्था (एस.आर.आई) को प्राधिकृत किया गया । एस.आर.आई. ने स्तरीय बहुपद आकार को अपनाते हुए जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाए गया है दिसम्बर 2005 से फरवरी 2006 तक सर्वेक्षण किया गया । कुल 348 ग्राम और 252 शहरी ढ़ाचा सर्वेक्षण (यू.एफ.एस.) विकास खण्डों एवं 11580 घरों को एस.आर.आई. द्वारा आवृत किया गया । एस.आर.आई.के निष्कर्षों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है । सर्वेक्षण के निष्कर्ष, राज्य क्रियान्वयन अभिकरण (एस.आई.ए.) और प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन को भी सूचित किए गये (जुलाई 2006) ।

3.1.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन करना था । लेखापरीक्षा का ध्यान कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन की योजना की प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन करने पर केन्द्रित था । इस उद्देश्य के लिए निम्नांकित विषयों को ध्यान में रखते हुये, यह देखने के लिये कि:-

- निधियों की आवश्यकता एवं प्रबन्धन पर्याप्त था एवं मितव्ययता बरतने एवं मितव्ययी तथा शीघ्र क्रियान्वयन के लिए अमल में लाया गया;
- मुख्य हस्तक्षेप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सम्पादित किये गये थे; और
- आधारभूत ढाँचा, जो उपलब्ध कराया गया, अनुकूलतम था।

1 बैतूल, छतरपुर, धार, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, रतलाम, शाजापुर, सीधी और उमरिया ।

2 ग्वालियर, इन्दौर, रायसेन, शहडोल, सागर एवं उज्जैन ।

3.1.6 लेखा परीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मापदण्डों जैसे कि हैविटेशन/मण्डल/जिलों की भविष्यलक्षी योजना की तैयारी में समुदाय और दूसरे प्रभावित हिस्सेदारों की भागीदारी, कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों में निधियो के विमुक्ति एवं उपयोग, शालाओं में उपलब्ध कराई गई ढ़ांचागत सुविधाओं, मापदण्डों के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता, शिक्षा के स्तरों, पढ़ाने एवं सीखने के उपकरण, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की पर्याप्तता, विशेष ध्यान केन्द्रित समूह के लिए हस्तक्षेप, स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने में अशासकीय संगठनों की भूमिका इत्यादि, को उपयोग में लाया गया है ।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

3.1.7 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (ए.डबल्यू.पी.एवं बी.) वार्षिक आधार पर तैयार की जाकर उसे प्रस्तुत करने एवं अन्तिम रुप देने के लिये निम्नानुसार समय अनुसूची का पालन करना थाः

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि	प्रस्तुतीकरण का माह	विलंब (माह)	पी.ए.बी द्वारा अनुमोदन की निर्धारित तिथि	अनुमोदन की तिथि	विलंब (माह)	जिलों को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रचलित करने की निर्धारित तिथि	प्रचलन की तिथि	विलम्ब (माह)
2001-02	15/03/01	08/01	5	15/04/01	05/11/01 28/02/02	7	25/04/01	21/12/01 31/03/02	8
2002-03	15/03/02	09/02	6	15/04/02	08/10/02	6	25/04/02	22/11/02	7
2003-04	15/03/03	05/03	2	15/04/03	18/06/03	2	25/04/03	25/07/03	3
2004-05	15/03/04	04/04	1	15/04/04	18/06/04	2	25/04/04	10/08/04	3
2005-06	15/03/05	04/05	1	15/04/05	27/04/05	--	25/04/05	06/05	2

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब होने के कारण निधियों के विमुक्त होने में विलंब हुआ जिससे कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ, जैसा कि आगे कंडिकाओं में उल्लेखित है ।

3.1.8 निधियों का प्रबंधन

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अधीन सहायता केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन के मध्य एक हिस्सेदारी प्रबंधन पर थी । यह नौवीं योजना (1997 से 2002)में 85:15 के आधार पर दसवी योजना (2002 से 2007)में 75:25 एवं उसके पश्चात 50:50 था । सर्व शिक्षा अभियान के अधीन 2000-01 से 2005-06 के मध्य भारत सरकार एवं राज्य शासन से प्राप्त निधियों एवं किये गये व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	प्राप्त निधियाँ			व्यय	शेष
		केन्द्र	राज्य	योग		
2000-01	*	1.82	--	1.82	--	1.82
2001-02	*	1.87	--	1.87	--	1.87
	63.65	27.04	3.23	30.27	--	30.27
2002-03	218.43	110.17	28.28	138.45	108.02	30.43
2003-04[1]	844.28	352.38	133.53	485.91	377.96	107.95
2004-05[2]	1137.31	453.10	136.28	589.38	605.13	(-)15.75*
2005-06	1422.79	771.73	364.69	1136.42	1040.47	95.95
योग	**3686.46**	**1718.11**	**666.01**	**2384.12**	**2131.58**	**252.54**

* प्राप्ति से अधिक व्यय गत वर्षो के शेष में से किया गया ।

शासन वर्ष 2000-06 के दौरान कुल निधियों का मात्र 89 प्रतिशत उपयोग कर सका ।

3.1.8.1 निधियों का कम विमुक्त होना/ देर से विमुक्त होना और राशि जमा करना

भारत सरकार को प्रतिवर्ष दो किश्तों में अप्रैल एवं सितम्बर में निधियों को विमुक्त करना था । किन्तु वर्ष 2001-02 के लिये वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलंब के कारण भारत सरकार द्वारा 21.50 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त (दिसम्बर 2001) और 5.54 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त 31 मार्च 2002 को विमुक्त की गई । तथापि धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद क्रमंशः जून 2002 एवं अगस्त 2002 में वास्तव में प्राप्त हुई । भारत सरकार के अंश की प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर राज्य को अपना अंश विमुक्त करना था किन्तु उसने केवल 3.23 करोड़ रुपए अगस्त 2002 में विमुक्त किए, परिणाम स्वरूप वर्ष 2001-02 के दौरान क्रियाकलाप नहीं किए जा सके जिससे लक्षित जनसंख्या कार्यक्रम के लाभ से वंचित रही तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विलंब होता रहा । राज्य क्रियान्वयन अभिकरण/विभाग द्वारा निधियों हेतु प्रस्तुतीकरण एवं विमुक्तिकरण में उपरोक्त देरी के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3.1.8.2 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुमोदन में विलम्ब के कारण निधियों के विमुक्ति में देरी

वर्ष 2002-03 के लिए भी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट छः माह बिलम्ब से (सितम्बर 2002) में प्रस्तुत किया तथा अक्टूबर 2002 में अनुमोदित किया गया;परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2002 में 61.96 करोड़ रुपए एवं 31 मार्च 2003 को 28.26 करोड़ रुपए विमुक्त किए गये । यद्यपि राज्य ने 31 मार्च 2003 को अपना अंश

* प्रारंभिक क्रियाकलाप

1 प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित (एन.पी.ई.जी.ई.एल)।

2 प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियो की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित।

28.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, उसने इस राशि को "सिविल जमा" में जमा करने की अनुमति प्रदान की । निधियों की प्राप्ति में विलंब ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, क्योंकि वर्ष 2002-03 के लिए योजित गतिविधियों हेतु प्राप्त निधि 88.07 करोड़ रुपए भी वर्ष 2003 -04 में उपयोग की जा सकी । वर्ष 2003-04 के लिए भी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट दो माह विलंब से प्रस्तुत किया गया एवं जून 2003 में अनुमोदित किया गया । परिणामतः भारत सरकार ने जुलाई 2003 में 288.16 करोड़ रुपए एवं फरवरी 2004 में 50 करोड़ रुपए विमुक्त किए । म.प्र शासन ने अपने अंश 133.53 करोड़ रुपए में से, 31 मार्च 2004 को 69.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और इसे व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया और इसके बाद 39 करोड़ रुपए (जुलाई 2004), 10.64 करोड़ रुपए (अगस्त 2004), 19.23 करोड़ रुपए (जनवरी 2005) एवं एक करोड़ रुपए (फरवरी 2005) में क्रमश; विमुक्त किए । निधियों के विलंब से विमुक्ति एवं प्राप्ति के कारण 38861 में से 11833 कार्य प्रारंभ नहीं हो सके । स्थिति प्रतिवेदन (जुलाई 2005) में यह स्वीकार किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के विलंब से प्राप्ति के कारण 2004 से पूर्व के अनुमोदित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके एवं वर्ष 2004 में अनुमोदित कार्यों में से कुछ प्रारंभ भी नहीं किए जा सके । इसके परिणामस्वरूप आगामी वर्ष 2005-06 के लिए सिविल कार्य बहुत बढ़ गये ।

3.1.8.3 निधियो का व्यपवर्तन

12.46 करोड़ रुपए का राजीव गाँधी शिक्षा मिशन खाते से बाहर रहे।

प्रबंध संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र /राजीव गाँधी शिक्षा मिशन ने प्रौढ़ शिक्षा /सर्व शिक्षा अभियान दोनों के प्रमुख होने से, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए निधियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण 27 दिसम्बर 2002 को, संचालक प्रौढ़ शिक्षा (डी.ए.ई) को 12.46 करोड़ रुपए का भुगतान किया । संचालक, प्रौढ़ शिक्षा ने 31 मार्च 2003 को 8.36 करोड़ रुपए एवं 2 जून 2004 को 4.10 करोड़ रुपए वापस किये । इस प्रकार उपरोक्त अवधि में निधियाँ सर्व शिक्षा अभियान खाते से बाहर रही । इसके परिणामस्वरूप एक ओर जिस उद्धेश्य के लिये निधियाँ उपलब्ध कराई गई थी उसके लिए निधियाँ उपलब्ध नहीं रही और दूसरी ओर सर्व शिक्षा अभियान निधियों पर ब्याज की हानि हुई ।

संचालक, प्रौढ़ शिक्षा ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अधीन लगभग 33.55 लाख अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने के लिए मार्च 2002 से अप्रैल 2003 के दौरान महिला पढ़ना - बढ़ना आंदोलन आयोजित किया, जिसे राज्य शासन के अधीन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला साक्षता समिति(जेड.एस.एस.) द्वारा कार्य रूप देना था । महिला पढ़ना बढ़ना आंदोलन में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 138 रुपए प्रति महिला* अनुमत्य था और जिसको वास्तव में राज्य निधि से वहन किया जाना था । प्रबंध संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, प्रौढ़ शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख होने से अनियमित रूप से सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्ध निधियों में से सामुदायिक संघटन घटक के अन्तर्गत लेखाबद्ध करके जिलों को व्यय करने के लिए

* मार्च 2002 से मार्च 2003 के मध्य 38 रुपए प्रति महिला पढ़ाने सिखाने की सामग्री एवं प्रशिक्षण संघटन इत्यादि के लिए और अप्रैल 2003 से 100/- रुपए प्रति महिला गुरू दक्षिणा ।

11.89 करोड़ रुपए अनियमित रूप से प्रौढ़ शिक्षा के लिये भुगतान किए गए ।

अनुमति प्रदान की (मार्च 2002), जो कि अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओ की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं थी । यह देखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान निधि में से महिला पढ़ना बढ़ना आन्दोलन की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जिलों द्वारा 11.89 करोड़ रुपए** का व्यय किया गया ।

1.84 करोड़ रुपए अनियमित रूप से ग्रामीण पुस्तकालयों हेतु भुगतान किए गये ।

इसी प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण पुस्तकालय भी स्थापित किए गये । राजीव गाँधी शिक्षा मिशन/राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान निधि से ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 50 प्रतिशत बराबरी के अंश के विरूद्ध राजा राममोहन राय फाउन्डेशन को अनियमित रूप से 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया (नवम्बर 2003 एवं दिसम्बर 2004) । जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा भी ग्रामीण पुस्तकालयों को स्थापित करने के लिए जिला साक्षरता समितियों को अनियमित रूप से 1.04 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया (दिसम्बर 2002)। भोपाल;10 लाख रुपए, सागर; 94 लाख रुपए)।

बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए 1.33 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान ।

आगे प्रबन्ध संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन ने कक्षा 5 एवं कक्षा 8 के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2004 के मुद्रण एवं आपूर्ती के लिए 1.33 करोड़ रुपए का व्यय किया, जिसके लिए वर्ष 2003-04 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में कोई प्रावधान नहीं था । व्यय को आयुक्त, लोक शिक्षण (सी.पी.आई.) म.प्र., भोपाल द्वारा इन परीक्षाओं को कराए जाने हेतु विद्यार्थियों से लिए गए शुल्क में से वहन किया जाना था ।

आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र भोपाल ने 20.36 लाख रुपए की अपनी हिस्सेदारी का योगदान नही किया।

इसी प्रकार वर्ष 2004-05 के दौरान राजीवगाँधी शिक्षा मिशन द्वारा 40.73 लाख रुपए का व्यय करके कक्षा एक से बारह तक के समेकित शैक्षणिक कैलेण्डर*** का मुद्रण करवाया गया और सभी विद्यालयों में वितरित किए गये । चूँकि कैलेण्डर में कक्षा 9 से 12 तक की आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा नियंत्रित गतिविधियाँ प्रदर्शित थी, अतः 50 प्रतिशत अंश 20.36 लाख रुपए का भुगतान उसके द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। आयुक्त लोक शिक्षण ने अपने हिस्से का अंशदान नहीं दिया । तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अब एक अलग कैलेण्डर कक्षा 9 से 12 तक के लिए शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए मुद्रित कराया गया ।

3.1.8.4 मानदेय, पुरस्कार राशि एवं वाहनों के क्रय पर अनियमित व्यय

राज्य शिक्षा केन्द्र / राजीव गाँधी शिक्षा मिशन द्वारा जारी अनुदेशों (जनवरी 2003) के अनुसार शिक्षाकर्मी वर्ग - III का मानदेय राज्य निधि से भुगतान किया जाना था तथा सर्व शिक्षा अभियान निधि से भुगतान किया जाना अनुमत्य नहीं था । यह देखा गया कि शिक्षा कर्मी ग्रेड - III को 26.41 लाख**** रुपए का मानदेय भुगतान जिला परियोजना

** 3.84 करोड़ रुपए गुरूदक्षिणा के लिए एवं 8.05 करोड़ रुपए अन्य शैक्षणिक गतिविधियों एवं सामग्री के लिए ।

*** 2003-04 तक कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को दर्शाता हुआ, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन द्वारा एवं कक्षा 9 से 12 तक पृथक से आयुक्त लोक निर्माण म0प्र0 द्वारा छापा गया ।

शिक्षा कर्मी ग्रेड III को 26.41 लाख रूपये का अनियमित भुगतान

समन्वयकों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान निधि में से किया गया । जिला परियोजना समन्वयक बैतूल एवं उमरिया ने बताया (अगस्त-दिसम्बर 2005) कि यद्यपि धनराशि की मांग क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खण्ड पाली से की गयी पर कोई राशि प्राप्त नहीं हुई ।

वाहनों की अनियमित अधिप्राप्ति

आगे भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वाहनों का क्रय निषिद्ध था । यह देखा गया कि जिला परियोजना समन्वयका[ϕ] द्वारा परियोजन अनुमोदन बोर्ड /राज्य कियान्वयन अभिकरण से अनुमति प्राप्त किए बगैर 15.85 लाख रूपए मूल्य के वाहन क्रय किए गए ।

निधियों के प्रावधान के बिना पुरस्कार राशि वितरित की गई ।

जिला परियोजना निदेशक(डी.पी.डी.) भोपाल द्वारा भी 12 ग्रामीण शिक्षा समितियों/पालक शिक्षक संघों को उनके कर्तव्यों के उत्तम निष्पादन हेतु 9 लाख रुपए पुरस्कार राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया (अगस्त 2003)। वर्ष 2003-04 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में कोई प्रावधान न होने से यह भुगतान अनियमित था। इसके अलावा,उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी । उत्तर में बताया गया (अगस्त 2005) कि जिला परियोजना निदेशक के अनुमोदन एवं निर्देशों के उपरांत ही भुगतान जारी किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राजीव गॉधी शिक्षा मिशन/ परियोजना अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया ।

3.1.8.5 कार्यालय भवन का क्रय

राजीव गॉधी शिक्षा मिशन, भोपाल के कार्यालय लगाने हेतु भवन वर्ष 1995-96 में मध्य प्रदेश पाठय पुस्तक निगम, (म0प्र0पा0पु0नि0) भोपाल से 1.59 करोड़ रुपए में खरीदा गया जिसमें से 62 लाख रुपए का भुगतान राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया गया । शेष राशि का भुगतान निधि के अभाव के कारण माह नवम्बर 2002 तक नहीं किया गया । बाद में यह निर्णय लिया गया (दिसम्बर 2002) कि शेष राशि का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित उपलब्ध राशि पर उपार्जित ब्याज से किया जाना चाहिए, यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान निधियों से राज्य स्तर पर कार्यालय भवन के क्रय/ निर्माण की अनुमति नहीं थी । वर्ष 2002-03 के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के बिना सर्व शिक्षा अभियान निधि से 2.17[δδδ] करोड़ रुपए का भुगतान किया गया । इस प्रकार 2.17 करोड़ रुपए का व्यय अनियमित था । पूँछे जाने पर बताया गया (फरवरी 2005) कि राज्य कार्यपालक समिति से स्वीकृति प्राप्त कर भारत सरकार को सूचित किया जावेगा । विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय के भवन का क्रय / निर्माण

+++ जनवरी 2003 के लिए बैतूल, 16.06 लाख रुपए अप्रैल 2003 एवं जुलाई 2003 से अप्रैल 2004 के लिए उमरिया 10.35 लाख रूपए

ϕ 2002-03 के दौरान -इन्दौर 3.75 लाख रुपए शाजापुर 4.94 लाख रुपए उज्जैन 3.70 लाख रुपए 2003-04 के दौरान- डिण्डोरी 3.48 लाख रुपए

δδδ भुगतान हेतु राशि 96.96 लाख रुपए, नगरनिगम कर 6.47 लाख रुपए, उपस्कर 113.42 लाख रुपए

शामिल नहीं था । पुनः पूँछे जाने पर बताया गया (नवम्बर 2006) कि भवन का क्रय राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से किया गया था ना कि राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के नाम से । भुगतान डी.पी.ई.पी.निधि पर अर्जित ब्याज में से किया गया था और प्रबन्ध संचालक को एक घटक की राशि को दूसरे घटक में उपयोग किये जाने का अधिकार है । इसलिए, राज्य कार्यपालिका एवं भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद एवं राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, राज्य शिक्षा केन्द्र में विलय हो गये (दिसम्बर 1999) । डी.पी.ई.पी. निधि पर अर्जित ब्याज भी डी.पी.ई.पी. योजना की निधि भी थी जिसमें राज्य परियोजना कार्यालय हेतु भवन क्रय हेतु कोई प्रावधान नहीं था । चूंकि डी.पी.ई.पी. का संविलयन सर्व शिक्षा अभियान में हो गया था,भारत सरकार एंव कार्यपालिका समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था ।

3.1.8.6 निधियों का जमा रखना

सहकारी बैंक में राशि 1.01 करोड़ रुपए अवरूद्ध रही

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों मे संयुक्त हस्ताक्षरित बैंक खाता खोला जाना था । किंतु जिला परियोजना समन्वयक सागर द्वारा पूर्व से ही राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंको में संचालित छः खातों के अलावा 31 मार्च 2005 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सागर में खाता (क्रमांक 8413) खोला गया एवं उसमें चार करोड़ रुपए जमा किये । भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्रत्याहरण पर रोक लगा दी (अक्टूबर 2005) । परिणामस्वरूप जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से तब इस खाते में उपलब्ध 1.01करोड रूपए की निधियों का आहरण नही किया जा सका जिसके परिणामस्वरुप सिविल कार्य के निर्माण में विलंब हुआ।

3.1.8.7 अव्ययित शेष की वापसी न होना

भारत सरकार को 20.55 करोड़ रुपए वापस न किया जाना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) चरण I एवं II के वर्ष 2002-03 के दौरान बन्द होने के परिणामस्वरूप अव्ययित शेष भारत सरकार को वापस किया जाना था । राज्य परियोजना कार्यालय / राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के तुलन पत्रक के अनुसार 31 मार्च 2004 को अव्ययित शेष 28.35 करोड़ रुपए था । लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा 7.80 करोड़ रुपए भारत सरकार को वापिस किये गये (अक्टूबर 2006) तथा चूक करने वाले जिलों से शेष राशि को संग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर बतायी गयी (नवम्बर 2006) ।

3.1.8.8. रोकड़बही का संधारण

रोकड़बहियों का अनुचित संधारण

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के पृथक एवं उचित लेखे संधारित किया जाना आवश्यक था । सर्व शिक्षा अभियान के लिए पृथक रोकड़बही केवल दिसम्बर 2002 से खोली गयी । राजीव गाँधी शिक्षा मिशन,भोपाल जिला परियोजना समन्वयक रतलाम एवं कटनी की रोकड़ वही में प्रत्येक प्रविष्टि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित नहीं की गई । बैंक खातों के माध्यम से किए गये भुगतानों के संबंध में प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों तथा रोकड़ शेष के सत्यापन का प्रमाणपत्र अंकित नहीं किये गये । सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रबंधन एवं उपार्जन पर मैनुअल की कंडिका 7.2 के अनुसार उप -जिला स्तर को विमुक्त की गयी निधियों

को अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था एवं अधीनस्थ इकाइयों से प्राप्त व्यय पत्रकों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए था । अग्रिमों को अंतिम व्यय के रूप में नहीं दर्शाना था । व्यय पत्रकों/उपयोगिता प्रमांण पत्रों की प्राप्ति पर बकाया अग्रिमों एवं समायोजन दर्शाते हुए एक पृथक पंजी संधारित की जाना आवश्यक थी । नमूना लेखापरीक्षा (अप्रैल-मई 2005) के दौरान पाया गया कि जिला परियोजना समन्वयक होशंगाबाद एवं रायसेन द्वारा पृथक पंजियाँ संधारित नहीं की गयी एवं वर्ष 2003-04 तक 35.59 करोड़ रुपए•• के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपेक्षित थे ।

जिला परियोजना समन्वयक, उज्जैन ने विभिन्न् बैंकों में 14 बैंक खाते खोले (जनवरी 2005) एवं निर्धारित एक रोकड़ वही की जगह प्रत्येक बैंक के लिए पृथक पृथक रोकडवही संधारित की । किसी भी रोकडबही में प्रविष्टियाँ सत्यापित नहीं की गयी एवं किसी भी माह में रोकड़ सत्यापन का प्रमाण पत्र भी अंकित नहीं किया गया ।

3.1.9. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य हस्तक्षेप

3.1.9.1 विद्यालय की अपर्याप्त संख्या /सुविधा

बसाहटों के पास विद्यालय सुविधा न होना

मानकों के अनुसार, नये प्राथमिक विद्यालय केवल उन्हीं क्षेत्रों में खोले जाने थे जिनमें बसाहट से एक किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं था । प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गारंटी शाला विद्यालय, सेवा से वंचित बसाहटों पर खोलना था जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय अस्तित्व में न हो तथा 6-14 वर्ष समूह के कम से कम 15 बच्चे हो, जो स्कूल नहीं जा रहे थे । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 127 बसाहटें (धार 28, इंदौर 15, जबलपुर 60 एवं रतलाम 24) थी जिसमें विद्यालय सुविधा नहीं थी । पूछे जाने पर बताया गया (नवम्बर 06) कि जिलों के द्वारा प्रस्ताव नहीं दिये जाने के कारण 2005-06 के दौरान उक्त कथित जिलों को विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3.1.9.2 शिक्षकों की कमी

43821 शिक्षकों की रिक्तयों की परिणिति एकल शिक्षक विद्यालयों के रूप में हुई ।

सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय (प्रा.वि.) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (उ.प्रा.वि.) में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाना था । प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में तीन शिक्षक (एक शिक्षक प्रति कक्षा) की आवश्यकता थी । तदानुसार, उन्नयित प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संविदा शिक्षक के वर्ग III एवं II के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये । 89187 शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध 45366 शिक्षक थे, अतः 2005-06 के दौरान 43821 पद रिक्त रहे । यद्यपि 35050 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए जा चुके थे, होशंगाबाद जिले में 14 प्राथमिक

•• बैतूलः 3.33, करोड़ रुपए, भोपालः 2.61,छतरपुरः 2.16, धारः 4.34, ग्वालियरः 1.57, होशंगाबादः 1.75,इदौरः 2.20, जबलपुरः 4.29,कटनीः 3.32, रायसेनः 1.40, शहडोलः 3.30, उज्जैनः 5.32 योग- 35.59 करोड़ रुपए

विद्यालयों एवं 15 माध्यमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं था (अप्रैल 05) । राज्य में वर्ष 2005-06 के दौरान एकल शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के लिए 9 से 70 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3 से 63 था।

3.1.9.3 विद्यालय से बाहर के बच्चों का नामांकन नहीं होना

दो लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर थे ।

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उददेश्य वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को शि.गा.शा./वैकल्पिक नवाचार शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय में वापिस लाना था,इसे वर्ष 2005 तक बढ़ा दिया गया था । यह देखा गया कि वर्ष 2003-04 के अंत में 6.25 लाख (4.7 प्रतिशत) बच्चे 2004-05 के अंत में 4.10 लाख (2.8 प्रतिशत) एवं 31 मार्च 2006 की स्थिति में 2.72 लाख (1.7 प्रतिशत) बच्चे विद्यालय के बाहर थे ।

एस.आर.आई.के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आँकलित किया गया कि 9.5 प्रतिशत बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और जिसमें से 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 8.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से बाहर हैं । इनमें से 9.8 प्रतिशत लड़कियाँ और 9.4 प्रतिशत लड़के हैं । अभिभावकों के लिए उनके बच्चों का विद्यालय में नामांकन न कराने का मुख्य कारण उनका समर्थता न होना है एवं नामाकंन होने के बाद भी उन्हें स्कूल नहीं भेजने का मुख्य कारण बताया गया कि बच्चे स्कूल जाना पंसद नहीं करते हैं ।

शहरी वंचित बच्चों के लिए मानव विकास केन्द्रों की स्थापना न होना ।

शहरी वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए मानव विकास केन्द्र (मा.वि.के.) खोले जाने थे । 2003-04 के दौरान 60 केन्द्रो के लक्ष्य एवं 19.80 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध कोई केन्द्र नहीं खोला गया । 2004-05 के दौरान राज्य में 213 मानव विकास केन्द्रों को खोलने के भौतिक लक्ष्य एवं 70.29 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध केवल जिला परियोजना समन्वयक छतरपुर ने 0.96 लाख रुपए खण्ड स्त्रोत समन्वयंको को इन केन्द्रों को खोलने के लिए दिए (मार्च 2005) । फिर भी इन्हें नहीं खोला गया और राशि अनुपयोगी पड़ी रही (अगस्त 2005) । 2005-06 के दौरान 359 भौतिक लक्ष्य एवं 151.68 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधानों के विरूद्ध 66.24 लाख रुपए का व्यय कर मात्र 305 मानव विकास केंद्र खोले गए ।

3.1.9.4 पढाने एवं सिखाने के उपकरण (टीएलई) अनुदान

टीएलई अनुदान विमुक्त नहीं किया गया

ओ.बी.बी. योजना के अन्तर्गत अनावृत्त उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय के लिए पढ़ानें एवं सीखने के उपकरणों के लिए एक मुश्त अनुदान 25000 रूपये प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय और 10,000 रूपये प्रति प्राथमिक विद्यालय पालक शिक्षक संघों के खातों में जमा किया जाना था । यह देखा गया कि 2002-05 के दौरान 1094 प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय और 3223 शि.ग्रा.शा. से प्राथमिक विद्यालय• के पालक शिक्षक संघों के खातों में टीएलई अनुदान के 5.96 करोड़ रुपए जमा नहीं कराये गये ।

धारः शि.गा.शा. से. प्रा.वि.- 1320, रायसेनः .शि.गा.शा. से प्रा.वि.- 465, प्रा.वि .से उ.प्रा.वि.- 425; सागरः .शि.गा.शा..से प्रा.वि- 596; प्रा.वि. से उ.प्रा.वि.- 339; शाजापुरः शि.ग्रा.शा. से प्रा.वि.- 218, प्रा.वि. से उ.प्रा.वि.- 44 ीधीः शि.ग्रा.शा. से प्रा.वि.- 385; प्रा.वि. से उ.प्रा.वि.- 9; उज्जैनः शि ग्रा.शा. से .वि - 239; प्रा.वि.से - वि.- 277.

टी.एल.ई अनुदान से 68.85 लाख रुपए का अनियमित क्रय

यह भी देखा गया कि जिला परियोजना समन्वयक बड़वानी ने प्रति विद्यालय 25000 रुपए पढ़ाने सीखने के उपकरण के अनुदान को स्वीकृत कर 286 उन्नयित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पालक शिक्षक संघो के खातों में जमा करने के बजाय 68.85 लाख रुपए मूल्य के पढाने सीखने के उपकरण की सामग्री बिना निविदाएं बुलाए जिला स्तर एर मेसर्स राज्य उपभोक्ता संघ इंदौर से क्रय की । उपर्जित सामग्री में टेबिल, कुर्सी, ग्लोब एवं नक्शे 25.05 लाख रूपए मूल्य के शामिल थे जो पढ़ाने सीखनें के उपकरण जारी करने के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं । यह बताया गया (अक्टूबर 2005) कि मामला जाँच के अधीन है एवं स्थिति अंतिम रूप दिये जाने पर सूचित की जायगी।

3.1.9.5 पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए राज्य सरकार का दायित्व

कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण ।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी ध्यान केन्द्रित समूहों के बच्चों नामतः लड़कियों /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें इस शर्त के अधीन प्रदाय की जानी थी, कि राज्य शासन इन बच्चों के किसी भी वर्ग को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदाय नहीं कर रही थी । यह देखा गया कि सर्व शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पहले राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही थीं । 6.29 करोड़ रुपए की निधि भी इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जा रही थी । लेकिन यह देखा गया कि राज्य शासन ने पूर्व प्रक्रिया जारी नहीं रखी और 2003-06 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान निधि में से 76.08 करोड़ रुपए का व्यय कर कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की गई जिसके लिए वार्षिक कार्य योजना बजट में कोई प्रावधान नहीं था । पूछे जाने पर बताया गया (जुलाई 2005) कि राज्य शासन की घोषणा के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदाय की गई एवं 2003-04 के दौरान राज्य शासन के बजट में 6.29 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान भी किया गया था लेकिन 2003-06 के दौरान निधियां उपलब्ध नहीं कराई गईं। लेखा परीक्षा के इंगित किये जाने पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए राज्य शासन ने अब राज्य योजना बजट 2006-07 में 6.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, एवं राज्य शिक्षा केन्द्र ने निःशुल्क पाठय पुस्तकों के प्रदाय के लिए 2006-07 के तृतीय पूरक बजट में 46 करोड़ रुपए की मांग की है (नवम्बर 2006) ।

हितग्राही सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के 78.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 78.9 प्रतिशत एव हाईस्कूल के 73.8 प्रतिशत ने बताया कि लड़कियों बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जा रही है । जबकि लगभग 91.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 93.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 88.1 प्रतिशत हाई स्कूलों द्वारा बताया गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को स्कूल में निःशुल्क पाठय पुस्तकें दी जा रही है ।

3.1.9.6 पर्यवेक्षण एवं निगरानी पर अनियमित व्यय

सर्व शिक्षा अभियान निधियों से खण्ड स्त्रोत समन्वयकों के वेतन एवं भत्तों का अनियमित भुगतान

सर्वशिक्षा अभियान के दिशा - निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 1500 रुपए अनुमत्य था । 1500 रुपए में से राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर क्रमशः 100 रूपए एवं 1400 रुपए प्रति स्कूल प्रति वर्ष व्यय किया जाना था । राज्य से विद्यालयों तक विभिन्न स्तरों पर अपना अंश वितरण हेतु राज्य को निश्चित करना था । निधियों का उपयोग शोध क्रियाकलापों, उपलब्धियो की जाँच, अध्ययनों के मूल्यांकन, प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) इत्यादि के लिए किया जाना था । यह देखा गया कि जिला परियोजना समन्वयकों ने खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों के अमले के वेतन एवं भत्तों के लिए 1.84 करोड़ रुपए • का भुगतान किया एवं व्यय को पर्यवेक्षण एवं निगरानी के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि मैन्यूअल में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के अनुरूप नहीं थे । पूछे जाने पर जिला परियोजना समन्वयकों ने बताया (अप्रैल से अगस्त 2005) कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशों के अनुसार खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों के अमले का वेतन पर्यवेक्षण एवं निगरानी के अंतर्गत लेखांकित गया ।

3.1.9.7 चक्रमुद्रण मशीनों, उपस्कर एवं अन्य सामग्री का अनावश्यक उपार्जन

राशि 1.82 करोड़ रुपए की चक्रमुद्रण मशीनों उपस्कर एवं अन्य सामग्री का अनियमित उपार्जन

सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के अनुसार संकुल स्त्रोत केन्द्र (सी आर सी)/जन शिक्षा केन्द्रों को एकमुश्त उपस्कर अनुदान रुपए 10000 रूपए की दर से देय था । इसके अनुसार जिला परियोजना समन्वयक, सागर (सितम्बर 2002) ने प्रति संकुल स्त्रोत केन्द्रों 10,000 रुपए की दर से 240 संकुल स्त्रोत केन्द्र को 24 लाख रुपए का भुगतान किया उपरोक्त के साथ-साथ जिला परियोजना समन्वयक, सागर ने उन्हीं संकुल स्त्रोत केन्द्रों को 32.09 लाख रुपए मूल्य के उपस्कर का उपार्जन किया एवं प्रदाय भी किये (दिसम्बर 2002) जो कि अनुज्ञेय नहीं था क्योकि उपस्कर अनुदान उनके केन्द्रों को पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी । आगे राज्य शिक्षा केन्द्रं द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केन्द्रों/संकुल स्त्रोत केन्द्रों के लिये क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची में चक्रमुद्रण मशीन का प्रावधान नहीं था । लेकिन यह पाया गया कि जिला परियोजना समन्वयको[δδδδ] ने वर्ष 2004-05 के दौरान 90.82 लाख रुपए मूल्य की चक्रमुद्रण मशीनें क्रय की और विभिन्न जन शिक्षा केन्द्रों/संकुल स्त्रोत केन्द्रो को वितरित कीं । इसी प्रकार शाजापुर जिले में 2004-05 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में विकास खण्डों एवं हेड स्टार्ट केन्द्र के लिए सामग्री[*****] उपार्जन का कोई प्रावधान नहीं था । लेकिन जिला परियोजना समन्वयक शाजापुर ने सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध निधियों में से विकास खण्डों एवं हेड स्टार्ट केन्द्रों के लिए 58.83 लाख रुपए की सामग्री क्रय की (मार्च 2005)। निविदायें बुलाने जैसी क्रय सम्बन्धी ओपचारिकताओं

• बैतूलः 45.47 लाख रूपए, धारः 14.22 लाख रुपए, ग्वालियरः 11.10 लाख रुपए, होशंगाबादः 28.52 लाख रुपए, रायसेनः 65.78 लाख रुपए, रतलामः 19.29 लाख रूपए, ।

δδδδ ग्वालियर 10.10 लाख रूपए, इन्दौरः 8.09 लाख रूपए, जबलपुंरः 18.51 लाख रूपए, कटनीः 13.05 लाख रूपए, रतलामः 12.96 लाख रूपए, शाजापुरः 17.01 लाख रूपए एवं सीधीः 11.10 लाख रूपए, ।

***** डिजीटल कापियर एवं डुप्लिकेटर, मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर कंप्यूटर यू.पी.एस. सिस्टम एवं उपस्कर

का पालन किये बिना खरीददारियाँ की गयी थीं । पूछे जाने पर उत्तर दिया गया (अगस्त 2005) कि राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, भोपाल से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जावेगी ।

3.1.10.1 उपलब्ध अधोभौतिक संरचना में कमी

16970 कार्य अपूर्ण थे ।

सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों में बरामदे सहित, दो कक्षा कमरे एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के लिए एक कमरा आवश्यक था । उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान, प्रत्येक विद्यालय के अधोसंरचना के लिए पी.ए.बी द्वारा अनुमोदित संपूर्ण परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति देता है । लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय थे जिनके पास स्वयं की इमारत,पीने के पानी की सुंविधा एवं लडके एवं लड़कियों के लिए पृथक-पृथक मूत्रालय/शौचालय नहीं थे ।

एस.आर.आई. की सर्वे प्रतिवेदन में बताया गया कि लगभग 4.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 5.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 9.5 प्रतिशत हाई स्कूल उच्च प्राथमिक अनुभाग (एच.एस.) सहित *कच्ची* संरचना में चलाये जा रहे थे । जो कि आधारभूत रूप से स्थायी संरचना नहीं हैं अत; विद्यालय जैसी संस्था को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है । 17.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 13.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 14.3 प्रतिशत हाईस्कूल की संरचना *आधी पक्की* थी लगभग 75 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 77.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 73.8 प्रतिशत हाई स्कूलों की *पक्की* संरचना थी । लगभग 2.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 2.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2.4 प्रतिशत हाई स्कूल के पास अपना कोई भवन नहीं था।

2001-06 के दौरान 2,51,090 कार्य की मदों की आवश्यकता के विरूद्ध, 80554 लक्ष्य निर्धारित किये गये, जिसमें से केवल 63584 कार्य पूर्ण किये गये । शेष 16970[##] कार्य अपूर्ण थे (सितम्बर 2006) ।

प्रस्थिति प्रतिवेदन (जुलाई 2005) में स्वीकार किया गया था कि विद्यालय भवन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों से संसाधनों को उपलब्ध कराने के प्रयासों के बावजूद अधोसंरचना में सतत रूप से अंतर रहा । जुलाई 2006 को 13902 विद्यालय भवनों (प्राथमिक विद्यालय 2284,उच्च प्राथमिक विद्यालय 11618) 32118 अतिरिक्त कमरे (प्राथमिक विद्यालय 22190,उच्च प्राथमिक विद्यालय 9928) 29674 पीने के पानी की सुविधा (प्राथमिक विद्यालय 20031, उच्च प्राथमिक विद्यालय 9643), 53368 शौचालय सुविधा (प्राथमिक विद्यालय 38986, उच्च प्राथमिक विद्यालय 14382) एवं प्राथमिक विद्यालयों में 61058 रसोई शेड की आवश्यकता थी

प्रा.वि.भवनः 6440, मा.वि/ उ.प्रा.वि.भवन 426, अतिरिक्त कमरे प्रा.वि//मा.वि./सी.आर.सीः 5802,रसोई शेडः 2840, आदर्श संकुल 1462

3.1.10.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनियमितताऐं

3.76 करोड़ रुपए पालक शिक्षक संघ के खातो में जमा करने के बजाय जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भुगतान किये गए।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली एवं राजीव गाँधी शिक्षा मिशन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सिविल कार्यों के निर्माण के लिए धन संबंधित विद्यालयों के पालक शिक्षक संघ ग्रामीण निर्माण समिति (व्ही.एन.एस.)/पालक शिक्षक संघ के शाला शिक्षा कोष के खाते में जमा किया जाना था । यह देखा गया कि जिला परियोजना समन्वयक, उज्जैन ने वर्ष 2000-05 के दौरान स्वीकृत सभी सिविल कार्यो के निर्माण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (मु.का.अ.[##]) को राशि 3.76 करोड़ रुपए भुगतान की । स्वीकृति आदेशों के अनुसार सभी कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण किये जाने थे । लेकिन किसी भी प्रकरण में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये (जून 2005)। इसके अलावा कार्यो की स्थिति की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी । पूछे जाने पर जिला परियोजना समन्वयक, उज्जैन ने बताया (जून 2005) दिया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

लोहे के दरवाजों एवं खिड़कियो का अनियमित क्रय राशि 96.42 लाख रूपए ।

इसी प्रकार, जिला परियोजना समन्वयक, धार ने ग्राम निर्माण समिति/पालक शिक्षक संघ के शाला शिक्षा कोष के खाते में जमा की जाने वाली निधियो में से राशि 96.42 लाख रुपए के लोहे के दरवाजे एवं खिडकियों का क्रय (2004-05) किया । पूँछे जाने पर उत्तर दिया (जून 2005) कि फिक्चरर्स में एकरूपता लाने के लिए दरवाजे एवं खिड़कियों का क्रय किया गया । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि क्रय संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ द्वारा किया जाना था । राज्य शिक्षा केन्द्र/राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, भोपाल के निर्देशानुसार, किये गये निर्माणकार्यो की मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद पालक शिक्षक संघ/ग्राम निर्माण समिति के शाला शिक्षा कोष में सिविल कार्यो के लिए निधियों की द्वितीय एंव तृतीय किश्त विमुक्त की जाना थी, किंतु जिला परियोजना समन्वयक, भोपाल ने संबंधित अभियंताओ से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना 31 मार्च 2005 को 59.14 लाख रुपए विमुक्त किये। पूछे जाने पर, जिला परियोजना समन्वयक भोपाल ने बताया (अगस्त 2005) कि सक्षम प्राधिकारियों के मौखिक निर्देश पर किश्तें जारी की गयीं । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना द्वितीय एवं तृतीय किश्ते जारी करना निर्माण कार्यो के मानकों के विपरीत था ।

मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना किश्तों का जारी किया जाना।

3.1.10.3 अस्सी शिक्षा गारंटी शाला भवनों के निर्माण के लिये अनियमित व्यय ।

80 ई जी एस भवनों के निर्माण के लिए 1.24 करोड़ रुपए का अनियमित रूप से भुगतान

सर्व शिक्षा अभियान निधि से शिक्षा गारन्टी शाला/वै.न.शि भवनों का निर्माण अनुमत्य नहीं था। होशंगाबाद जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (2002-03) में भी शिक्षा गारन्टी शाला भवनों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं था । यह देखा गया कि जिला परियोजना समन्वयक होशंगाबाद ने 1.55 लाख रुपए प्रति भवन की दर से 80 शि.गा.शा. भवनों के निर्माण की स्वीकृति (दिसम्बर 2002) दी एवं 1.24 करोड़ रुपए की निधि सम्बन्धित विद्यालयों के पालक शिक्षक संघो को विमुक्त की । यह बताया गया गया (अप्रैल 2005) कि को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देश के अनुसार स्वीकृति एवं निधियों को जारी किया गया।

[##] बडनगर, घटिया, खाचरौद, महीदपुर, तराना एवं उज्जैन जनपद पंचायतें

3.1.10.4 राज्य शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.) का स्थापित नहीं होना ।

राज्य शिक्षा प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया गया ।

शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए राज्य शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान अब तक नहीं खोला गया । हालाँकि, जुलाई-सितम्बर 2004 के लिए 29.11 लाख रुपए का व्यय प्रतिवेदित किया गया । पूछे जाने पर बताया गया (नवम्बर 2005) कि एक सेल खोला गया था, और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए व्यय किया जा रहा था । आगे यह भी बताया गया (नवम्बर 2006) कि राज्य शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से सम्बंधित प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया गया है, और भारत सरकार को प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में था ।

3.1.11 निष्कर्ष

वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्तुतीकरण में बिलम्ब तथा इसके अनुमोदन एवं निधियों के वेलम्ब से विमुक्ति के कारण वर्ष 2001-02 में योजना के अन्तर्गत क्रिया कलाप नही किए जा सके । 2002-03 के दौरान केवल 63 प्रतिशत तक व्यय किया जा सका । निधियों का विभिन्न क्रियाकलापो जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण पुस्तकालयों, बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों एवं समेकित शैक्षणिक कैलेण्डरों की छपाई के लिए व्यपवर्तन किया गया । कार्यों के निष्पादन लिए अनुदान को पालक शिक्षक संघ के खातों में जमा करने के बजाय, जिला परियोजना समन्वयक, उज्जैन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पचायतों को भुगतान किया जिसके कारण कार्यो के निष्पादन में विलम्ब हुआ । इसी प्रकार जिला परियोजना समन्वयक, धार ने सिविल कार्य अनुदान में से दरवाजे एवं खिड़कियों का क्रय किया । सिविल कार्यो के निर्माण की प्रगति धीमी थी जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता रही । सभी बच्चों को 2003 तक स्कूल में लाने के लक्ष्य जिसे 2005 तक बढाया गया, 2004-05 एवं 2005-06 के अंत में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या क्रमशः 2.8 प्रतिशत एवं 1.7 प्रतिशत थी । शहरी वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए मानव विकास केन्द्र, जैसा कि दिया गया, 2004-05 तक नहीं खोले गये । छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानक 40:1 से बहुत अधिक था ।

3.1.12 अनुशंसाएं

- वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए ।
- अन्य कार्यक्रमों के लिए निधियो का व्यपवर्तन तुरन्त रोका जाना चाहिए एवं निधियों का कार्यक्रम के घटकों के लिये उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- कार्यों के तीव्रता से क्रियान्वयन पर नियमित एवं आवधिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए ।

मामला मध्यप्रदेश शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई- 2006) परन्तु उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2006) ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3.2 खाद्यान्न सुरक्षा, अनुदान एवं प्रबंधन

विशेषताएँ

लक्षित जनसंख्या को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निचले स्तर तक वहन करने योग्य मूल्य पर जनता को खाद्यान्न सुरक्षा घोषित करने की शासन की खाद्यान्न प्रबंधन नीति में उत्पादनकर्ताओं से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन, उसका भण्डारण, प्रहस्तन, संचलन एवं वितरण शामिल है । उपार्जन एवं वितरण प्रणाली कमजोर एवं दोषयुक्त पायी गयी । गेहूँ उपार्जनकर्ता जिलों को उनकी आवश्यकता से अधिक गेहूँ का उपार्जन केन्द्रों से सीधे आवश्यकता वाले जिलों को परिवहन करना था किंतु वर्ष 2003-05 के मध्य में ऐसा नहीं करके मध्यवर्ती स्थानों पर भण्डारण किया गया परिणामस्वरूप स्थानीय परिवहन, प्रहस्तन, ब्याज इत्यादि पर 2.67 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई । भण्डारण के लिये आरक्षित जगह खाली रहने के परिणामस्वरूप 24.32 लाख रुपए की हानि हुई एवं गेहूँ का परिवहन लम्बे घुमावदार मार्ग से करने के परिणामस्वरूप 45.27 लाख रुपए की परिहार्य हानि हुई । अमानक गुणवत्ता वाले खाद्यान्न के उपार्जन के प्रकरण भी है । बैंक कमीशन पर 48.56 लाख रुपए का परिहार्य व्यय किया गया । खाद्यान्न वितरण में यह जानकारी में आया कि बहुत अधिक संख्या में राशनकार्ड जारी किये गये तथा खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मान से कम मात्रा में किया गया । उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कमियों में फंसा हुआ, दोषपूर्ण था तथा नियंत्रण प्रणाली कमजोर एवं अप्रभावी थी । नमूना लेखापरीक्षा के समय जानकारी में आये कुछ अन्य महत्वपुर्ण बिंदु नीचे दिये गये हैः-

मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाइज कारपोरेशन (म.प्र.सि.स.का) को परिवहन व्यय का 58.63 लाख रुपए अधिक भुगतान किया गया ।

(कंडिका 3.2.7.1)

गुणवत्ता जांच/नियंत्रण मानकों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण अमानक गुणवत्ता (उचित गुणवत्ता का नहीं) के गेहूँ एवं धान का उपार्जन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 4.08 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई ।

(कंडिका 3.2.5.3)

मध्य प्रदेश सि.स.का. द्वारा दोहरे मार्जिन की संग्रहित राशि 68.15 करोड़ रुपए को न तो वापस लौटाया गया है और ना ही प्रतिपूर्ति के लिये प्रस्तुत दावों में समायोजित किया गया है ।

(कंडिका 3.2.5.6)

उचित मूल्य की दुकानें दिन प्रतिदिन के भण्डार की स्थिति, बेचने का मूल्य, हितग्राहियों की संख्या एवं राशन के प्रदाय किये जाने की मान्य मात्रा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रही थीं एवं अन्य अनियमितताएं कर रही थीं ।

(कंडिका 3.2.6.4)

जिले चैकों के बजाय बैक ड्राफ्टों से भुगतान कर रहे थे, परिणामस्वरूप 48.56 लाख रुपए का कमीशन के रूप में परिहार्य व्यय किया गया ।

(कंडिका 3.2.5.5)

खाद्यान्न परिवहन व्यय के लिये 2.17 करोड़ रुपए का अनियमित आहरण किया गया तथा उसे कोषालय में वापस जमा नहीं कराया गया ।

(कंडिका 3.2.7.2)

कार्यापालक अभिकरणों/ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न के प्रदाय में तीन से सोलह माह का विलम्ब हुआ, जिससे खद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित हुई ।

(कंडिका 3.2.7.3)

3.2.1 प्रस्तावना

खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये शासन की खाद्यान्न प्रबंधन नीति में, उचित मूल्य पर उत्पादनकर्ताओं से खाद्यान्न का उपार्जन करना, इसका भण्डारण/प्रहस्तन संचलन, वृहद् भण्डारण का रखरखाव एवं छोटे से छोटे स्तर तक खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ाने के लिये, वहन करने योग्य मूल्य पर जनता को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली* (ल.सा.वि.प्र.) का संचालन शामिल है ।

प्रबधन में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य$^{\Psi}$ (न्यू.स.मू.) पर खाद्यान्न का उपार्जन तथा इस प्रकार उपार्जित खाद्यान्न का लक्षित जनसंख्या को सहायित केन्द्रीय प्रचालन मूल्य (के.प्र.मू.) पर वितरण हेतु जारी करना एवं खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बाजार मूल्य के नियमन के लिए भण्डार को रोक कर रखना शामिल है । चूंकि लक्षित जनसंख्या को वितरण के लिए खाद्यान्न का केन्द्रीय प्रचालन मूल्य, उसके उपार्जन एवं हम्माली सह परिवहन, भण्डारण इत्यादि के मूल्य (आर्थिक लागत के रूप में नामित) की तुलना में कम होता है । अतः शासन खाद्यान्न की हम्माली सह परिवहन, भण्डारण तथा भण्डार को रोकने एवं उसके वितरण के लिए जिम्मेंदार अभिकरणों को अनुदान प्रदान करता है ।

* *भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विशेष कार्ड्स जारी कर एवं उन्हें विशेष सहायित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुख्यधारा से जोड़ा गया ।*

$^{\Psi}$ *यह पूर्व निर्धारित मूल्य है जिस पर उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा खाद्यान्न का उपार्जन किया जाता है ।*

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उपार्जन के अतिरिक्त शासन की नीति खाद्यान्न के वृहद भण्डारण का रखरखाव कर देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना है ।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

योजना के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (विभाग) की थी जिसके शीर्षस्थ प्रमुख सचिव थे । आयुक्त सह निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, समग्र आवश्यकता का आकलन करने, जिलों को आवंटन देने, क्रियान्वयन अभिकरणों मध्यप्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम (म.प्र.सि.स.का.) एवं मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ (मार्कफेड) को खाद्यान्न करने उपार्जित करने, उसके भण्डारण तथा केंद्रीय सहकारी बैक की सहायता से एवं लीड तथा लिंक समितियो के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण करने के लिए अनुदान/ऋण/ सहायता का भुगतान करने के लिए नोडल क्षेत्रीय अधिकारी थे ।

कलैक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी की सहायता से जिले के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता का आंकलन करने एवं उचित मूल्य की दुकानों को आवंटन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे । वे जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर निगरानी एवं समग्र नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार थे ।

3.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य निम्नांकित का मूल्यांकन करना था:-

- अभिकरणों द्वारा उपार्जन प्रणाली की दक्षता,
- भण्डारण एवं संचलन प्रवर्तन में दक्षता एवं मितव्ययता,
- वितरण प्रबंधन की प्रभावशीलता यह सुनिश्चित करने के लिये कि हितग्राहियो की खाद्यान्न तक पहुँच है तथा आवश्कता होने पर वास्तव में उन्हे उपलब्ध होता है,
- निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता ।

3.2.4 लेखापरीक्षा समावेशन एवं कार्यप्रणाली

समीक्षा वर्ष 2001-2006 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को समावेशित करती थी । जिलों के चयन में स्तरीय साँख्यिकीय नमूना पद्धति का उपयोग किया गया । कुल 45 जिलों में से राजधानी जिला भोपाल के अलावा 10 अन्य जिलों का चयन सिम्पल रेन्डम सेंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंन्ट (एस.आर.एस.डब्लू.आर.) को अपनाकर किया गया प्रत्येक चयनित जिले से तीन विकास खण्डों का (एक शहरी एवं दो ग्रामीण क्षेत्र से) सरल अक्रमागत नमूना पद्धति से कुल 81 में से 32 विकास खण्ड क्षेत्रों का चयन किया गया । जिला स्तर पर 10 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों का भी चयन किया गया । निष्पादन लेखा परीक्षा में वर्ष 2001 से 2006 तक की अवधि का समावेश है । विभागों, मध्यप्रदेश राज्य सिविल

सप्लाइज कॉरपोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ, ग्यारह जिलों[1] के साथ-साथ बत्तीस विकास खण्ड एवं तीन सौ अठारह उचित मूल्य की दुकानों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी ।

लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों की संवीक्षा एवं विभाग, चयनित जिलों/विकास खण्ड कार्यालयों से संग्रहित आंकड़ो का विश्लेषण शामिल है । कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुझाव आमंत्रित करने/ सूचनाओं में भागीदारी करने हेतु विभाग प्रमुख से प्रारंभिक सम्मेलन 15 जुलाई 2006 को हुआ । साथ ही, सर्वेक्षण के अलावा अन्य अभिकरणों के प्रतिवेदनों का भी प्रयोग किया गया । भारत सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, द्वारा वर्ष 2003 में मैसर्स ओ.आर.जी. सेंटर फार सोशल रिसर्च (ओ.आर.जी. मार्ग) का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्य योजना का मूल्यांकन अध्ययन सौपा गया, जिसने अपना अंतिम प्रतिवेदन सितम्बर 2005 में मंत्रालय को प्रस्तुत किया । भारत सरकार के योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निष्पादन मूल्यांकन किया था । अखिल भारतीय स्तर पर ओ.आर.जी. मार्ग एवं पी.ई.ओ. द्वारा किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्षो का लेखा परीक्षा निष्कर्षों में पूरक उपयोग किया गया जैसा कि संबंधित कंडिकाओं में समाहित किया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.5 अधिप्राप्ति

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न की विकेन्द्रीय उपार्जन योजना (डी.सी.पी.) (1997-98) से लागू की गयी जिसके अधीन राज्यों को स्वयं खाद्यान्न का उपार्जन करना था तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा रोककर शेष मात्रा को केन्द्रीय पूल के लिये भारतीय खाद्य निगम को समर्पित करना था । मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को गेहूँ के लिये उपार्जन संस्था के रूप में अधिकृत किया गया तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसके वितरण के लिए भी उत्तर दायित्व दिया गया ।

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियॉ गेहूँ के उपार्जन प्रक्रम में दृष्टव्य हुई जिनके कारण लागत में अधिक वृद्धि हुई ।

म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अधिशेष माल को आवश्यकता वाले जिलों को तत्काल भेजने की निगरानी में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 2.07 करोड़ रुपए. की हानि हुई ।

3.2.5.1 अधिशेष माल को रोके रखने के कारण परिहार्य व्यय

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय ने अपने गेहूँ उपार्जनकर्ता जिलों को वर्तमान वर्ष के उपार्जन में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु छः माह के लिए आवश्यक गेहूँ स्टाक रोकने के लिए निर्देशित किया (मार्च 2005)। मुख्यालय द्वारा अवलोकन किया गया (मई 2005) कि सिहोर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, उज्जैन एवं सतना जिलों में आठ माह की आवश्यकता के भण्डारण के अलावा 48266 मैट्रिक टन गेहूँ का अतिरिक्त स्टाक था । यद्यपि अतिरिक्त माल को

[1] बालाघाट, भोपाल, बैतूल धार, ग्वालियर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, सीधी, उमरिया, और विदिशा

आवश्यकता वाले अन्य जिलों को परिवहन के लिए निर्देश जारी किये गये (जून 2005), माल के तत्काल परिवहन की निगरानी नहीं की गई । मुख्यालय द्वारा समग्र अतिरिक्त स्टाक की स्थिति की समीक्षा की गयी और सीहोर,उज्जैन एवं सतना जिलों से अतरिक्त भण्डार के परिवहन के लिए निर्देश जारी किये गये (नवम्बर 2005) । परिणामस्वरूप, 30809 मेंट्रिक टन 16708 मैट्रिक टन सीहोर से 8714 मैट्रिक टन उज्जैन से एवं 5387 मैट्रिक टन सतना से) का परिवहन नवम्बर 2005 से जनवरी 2006 के दौरान दूसरे जिलों को किया गया । लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त अतिरिक्त भण्डार के विलम्ब से परिवहन के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपए (स्थानीय परिवहन के लिए 0.44 करोड़ रुपए एवं छः माहों के भंडारण के लिए 0.57 करोड़ रुपए) का परिहार्य व्यय हुआ । आगे, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा छः माह के लिए अवरूद्ध गेहूं की कीमत के ब्याज के लिए 1.06* करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय भी किया गया । यह बताया गया (जुलाई 2006) कि भण्डारण के लिए स्थान की अनुपलब्धता के कारण भण्डार का परिवहन नहीं किया जा सका एवं भारत सरकार द्वारा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी । उत्तर मान्य योग्य नहीं था क्योंकि भण्डारण की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार की जानी चाहिए थी । अनावश्यक भण्डारण और परिवहन मूल्य को अर्थिक लागत मूल्य में शामिल किया जायेगा एवं यदि दावा की गयी राशि में इसकी प्रतिपूर्ति भी की जाती है, तो भी सार्वजनिक राजकोष की हानि है ।

आरक्षित स्थान का कम उपयोग करने के कारण 60.46 लाख रुपए हानि

इसी प्रकार मुख्यालय द्वारा हरदा,होशंगाबाद, एवं इंदौर जिलों को 18400 मैट्रिक टन गेहू उपार्जन केन्द्रों/रेल्वे रैक बिन्दुओं से खण्डवा, बैतूल, बडवानी एवं धार जिलों को भेजने के लिए निर्देशित किया गया (मार्च 2004) । जिला कार्यालयों द्वारा केवल 4948 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया गया तथा शेष मात्रा 13452 मैट्रिक टन को अगस्त 2004 तक जिलों में ही भण्डारित किया गया । मुख्यालय द्वारा आगे अवलोकन किया गया (सितम्बर 2004) कि हरदा,होशंगाबाद एवं इंदौर जिला कार्यालयों के पास चार माह से अधिक की आवश्यकता का स्टाक उपलब्ध है तथा इन्हें खण्डवा,धार,बडवानी बैतूल एवं रतलाम जिलो को 7150 मैट्रिक टन गेहूँ परिवहन हेतु निर्देशित किया गया । जिला कार्यालयों द्वारा तथापि अक्टूबर से दिसम्बर 2004 के मध्य चिन्हित जिलों को 9077 मैट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया गया । यह देखा गया कि निर्धारित प्रेषण कार्यक्रम का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण जिला कार्यालयों द्वारा 9077 मैट्रिक टन खाद्यान्न के उठाने/धरने पर 13.50 लाख रुपए एवं मध्यवर्ती भण्डारण पर 16.77 लाख रुपए व्यय किया गया । आगे जब 9077 मैट्रिक टन खाद्यान्न हरदा, होशंगाबाद एवं इन्दौर जिलों में जुलाई से दिसम्बर 2004 के मध्य में भण्डारित था तब जरूरत मंद जिले अपनी आवश्यकता के लिए भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव कर रहे थे । इसके परिणाम स्वरूप 6.64 करोड़ रुपए** छः माह के लिए अवरूद्ध हुए जिसके लिए उपयोग की गई रोकड साख सुविधा के लिए 30.19 लाख रुपए ब्याज का भुगतान

* 30809 मैट्रिक टन रुपए 7540/- प्रति मैट्रिक टन अनंतिम इकानामिक[5] मूल्य है कि दर से 23.23 करोड़ रुपए x 9.1% प्रतिवर्ष, छः माह के लिये ।

5 अनंतिम लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिप्राप्ति प्रासंगिक एवं वितरण लागत से निर्मित है ।

** 7310 रुपए प्रति मैट्रिक टन की अनंतिम आर्थिक लागत पर 9077 मैट्रिक टन = 6.64 करोड़ रुपए

किया गया । इस प्रकार कुल 60.46[θ] लाख रुपए का परिहार्य व्यय किया गया । यह उत्तरित किया गया (जुलाई 2006) कि होशंगाबाद में अतिरिक्त भंडार उनकी स्वयं की आवश्यकता के लिए था, हरदा में भण्डार,आवंटन के अनुसार उठाव नहीं होने के कारण था तथा इन्दौर में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के लिए खाद्यान्न रोके जाने एवं धार तथा बड़वानी जरूरत मंद जिलों में भण्डारण के लिए स्थान की कमी होने के कारण था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि निगम द्वारा बताया गया कि होशंगाबाद जिले में उपलब्ध भंडार उसकी छः माह की मांग के लिए ही पर्याप्त होता तो उसे जरूरत मंद जिलो को खाद्यान्न के प्रदाय के लिए निर्देशित नहीं किया जाता । यदि हरदा में आवंटन का उठाव नहीं किया गया तो यह तथ्य मुख्यालय की जानकारी में लाया जाना चाहिए था किन्तु अगस्त 2004 तक ऐसा नहीं किया । धार एवं बड़वानी में भण्डारण स्थान की कोई कमी नहीं थी क्योकि वहां पर उपयोग किया गया वास्तविक भण्डारण स्थान आरक्षित स्थान से कम था तथा अप्रैल से नवम्बर 2004 तक राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में कोई आवंटन/उठाव नहीं था।

3.2.5.2 आरक्षित भण्डारण स्थल का कम उपयोग के कारण परिहार्य व्यय

जिलो में माल के प्राप्त न होने /कम प्राप्त होने के कारण आरक्षित भण्डारण स्थान का कम उपयोग हुआ, परिणामस्वरूप 24.32 लाख रुपए की हानि हुई ।

रबी मार्केटिंग सीजन 2005-06 के लिए तैयार रेक वहन योजना जिसे मार्च 2005 में अंतिम रूप दिया गया के अनुसार चार रैक (9200 मैट्रिक टन) गेहूँ होशंगाबाद जिले से उज्जैन को भेजी जानी थी जिसे आगे सड़क मार्ग से परिवहन कर इंदौर जहां से खरगौन,धार,झाबुआ एवं बड़वानी पड़ौसी जिलों के दूसरे केन्द्रों को प्रदाय करने के लिये भेजना था, भेजा गया । इसी तरह नौ रेक (26700 मैट्रिक टन) गेहूँ भिण्ड एवं मुरैना जिलो के मांग की पूर्ति के लिए ग्वालियर को भेजा जाना था । गेहूँ के भण्डारण की प्रत्याशा में इंदौर, भिण्ड, मुरैना एवं शिवपुरी जिलो ने उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयो एवं मुख्यालय से परामर्श कर राज्य/केन्द्रीय भण्डार गृह निगमो में तीन माह की अवधि के लिए क्रमशः 45000 मैट्रिक टन एवं 88980 मैट्रिक टन हेतु स्थान आरक्षित कराया । योजना संशोधित की गई एवं केवल सात रेक (16032 मैट्रिक टन) उज्जैन को भेजा गया (अप्रेल 2005) जिसमें से केवल 3288 मैट्रिक टन इन्दौर और अन्य जिलों को भेजा गया तथा शेष को उज्जैन में ही भण्डारित किया गया । नौ रैक की योजना के विरूद्ध केवल चार रैक (9200 मैट्रिक टन) को ग्वालियर भेजा गया । यह देखा गया कि रेक वहन योजना की तुलना में वास्तविक भेजे गये माल के वेमेंल के कारण इन्दौर जिला एवं ग्वालियर क्षेत्र (भिण्ड,मुरैना एवं शिवपुरी जिले) क्रमशः 10200 मैट्रिक टन और 54800 मैट्रिक टन (उनके स्वयं के उपार्जन सहित) भण्डारण स्थान का उपयोग कर सके थे तथा क्रमशः 34950 मैट्रिक टन एवं 34120 मेंट्रिक टन भण्डारण क्षमता के स्थान को उपयोग नहीं किया गया । परिणामस्वरूप म.प्र. राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा उपयोग न किए गये आरक्षित भण्डारण स्थान के भण्डारण व्यय हेतु 24.32 लाख रुपए का परिहार्य व्यय किया गया । पुछताछ करने पर यह बताया गया (अगस्त 2006) कि सम्पूर्ण आरक्षित स्थान का उपयोग किया गया । उत्तर मानने योग्य

θ 13.50 लाख+16.77 लाख+30.19 लाख = 60.46 लाख

नहीं था क्योंकि जिला कार्यालयों द्वारा आरक्षित भण्डारण स्थान के कम उपयोग की पूर्व में ही पुष्टि की गई थी ।

3.2.5.3 गुणवत्ता नियंत्रण का अननुपालन

मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने क्रेता समितियो के लिए कृषकों से गेंहूँ के उपार्जन के समय किए जाने वाले गुणवत्ता जांच करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया यहाँ तक कि भण्डार गृहो में गेहूँ के जमा किए जाते समय उचित औसत गुणवत्ता मानक को सुनिश्चित करने हेतु जांच कड़ाई से करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया बल्कि प्रत्येक ट्रक (260-300बैग) से 25 प्रतिशत गेहूं का नमूना लेकर केवल आंख से देखकर जांच हेतु निर्दिष्ट किया गया । सभी जिला कायालयों को प्रदाय की गई विश्लेषण किटों से तभी जांच को निर्दिष्ट किया गया, जब आँख से जांच में घटिया गुणवत्ता पायी जावें । जब जमा किए जाने वाला गेहूँ संतोषजनक गुणवत्ता का पाया जावे, तब केवल दो नमूने गोदाम पर रखे जाने थे । यह देखा गया कि इसके लिये कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं था कि प्रत्येक ट्रक से 25 प्रतिशत गेहूँ का आंख से परीक्षण किया तथा दो नमूने गोदाम पर रखे गये । यह बताया गया (जून 2006) कि उपार्जन की अधिकता के कारण केवल आँख से निरीक्षण संभव था और कोई अभिलेख नहीं रखा गया । केवल संदेहास्पद स्थिति में ही नमूना लेकर जांच की जानी थी, किंतु ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई । उत्तर मान्य योग्य नहीं था क्योंकि निर्धारित अनुदेशों का पालन किया जाना था ।

गैर उचित औसत गुणवत्ता के धान का उपार्जन करने के कारण 20.56 लाख रुपए की हानि ।

समतुल्य स्थिति म0प्र0 राज्य विपणन संघ, जो कि धान के उपार्जन के लिए अधिकृत था, में भी देखी गयी थी । यह देखा गया कि खरीफ विपणन काल 200-01 एवं 2001-02 में उपार्जित की गई धान में से क्रमशः पांच टन चावल एवं 528 टन धान मूल्य 35.35 लाख रुपए अवमानक स्तर की दिनांक 31 मार्च 2005 की स्थिति में विपणन संघ के पास थी । उनके द्वारा म0प्र0 शासन से 20.56 लाख रुपए की हानि का दावा किया गया । यदि गुणवत्ता की जांच के मानदण्डो का पालन किया गया होता तो हानि से बचा जा सकता था ।

धान में अधिक सूखत के परिणामस्वरूप 3.87 करोड़ रुपए की हानि ।

आगे यह भी देखा गया कि भारत सरकार द्वारा धान के उपार्जन पर केवल एक प्रतिशत की सूखत की अनुमति दी गई थी । परंतु म0 प्र0 राज्य विपणन संघ द्वारा वर्ष 2000-02 की अवधि में एक प्रतिशत से अधिक सूखत का दावा किया गया । कुल उपार्जित 29147.33 मैट्रिक टन धान पर 291.47 मैट्रिक टन सूखत स्वीकार्य थी, जबकि म.प्र.राज्य विपणन संघ द्वारा 875.29 मैट्रिक टन (3 प्रतिशत) सूखत का दावा किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि 583.82 मैट्रिक टन मूल्य 3.87 करोड़ रुपए अधिक की हानि का दावा किया गया । आगे वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 में सूखत अनुमति योग्य एक प्रतिशत से भी कम रही । इस प्रकार यह स्पष्ट था कि वर्ष 2000-02 में किया गया धान का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं था ।

3.2.5.4 अमितव्ययी संचलन से परिहार्य हानि

20 रैक लम्बे रास्ते से भेजने के परिणामस्वरूप 25.20 लाख रुपए की हानि ।

होशंगाबाद एवं रायसेन जिला कार्यालयो द्वारा क्रमशः 117454 एवं 86632 मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन (मार्च से जून 2005) के दौरान किया गया अंतिम संशोधित रैक वहन योजना (मई 2005) के अनुसार, होशंगाबाद जिले ने दस रैक गेहूँ (24016 मैट्रिक टन) अप्रैल से मई 2005 के मध्य गुना, उज्जैन, बीना, ब्यावरा, सागर, मूरैना और मेंघनगर को इटारसी रैक पाइन्ट से भेजा । इसी प्रकार इसी अवधि (अप्रैल से मई 2005) में रायसेन जिला कार्यालय ने दस रैक गैहूँ (23923 मैट्रिक टन) सतना, कटनी, गोदिया, छिंदवाडा एवं शहडोल को मण्डीदीप रैक पाइण्ट से भेजा । जबकि रैकों का संचलन विपरीत दिशा में मितव्ययी होता क्योंकि दोनो मार्ग दूरी में 69 किलो मीटर कम थे । परिणामस्वरूप म0प्र0 राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा गेहूँ की 20 रैकों के लम्बे मार्ग से परिचालन कर अनुमानित 25.20 लाख रुपए का परिहार्य व्यय किया गया । पूछे जाने पर म0 प्र0 राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने सूचित किया (अगस्त 2006) कि यद्यपि दिये गये प्रारंभिक रैक परिचालन योजना के अनुसार रैकों का सही दिशा में परिचालन किया जाना था, किंतु बाद में उपार्जन की मात्रा, रैकों की उपलब्धता और परिवहन ठेकेदार की तत्परता, उतराई की व्यवस्था इत्यादि कारणों से इसे संशोधित किया गया । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योकिं उपरोक्त रैक परिचालन योजना के संशोधन हेतु दिए गए प्रस्ताव में, उपरोक्त निर्दिष्ट कारणों को शामिल नहीं किया गया था । आगे परिवहन ठेकेदार को निगम की आवश्यकता के अनुसार गेहूँ का परिवहन करना था ।

घुमावदार मार्ग से गेहूँ का परिवहन किए जाने के परिणामस्वरूप 10.53 लाख रुपए की हानि।

होशंगाबाद जिला प्रत्येक रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूँ का उपार्जन बहुतायत में करता है, तथा उसे सड़क/रेलवे रैक से दूसरे जरूरतमंद जिलो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग करने हेतु भेजता है । इटारसी से शाजापुर तक का कम दूरी का रेल मार्ग व्हाया भोपाल-मक्सी-शाजापुर (262 कि. मी.) है । यह देखा गया कि 2344 मैट्रिक टन की एक रैक अप्रैल 2003 में इटारसी से शाजापुर को लम्बे मार्ग व्हाया भोपाल-बीना-गुना-ब्यावरा-शाजापुर (536 कि.मी.) से भेजी गई और भाड़े पर 6.87 लाख रुपए का व्यय करना पड़ा । इसी तरह दो रैक गेहूँ (4678 मैट्रिक टन) मई 2004 में शाजापुर को व्हाया भोपाल-बीना-गुना लम्बे रास्ते से भेजी गयी और 13.71 लाख रुपए का भाड़े पर भुगतान किया गया । इस प्रकार 7022 मैट्रिक टन गेहूँ का परिवहन लम्बे रास्ते से किए जाने के परिणामस्वरूप 2003-05 के मध्य अनुमानित 10.53 लाख रुपए (20.58-10.05 लाख रुपए)[ϕϕϕϕ] का परिहार्य व्यय किया गया । पूछे जाने पर, यह उत्तर दिया गया (जुलाई 2006) कि अवधि अप्रैल 2003 से मई 2004 के मध्य इस प्रकार के भारी परिवहन के परिचालन हेतु कम दूरी का मार्ग उपलब्ध नहीं था, और यदि कम दूरी का मार्ग उपलब्ध होता तो, रेलवे निश्चित ही कम दूरी के मार्ग से रैकों को भेजता । उत्तर

ϕϕϕϕ 7022 मैट्रिक टन x 262 कि.मी. x 0.546 मैटिक टन[#] प्रति कि.मी. = 10.05 लाख रुपए

\# रेलवे रसीद क्रमांक 377523- रुपए 686558/2344 मैट्रिक टन/536 कि.मी. = 0.546 रुपए प्रति कि.मी. प्रति मैट्रिक टन

मान्य नहीं है क्योंकि लघुत्तम दूरी का मार्ग उपलब्ध था, जैसा कि रायसेन जिले द्वारा ब्याबरा को (अप्रैल 2004) उसी मार्ग से रैक भेजा गया था ।

निकटस्थ रैक पाइन्ट का उपयोग न किये जाने के कारण 9.54 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय।

इसी प्रकार होशंगाबाद जिले से जबलपुर एवं उससे आगे गेहूँ का परिवहन करने के लिये रेलमार्ग इटारसी-पिपरिया-जबलपुर है तथा इटारसी एवं पिपरिया दोनो रैक पाइन्ट है । रैक से गेहूँ भेजने के लिए जिला कार्यालय को इटारसी के स्थान पर पिपरिया रैक पाइन्ट को तरजीह देना चाहिए था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2003-06 में 26065 मैट्रिक टन गैहूँ 11 रैक द्वारा पिपरिया रैक पाइन्ट के स्थान पर इटारसी रैक पाइंट से भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा 9.54 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया । जिला कार्यालय द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक समस्याओं एवं मौलिक सुविधाओं के अभाव में पिपरिया रैक पाइंट का उपयोग नहीं किया गया । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि पूर्व में वर्ष 2002-03 में जबलपुर की ओर गेहूँ भेजने के लिऐ इस रैक पाइण्ट का उपयोग किया गया था ।

3.2.5.5 बैंक कमीशन पर परिहार्य व्यय

भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ की कीमत का भुगतान चैक्स के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट से किया गया जिससे बैंक कमीशन के रूप में 48.56 लाख रुपए व्यय।

म0 प्र0 राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न भण्डार का उठाव करता था । भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने सभी आंचलिक/क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयो को निर्देशित किया गया था (दिसम्बर 1993) कि जहां भारतीय खाद्य निगम के बैंक खाते संधारित हैं अपने गोदाम और वहाँ से खाद्यान्न के उठाव के लिये आदेश जारी किये जाते हैं, वहां पर मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के खाद्यान्न की कीमत के लिए चैक स्वीकार करें । इन आदेशों को पालनार्थ पुनरावृत्ति (जुलाई 2003 एवं जनवरी 2004) में की गई । यह देखा गया कि केवल सात जिला कार्यालयों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर और जबलपुर) द्वारा भारतीय खाद्य निगम को चैक द्वारा भुगतान किया जा रहा था, जबकि 45 में से शेष 38 जिला कार्यालयों द्वारा खाद्यान्न की कीमत चैक के स्थान पर डिमांड ड्राफ्ट से जमा की जा रही थी । म0 प्र0 राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम को भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट्स प्राप्त करने के लिए बैंक कमीशन के रूप में अवधि वर्ष 2003-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान 48.56 लाख रुपए का व्यय किया गया । यदि खाद्यान्न की कीमत का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर चैक से किया जाता, तो उक्त व्यय से बचाया जा सकता था । पूछने पर यह बताया गया (जुलाई 2006) कि राज्य में केवल सात जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बैक खाते संधारित किये जा रहे है जहाँ पर भुगतान चैक से किया जा सकता है, शेष 38 जिला कार्यालयों में भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट से करना पड़ता था । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य जिलों में भी बैक खाते संधारित किए जा रहे है ।

3.2.5.6 मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के आर्थिक सहायता दावों में दोहरे मार्जिन की राशि को वापस नहीं करना/समायोजित न करना

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत हितग्राहियो को गेहूँ वितरित करता है । गेहूँ की आवश्यकता दो स्त्रोतों से पूरी की जाती है, उदाहरणार्थ (i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय प्रचालन मूल्य पर भरतीय खाद्य निगम से क्रय करके (ii) विकेन्द्रीय कृत उपार्जन प्रणाली के अंतर्गत किसानों से अनन्तिम आर्थिक लागत मूल्य पर उपार्जित कर (न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रदाय केन्द्र तक किए जाने वाले विभिन्न व्ययो जैसे- कर, उठाने/धरने, भण्डारण, छीजन, परिवहन, ब्याज एवं प्रशासनिक खर्चे जोड़कर) । चूकि दो विभिन्न स्त्रोतों से उपार्जित भण्डार की दो अलग-अलग उपभोक्ता दरें नहीं हो सकती है, अतः विकेन्द्रीयकृत उपार्जन प्रणाली के अंतर्गत उपार्जित भण्डार की अनन्तिम आर्थिक लागत मूल्य को केन्द्रीय प्रचलित मूल्य तक सीमित किया जाता है और अनन्तिम आर्थिक लागत मूल्य एवं केन्द्रीय प्रचलित मूल्य के अंतर को भारत सरकार द्वारा म0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।

दोहरा मार्जिन 68.15 करोड़ रुपए तक संग्रहित हुआ जिसे न तो वापस किया गया और ना ही समायोजित किया गया ।

भारतीय खाद्य निगम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु उपार्जित भण्डारों तथा विकेन्द्रीकृत उपार्जन प्रणाली (डीसीपी) भंण्डार दोनों को उपभोक्ताओं को एक्स-गोदाम दरों, जो कि केन्द्रीय प्रचालन मूल्य में प्रदाय केन्द्र तक किये जाने वाले सभी आकस्मिक खर्चों यथा कर, हम्माली, भण्डारण, छीजन, परिवहन ब्याज और प्रशासनिक खर्चे को जोड़कर निर्धारित की जाती है, पर वितरित किया जाता है ।

चूँकि म0 प्र0 शासन द्वारा भण्डार के एक्स गोदाम निर्गम मूल्य के लिए निर्धारित मार्जिन को पूर्व में ही विकेन्द्रीयकृत उपार्जन प्रणाली के अधीन उपार्जित भण्डार की अनन्तिम आर्थिक मूल्य में शामिल किया जा चुका था और अन्तर की राशि अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही भुगतान की जा चुकी थी अतः मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन गोदाम से उठाकर विक्रय के लिये निर्गम केन्द्र तक होने वाले व्ययों के लिए दोहरा मार्जिन प्राप्त कर रही थी । भारत सरकार के एक दल ने मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाइज कारपोरेशन के अभिलेखो की जांच की एवं निष्कर्ष निकाला कि कुछ निश्चित व्यय जोकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के लिये निर्धारित मार्जिन में परिलक्षित है आर्थिक लागत मूल्य में भी शामिल है, परिणामस्वरूप दोहरे मार्जिन का भुगतान हो रहा था । इस तथ्य को मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा भी स्वीकार किया गया । अधिक और दोहरा मार्जिन 68.15 करोड़ रुपए अवधि 2001-02 से 2005-06 के लिये आकलित किया गया जिसे मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा लेखों में दायित्व में दर्शाया गया । लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2003-06 के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत आर्थिक लागत मूल्य के निर्धारण के प्रस्तावों में इस तथ्य काउल्लेख नहीं किया है तथा अधिक मार्जिन को घटाए बिना अंतिम सहायता को पूरा प्राप्त कर

लिया गया । दोहरे मार्जिन को वापिस नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप प्रावधानिक सहायता का अप्राधिकृत अधिक आहरण किया गया ।

3.2.6 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का वितरण

3.2.6.1 खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण

खाद्यान्नों का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है । आबंटन एवं वितरण की स्थिति नीचे दर्शाए अनुसार थी-

(मात्रा मैट्रिक टन में)

वर्ष	आवंटन			कुल उपलब्ध भंडार (भा. खा. नि.से उठाव+उपार्जन)		वितरित		कम वितरण एवं कम वितरण की प्रतिशतता			
		गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर		गरीबी रेखा से नीचे	
2001-02	गे	138375	763431	6598	499432	6598	472506	131777	95%	263999	35%
	चा	80235	328824	607	142267	1192	144447	79628	99%	186557	56%
2002-03	गें	1923790	944541	27135	737728	28436	725894	1896655	99%	206813	22%
	चा	841728	329759	687	178682	1243	175082	841040	100%	151076	46%
2003-04	गे	2070556	1020397	29526	883612	29526	890163	2041030	99%	136784	13%
	चा	464844	210255	756	165554	1198	160919	464088	99.8%	44701	21%
2004-05	गे	2155068	1128410	21072	1104795	19757	1059216	2135311	99%	23615	2%
	चा	380304	199132	3621	206044	3621	189448	376683	99%	6912	3%
2005-06	गे	1901524	951613	125421	1006195	121908	980099	1807927	95.1%	319735	33.6%
	चा	633848	245900	6946	247970	6191	240023	627109	98.9%	2413	1%

गे-गेहूँ चा-चावल

गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अंतर्गत उठाव बहुत कम था तथा उठाव में कमी 95 से 99 प्रतिशत तक थी । गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत भी उठाव की स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं थी क्योंकि वर्ष 2001-04 के मध्य गेहूँ के मामले में उठाव में कमी 13 से 35 प्रतिशत के बीच थी एवं चावल के मामले में 21 से 56 प्रतिशत थी । जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान यह कमी गेहूँ और चावल के लिए क्रमशः 2 से 3 प्रतिशत की सीमान्त मात्रा तक रही । गरीबी रेखा के ऊपर की श्रेणी में मांग की कमी का कारण यह था कि केन्द्रीय प्रचालन मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य के लगभग बराबर था और अधिकतर हितग्रहियों द्वारा राशन कार्ड का उपयोग खाद्यान्न का आहरण करने के स्थान पर परिचय के उद्देश्य के लिए किया गया । उठाव में आवर्ती गिरावट यह इंगित करता है कि खाद्यान्न के आवंटन का समुचित रूप से आंकलित नहीं किया गया, जिससे नहीं उठाये गये माल पर परिहार्य व्यय को भी आगे वहन करने को प्रशस्त कर रहा है ।

3.2.6.2 वास्तविक आवश्यकता से अधिक राशन कार्डों का जारी किया जाना

भारत सरकार द्वारा एन.एस.एस.ओ. (राष्ट्रीय जनसंख्या सर्वेक्षण संगठन) के अनुमानों के आधार पर 41.25 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी. एल.) जनसंख्या का अनुमान लगाया गया (2000) । बी.पी.एल. परीवारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण वर्ष 1997 के दौरान किया गया । बी.पी. एल. परिवारो में से अत्यंत गरीबों को अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाय.)* के अंतर्ग पृथक से कार्ड जारी किये गये । प्रत्येक वर्ग के लिए जारी किए गए कार्डो का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

तिथि	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	योग
31-12-2001	82,27,591	50,39,771	6,29,476	1,38,96,838
31-12-2002	82,27,591	52,22,194	6,31,620	1,40,81,405
13-02-2004	84,93,041	56,29,083	6,31,620	1,47,53,744
31-01-2005	85,81,916	53,79,586	9,35,106	1,48,96,608
1-6-2006	1,14,58,814	48,74,999	15,50,210	1,78,84,023

आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का लीकेज 54.48 प्रतिशत था ।

म0 प्र0 शासन द्वारा सभी जिलों को जाली राशन कार्डों को प्रचलन से हटाने के लिए निर्देशित किया गया (मई 2006) । मध्य प्रदेश शासन ने ओ. आर.जी. मार्ग एवं पी.ई.ओ. के सर्वेक्षण निष्कर्षो को उद्घृत किया एवं कहा गया कि केन्द्रीय पूल से जारी किये गये सहायित खाद्यान्न का लीकेज अनुमानतः 54.48 प्रतिशत था एवं केवल 45.52 प्रतिशत सहायित खाद्यान्न लक्षित समूह को पहुचता है । वर्तमान में, भारत सरकार 55.78 लाख ए.पी.एल. तथा 27.97 लाख बी.पी. एल. परिवारो के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन कर रही है (दिसम्बर 2005) जबिक 31 दिसम्बर 2005 की स्थिति में 85.81 लाख गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के राशन कार्ड वाले परिवार और 53.79 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के राशन कार्ड वाले परिवार थे । चूँकि गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे दोनों ही श्रेणीयों में वितरित किये गये राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा किये गये आवटन से अधिक थे अतः जाली राशन कार्ड होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, खासतौर पर उस स्थिति में जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने वितरण प्रणाली में लीकेज होना स्वीकार भी किया है । नये राशनकार्डो के वितरण का कार्य मई 2006 में प्रारंभ किया गया, लेकिन म0प्र0 शासन द्वारा आगामी आदेश तक रोक दिया गया (नवम्बर 2006) । यह इस बात का प्रमाण है कि नवीनीकरण प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में जाली राशन कार्ड चलन में है और सहायित खाद्यान्न के लीकेज को सुगम बना रहा है ।

नये राशन कार्डो के वितरण की प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी

3.2.6.3 निर्धारित मान से कम खाद्यान्न का वितरण

बी.पी.एल. परिवारो को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 से 20 किलोग्राम, जुलाई 2001 से 25 किलोग्राम एवं अप्रैल 2002

* *अंत्योदय अन्न योजना, जनसंख्या के अति निर्धन वर्ग में भूख को कम करने तथा मात्रा एवं पोषण दोनों के विषय में, जनसंख्या के इस वर्ग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को अधिक सारभूत बनाने के उद्देश्य से प्रवर्तित की गयी थी (दिसम्बर 2000) ।*

से 35 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति बी.पी. एल. परिवार आवंटन निर्धारित किया गया । लेखापरीक्षा में देखा गया कि भारत सरकार द्वारा जैसा कि ऊपर पैरा में उल्लिखत है राशन कार्डो के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन नहीं दिया जा रहा है जिसके परिणमस्वरूप निर्धारित हकदारी की तुलना में राशन का मान कम होता जा रहा है । यह देखा गया कि खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मान से बहुत कम था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

3.2.6.4 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अनुसार दिन प्रतिदिन के आधार पर प्रचलित निर्गम मूल्य के साथ भण्डार की स्थिति, हितग्राही संख्या, विभिन्न वर्गो के हितग्राहियों को अनुमत्य राशन का मान, खाद्यान्न का नमूना उचित मूल्य की दुकानों पर उनके मालिकों द्वारा प्रदर्शित करना आवश्यक था । लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त आवश्यक जानकारी अधिकतर उचित मूल्य की दुकानों पर प्रदर्शित नहीं की जा रही थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है । आगे नियमित निरीक्षण जैसा आवश्यक था, भी नमूना जांच किये गये जिलों में अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया । जून/जुलाई 2006 के दौरान में विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का एक सघन निरीक्षण किया गया और जिलों[Ψ] में 1047 उचित मूल्य की दुकानों में से 946 उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं के 364 प्रकरण, कमी के आठ प्रकरण एवं अन्य अनियमितताओं के बीस प्रकरण दृष्टि गोचर हुए ।

3.2.6.5 अवितरित खाद्यान्नों का परिवहनकर्ता के पास रह जाना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ओला पीडितों में वितरण के लिये 840 मैट्रिक टन खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड, भोपाल (परिवहनकर्ता) को जारी किया गया (मार्च 2002) । यह देखा गया कि केवल 350 मैट्रिक टन खाद्यान्न ग्राम पंचायतों को वितरित किया गया तथा 24.49 लाख रुपए का 490 मैट्रिक टन खाद्यान्न परिवहनकर्ता के पास अवितरित रहा जिसने न तो खाद्यान्न को लौटाया और ना ही खाद्यान्न का मूल्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के पास जमा किया (जुलाई 2006) । यह बताया गया (नबम्बर 2006) कि परिवहनकर्ता के साथ इस प्रकरण पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

सहायित खाद्यान्न परिवहनकर्ता के पास रहने से हानि रुपए 24.49 लाख

3.2.7 परिवहन

3.2.7.1 परिवहन व्यय के लिए अधिक भुगतान

विभाग ने बेस डिपो से प्रदाय केन्द्र तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए वे दरें ही निर्धारित की थीं जो सितम्बर 2003 तक बी.पी.एल. एवं अंत्योदय अन्न योजना के अधीन मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को देय थीं, किन्तु उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना में अधिक दरें निर्धारित की गयीं, यद्यपि खाद्यान्न का परिवहन उसी स्थान

Ψ बालाघाट एवं धार,

से उसी गंतव्य के लिये किया जाना था । तदनुसार मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया और निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया:

सं. क्र.	अवधि	वस्तु	वितरित मात्रा क्विंटल में	प्रति क्विंटल की दर (रुपए) में		अंतर प्रति क्विंटल (रुपए) में	अधिक भुगतान (लाख रुपए) में
				ए.ए.बाई	बी.पी.एल.		
1.	01/10/2003 से 31/03/2004	गेहूँ	1456110	17.20	17.00	0.20	2.91
2.	01/04/2004 से 31/03/2005	गेहूँ	2747275	17.20	15.34	1.86	51.10
		चावल	584480	16.13	15.34	0.79	4.62
योग							**58.63**

58.63 लाख रुपए का अधिक भुगतान

इस प्रकार विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को 58.63 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया गया । अंत्योदय अन्न् योजना के अतर्गत अधिक दर पर परिवहन प्रभार औचित्यपूर्ण नहीं थे क्योंकि उसी परिवहनकर्ता द्वारा समान माल का समान स्थान से समान दूरी के लिए परिवहन किया गया । विभाग से उत्तर अपेक्षित (नवम्बर 2006) था ।

3.2.7.2 परिवहन प्रभारों के रूप में अनियमित आहरण

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से कार्यस्थल/उचित मूल्य दूकान तक खाद्यान्न के परिवहन की दरों के लिए जारी किये गये आदेशों (फ्रवरी 2002) के अनुसार दो विकल्प थे । उदाहरणार्थ मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन से या तो 75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से परिवहन कराया जाय अथवा यदि कम दर पर परिवहन उपलब्ध हो तब परिवहन का कार्य कम दर पर करवाया जाये । लेखापरीक्षा ने देखा कि जिलों[ט] द्वारा खाद्यान्न का परिवहन कम दर पर कराया गया किंतु इसके लिए निधियों का आहरण 75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया गया और शेष राशि को कोषालय में वापस जमा नहीं करके बैक खातों में जमा कर दिया गया । इस प्रकार 2.17[ט] करोड़ रुपए की निधि मार्च 2006 की स्थिति में संग्रहित हो गई । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कटनी द्वारा आपत्ति स्वीकार की गई (सितम्बर 2006) और कहा गया कि शेष राशि को वर्ष 2006-07 में समायोजित किया जाएगा । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उमरिया ने बताया (जून 2006) कि वर्ष 2005-06 के लिये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की द्वितीय चरण हेतु खाद्यान्न आवंटन के निरस्तीकरण के कारण शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और शेष राशि का उपयोग ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किए जाने के लिए निर्देश प्राप्त किए जा रहे है।

ט मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,उमरिया 1.17 करोड़ रुपए, जिला पंचायत, भोपाल, 0.09 करोड़ रुपए, जिला पंचायत कटनी, 0.54 करोड़ रुपए, जनपद पंचायत बड़वारा (कटनी) 0.07 करोड़ रुपए, जिला पंचायत ग्वालियर 0.30 करोड़ रुपए

3.2.7.3 ग्राम पंचायतो को खाद्यान्न के वितरण में विलंब

खाद्यान्न के वितरण में 3 से 16 माह का विलंब

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत यह मानते हुए खाद्यान्न की विमुक्ति के आदेश जारी किये कि परिवहनकर्ता (राष्ट्रीय उपभोक्ता को-आपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, भोपाल) 15 दिवस के अन्दर खाद्यान्न को कार्यो की क्रियान्वयन अभिकरणों (ग्राम पंचायतों) को प्रदाय कर देगा । अभिलेखो की संवीक्षा में देखा गया कि परिवहनकर्ता द्वारा खाद्यान्न ग्राम पंचायतो कों खाद्यान्न 3 से 16 माह तक के विलम्ब से प्रदाय किया गया । इसके कारण कीड़े मकोड़ो से दूषित होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी होने तथा कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाओ से इन्कार नहीं किया जा सकता । मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर, उमरिया द्वारा 149.38 मैट्रिक टन चावल एवं 133.87 मैट्रिक टन गेहूँ भारतीय खाद्य निगम कटनी से 29 जून 2002 को उठाया गया और एक वर्ष एक माह पश्चात 16 अगस्त 2003 के बाद कार्यकारी अभिकरणों/ग्राम पंचायतो को वितरित करना प्रारंभ किया । परिणामस्वरूप गुणवत्ता में कमी एवं संक्रमण की संभावना को नकारा नहीं जा सकता । मुख्य कार्य पालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर ने बताया (जून 2006) कि कार्य विलंब से स्वीकृत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न के वितरण में विलंब हुआ ।

3.2.8 परिवीक्षण

3.2.8.1 मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में सतर्कता तंत्र

जिला कार्यालयो को प्रदत्त शक्तियोके दुरूपयोग को रोकने एवं नियंत्रण करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा जनरल मैनेजर (प्रशासन) के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में एक निगरानी कक्ष की स्थापना की गयी (मई 2001) और प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार प्रत्येक जिले में जांच हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक जांच सूची जारी की गयी । जिसके अनुसार जिला प्रबधंको को प्रतिमाह उनसे संबंधित जिलों का निरीक्षण करना था और उससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक, को प्रस्तुत करना था जिसे विस्तृत समीक्षा उपरांत उक्त प्रतिवेदन निगरानी कक्ष को अग्रेषित करना था । क्षेत्रीय प्रबंधक को भी तीन माह में एक बार अपने कार्यायल के साथ-साथ जिला कार्यालयो का निरीक्षण भी करना था तथा अपना प्रतिवेदन निगरानी कक्ष को प्रस्तुत करना था । मुख्यालय कार्यालय को अपने प्रबंधन स्तर के अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक जिला कार्यालय की वर्ष में एक बार निरीक्षण की व्यवस्था करनी थी । निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ जनरल मैनेजर (प्रशासन) को प्रस्तुत की जानी थी और संबंधित जिला प्रबंधक से अनुपालन मांगा जाना था । उपरोक्त के अतिरिक्त निगरानी कक्ष को कारपोरेशन की दूसरी शाखाओं, लोकायुक्त, शासन, जनता से प्राप्त शिकायतों से प्राप्त शिकायतों और आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत कमियों पर भी कार्यवाही करनी थी।

यह देखा गया कि वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान क्रमशः 12,10,23 और 26 जिला कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किये गये । आगे वर्ष 2004-06 के दौरान गेहूँ/धान के बड़े उपार्जनकर्ता जिलों जैसे होशगांबाद, हरदा,

भोपाल, सतना रीवा, शहडोल और बालाघाट का निरीक्षण द्वारा समविष्ट नहीं किया गया। रोष्टर निरीक्षण के दौरान इंगित की गई कमियों जैसे कुछ जिलों की पूर्व लेखापरीक्षा नहीं किया जाना अदि का, पालन नहीं किया गया । निरीक्षण अधिकारी जिन्होंने इंदौर और रायसेन जिलों के अभिलेखों का निरीक्षण किया, उनके प्रतिवेदन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि प्रतिवेदन में भण्डारण, वारदाना एवं गेहूँ का रैक से परिवहन पर परिहार्य आर्थिक हानि होने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदू शामिल थे । पाई गई कमियों/अनियमितताओ के संबंध में कर्मचारियों को जारी किये गये कारण बताओ सूचनाओं को एक स्थान पर केंद्रीत कर नहीं रखा गया बल्कि विभिन्न विभागों में रखा गया । इसके अभाव में शुरू किये गये, निस्तारित किये गये एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी निगरानी कक्ष को नहीं थी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य करने की निगरनी उचित मूल्य के दुकान के स्तर पर कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से की जानी थी, किंतु आन लाइन नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित नहीं किया जा सका ।

3.2.9 निष्कर्ष

गेहूँ के वहन एवं भण्डारण प्रबंधन सहित उपार्जन प्रक्रिया की योजना एवं समन्वय दक्षातापूर्ण एवं मितव्ययी नहीं था । चक्करदार मार्गो का उपयोग किया गया और नजदीक रैक प्वाइन्ट का प्रयोग नहीं किया गया । गुणवत्ता जांच के उपायो का कडाई से पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप गैर उचित औसत गुणवत्ता के गेहूँ एवं धान का उपार्जन किया गया । म.प्र.सि.स.का. ने लाभ के दोहरे मार्जिन को न तो वापस किया और ना ही सहायता दावों में समायोजित किया गया । खाद्यान्न आधारित कल्याणकारी योजनाओं में खाद्यान्न का वहन मितव्ययी नहीं था । बी.पी.एल./ए.ए.वाय. परिवारों को चिन्हित करने में कमियाँ थी और आवश्यकता से अधिक राशन कार्डस जारी किये गये । सहायित खाद्यान्न के लीकेज एवं व्यपवर्तन की जानकारी म.प्र. शासन को थी किंतु नवीन राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई । हितग्रहियो को खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मान से कम पाया गया । परिवहन व्यय का अधिक भुगतान किया गया और परिवहन व्यय की राशि का अनियमित रूप से आहरण किया गया तथा कोषालय में वापस करने के स्थान पर बैंक में जमा किया गया । ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न के वितरण में विलम्ब था । सम्यक नियंत्रण नहीं किया गया था और निगरानी तन्त्र प्रभावशाली नहीं था ।

3.2.10 अनुशंसाएँ

- मध्यवर्ती स्थानो पर होने वाले भण्डारण एवं परिवहन व्ययो से बचाव के लिए आवंटन एवं उठाव योजना की नियमित रूप से निगरानी की जाना चाहिए । आगे मितव्ययी मार्ग अपनाया जाना चाहिये एवं नजदीकी रैंक प्वाइन्ट को प्राथमिकता दी जानी चाहियें ।

- बैंक कमीशन के भुगतान से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम को चैकों से भुगतान करने की सुविधा का उपयोग किया जाना चहिए ।

- जाली राशनकार्डों को छांटने के लिये, नये राशन कार्ड जारी करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और एक नियमित आवधिक जाँच प्रणाली विकसित करना चाहिए ।

- निगरानी तन्त्र सुदृढ़ होना चाहिए, और नियमित एवं समय पर निरीक्षण से संबंधित निर्देशों तथा निरीक्षण के परिणामों पर प्राप्त पालन प्रतिवेदनों की सतत एवं नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिये ।

मामला मध्यप्रदेश शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2006) । उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2006) ।

वन विभाग

3.3 प्रोजेक्ट टाइगर एवं इंडिया ईको डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट

विशेषतायें

देश में बाघों की, सफलतापूर्वक जीवित रहने में समर्थ आबादी, को सुनिश्चित करने और ऐसे क्षेत्रों को भावी पीढ़ियों के लाभ, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिये हमारी राष्ट्रीय विरासत के अंश के रुप में सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में, एक केन्द्र प्रवर्तित योजना, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में प्रोजेक्ट को राज्य के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारम्भ किया गया तथा बाद में राज्य के अन्य चार उद्यानों में विस्तारित किया गया । प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिये प्रबन्ध योजनाओं को आधार बनाया जाना था । गतिविधियों की वार्षिक 'योजनायें' भारत सरकार को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिये अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी । बाघों की आबादी पर जैविक दबाव कम करने के लिये टाइगर रिजर्वस के अन्दर रह रहे लोगों का उचित पुनर्स्थापन नहीं किया गया । बाघों की गणना पदचिन्ह (पगमार्कस) को गिन कर की गयी थी जिसे एक पूर्ण त्रुटि रहित विधि मान्य नहीं किया जा सकता है।

टाइगर रिजर्वस द्वारा कार्यान्वयन के पूर्व प्रबन्ध योजनाओं का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया । संक्रियाओं की वार्षिक योजनाओं को भारत सरकार की ओर प्रेषित करने में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप निधियों की विमुक्ति में विलम्ब हुआ । टाइगर रिजर्वस में वार्षिक आवंटनों से अधिक व्यय का व्यापक प्रभाव पाया गया।

(कंडिकाएं 3.3.5.2,3.3.5.4 एवं 3.3.6.5)

टाइगर रिजर्वस द्वारा कक्ष इतिहासों को अद्यतन नहीं किया गया जिसके कारण योजना निर्माण के उद्देश्यों के लिये विश्वसनीय समेकित आँकड़ों की कमी रही।

(कंडिका 3.3.5.5)

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाने के अभिप्राय की घोषणा के लिये जारी प्रारम्भिक अधिसूचना के 23 से 30 वर्षों बाद भी, केवल पेन्च टाइगर रिजर्व को छोड़ कर, टाइगर रिजर्वस की अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी ।

(कंडिका 3.3.7.1)

कोर एरिया से ग्रामों के पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त पाये गये एवं 100 ग्रामों के 5827 परिवारों द्वारा टाइगर रिजर्वस के कोर जोन में जैविक दबाव जारी रखा ।

(कंडिका 3.3.7.3)

शिकार से संघर्ष हेतु प्रभावी उपायों की कमी जैसे बीट निरीक्षण में कमी, अपर्याप्त शस्त्रों एवं बारूद का प्रावधान तथा संचार उपकरणों और अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा के उपाय, के कारण टाइगर रिजर्वस में संरक्षण उपाय निम्न स्तरीय थे ।

(कंडिकाएं 3.3.8.3 से 3.3.8.8)

पन्ना, बान्धवगढ़ और सतपुड़ा रिजर्वस में शाकाहारी पशुओं की आबादी में असामान्य वृद्धि दर पायी गयी जिससे शाकाहारी पशुओं की आबादी के आंकलन की विधि में त्रुटियां चित्रित हुयी । बाघों की गणना के लिये वैज्ञानिक विधियां जैसे, कैमरा ट्रेपिंग, डीएनए विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(कंडिकाएं 3.3.8.10 एवं 3.3.8.11)

3.3.1 प्रस्तावना

देश में बाघों की, सफलतापूर्वक जीवित रहने में समर्थ आबादी को सुनिश्चित करने और जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित रखने के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारम्भ किया गया । प्रोजेक्ट टाइगर की मुख्य गतिविधियों में वन्य जीवन प्रबन्धन संरक्षण उपाय और विशिष्ट ईको विकास गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रोजेक्ट टाइगर संचालनालय के तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता के अधीन प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यान्वयन टाइगर रिजर्वस द्वारा किया जाता है । मध्य प्रदेश में पांच टाइगर रिजर्वस यथा कान्हा, पेन्च, पन्ना, बान्धवगढ़ और सतपुड़ा हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यान्वयन कर रहे हैं ।

ईको विकास के माध्यम से बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखने हेतु विश्व बैंक और ग्लोबल एनवायरमेंन्ट फैसिलिटी की सहायता से एक मार्गदर्शी प्रोजेक्ट इंडिया ईको डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया। प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रों की बायोडायवर्सिटी सुरक्षित रखने के लिये क्षमता सुधार और प्रबन्धन गतिविधियों में स्थानीय भागीदारी की सम्भावनाओं में वृद्धि एवं निर्णय करना, जिससे संरक्षित क्षेत्रों पर स्थानीय लोगों का नकारात्मक प्रभाव कम करना व इसके विपरीत था । यह प्रोजेक्ट राज्य में वर्ष 1997-98 से 2004-05 की अवधि में केवल पेन्च टाइगर रिजर्व में कार्यान्वित किया गया था।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

वन विभाग जिसमें वन्य प्राणी सम्मिलित है, का प्रमुख शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (वन) है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) विभाग के कार्यात्मक प्रमुख है एवं राज्य स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी प्रबन्धन एवं ईको टूरिज्म) और क्षेत्र

स्तर पर टाइगर रिजर्व में क्षेत्र संचालकों एवं उप संचालको द्वारा उनकी सहायता की जाती है । उप वन मंडलीय स्तर पर सहायक संचालकों (वन) तथा परिक्षेत्र स्तर पर परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा उप संचालकों की सहायता की जाती है।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

प्रोजेक्ट टाइगर एवं इंडिया ईको डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह देखना है कि क्या-

- संरक्षण एवं रक्षण के लिये योजना निर्माण पर्याप्त था और टाइगर रिजर्वस के लिये विभिन्न गतिविधियों हेतु प्राथमिकताओं को रखा गया;
- भारत सरकार के द्वारा आवर्ती एवं अनावर्ती व्ययों के लिये वार्षिक योजना के अनुसार निधियॉ स्वीकृत की गयी और केन्द्र/राज्य के अनुदानों का प्रचलित नियमों के अनुसार उपयोग किया गया;
- संरक्षण उपाय प्रभावी थे और योजना के अनुसार पर्याप्त रक्षण उपायों को किया गया एवं प्रभावी थे;
- प्रोजेक्ट के परिवीक्षण एवं मूल्यांकन की प्रणाली थी और प्रभावी थी; तथा
- बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिये प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रों की क्षमता एवं गतिविधियों में स्थानीय भागीदारी में वृद्धि इंडिया ईको डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्राप्त की गयी।

3.3.4 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

प्रोजेक्ट टाइगर एवं इंडिया ईको डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट की निष्पादन लेखापरीक्षा सभी पांच टाइगर रिजर्वस यथा कान्हा, पन्ना, पेन्च, बान्धवगढ़ एवं सतपुडा के 2000-05 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच द्वारा की गयी । वन्य प्राणी प्रबन्धन के विभिन्न विषयों पर अधिक अंतर्दृष्टि के लिये वन विभाग प्राधिकारियों से चर्चाओं के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल के कार्यालय में भी अभिलेखों की जॉच की गयी।

शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ वन्य प्राणी (रक्षण) अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों, वन्य प्राणी (ट्रान्जेक्शन एण्ड टैक्सीडर्मी) नियम 1973, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य योजना (2002-2016) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों एवं नीतियों के संदर्भ में प्रोजेक्ट के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया । समीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणीयों के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के साथ दिनांक 9 नवम्बर 2006 को निकासी सभा सम्पन्न हुयी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.5 टाइगर रिजर्वस के लिए योजना निर्माण

प्रबंध योजनाओं को समय पर और उचित तैयारी सुनिश्चित करने में विफलता

टाइगर रिजर्वस में संरक्षण एवं रक्षण के लिये योजना निर्माण प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने के माध्यम से किया जाता है । भारत के वन्य प्राणी संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के अच्छे प्रबन्ध के लिये एक अच्छी प्रबन्ध योजना एक आवश्यक वस्तु है क्योंकि यह वन्य प्राणी संरक्षण के लिये मूल ढाँचा उपलब्ध कराता है। एक प्रबन्ध योजना प्रबन्ध आवश्यकताओं की पहचान कराती है, प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है और संरक्षित क्षेत्र के भविष्य में प्रबन्धन हेतु दृष्टिकोण का आयोजन करती है । प्रबन्ध योजनाओं का अनुमोदन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), जो राज्य शासन में वन्य प्राणी खण्ड का प्रमुख है, द्वारा किया जाता है । प्रबन्ध योजनाओं का क्रियान्वयन संक्रियाओं की वार्षिक योजना के माध्यम से किया जाता है, और भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को दर्शाता है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया कि प्रबन्ध योजनाओं को समय पर और उचित तैयारी सुनिश्चित करने में राज्य शासन में उच्च प्रबन्धन विफल रहा जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है ।

3.3.5.1 प्रबन्ध योजनाओं को तैयार न किया जाना

बान्धवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रबन्ध योजनाएं नहीं बनाई गई।

यह पाया गया कि बान्धवगढ़ (2003-04) और कान्हा (1999-01) टाइगर रिजर्वस की प्रबन्ध योजनायें तैयार नहीं की गयी थी । उत्तर में टाइगर रिजर्वस द्वारा बताया (अक्टूबर 2006) कि पूर्व वर्षों के लिये बनायी गयी प्रबन्ध योजनाओं को इन अवधियों के लिये बढ़ाया गया था । बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व ने 1993-03 की अवधि के लिये तैयार की गयी प्रबन्ध योजना को 2006 तक बढ़ाया और कान्हा टाइगर रिजर्व ने 1998-99 तक के लिये तैयार की गयी प्रबन्ध योजना को तथ्यों को अद्यतन किये बिना 2001 तक बढ़ाया । उचित प्रबन्ध योजना की अनुपस्थिति में संक्रियाओं की वार्षिक योजना जो कि कार्यान्वयन चरण की अवधि में विकसित की जानी थी, किसी व्यवस्थित मार्ग दर्शन से वंचित रही, जिसे प्रबन्ध योजना से प्राप्त किया जा सकता था जो कि समयबद्ध ढाँचे में प्राथमिकताओं/कार्य नीतियों एवं संक्रिया कार्यक्रमों को दर्शाने के लिये योजना निर्माण एवं मार्गदर्शन दस्तावेज मान्य है ।

3.3.5.2 प्रबन्ध योजनाओं के अनुमोदन प्राप्ति में विलम्ब

प्रबन्ध योजनाओं का कार्यान्वयन के पूर्व अनुमोदन न होना

सभी पांच टाइगर रिजर्वस ने प्रबन्ध योजनाओं का उनके कार्यान्वयन के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया । सतपुडा टाइगर रिजर्व द्वारा 2000-05 अवधि के लिये तैयार प्रबन्ध योजना, इसके कार्यान्वयन की पूर्ण अवधि के लिये बिना अनुमोदन के रही । बचे हुये चारों टाइगर रिजर्वस के लिये प्रबन्ध योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रारम्भ से 9 से 26 माहों का विलम्ब, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन प्राप्त करने में हुआ । प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) ने बताया (नवम्बर 2006) कि चालू प्रबन्ध योजनाओं की समीक्षा करने के साथ उन प्रबन्ध योजनाओं को

जो लगभग समाप्त होने को है, के पुनरीक्षण के लिये एक समिति का गठन किया गया था।

3.3.5.3 प्रबन्ध योजनाओं को उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया

प्रबन्ध योजनायें पुराने आकड़ों पर तैयार की गयी ।

प्रबन्ध योजनाओं की जाँच में प्रकाश में आया कि बहुत प्रकरणों में इनको तैयार करने में उचित ध्यान नहीं दिया गया है । पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा 1997-07 अवधि के लिये तैयार प्रबन्ध योजनाओं को, अवधि 2002-2012 के लिये, तथ्यों को अद्यतन किये बिना अनुमोदन प्राप्त किया गया । अनुमोदित प्रबन्ध योजना केवल 1995-96 के आँकड़ों पर आधारित था । प्रबन्ध योजना को तैयार करने में शिकार, अग्निघटना, वृक्षों की अवैध कटाई आदि की वर्तमान प्रवृत्तियों पर विचार नहीं किया गया था ।

टायगर रिजर्वस की प्रबन्ध योजनाओं में कल्पित गतिविधियों का संक्रियाओं की वार्षिक योजना में रखी गयी गतिविधियों से स्पष्ट सहसंबंध नहीं था । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिये जिन कक्षों की संरक्षण गतिविधियों के लिये पहचान की गयी थी, कार्यान्वयन चरण के दौरान नहीं लिये गये।

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक ने उत्तर में बताया कि प्रबन्ध योजना निर्माण के लिये मई 2006 में एक समिति बनाई गयी है । मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक की अध्यक्षता वाली समिति चालू प्रबन्ध योजनाओं की समीक्षा करेगी और प्रबन्ध योजनाओं की तैयारी का निरीक्षण करेगी।

3.3.5.4 भारत सरकार को संक्रियाओं की वार्षिक योजना प्रेषित करने में विलम्ब

संक्रिया की वार्षिक योजनाओं का विलम्बित प्रस्तुत विवरण

प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रियाओं की वार्षिक योजनायें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और अगले वर्ष के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये पार्क प्रबन्धक को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक संक्रिया की वार्षिक योजनायें प्रस्तुत की जानी चाहिए । भारत सरकार ने आगे राज्य सरकारों को यह उल्लेखित किया कि निधियों की सामयिक विमुक्ति के लिये संक्रियाओं की वार्षिक योजना को कम से कम आगामी वर्ष के अप्रैल के मध्य तक प्रेषित कर देना चाहिए । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 95 प्रतिशत[1] प्रकरणों में संक्रियाओं की वार्षिक योजना अप्रैल माह तक भारत सरकार को प्रेषित नहीं की गयी थी । इसके परिणमस्वरूप भारत सरकार द्वारा निधियों की विमुक्ति में विलम्ब हुआ जिसके कारण प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर टाइगर रिजर्वस द्वारा व्यय का आधिक्य एवं बचत की गयी । टाइगर रिजर्वस द्वारा 2000-05 के दौरान आवंटित राशि का औसतन 21 प्रतिशत वर्ष के अन्तिम माह में व्यय किया गया । कान्हा टाइगर रिजर्व ने 2000-05 के दौरान आवंटित राशि का औसतन 30 प्रतिशत व्यय मार्च माह में किया गया।

[1] 2001-02 अप्रैल (निरंक) मई (कान्हा, बान्धवगढ़, पन्ना) जून (पेन्च, सतपुडा)
2002-03 अप्रैल (पन्ना) मई (कान्हा, पेच, बान्धवगढ़, सतपुडा) जून (निरंक)
2003-04 अप्रैल (निरंक) मई (कान्हा, पेच, बान्धवगढ़, पन्ना सतपुडा) जून (निरंक)
2004-05 अप्रैल (निरंक) मई (कान्हा, पेच, बान्धवगढ़, पन्ना सतपुडा) जून (निरंक)

मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2005 से, जैसा कि भारत सरकार द्वारा चाहा गया है, संक्रियाओं की सभी वार्षिक योजनाएं अप्रैल के अन्त तक भेजी जा चुकी हैं ।

3.3.5.5 कक्ष इतिहासों का अद्यतन नहीं किया जाना परिणामस्वरूप योजना निर्माण उद्देश्यों के लिये विश्वसनीय आकड़ों की कमी

कक्ष इतिहासों को अद्यतन नही किया जाना

एक कक्ष, एक टाइगर रिजर्व के प्रबन्ध की लघुतम इकाई है । भारत के वन्य प्राणी संस्थान देहरादून के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कक्ष का एक वार्षिक अभिलिखित इतिहास होना चाहिए । प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कक्ष इतिहास पूर्ण करने का उत्तरदायित्व संबंधित वनपालों और परिक्षेत्र अधिकारियों का होग ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कक्ष इतिहास बनाने के लिये तथ्य का क्रमबद्ध और नियमित संग्रहण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पांचों टाइगर रिजर्वस में से किसी ने नहीं किया । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 39 कक्ष इतिहासों की नमूना जाँच में 26 कक्ष इतिहासों को 1998 से अद्यतन नहीं किया गया शेष 13 प्रकरणों में अन्तिम अद्यतन की अवधि का उल्लेख नहीं था । उपर्युक्त सुनिश्चित करने में असफलता के परिणामस्वरूप, प्रबन्ध नीतियों को सुनिश्चित करने में विश्वसनीय आंकड़ों की कमी रही।

टाइगर रिजर्वस ने कक्ष इतिहासों को अद्यतन नहीं किया जाना स्वीकार किया गया है।

3.3.6 वित्तीय प्रबन्धन

3.3.6.1 निधियन स्वरूप

प्रोजेक्ट टाइगर दोनों केन्द्र एवं राज्य सरकारों से निधिक है । भारत सरकार, अनावर्ती एवं आवर्ती व्यय के मदों के लिये, टाइगर रिजर्वस को क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती है ।[2] आवर्ती व्यय का राज्य सरकार को अनुरूपयोजी अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत देना होता है।

3.3.6.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

टाइगर रिजर्वस द्वारा बचत एवं अधिक व्यय।

संक्रियाओं की वार्षिक योजना के माध्यम से मांगा गया धन, विमुक्त की गयी राशि और किया गया व्यय निम्न तालिका में दिये गये है:-

[2] अनावर्ती मदों में क्षेत्र रचनाओं के सुधार और जीविका रहने में समर्थ टाइगर की आबादी को बढ़ाने के लिये रहवास के पुनरविष्टन के लिये संरचनात्मक आगत शामिल है । आवर्ती व्यय में रक्षण, जल विकास, वन सड़कों का रखरखाव, पशु चिकित्सा सुविधा और सामान शामिल है ।

2000-05 के दौरान बजट एवं व्यय का विवरण पत्रक

टाइगर रिजर्व का नाम	ए.पी.ओ.में मांगी गयी राशि			बजट आवंटन			विमुक्त की गयी निधि			व्यय			विमुक्त् की गयी निधि के विरूद्ध बचत(-) अधिक्य(+)
	आवर्ती	अनावती	योग	आवर्ती	अनावती	योग	भारत सरकार	राज्य सरकार	योग	आवर्ती	अनावती	योग	
बान्धवगढ़	718.00	1741.41	2459.41	383.54	369.61	753.15	494.97	115.01	609.98	320.97	390.96	711.93	(+) 101.95
कान्हा	1097.75	1372.25	2470.00	892.75	510.69	1403.44	1079.44	454.97	1534.41	874.64	433.93	1308.57	(-) 225.84
पन्ना	544.55	1611.21	2155.76	253.10	1080.64	1333.74	1177.40	96.10	1273.50	274.72	822.01	1096.73	(-) 176.77
पेंच	484.83	1063.04	1547.87	300.28	251.47	551.75	431.28	150.03	581.31	274.78	217.05	491.83	(-) 89.48
सतपुडा	773.14	787.38	1560.52	331.73	316.66	648.39	394.39	60.85	455.24	263.16	188.36	451.52	(-) 3.72
योग	3618.27	6575.29	10193.56	2161.40	2529.07	4690.47	3577.48	876.96	4454.44	2008.27	2052.31	4060.58	(-) 393.86

यह देखा गया कि पाँचो टाइगर रिजर्वस द्वारा संरक्षण एवं रक्षण गतिविधियों को संचालित करने के लिये 2000-05 की अवधि के दौरान रुपये 101.94 करोड़ रुपए की मांग की गयी । भारत सरकार द्वारा मांगी गयी निधियों का केवल 46 प्रतिशत स्वीकृत किया गया । 46.90 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि में से, भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 44.54 करोंड़ रुपए विमुक्त किये और पाँचों टाइगर रिजर्वस द्वारा पाँच वर्षो की सम्पूर्ण अवधि में 3.94 करोड़ रुपए (विमुक्त राशि का 8.84 प्रतिशत) अवव्ययित शेष छोडते हुये 40.61 करोड़ रुपए व्यय किये । बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व ने 2000-05 की अवधि के दौरान कुल आवंटन पर अधिक व्यय (16.71 प्रतिशत) किया । शेष चारों टाइगर रिजर्वस ने 2000-05 के दौरान कुल विमुक्त राशि के 0.82 प्रतिशत से 14.71 प्रतिशत तक की बचतें की।

3.3.6.3 राज्य के अनुरूपयोजी अंशदान में कमी

अनुरुपयोजी अंशदान की कम विमुक्ति

प्रोजेक्ट के निधियनस्वरूप के अनुसार आवर्ती व्यय की राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा बराबर अंशों में भागीदारी की जानी थी । यह देखा गया कि आवर्ती व्यय के लिये भारत सरकार द्वारा विमुक्त 10.04 करोड़ रुपए के विरूद्ध, राज्य शासन ने केवल 8.77 करोड़ रुपए विमुक्त किये । अतः राज्य शासन द्वारा दिया गया अनुरुपयोजी अनुदान जो 1.27 करोंड़ रुपए (13 प्रतिशत) कम पड़ा था, निम्न प्राथमिकताओं का संकेतात्मक था जो कि राज्य शासन ने टाइगर रिजर्वस में संरक्षण एवं रक्षण उपायों के लिये प्रदान किया।

3.3.6.4 वार्षिक आवंटनों पर सतत बचत

बचत के कारण गतिविधियों का पूर्ण न किया जाना

टाइगर रिजर्वस द्वारा 2000-05 के दौरान वार्षिक बजट आवंटन पर बचत के साथ-साथ अधिक व्यय, दोनो किये गये । कान्हा ने 3.31 एवं 29.14 प्रतिशत के मध्य बचत की; पेन्च ने 2000-01 से 2003-04 में 7.31 एवं 35.70 प्रतिशत के मध्य बचत की; और सतपुडा ने 2003-04 एवं 2004-05 में 0.37 एवं 17 प्रतिशत के मध्य बचत की; पन्ना ने दो वर्षो में 16.18 एवं 31.38 प्रतिशत की बचत की; और बान्धवगढ़ ने 2002-03 में 21.70 प्रतिशत की बचत की । टाइगर रिजर्वस द्वारा की गयी बचतों का परिणाम संरक्षण के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण गतिविधियों का अपूर्ण रहना रहा जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है । 2000-05 की अवधि के दौरान सतत बचत के परिणामस्वरूप वायरलैस सेटस ट्रेक्टरों का क्रय, घास क्षेत्र का विकास आदि और गस्ती

शिविरों के लिये पीने के पानी की सुविधा का सृजन के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

3.3.6.5 वार्षिक आवंटन से अधिक अनियमित अधिक व्यय का उच्च भार

टाइगर रिजर्वस द्वारा अधिक व्यय

बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व ने 2000-05 के दौरान पाँच सालों में से चार वर्षो (2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05) में वार्षिक आवंटन से अधिक व्यय किये । बान्धवगढ़ ने 2000-01 में विमुक्त राशि से अधिकतम 86 प्रतिशत 47.13 लाख रुपए अधिक व्यय किये, जबकि वर्ष 2004-05 में 52.67 लाख रुपए (48 प्रतिशत) अधिक व्यय किये गये। वर्ष 2000-01 एवं 2004-05 के अधिक व्यय क्रमशः 47.13 लाख रुपए एवं 52.67 लाख रुपए का नियमन भारत सरकार ने नहीं किया है । पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान क्रमशः 11.27 लाख रुपए, 22.71 लाख रुपए, 9.15 लाख रुपए अधिक व्यय किये गये, जबकि सतपुडा ने वर्ष 2004-05 में 20.47 लाख रुपए अधिक व्यय किये गये।

साख पत्र प्रणाली जैसी बजट नियंत्रण प्रणाली के अभाव ने टाइगर रिजर्वस के अधिक व्यय को सम्भव किया । इस प्रकार की अधिक व्यय की उच्चतम घटना वन विभाग द्वारा वित्तीय प्रबन्धन की सुदृढ़ता के लिये साख पत्र प्रणाली लागू करने के साथ बजट आंकलन प्रक्रिया में सुधार, बचत के साथ-साथ अधिक व्यय पर सामयिक कार्यवाही के लिये तुरन्त कदम उठाने की मांग करती है।

उत्तर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) ने बताया कि गतिशील प्रबन्धन प्रणाली में इस प्रकार के आधिक्य एवं कमी का होना स्वभाविक है, साख पत्र प्रणाली प्रतिबंधित क्षेत्रों के प्रबन्धन में जटिलता एवं बाधायें उत्पन्न करेगी । टाइगर रिजर्वस द्वारा किये गये अधिक व्यय की अत्यधिक घटना के कारण उत्तर मान्य नहीं है । बजट नियंत्रण प्रणाली में साख पत्र प्रणाली का प्रचलन राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग में तथा राजस्थान एवं कर्नाटक राज्य शासन के वन विभागों में भी है।

3.3.6.6 निधियों का विचलन

कम्प्यूटरों का अनियमित क्रय एवं प्रोजेक्ट अलाउन्स का अनियमित भुगतान ।

भारत सरकार द्वारा सतपुडा टाईगर रिजर्व के लिये 25.22 लाख रुपए की लागत पर फायर फाइटिंग स्क्वाड एवं अग्नि रेखाओं के रखरखाव से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन किया (जुलाई 2003) । कार्य की उपरोक्त मदों के विरूद्ध रिजर्व अधिकारियों द्वारा 8 कम्पयुटरों का अनियमित क्रय (अक्टूबंर 03) 3.46 लाख रुपए की लागत पर निधियों के विचलन हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये बिना किया गया।

टायगर रिजर्वस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मुश्किलों एवं कठिनाइयों को समझते हुए भारत सरकार द्वारा (जून 1999) शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रोजेक्ट अलाउन्स स्वीकृत किया गया जो केवल फील्ड स्टाफ को देय मान्य था किन्तु पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा 2002-03 से 2004-05 के दौरान क्षेत्र संचालनालय के कार्यालयों में संलग्न स्टाफ को प्रोजेक्ट अलाउन्स के भुगतान हेतु नियत 2.64 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनियमित रुप से उपयोग किया गया । अन्य किसी क्षेत्र के संचालनालय में अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में इस तरह के विचलन नहीं पाये गये ।

3.3.7 संरक्षण उपाय

3.3.7.1 टाइगर रिजर्व का अधिसूचित न होना

अन्तिम अधिसूचना का जारी न होना ।

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अनुसार राज्य शासन किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित करता है । अधिसूचना, सुरक्षा विनिश्चय के लिये वैधानिक आधार प्रदान करता है किन्तु कान्हा, पन्ना, बान्धवगढ़ एवं सतपुडा टाइगर रिजर्व के संबंध में राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मंशा की घोषणा की प्राथमिक अधिसूचना के 23 से 30 वर्ष बाद भी अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की गई । यह देखा गया कि आन्तरक क्षेत्र (कोर) में निवासी परिवारों के पुनः स्थापन हेतु भूमि अधिग्रहण या तो शुरू ही नहीं किया गया या, पूर्ण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की गयी । भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में विलम्ब के परिणामों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

3.3.7.2 बफर जोन का निर्माण न होना

बफर जोन सृजित न किया जाना

प्रबंधन के उद्देश्य से प्रत्येक टाइगर रिजर्व दो भागों, आन्तरक (कोर) एवं बफर में बांटा गया है । आन्तरक क्षेत्र में वानिकी कार्य, वनोपज संग्रहण, चराई, मानवीय निवास एवं अन्य मानवीय अशान्ति प्रतिबंधित है । बफर जोन, टाइगर रिजर्व प्रबन्धन का आवश्यक घटक है क्योंकि यह आन्तरिक क्षेत्र से वन्य प्राणियों की आबादी के फैलाव को सुरक्षा तथा अतिरिक्त प्राकृतिक वास उपलब्ध कराता है ।

यह पाया गया कि टाइगर रिजर्व प्रबन्धन की आधारभूत "आन्तरक-बफर" योजना के विरूद्ध बफर जोन की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना पन्ना टाइगर रिजर्व निर्मित किया गया था । पेन्च एवं बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रकरण में भी बफर जोनस का एकीकृत नियंत्रण संबंधित क्षेत्र संचालकों के अधीन नहीं था । बान्धवगढ़ के 87 प्रतिशत एवं पेन्च के 75 प्रतिशत बाह्य क्षेत्र अर्थात क्रमशः 467 एवं 347 वर्ग कि.मी.क्षेत्र, भारत सरकार के निर्देशों, जिसमें यह कहा गया था कि भूमि चिन्हित बफर क्षेत्र का पूरा नियंत्रण क्षेत्र संचालकों के अधीन रखा जाना चाहिये, के विरूद्ध था।

3.3.7.3 आन्तरक क्षेत्र में निवासी परिवारों का पुनःस्थापन

आन्तरक क्षेत्र में ग्रामों का अस्तित्व

टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र को पुनर्जीवित करने और टाइगर की आबादी में वृद्धि के लिये अनुकूल पर्यावरण के सृजन हेतु क्षेत्र से मानव का पुनःस्थापन अनिवार्य है । अतः टाइगर रिजर्व की सफलता के लिए वहां के निवासियों का पुनःस्थापन महत्वपूर्ण है । लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पाँच टाइगर रिजर्व के आन्तरक क्षेत्र में कुल 100 ग्रामों के 5827 परिवारों का होना पाया गया । टाइगर रिजर्वस की परिवारों के पुनःस्थापन में अप्रभावी कदम दर्शाने वाली बहुत कमियां पायी गयी जिनकी आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.3.7.4 बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 1993-94, जब से कि यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 6 ग्रामों के 370 परिवारों में से एक भी परिवार का पुनः स्थापन नहीं कियाजा सका । बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष

1989-90 में विमुक्त 21.79 लाख रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 1987-89, में उपलब्ध कराये गये 6.63 लाख रुपए का उपयोग करने में विफल रहा तथा राशियां विगत 15 वर्षों से जमा खातों में पड़ी हुई हैं । उद्यान प्राधिकारियों द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2006) कि भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ हो चुका है, तथा एक ग्राम का पुनः स्थापन प्रगति पर है और पूर्व के सिविल डिपाजिट में जमा राशि का उपयोग उचित समय पर किया जावेगा।

3.3.7.5 पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 1994-95 वह वर्ष जबसे कि यह टाइगर रिजर्व घोषित हुआ 13 ग्रामों के 1047 परिवारों में से केवल 159 परिवारों का पुनः स्थापन भारत सरकार द्वारा विमुक्त 3.03 करोड़ रुपए की लागत पर किया जा सका । यह भारत सरकार द्वारा आठ ग्रामों के 584 परिवारों के स्वत्वाधिकारों को निपटारे के लिए वर्ष 2003-04 में विमुक्त राशि 79.41 लाख रुपए का उपयोग नहीं कर सका । तब से ही राशि बैंक में जमा पड़ी है । उत्तर में ग्रामों के पुनः स्थापना में विलम्ब को स्वीकार करते हुए उद्यान प्राधिकारियों द्वारा बताया गया कि आठ ग्रामों के पुनः स्थापना का कार्य प्रगति पर है जो एक वर्ष के अन्दर पूर्ण होने की उम्मीद है । पांच ग्रामों के पुनः स्थापना का कार्य अनुमोदन पश्चात एवं भारत सरकार से पर्याप्त निधि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

3.3.7.6 सतपुडा टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 1999-2000 वह वर्ष जबसे यह टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, से अबतक 63 ग्रामों (3191 परिवारों) में से मात्र एक ही ग्राम का पुनः स्थापन कर सका । उत्तर में बताया (अक्टूबर 2006) गया कि तीन ग्रामों के पुनः स्थापन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और सात ग्रामों के प्रस्ताव भेजे गये हैं, और शेष 53 ग्रामों के पुनः स्थापन के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना नहीं पाया गया।

3.3.7.7 कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 1974-75 से 1997-98 तक 45 ग्रामों में से 27 का सफलता पूर्वक पुनः स्थापन किया गया किन्तु फिर भी शेष 18 ग्रामों के 1378 परिवारों के पुनः स्थापन के लिये कोई विस्तृत योजना अभी तक तैयार नहीं की गयी थी।

पेन्च के अतिरिक्त शेष चार टाइगर रिजर्व में आन्तरक क्षेत्रों को मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने के आधारभूत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी । आन्तरक क्षेत्रों में ग्रामों के अस्तिव के परिणामस्वरूप 2000-05 के दौरान मानव-वन्य प्राणी संघर्ष में 16 मानव मृत्यु एवं 182 मानव घायल होने के साथ 3971 पशु मृत हुये । वर्ष 2000-05 की अवधि में मृत्यु एवं हानियों के लिये क्षतिपूर्ति 70.20 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

उत्तर में मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक द्वारा बताया (अक्टूबर 2006) गया कि अधिकारों एवं सम्पति के अधिग्रहण के साथ राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के 82 ग्रामों के 6000 परिवारों के पुनः स्थापन एवं पुनर्वास पर 598.16 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है । चूँकि इस प्रकार के संसाधन तुरन्त उपलब्ध नहीं है, केन्द्र सरकार से अधिकारों, परिसम्पतियों के अधिग्रहण एवं ग्रामों के पुनः स्थापन के लिए XI योजना में अलग से योजना प्रारम्भ करने के लिये निवेदन किया गया है।

3.3.7.8 अन्य गतिविधियों से जैविक दबाव

आन्तरक क्षेत्रों में अतिक्रमण ।

लेखापरीक्षा में पाया कि कान्हा के बफर क्षेत्र में 220 हेक्टेअर भूमि के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए अतिक्रमण के (कृषि गतिविधि से संबंधित) 50 प्रकरण थे । सतपुडा में 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण के 8 प्रकरण (वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित 6 प्रकरण एवं धार्मिक गतिविधि से संबंधित 2 प्रकरण) थे।

3.3.7.9 सतपुडा, पन्ना एवं बाधवगढ़ रिजर्वस में 15 पूजा स्थल (सतपुडा-4, पन्ना-8 तथा बांधवगढ़-3) थे । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चार पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की वार्षिक संख्या चार से छः लाख तक पायी गयी।

पशुओं के टीकाकरण में कमी ।

3.3.7.10 पांच टाइगर रिजवर्स की 1.4 लाख अनुमानित शाकाहारी वन्य प्राणियों की आबादी के लिए उपलब्ध संसाधनों पर 2.8 पशुओं की आबादी का निरन्तर जैविक दबाव जारी रहा जिससे संक्रामक बीमारी जैसे पैर एवं मुख की बीमारी फैलने की संभावना कान्हा और बांधवगढ़ में विद्यमान थी क्योंकि कान्हा में मात्र 39 प्रतिशत (2004-05) एवं बांधवगढ़ में 24 प्रतिशत टीकाकरण (2003-04 के दौरान) हुआ । तीन अन्य रिजर्वस में तथापि टीकाकरण किया गया था । कान्हा एवं बांधवगढ़ के प्रधिकारियों ने बताया कि पशु टीकाकरण के कम प्रतिशत का कारण अन्धविश्वासी ग्रामीणों द्वारा प्रतिरोध किया जाना था ।

3.3.7.11 खरपतवार उन्मूलन, चारागाहों एवं जलस्त्रोतों का प्रबन्धन

संरक्षण प्रयासों के लिए प्राथमिकताओं में कमी ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-05 के लिए समस्त पांच टाइगर रिजर्व के लिए खरपतवार उन्मूलन, जलस्त्रोत, एवं चारागाह प्रबन्धन के लिए निधियों की मांग का क्रमशः 28 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, एवं 52 प्रतिशत स्वीकृत किये गये । लेखापरीक्षा में नमूना जाँच में पाया गया कि संरक्षण प्रयासों में निम्न प्राथमिकता प्रदान की गयी, साथ ही संरक्षण प्रयासों में चिन्हित महत्वपूर्ण घटनाओं से पिछड़ना पड़ा । संरक्षण प्रयासों में कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है ।

3.3.7.12 पन्ना टाइगर रिजर्व में 2002-05 में 1400 हेक्टेयर खरपतवार प्रभावित क्षेत्र उन्मूलन हेतु चिन्हित किया गया था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि उसमें से मात्र 472 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र को ही उपचारित किया गया । पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 2000-05 में खरपतवार प्रभावित 2110 हेक्टेयर क्षेत्र उपचार हेतु चिन्हित किया गया था। चिन्हित क्षेत्र का लगभग 1213 हेक्टेयर (51 प्रतिशत) क्षेत्र वर्ष 2005 के अंत तक अनुपचारित रहा । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने 5200 हेक्टेयर खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों के होते हुए भी 2003-05 अवधि में कोई राशि मांग नहीं की गई ।

3.3.8 बाघ और वन्य जीवन का संरक्षण

3.3.8.1 बाघों का शिकार एवं मृत्यु

पाचों टाइगर रिजर्व से उपलब्ध आंकडों के अनुसार 2000-05 में 19 बाघों (10 नर, 1 मादा, 8 शावक) की मृत्यु में से दो की शिकार के कारण हुई थी । शेष में से, छह की प्राकृतिक कारणों तथा 11 की आपसी संघर्ष से हुई । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2000-

05 के दौरान बाघ मृत्यु का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ । वन्य प्राणियों के शिकार के कुल 103 प्रकरण 2000-05 के दौरान पंजीबद्ध हुये ।

3.3.8.2 शिकार के दो प्रकरणों में से पन्ना टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर्ड एक शेरनी को पहचाना (दिसम्बर 2002) गया । संयुक्त संचालक प्रोजेक्ट टाइगर जिसने पन्ना टाइगर रिजर्व का दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर 2002 को दौरा किया के प्रतिवेदन में, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण में गंभीर कमियाँ इंगित की गयी । इसमें व्यापक संरक्षण योजना की कमी गुप्त सूचना तंत्र की कमी ग्राम अपराध डोसियर संधारण प्रणाली की कमी पैट्रोलिंग कैम्प प्रणाली के स्थान पर सुरक्षा एवं विकास का ध्यान रखने के लिये परम्परागत एक बीट गार्ड पद्धति का होना, स्वीकृत पदों से बीट गार्डो की कमी गांवों की उपस्थिति के कारण जैविक दबाव और अनुसंधानकर्ताओं जो बाघों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते है, मध्य उद्यान प्राधिकारियों से संवाद अन्तराल होना शामिल थे । पन्ना रिजर्व प्राधिकारियों ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2006) कि वर्ष 2006 में पैट्रोलिंग हेतु भूत पूर्व सैनिकों की 6 इकाईयों को नियोजित किया गया है । बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकार का एक अन्य प्रकरण दर्ज हुआ था । शिकारियों द्वारा विद्युत करेन्ट से बाघ को मारा गया था (नवम्बर 2001) ।

3.3.8.3 अपर्याप्त वीट निरीक्षण

वीट निरीक्षण में कमी ।

संचालन के उद्देश्य से टाइगर रिजर्वस परिक्षेत्रों, वृत्तों तथा वीटों में बांटे गये है, प्रत्येक परिक्षेत्र, वृत्त एवं बीट में क्रमशः परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल, तथा वन रक्षक मुखिया होते हैं । रिजर्वस में वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीट गार्ड द्वारा पैट्रोलिंग तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आवश्यक है । अग्नि, शिकार, अवैध काष्ठ कटाई और चराई के कारण रहवास पर होने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने हेतु राज्य शासन द्वारा रोस्टर के अनुसार विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले बीट निरीक्षण के लिये मासिक लक्ष्यों को निर्धारत किया (अक्टूबर 1995) ।

3.3.8.4 टाइगर रिजर्व प्रबन्धन ने परिक्षेत्र अधिकारियों तथा परिक्षेत्र सहायकों द्वारा बीटों का प्रभावी एवं नियमित निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया । बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2000 - 05 के दौरान परिक्षेत्र अधिकारी एवं परिक्षेत्र सहायक स्तर पर 79 प्रतिशत की औसत कमी बीट निरीक्षण में थी । कान्हा के बफर क्षेत्र में औसत कमी 41 प्रतिशत और सतपुड़ा के लिये 26 प्रतिशत की कमी थी । पन्ना एवं पेच रिजर्वस के परिक्षेत्र अधिकारियों एवं परिक्षेत्र सहायकों द्वारा भी नियमित बीट निरीक्षण नहीं किये गये । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 2000,2001 एवं 2004 के बीट निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जाना नहीं पाया गया ।

3.3.8.5 अपर्याप्त अस्त्र-- शस्त्र की उपलब्धता

अपर्याप्त अस्त्र -शस्त्र ।

शिकार एवं अवैध व्यापार के लिये प्रभावी संघर्ष के लिए वन अमले को परिष्कृत अस्त्र-शस्त्रों एवं अन्य उपकरणों से सशस्त्र होने की आवश्यकता है । यह पाया गया कि समस्त पांच टाइगर रिजर्व के 5021 वर्ग कि.मी.वन भूमि के 426 बीटों की सुरक्षा में मात्र 85 शस्त्र उपलब्ध थे और बाधवगढ़ में छः बन्दूकों में से चार सितम्बर 2004 से अकार्यकारी पड़े थे । सतपुडा टाइगर रिजर्व बन्दूकों के प्राधिकारियों के पास विशाल क्षेत्र

1428 वर्ग कि.मी. की सुरक्षा के लिये मात्र एक बन्दूक उपलब्ध थी, सतपुड़ा रिजर्व में कोई कारतूस भी उपलब्ध नहीं थे ।

3.3.8.6 अस्त्र-शस्त्रों की उपलब्धता के अतिरिक्त उनके उपयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य आयोजना(2002-2016) अनुसार राज्य के क्षेत्र संचालक से लेकर वन रक्षक तक समस्त स्तर के कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए । लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी टाइगर रिजर्व द्वारा नियमित/आवधिक रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया गया ।

3.3.8.7 अपर्याप्त संचार नेटवर्क

संचार युक्तियों में कमी

एक अच्छा संचार नेटवर्क, अग्नि, अवैध कटाई; चराई, अतिक्रमण,एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरूद्ध सामयिक कार्यवाही का समुचित साधन है । यह पाया गया कि पांच टाइगर रिजर्व में 1122 संचार उपकरणों की आवश्यकता के विरूद्ध 971 उपकरण उपलब्ध थे, परिणामतः 13 प्रतिशत** की कमी रही । बाधवगढ़ और पेंच में भी में क्रमशः 35 (18 प्रतिशत) एवं 23(16 प्रतिशत) वायरलैस उपकरण अकार्यकारी पाये गये।

3.3.8.8 अग्नि प्रकरणों की अधिक संख्या

अग्नि घटनाओं में असामान्य वृद्धि ।

वन अग्नि से मूल्यवान वनस्पति/जीव जन्तु नष्ट होते हैं और ईको प्रणाली को गंभीर नुकसान होता है । लेखापरीक्षा में पाया गया कि, सतपुड़ा, कान्हा एवं पन्ना रिजर्व में क्रमशः 2870,1542 एवं 1269 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र अग्नि प्रभावित हुए । वर्ष 2003-04 में कान्हा में 31 से 102 एवं बाधवगढ़ में 4 से 40 असामान्य रूप से अग्नि प्रकरणों में वृद्धि हुई । रिजर्वस में अग्नि से निपटने में समर्थता पर्याप्त नहीं थी क्योंकि अग्नि बुझाने के लिये श्रमिकों से अग्नि पीटने का केवल तंत्र उपयोग किया था और मजदूरी के रूप में रुपए 4.41 करोड़ रुपए वर्ष 2000-05 व्यय किये गये । किसी भी टाइगर रिजर्व द्वारा उक्त अवधि में फायर फाइटिंग उपकरण क्रय नहीं किये गये ।

**

	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	कमी (प्रतिशत में)
कान्हा	376	312	64	17%
पन्ना	124	98	26	21%
पेंच	149	126	23	15%
सतपुड़ा	269	212	57	21%
बाधवगढ़	204	223	--	--
	1122	971		13%

3.3.8.9 वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का लंबित होना

लंबित न्यायालयीन प्रकरण

वन्य प्राणियों का शिकार एवं अवैध व्यापार वन्य जीवन के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है और प्रभावी नियंत्रण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपनी अगस्त 1994 के प्रतिवेदन में न्यायालय में लंबित वन्य जीवन अपराध प्रकरणों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे कि अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को वन्य प्राणी से संबंधित अभियोजन प्रकरणों के पर्याप्त व्यवसायिक निपुणता प्रदान की जाये । इसके अतिरिक्त यद्यपि राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य आयोजना 2002-2016 एवं सुब्रमनियम समिति द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रकरणों के दृष्टिगति से निपटाने के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के निर्देश थे, राज्य में इस तरह की कोई अदालत स्थापित नहीं की गई ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली (अगस्त 2000) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को दिये गये हलफनामें के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पुलिस स्टेशन की तरह फोरेस्ट स्टेशन, प्रादेशिक सशस्त्र दल की तरह फोर्स के गठन की सहमति जताई गई । अभिलेखों के समीक्षा में देखा गया कि फारेस्ट स्टेशन या स्ट्राइक फोर्सेस की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किये गये ।

3.3.8.10 शाकाहारी वन्य प्राणियों की जीवसंख्या के अनुमान में विसंगतियां

शाकाहारी वन्य प्राणियों में असामान्य वृद्धि ।

लेखापरीक्षा जांच में पन्ना टाइगर रिजर्व के शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में असामान्य वृद्धि दर पायी गयी जो कि वर्ष 2000-2005 में 258 से 318 प्रतिशत तक थी । बान्धवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्ष 2000-03 में यह वृद्धि 53 प्रतिशत पंजीबद्ध हुयी एवं इसके पश्चात 2003-04 में 40 प्रतिशत कमी हुई । इसी तरह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की संख्या वर्ष 2000-01 में 11 945 से घटकर वर्ष 2003-04 में 6,143 रह गई; पुन यह वर्ष 2004-05 में बढ़कर 9450 (54 प्रतिशत) हो गई । तीनों रिजर्वस में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है: -

वर्ष	बान्धवगढ़	सतपुड़ा	पन्ना
2000-01	29,801	11,945	7,199
2001-02	45,087	8,235	27,901
2002-03	45,087	7,976	30,161
2003-04	27,187	6,143	28,700
2004-05	29,272	9,450	25,829

गणना की पद्धति में बदलाव, जैसे कि सीधी गणना के स्थान पर पैलेट गणना एवं लाइन ट्रान्जेक्ट (पन्ना में) एवं पैलेट गणना के स्थान पर ब्लाक गणना एवं लाइन ट्रान्जेक्ट पद्धति (सतपुड़ा में) को शाकाहारी पशुओं की आबादी में आसामान्य वृद्धि का कारण बतलाया गया है

शाकाहारी पशुओं की आबादी अनुमान में भिन्नताओं के दृष्टिगत अनुमान प्रक्रिया को करने में सुधार की तुरन्त आवश्यकता है ।

मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि डब्ल्यू.आई.आई. देहरादून की मदद से अनुमान प्रक्रिया में सुधार करने एवं सभी संरक्षित क्षेत्रों में एक ही अनुमान पद्धति लागू करने के प्रयास किये जा रहे थे ।

3.3.8.11 बाघों की गणना पद्धति में कमियां

यह पाया गया कि प्रारंभ से ही बाघों की संख्या का अनुमान कांच पर पदचिन्ह उतारने एंव प्लास्टर सांचा पद्धति से किया जाता रहा है जिसे विशेषज्ञों द्वारा एक पूर्ण त्रुटिरहित पद्धति मान्य नहीं किया है । अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों यथा कैमराबद्ध करना, डी.एन.ए विश्लेषण आदि का प्रयोग नहीं किया गया । साथ ही प्रतिवर्ष एकत्रित किये गये पदचिन्हों का परस्पर मिलान नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि रिजर्व में उन्हीं बाघों का रहना जारी था अथवा चले गये थे ।

3.3.9 इंडिया इको डेवलेपमेंन्ट प्रोजेक्ट

3.3.9.1 निधियन स्वरूप

परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में किया गया था । संरक्षित क्षेत्रों हेतु सभी निधियों का हस्तान्तरण राज्य सरकार के माध्यम से किया गया था । संरक्षित क्षेत्रों हेतु तैयार वार्षिक कार्य योजना(ए.पी.ओ.) की प्राप्ति पर भारत सरकार द्वारा निधियाँ विमुक्त की गयी थी । कर्मचारियों के वेतन जैसे आवर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार को करना था । परियोजना लाभान्वितों द्वारा ग्राम विकास निधि स्थापना हेतु (25 प्रतिशत) योगदान किया जाना था ।

3.3.9.2 स्त्रोंतों एवं निधियों का उपयोग

पेंच टाइगर रिजर्व के स्त्रोंतों एवं निधियों के उपयोग एवं बचत का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

(लाख रुपए में)

वर्ष	ए.पी.ओ.के. अनुसार आवश्यक राशि	प्रदाय की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि	प्रदाय की गई केन्द्रीय सहायता पुर्ननवीनी करण सहित कुल राशि	कर्मचारियों का वेतन एवं ग्राम विकास योगदान को छोड़कर व्यय	बचत(-) आधिक्य (+)
2000-01	1138.53	952.80	617.65	461.84	(-) 155.81
2001-02	1458.00	800.00	800.00	477.21	(-) 322.79
2002-03	1019.00	862.00	862.00	634.22	(-) 227.78
2003-04	513.35	423.21	478.70	478.70	-
2004-05	213.77	170.00	65.45	67.22	(-) 1.77
योग	**4342.65**	**3208.01**	**2823.80**	**2119.19**	**(-) 704.61**

3.3.9.3 आई.ई.डी.पी. के अन्तर्गत इको डेवलपमेंन्ट

परिस्थितिकी विकास, टाइगर रिजर्व डेवलपमेंन्ट का एक अभिन्न अंग है । इसकी गतिविधियों के माध्यम से बाघों के हितों को उन व्यक्तियों की जरूरतों के साथ जोड़ा जा सकता है, जो रहवास का बाघों के साथ मिलकर उपयोग करते है । बाह्य स्त्रोतों द्वारा निधिक इंडिया ईको डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट पेंच टाइगर रिजर्व में परिस्थितिकी विकास हेतु संचालित किया गया था । लेखापरीक्षा में पाया कि योजना निर्माण में कमी और अप्रभावी अमल का परिणाम परिहार्य एवं निष्फल व्यय हुआ और बहुत प्रकरणों में लक्षित समूहों को लाभ नहीं मिल सका ।

3.3.9.4 सूक्ष्म योजनाओं में कमियां

आई.ई.डी.पी.के कर्मचारी मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार यह आवश्यक था कि योजना के ग्रामीण परिस्थितिकी विकास घटक के तहत विभिन्न कार्यो जैसे कुओं, तालाबों, बांध, जैविक गैस संयंत्र, रोजगार के वैकल्पिक साधनों के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म योजनाएं पारस्परिक सहयोग से तैयार की जाएं । लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2000-01 में 34 ईको विकास समितियों द्वारा 44.69 लाख रुपए का व्यय उन गतिविधियों पर किया गया जो सूक्ष्म योजनाओं में शामिल 71.54 लाख रुपए की गतिविधियों पर कोई कार्य नहीं किया गया । वर्ष 2001-2005 के दौरान इन 34 ईको विकास समितियों द्वारा 221.72 लाख रुपए का व्यय बिना सूक्ष्म योजना तैयार किये हुए किया गया जिससे स्थानीय समुदाय को शामिल कर सूक्ष्म योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने का उद्देश्य असफल हुआ । प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा अक्टूबर 2006 में बताया गया कि नवीन आवश्यकताओं के आधार पर सूक्ष्म योजना के कुछ कार्यो को नहीं किया गया कि चूकिं आई.ई.डी.पी. के कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, अतः बढ़ी हुई अवधि के लिए पृथक से सूक्ष्म योजना बनाना आवश्यक नहीं था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आई.ई.डी.पी.की आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया ।

3.3.9.5 ऊर्जा संरक्षण उपायों का अपूर्ण विस्तार

टाइगर रिजर्व पर से जलाऊ लकड़ी का दबाव कम करने हेतु पेंच टाइगर रिजर्व अधिकारियों द्वारा यह तक किया गया कि जलाऊ लकड़ी के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कमी लाई जाए । इस को वर्ष 2000-05 तक 5100 परिवारों के लिये जैविक गैस संयंत्र स्थापित कर प्राप्त किया जाना था । लक्षित 5100 परिवारों के विरुद्ध केवल 1288 परिवारों (लक्ष्य का 25 प्रतिशत) के लिये ही जैविक गैस संयंत्र स्थापित किये जा सके । मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक ने जबाव (अक्टूबर 2006) में बताया कि क्रियान्वयन के समय उद्यान अधिकारियों के ध्यान में यह बात प्रकाश में आई कि केवल कुछ ही परिवार जैविक गैस इकाई का समर्थन कर सकते थे । स्पष्ट है कि परियोजना हेतु भावी स्थिति वास्तविक आंकड़ो पर आधारित नहीं थी।

3.3.9.6 ब्याज मुक्त कर्ज की वसूली न किया जाना

पेंच रिजर्व प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2000-2005 के मध्य ईको विकास समितियों के 142 भूमिहीन सदस्यों को 26.03 लाख रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज दिये गये । ये कर्ज ग्रामीण

ईको विकास निधि से दिये गये, जिसका सृजन ग्रामीणों के अंशदान (25 प्रतिशत) एवं भारत सरकार द्वारा अनुरुपयोगी अंशदान (75 प्रतिशत) से किया गया था । कर्जो की वापसी सुलभ मासिक किश्तों में की जानी थी । लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2005 तक 26 लाख रुपए में से केवल 2 लाख रुपए की वसूली हो पायी । 24.00 लाख रुपए की वसूली नहीं होने से ईको विकास समितियों को उस अतिरिक्त निवेश के अवसरों से वंचित होना पड़ा जो परियोजना में समाहित थे ।

3.3.9.7 पशुचिकित्सा प्रयोगशालाओं के निर्माण पर निष्फल व्यय

प्रयोगशाला स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ ।

पेंच रिजर्व प्रबंधन द्वारा क्षेत्र से पशुचिकित्सा प्रयोगशाला के उपयोग हेतु 18.35 लाख रुपए का व्यय (1998-2003) तीन भवनों के निर्माण पर किया गया, रुपए 4.00 लाख(2000-03) के उपकरणों जैसे फीजर, जेनरेटर इत्यादि का क्रय भी किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन भवनों का उचित उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि न तो किसी पैथोलोजिस्ट/प्रयोगशाला सहायक की पदस्थापना की गई और न ही वर्ष 2002-03 के बाद किसी भी आवश्यक उपकरणों का भण्डारण किया गया । प्रयोग-शाला के संचालन संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था । अतः प्रयोगशाला निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी जिससे 22.35 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा ।

3.3.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

वन्य प्राणी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 में राज्य वन्य प्राणी मंडल (एस.बी.डब्ल्यू.आई.) के गठन का प्रावधान किया गया जो वर्ष में दो बार बैठक कर राज्य सरकार को, वन्य प्राणी संरक्षण एवं सुरक्षा के मुद्दो पर सलाह देगा । मध्य प्रदेश में सितम्बर 2003 से राज्य वन्यप्राणी मंडल की केवल दो बैठकों का आयोजन किया गया । भारत सरकार द्वारा (सितम्बर 2001) राज्यों को निर्देशित किया गया कि योजना के तहत कार्यो पर अमल के प्रयासों के परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एक परिवीक्षण एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाए । समिति का गठन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, क्षेत्रीय इकाइयों, एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के प्रतिनिधित्व से किया जाना था । राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया था ।

3.3.11 निष्कर्ष

पांच टाइगर रिजर्व के कार्य निष्पादन की समीक्षा वर्ष 2000-2005 में पाया गया कि योजना निर्माण प्रक्रिया में कमियां थी क्योंकि प्रारंभिक अधिसूचना के 23 से 30 साल के बाद भी वन्य प्राणियों को टाईगर रिजर्व के आन्तरक क्षेत्र में एक व्यवधान मुक्त वातावरण प्रदाय करने के मूल उद्देश्य की प्रापति नहीं हो सकी । विभिन्न गतिविधियो में सतत बचते थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों का अप्राप्त होना एवं लाभों का प्राप्त नहीं होना रहा । खरपतवार नियंत्रण, चारागाह, अग्नि बचाव जैसे संरक्षण एवं सुरक्षा के उपायों और शस्त्रों एवं गोलाबारूद की पर्याप्त उपलब्धता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । शाकाहारियों पशुओं की आंकलन प्रक्रिया में कमियां पायी गई एवं बाघों की गणना हेतु वैज्ञानिक/विश्वसनीय पद्धति का पालन नहीं किया गया ।

आई.ई.डी.पी.का क्रियान्वयन योजना के अनुसार नहीं किया गया और ऊर्जा संरक्षण उपायों एवं पशु देखभाल हेतु स्थापित अधोसंरचना के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी । परिवीक्षण पद्धति अपर्याप्त एवं कमजोर थी ।

3.3.12 अनुशंसाएं

- प्रत्येक टाइगर रिजर्व में एक सही रूप से प्रतिपादित प्रबन्धन योजना होनी चाहिए । जिसमें दीर्घ एवं मध्यम अवधि के लक्ष्य स्पष्ट रूप से चिन्हित हो और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए की वार्षिक कार्य योजनायें प्रबन्धन योजनाओं पर आधारित हो एवं निधियों की सामयिक विमुक्ति प्राप्ति करने हेतु भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत हो ।

- कक्ष इतिहासों का वार्षिक अद्यतन किया जाए ताकि उनका उपयोग योजना बनाने में वन्य जीवन की जानकारी के एक विश्वसनीय स्त्रोत के रूप में किया जा सके ।

- साख पत्र पद्धति का प्रयोग शुरू करना चाहिए ताकि बजट पर प्रभावी नियंत्रण हो एंव टाइगर रिजर्व में व्याप्त वार्षिक आवंटन से अधिक व्यय प्रकरणों को बचाया जा सके ।

- सरकार को टाइगर रिजर्व के आन्तरक एंव बफर क्षेत्रों से परिवारों के विस्थापन हेतु दृढ़ता से वचनबद्ध होना चाहिए एवं इस कार्य हेतु एक विस्तृत पुर्नस्थापन योजना बनायी जानी चाहिए । राज्य में समयबद्ध तरीके से सभी टाइगर रिजर्व को अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए एवं अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए ।

- संचार एवं सूचना तंत्र में सुधार के प्रयास किये जाने चाहिए एवं कर्मचारियों को पर्याप्त शस्त्र एवं गोलाबारूद प्रदाय किये जाने चाहिए ।

- बाघों की गणना एवं शाकाहारी पशुओं की संख्या अनुमान की तकनीकों को परिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके । अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कैमराबद्ध करना और डी.एन.ए. विश्लेषण का उपयोग बाघों की संख्या के अनुमान एवं उनकी गतिविधि के परिवीक्षण हेतु लागू किया जाना चाहिए ।

जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.4 नाबार्ड ऋण से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

विशेषताएँ

मार्च 2006 तक, 2.98 लाख हेक्टेयर (हे.) एवं 2.51 लाख हेक्टेयर (हे.) की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता क्रमशः 1418.17 करोड़ रुपये एवं 1163.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से निर्मित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण से जल संसाधन विभाग(ज.सं.वि.) की छह सौ सत्ताईस तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (न.घा.वि.प्रा.) की पैंतीस परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं । त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण ज.सं.वि. एवं न.घा.वि.प्रा. द्वारा अप्राधिकृत रूप से क्रमशः 161.26 करोड़ रुपये एवं 74.46 करोड़ रुपये स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किए गए । ज.सं.वि.की तेरह परियोजनाओं, जिनपर 2.07 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे, असंभाव्यता एवं अन्य बाधाओं के कारण छोड़ दी गईं थीं । वन निःशाख(क्लीयरेन्स)की अस्पष्ट स्थिति के कारण 12 परियोजनाओं की पूर्ण होने की संभावना सुदूर है । अति-आवश्यक कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमा था क्योंकि ज.सं.वि. की 232 परियोजनाएं एवं न.घा.वि.प्रा.की 32 परियोजनाएं अब तक प्रगतिरत थीं । ज.सं.वि. की 51 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था । ज.सं.वि.एवं न.घा.वि.प्रा. द्वारा कार्य की अनुमोदन रहित मदों पर व्यय किए गए क्रमशः 249.70 करोड़ रुपये एवं 83.91 करोड़ रुपए नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत किए गए। बारह परियोजनाओं के निर्माण पर 75.19 करोड़ रुपए का निवेश व्यर्थ/दुष्परिकल्पित था क्योंकि उन्होंने परिकल्पित हितलाभ उत्पन्न नहीं किए थे । ज.सं.वि.एवं न.घा.वि.प्रा.द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के लिए परियोजित क्षमता 1.69 लाख हेक्टेयर एवं 0.51 लाख हेक्टेयर के विरूद्व निर्मित सिंचाई क्षमता का उपयोग क्रमशः 0.53 लाख हेक्टेयर एवं 0.04 लाख हेक्टेयर था। निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं-

ज.सं. वि. एवं न.घा. वि. प्रा. द्वारा क्रमशः अनुमोदन रहित मदों पर जून 2006 तक व्यय किए गए 249.70 करोड़ रुपए एवं 83.91 करोड़ रुपए नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत किए गए थे।

(कंडिका 3.4.5.2)

सत्तावन करोड़ उनत्तीस लाख रुपए के व्यय से पूर्ण हुई 49 उद्वहन सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई क्षमता के उपयोग में प्रचुर कमी देखी गई ।

(कंडिका 3.4.6.6)

अड़तीस परियोजनाओं की विषम भौतिक प्रगति के कारण इनके पूर्ण होने तक 65.78 करोड़ रुपए का निवेश अवरूद्व हुआ ।

(कंडिका 3.4.7.6)

सात परियोजनाओं एवं 5 परियोजनाओं की पूर्णता पर क्रमशः 51.63 करोड़ रुपए एवं 23.55 करोड़ रुपए का निवेश व्यर्थ या दुष्परिकल्पित था क्योंकि इन्होंने परियोजित हितलाभ उत्पन्न नहीं किए थे ।

(कंडिका 3.4.7.1 एवं 3.4.7.2)

देवास उद्योग, देवास से 3.05 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद भंडार क्रय नियमों के प्रतिकूल थी । नाबार्ड ऋण से 59.56 लाख रुपए के सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद अनियमित थी ।

(कंडिका 3.4.7.4)

अनुबंधों की धारा से विचलन के कारण विकलनीय लागत के 4.32 करोड़ रुपए ठेकेदारों से वसूली योग्य नहीं थे ।

(कंडिका 3.4.7.5)

3.4.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 1995-96 में, ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत कार्यक्रम की भाँति, राज्य सरकारों की चल रहीं तथा नयी अधोसंरचना परियोजनाओं में रुचि लेने के साथ-साथ वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा परिचालित एक ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (ग्रा. अ. वि.नि.) की स्थापना की। समान आधार वर्ष के लिए निवल बुवाई क्षेत्र (नि.बु.क्षे.) के 65.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में, राज्य में 39.6 प्रतिशत (1997-98) सिंचाई क्षमता थी । अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने, ज. सं. वि. को 855 अपूर्ण परियोजनाओं को, इनके पूर्ण हितलाभों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही किए गए 3377.04 करोड रुपए के डूबे हुए निवेशों को असंनिरोध (अनलॉकिंग) के लिए, नाबार्ड ऋण से पूर्ण करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1995)। बाद में 1996-97 में न. घा. वि. प्रा. ने भी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए नाबार्ड ऋण सुविधा का लाभ लेने का विनिश्चय किया।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर ज. सं. वि. का प्रधान, प्रमुख सचिव (प्र.स.) है । परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख अभियंता (प्र.अ.) के अधीन कार्यरत सात[1] मुख्य अभियंता उत्तरदायी हैं । न. घा. वि. प्रा., एक अध्यक्ष तथा अभियांत्रिकी, वित्त, विद्युत, आयोजना, पर्यावरण एवं वन तथा पुर्नवास के लिए छह सदस्यों वाला एक उच्च क्षमता प्राप्त निकाय है। न. घा. वि. प्रा. के प्रकरण में, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सदस्य अभियांत्रिकी के अधीन कार्यरत तीन[2] मु. अ. उत्तरदायी थे। ज.सं. वि. एवं न. घा. वि. प्रा. के जल संसाधन (ज.सं.) संभाग तथा नर्मदा विकास (न.वि.) संभाग, मंडलों के अधीक्षण यंत्रियों (अ.यं.) के नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन कार्यपालन यंत्रिओं (का.यं.) के नेतृत्व में परियोजनाए निष्पादित कर रहे हैं।

[1] नर्मदा सागर कछार, ओंकारेश्वर कछार, महेश्वर बेसिन कछार, [illegible] कछार, [illegible] कछार, [illegible] कछार, [illegible] कछार तथा [illegible]

[2] मु. अ. [illegible]

3.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

नाबार्ड ऋण से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने की दृष्टि से संचालित की गई थी कि:

- निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययी ढंग से हुआ।
- लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी उपलब्धि में सुव्यवस्थित आयोजना की गई थी।
- परियोजनाओं का निष्पादन गुणवत्ता मानकों के अनुसरण के साथ दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया।
- परिवीक्षण, नियंत्रण तथा मूल्यांकन प्रभावी थे।

3.4.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

कार्यालय प्र. अ., ज. सं. वि., सात मुख्य अभियंताओं तथा 43 संभागों में से 10 संभागों एवं न. घा. वि. प्रा. के तीन मुख्य अभियंताओं तथा 10 संभागों में से चार संभागों के अभिलेखों की मई 2006 से सितम्बर 2006 तक नमूना जाँच की गई थी । छह सौ बासठ परियोजनाओं (ज. सं. वि. 627 परियोजनाएं तथा न. घा. वि. प्रा. 35 परियोजनाएं) में से 335 परियोजनाओं की नमूना जाँच की गई । नमूना परीक्षित परियोजनाओं पर जून 2006 तक 758.51 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, जो कुल व्यय, जो नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित इन सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय किया गया था, का 40.45 प्रतिशत था । इसके अतिरिक्त, इन नमूना परीक्षित परियोजनाओं के लिए 877.97 करोड़ रुपए के नाबार्ड ऋण का उपयोग किया गया जो कुल स्वीकृत नाबार्ड ऋण का 38.86 प्रतिशत था।

3.4.5 वित्तीय ढाँचा

3.4.5.1 निधियों का उपयोग

बजट में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आबंटन किए गए थे तथा इनके विरूद्ध किए गए व्यय के नाबार्ड से मासिक आधार पर दावे किए गए थे । शासन द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं पर परियोजना लागत व्यय का 90 प्रतिशत तक नाबार्ड से वित्तपोषण वापसी के आधार पर था जो ऋण की स्वीकृति के तीसरे वर्ष से प्रारंभ होने वाली पाँच बराबर किश्तों में सात वर्षों में प्रतिदेय था । ऋण पर ब्याज, विमुक्त करने की तिथि से तिमाही आधार पर देय था तथा ब्याज की दर 6.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक, विशिष्ट श्रेणी (ट्रेन्च) के लिए किए गए अनुबंध पर निर्भर थी।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमा था । इक्याव्न परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था । एक सौ तेरह परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

नाबार्ड द्वारा जून 2006 तक ज.सं. वि. एवं न. घा. वि. प्रा. को क्रमशः 1246.36 करोड़ रुपए एवं 1012.78 करोड़ रुपए की संचयी स्वीकृति के विरूद्ध 402.60 करोड़ रुपए एवं 348.12 करोड़ रुपए का अंतर छोड़ते हुए 843.76 करोड़ रुपए एवं 664.66 करोड़ रुपए विमुक्त किए गए थे । श्रेणी (ट्रेन्च) I से V की परियोजनाओं का वित्तपोषण जून 2006 में समाप्त हुआ तथा 60.94 करोड़ रुपए का अनुपयोगी ऋण भी व्यपगत हो गया । वित्त विभाग एवं नाबार्ड ने भी कार्यक्रम के अपर्याप्त परिवीक्षण पर चिन्ता प्रदर्शित की थी ।

ज. स. वि. की दो सौ बत्तीस परियोजनाएं जून 2006 तक अपूर्ण थीं जिनमें श्रेणी III (1997-98) एवं श्रेणी IV (1998-99) की क्रमशः 7 एवं 11 परियोजनाएं सम्मिलित थीं । दो सौ बत्तीस, में से 113 योजनाओं में, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जबकि 108 योजनाओं मे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर थी । इक्यावन योजनाओं पर, भूमि अधिग्रहण के अभाव या विभिन्न अन्य विवशताओं से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था । खंडवा में, 15 मेगावाट की 62.01 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृत (श्रेणी-VIII 2001-02) लघु जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था तथा गतिशीलन अग्रिम के प्राप्त (2002-03) 7.02 करोड़ रुपए भी अनुपयोगी पड़े थे।

3.4.5.2 *कार्य की अनुमोदन रहित मदों पर व्यय*

कार्य की अनुमोदन रहित मदों पर, ज. स. वि.द्वारा व्यय किए गए 249.70 करोड़ रुपए एवं न. घा. वि. प्रा. द्वारा 83.91 करोड रुपए नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत किए गए ।

निधियों के सुरक्षित अनुकूलतम उपयोग के लिए समुचित प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण नही था । राज्य द्वारा भी परियोजनाओं की स्वीकृत लागत के अनुसार निधियां विमुक्त नहीं की गई। नाबार्ड ने व्यय की गई राशि की सम्मत शर्तो और निबंधनों के अनुसार प्रतिपूर्ति की थी । वर्ष 1995-96 से 2005-06 के दौरान, ज. सं. वि. द्वारा 249.70 करोड रुपए एवं न. घा. वि. प्रा. द्वारा 83.91 करोड़ रुपए के कार्य की अनुमोदन रहित मदों पर व्यय, स्वीकृत लागत से अधिक व्यय, कार्यभारित/दैनिक वेतनभोगी अमले के वेतन तथा छोटी-मोटी खरीद को नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत किए गए। श्रेणीवार अस्वीकृत राशियाँ **परिशिष्ट 3.6** में दी गई हैं । इससे परियोजनाओं का संपूर्ण अर्थतन्त्र गड़बड़ा दिया। वित्त विभाग ने इसपर अपनी चिन्ता प्रकट की (मई 2005) । तथ्य यही है कि नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति के इन मामलों को, सूक्ष्म परिवीक्षण, अनुसूची का अनुसरण, विचलनों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, ही रोक सकते थे और तथापि, इन उपायों को पर्याप्त रूप से लिया जाना नहीं पाया गया।

3.4.5.3 *ब्याज अवयव का लेखाकरण न होना*

ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज को न तो परियोजना की लागत के नामे किया गया न ही परियोजना की मितव्ययी प्रतिलाभ दर के मूल्यांकन हेतु विचार किया गया ।

ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की परियोजनावार राशियाँ उपलब्ध नहीं थीं । ब्याज के अवयव को न तो परियोजनाओं की लागत के नामे किया गया न ही इसे लागत-लाभ अनुपात तथा परियोजनाओं के प्रतिलाभ की आर्थिक दर के मूल्यांकन के लिए ध्यान में लिया गया । आगे, पूर्ववर्ती श्रेणियों (श्रेणी-I 1995-96 13%, श्रेणी-II एवं III 1996-98 12%) के लिए ब्याज की दर, अनुवर्ती श्रेणियों (श्रेणी IV से VII 1998-2000 7%, श्रेणी VIII से XI 2002-2006 6.5%) की तुलना में अधिक थी । इसलिए, परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि के विस्तारों से, उनके अपूर्ण रहने के कारण परिकल्पित हितलाभों के परित्याग के अतिरिक्त उच्चतर दरों पर अतिरिक्त ब्याज दायित्व आया । तथ्य को प्र. अ. ने स्वीकार किया (जुलाई 2005) और आश्वासन दिया किया कि भविष्य में ब्याज के अवयव को ध्यान में लिया जावेगा

3.4.5.4 *अतिरिक्त मदों की अनधिकृत स्वीकृति*

सात करोड़ चालीस लाख रुपए के अतिरिक्त मात्राओं के कार्य, शासकीय स्वीकृति के बिना निष्पादित किए गए ।

अनुबंध निर्धारित करता है कि यदि किसी मद की मात्रा, प्राक्कलित मात्रा से 30 प्रतिशत या 15 लाख रुपए से अधिक होती है तो शासन की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होती है । लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 10 प्रकरणों[3] में मात्राएं 861 प्रतिशत अधिक

[3] काका साहिब गाडगिल-मंदसौर 0.71 करोड़ रुपए, जूनापानी-खरगोन 0.35 करोड़ रुपए, सतकीनाला छिंदवाड़ा 0.31 करोड़ रुपए, केवलारी-रायसेन 0.16 करोड़ रुपए, शंकरपुरा-राजगढ़ 0.16 करोड़ रुपए, शाहपुरा वितरणी-नरसिंहपुर 1.80

तक बढ़ीं थी, किंतु शासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के बजाय 7.40 करोड़ रुपए का कार्य अलग ठेकों पर कराया जाना चुना गया । शासन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त मात्रा के कार्य का प्रारंभ, न केवल अनियमित था किन्तु परियोजनाओं की मितव्ययी साध्यता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.4.5.5 *परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब*

अधिक व्यय को नियमित करने हेतु परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र महालेखाकार के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि औचित्यपूर्ण तथा स्वीकृत प्राक्कलनों से अधिक व्यय के नियमितीकरण वाले भी पूर्णता प्रतिवेदन (नियमावली के परिशिष्ट 2.27) महालेखाकार के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि निर्माण विभाग नियमावली में निर्धारित है। तिरेसठ परियोजनाओं[4] के लिए, जिनका जून 2002 एवं मार्च 2006 के मध्य पूर्ण होना प्रतिवेदित था, के परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (प.पू.प्र.) प्र. अ. /नाबार्ड द्वारा कई अनुस्मारकों के बावजूद भी प्रतिक्षित थे । मु. अ., बोधी ने भी सूचित किया (नवम्बर 2005) कि केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पूर्णता मानचित्र एवं पूर्णता प्रतिवेदन प्रतीक्षित थे।

उत्तर में प्र. अ. ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2005) समस्त मु. अ. एवं कार्यपालन यंत्रिओं को एक माह के भीतर, परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाणपत्र महालेखाकार को प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

3.4.6 आयोजना

3.4.6.1 *लक्ष्यों का प्राप्त न होना*

ज.सं.वि.की 627 परियोजनाओं एवं न.धा.वि.प्रा.की 35 परियोजनाओं में से मात्र ज.सं.वि. की 382 एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 3 परियोजनाएँ ही पूर्ण हो सकी ।

जल संसाधन विभाग की 855 सिंचाई परियोजनाएं अपूर्ण थीं किन्तु 2.98 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने हेतु 1995-96 से 2005-06 की अवधि में 1418.17 करोड़ रुपए (नाबार्ड ऋण 1246.36 करोड़ रुपए एवं राज्य अंश 171.81 करोड़ रुपए) के कुल परिव्यय से श्रेणी । से XI के अंतर्गत नाबार्ड ऋण से 915.40 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 349 नयी परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए 627 परियोजनाओं का निर्माण आरंभ किया गया था। जून 2006 तक, तीन सौ बयासी परियोजनाएं पूर्ण प्रतिवेदित की गई एवं 232 परियोजनाएं प्रगति पर थीं । अब तक 1087.75 करोड़ रुपए का व्यय किया गया (जून 2006)। तेरह परियोजनाएं छोड़ दी गई थीं।

दो लाख इक्यावन हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने हेतु, 1996-97 से 2004-05 के मध्य श्रेणी II से X के अंतर्गत 1163.25 करोड़ रुपए (नाबार्ड ऋण 1012.78 करोड़ रुपए एवं राज्य अंश 150.47 करोड़ रुपए) के कुल परिव्यय से न. घा. वि. प्रा. की 10 एवं 15 मेगावाट की दो लघु जलविद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए 35 परियोजनाओं का निर्माण, नाबार्ड ऋण की सहायता से प्रारंभ किया गया । अड़तालीस करोड़ इकतीस लाख रुपए की लागत से तीन परियोजनाएं पूर्ण प्रतिवेदित की गई तथा 0.51 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई । बत्तीस परियोजनाएं, जिन पर जून

करोड़ रुपए एवं 0.47 करोड़ रुपए, अंदिया कांदेली-नरसिंहपुर 2.25 करोड़ रुपए, गवलान खरगोन 0.94 करोड़ रुपए, नवलपुरा खरगोन 0.25 करोड़ रुपए ।

[4] मु. अ. नर्मदा ताप्ती कछार इंदौर (31) मु. अ. धसान केन कछार सागर (4), मु. अ. यमुना कछार ग्वालियर (2), मु. अ. वैनगंगा कछार सिवनी (8), चंबल बेतवा भोपाल (16), परिचालन एवं संधारण भोपाल (2) ।

2006 तक 738.92 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, प्रगति पर थीं। स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत तथा विमुक्त ऋण, व्यय राशि, अस्वीकृत राशि एवं परियोजित सिंचाई क्षमता की श्रेणीवार स्थिति परिशिष्ट 3.6 में दी गई है।

3.4.6.2 ऋण की उपयोगिता में विलंब

नाबार्ड ऋण की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, प्रत्येक परियोजना दो से तीन वर्षों में पूर्ण की जानी थी । ज. सं वि. की 627 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत नाबार्ड ऋण की स्थिति तथा उपयोगित ऋण की राशि एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए नियत लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि भी निम्नवत थी:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वीकृत		उपयोगित ऋण की राशि	पूर्ण परियोजनाएं	ऋण में कमी	परियोजनाओ में कमी
	ऋण	परियोजनाएं				
2000-01 तक	534.91	343	480.00	150	54.91	193
2001-02	73.70	25	64.72	61	8.98	157
2002-03	142.04	55	109.71	63	32.33	149
2003-04	175.97	73	104.32	37	71.65	185
2004-05	143.66	83	66.21	19	77.45	249
2005-06	176.08	48	18.80	52	157.28	245*
कुल	**1246.36**	**627**	**843.76**	**382**	**402.60**	**232**

*** 13 परियोजनाएं छोड़ दी गई, 28 एवं 48 परियोजनाओं को क्रमशः मार्च 2007 तथा मार्च 2008 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया ।**

जैसा कि देखा जा सका, ऋण की उपयोगिता में प्रगति बहुत धीमी थी । आगे, परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब था । वर्ष 2005-06 के दौरान 156 परियोजनाओ के पूर्ण होने के विरूद्ध मात्र 52 परियोजनाएं पूर्ण हुईं । भूमि अधिग्रहण में असामान्य विलंब तथा निष्पादन ऐजेंसियों अंतिम रूप देने में विलंब के कारण भी, बढ़ी हुई श्रेणी अवधि में भी परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई थीं । परियोजित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियत लक्ष्य अवास्तविक थे । परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति पर, नाबार्ड ने भी चिन्ता दोहराई थी।

प्र. अ. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2005) कि परियोजनाओं के विलंब के परिणामस्वरूप ब्याज दायित्व में बढ़ोत्तरी के अतिरिक्त, सिंचाई हितलाभों से भी वंचित होना पड़ा।

3.4.6.3 अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अयथार्थ प्राक्कलन

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अयथार्थ प्राक्कलन के कारण, ज. सं. वि. द्वारा 161.26 करोड़ रुपए एवं न. घा. वि. प्राधिकरण द्वारा 74.46 करोड़ रुपए स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किए गए ।

नाबार्ड ऋण की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, परियोजना उच्च प्राथमिकता पर तकनीकी रूप से साध्य, वित्तीय रूप से अर्थक्षम तथा मितव्ययी ढंग से लाभप्रद होना चाहिए । राज्य शासन ने, तकनीकी रूप से सुदृढ़ तथा वित्तीय रूप से साध्य योजनाओं को प्रस्तुत करने के निर्देश, विभाग को दिए (दिसम्बर 2002 एवं जून 2003) । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान अपर्याप्त सर्वेक्षण या अवास्तविक प्राक्कलनों के कारण, भूमि मुआवजों की अधिक लागत, मात्राओं में बढ़ोत्तरी, अतिरिक्त/ विशेष मदों के कारण, लागत में प्रचुर वृद्धि हुई जो पूर्णता में विलंब का कारण था तथा हितग्राहियों को सिंचाई

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अयथार्थ प्राक्कलन के कारण, ज. सं. वि. द्वारा 161.26 करोड़ रुपए एवं न. घा. वि. प्राधिकरण द्वारा 74.46करोड़ रुपए स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किये गए।

सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा । नाबार्ड ने भी मत प्रकट किया (दिसम्बर 2002 एवं जून 2003) कि परियोजनाएं पर्याप्त छान-बीन के बिना प्रस्तावित की गई थीं । परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र भी उचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, कार्यान्वयन अवस्थाओं में पुनरीक्षित किया गया था।

नाबार्ड ने ज. सं. वि. की 69 परियोजनाओं पर 228.74 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृत किए थे किन्तु इन परियोजनाओं पर जून 2006 तक 390 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे । इस प्रकार, भूमि मुआवजा, अतिरिक्त/ विशेष मदों के अपर्याप्त प्राक्कलन के कारण, स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किए गए 161.26 करोड़ रुपए अप्राधिकृत थे । प्राक्कलन 408.95 करोड़ रुपए तक पुनरीक्षित किए गए किन्तु स्वीकृति जून 2006 तक प्रतीक्षित थी ।

इसी प्रकार, यह देखा गया कि न. घा. वि. प्रा. की 3 परियोजनाओं[5] की लागत में 179.26 करोड़ रुपए से 231.91 करोड़ रुपए के पुनरीक्षण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने (मार्च 2003) के पश्चात भी पुनरीक्षित लागत के और ऊपर 21.81 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी । पुनरीक्षित स्वीकृतियों से अधिक निधि के आबंटन का प्रावधान करना तथा साखपत्र का जारी किया जाना, अनियमित था।

3.4.6.4 *असाध्य परियोजनाओं का चयन*

आठ करोड़ अस्सी लाख रुपए के परिव्यय से स्वीकृत तेरह परियोजनाएँ 2.07 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात छोड़ दी गई चूँकि ये साध्य नही थी।

दो हजार तीन सौ छत्तीस हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु 8.80 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1995-96 एवं 2003-04 के मध्य 13 परियोजनाएँ, असफल होने एवं अन्य बाधाओं के कारण छोड़ दी गईं (फरवरी 2002 से मई 2006 अवधि) जिन पर ब्याज दायित्व के अतिरिक्त, 2.07 करोड़ रुपए पहले ही व्यय किए जा चुके थे। इस और परियोजना[6] भी छोड़ देने हेतु प्रस्तावित थी।

वित्त विभाग ने निर्देश दिए (अक्टूबर 2004) कि ज. सं. वि. का. आवश्यकता के बिना परियोजना को आरंभ करने एवं नाबार्ड से गतिशीलन अग्रिम (मोबिलाइजेशन अग्रिम) प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण तथा कार्रवाई करना चाहिए । यद्यपि जून 2006 तक कार्रवाई नहीं किया जाना पाया गया।

3.4.6.5 *अमितव्ययी परियोजनाओं का निर्माण*

इकतालीस प्रकरणों में निर्माण की लागत 1.00 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की निर्धारित सीमा से अधिक हुई।

परियोजनाओं के चयन के लिए निर्माण की लागत महत्वपूर्ण मानदण्डों में से एक था जो 0.75 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर (मार्च 2002 तक) एवं मई 2002 से आगे 1.00 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निर्माण की लागत, **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाए गए 41 प्रकरणों में निर्धारित सीमा से अधिक हुई जिसने परियोजनाओं का संपूर्ण अर्थतन्त्र गड़बड़ा दिया तथा उनमें से बहुत से अपूर्ण थे क्योंकि पुनरीक्षित स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित थीं । एक सौ अट्ठाईस करोड़ छह लाख रुपए का निवेश भी

[5] मान परियोजना (धार), जोबट परियोजना (झाबुआ) एवं रानी अवंतीबाई लोधी सागर (जबलपुर)

[6] श्रेणी I (बग्गाज उद्वहन सिंचाई योजना मुरैना, बावली मंडला, परहेटा खंडवा, सिमरिया क्र.2 ग्वालियर), श्रेणी II (बुधाना सिवनी), श्रेणी III (बोगरा बैतूल), श्रेणी IV (पुंगा एवं खोदरी शहडोल, वन उद्वहन सिंचाई योजना डिंडिशा, सहस्त्रधारा खरगोन एवं टाला टाली सिवनी), श्रेणी IX (बिराली एवं जुलवानी खरगोन)

[7] खरगोन में निमोनी तालाब (श्रेणी X)

निष्फल रहा । लागत में वृद्धि भी प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी । प्र. अ. ने भी आश्वासन दिया (अक्टूबर 2005) कि शासन से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी मुख्य अभियंताओं को स्मरण कराया जा चुका है ।

3.4.6.6 उद्वहन सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन

अठारह हजार चार सौ सत्तर हेक्टेयर सिंचित करने के लिए 49 उद्वहन सिंचाई योजनाओं पर व्यय किए गए 57.29 करोड़ से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए।

नाबार्ड ऋण के श्रेणी । से IV में बावन उद्वहन सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की गई तथा जिनमें से उनचास, 1996-97 से 2005-06 की अवधि में नाबार्ड ऋण के 45.85 करोड़ रुपए सम्मिलित करते हुए, 57.29 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होना सूचित की गईं । निर्मित सिंचाई क्षमता 18470 हेक्टेयर थी किन्तु वर्ष 2000-01 में अधिकतम 1109 हेक्टेयर एवं 2005-06 में कम से कम 55 हेक्टेयर क्षमता का वास्तविक उपयोग हुआ । अठारह उद्वहन सिंचाई योजनाओं[8] से कोई सिंचाई नहीं हुई थी । उद्वहन सिंचाई योजनाओं के निकृष्ट कार्य-निष्पादन एवं अत्यधिक आवर्ती रख-रखाव लागत को देखते हुए ज. सं. वि. ने निश्चित किया (मई 1999) कि जून 2000 तक विभाग की समस्त उद्वहन सिंचाई योजनाओं को संबंधित समितियों को स्थानांतरित होना है एवं कोई नयी उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत नहीं होनी है । तब भी, छह और उद्वहन सिंचाई योजनाएं, 2982 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए नाबार्ड ऋण से श्रेणी VIII एवं X के अंतर्गत 9.22 करोड़ रुपए के परिव्यय से आरंभ की गई थीं। जून 2006 तक इन छह उद्वहन सिंचाई योजनाओं पर 4.25 करोड़ रुपए व्यय किए गए। उद्वहन सिंचाई योजनाओं के सीमित उपयोग को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं में निवेश अप्राधिकृत था ।

3.4.6.7 परियोजनाओं की अवास्तविक स्वीकृति

शासन ने निश्चित किया (मार्च 2002) कि 40 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता की लघु योजनाओं में, किसानों द्वारा नहरों का निर्माण या पंप द्वारा जल का उद्वहन तथा उनका रख-रखाव स्वतः ही किया जाएगा । ज. सं. वि. द्वारा, उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए लागू जल-दरों की भी वसूली किसानों से की जाएगी।

बाँध से जल का उद्वहन किसानों द्वारा उनकी अपनी लागत से करने की प्रत्याशा एवं रखरखाव की लागत वहन कर 7.05 करोड़ रुपए के परिव्यय से 9 परियोजनाओं की स्वीकृति वास्तविक नहीं थी ।

एक हजार दो सौ पचपन हेक्टेयर में सिंचाई की पूर्ति करने के लिए, 7.05 करोड़ रुपए के परिव्यय की पंपों द्वारा जल के उद्वहन वाली नौ परियोजनाएँ[9] नाबार्ड ऋण से स्वीकृत की गई थीं । मार्च 2006 तक 5.87 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे । चार परियोजनाओं[10] का पूर्ण होना सूचित किया गया (मार्च 2006) एवं पाँच[11] प्रगति पर थीं । पूर्व में पूर्ण उद्वहन सिंचाई योजनाओं का उच्च संचालन तथा रख-रखाव लागत के कारण खराब निष्पादन की दृष्टि से शासन की प्रत्याशा के कार्यरूप में रूपांतरण की संभावना बहुत अल्प है ।

[8] मु.अ., धसान केन कछार, सागर-6, मु.अ., चंबल बेतवा कछार, भोपाल-7, मु. अ., यमुना कछार, ग्वालियर एवं मु. अ., गंगा कछार रीवा-प्रत्येक 2, मु. अ., नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर-1

[9] खरगोन में वेडा बराज, देदगाँव, रूपखेड़ा, सत्तालाई, एवं मेजामपुरा, झाबुआ में चोटियाबरडी एवं खोबरानाला, इंदौर में सेजवानी एवं राजगढ़ में शंकरपुरा

[10] खरगोन में वेदा बराज डेडगाँव, रूपखेड़ा एवं सात तलाई ।

[11] खरगोन में मेजामपुरा, झाबुआ में चोटियाबारदी एवं खोबरानाला, इंदौर में सेजवानी एवं राजगढ़ में शंकरपुरा।

3.4.6.8 भूमि के वन निःशाख के अभाव में अपूर्ण परियोजनाएँ

12 परियोजनाओं की पूर्णता अनिश्चित थी क्योंकि भूमि की वन अनापत्ति लंबित थी।

चार हजार तीन सौ बयासी हेक्टेयर की सिंचाई के लिए सितम्बर 1997 एवं मार्च 2005 के मध्य 32.06 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत बारह परियोजनाएँ, जैसा ***परिशिष्ट 3.8*** में ब्यौरेवार है, वन निःशाख की अनिश्चित स्थिति के कारण अपूर्ण थीं । जून 2006 तक किए गए 23.72 करोड़ रुपए के निवेश के कोई परिणाम परियोजनाओं के पूर्ण होने तक प्राप्त नहीं हो सकेंगे। मु. अ. ने झाबुआ के कलमोड़ा तालाब जिस पर 75.50 लाख रुपए व्यय किए गए थे, से अलग होना प्रस्तावित किया (मई 2005)।

मई 2003 में अमानाला तालाब (बालाघाट) की 84.52 हेक्टेयर वनभूमि के अंतरण के बिना पूर्ण होना सूचित किया गया । प्रकरण, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अभी तक लंबित था। परियोजना का क्रियान्वयन अनधिकृत था एवं प्र. अ. ने भी स्वीकार किया (अक्टूबर 2005) कि परियोजनाएँ, भारत सरकार से वन निःशाख की स्वीकृति की प्रत्याशा में आरम्भ की गई थीं ।

वन निःशाख न होने के कारण नहर के भाग के निर्माण की प्रगति नहीं हो सकी।

नरसिंहपुर में, रानी अवंतीबाई लोधी सागर की 111.00 से 117.50 कि.मी. एवं 119.50 से 130.67 कि.मी. में बाँगी तट मुख्य नहर एवं संरचनाओं सहित इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण, 42.66 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत पर सौंपा गया था (अगस्त-नवम्बर 2004)। ग्यारह दशमलव पाँच दो हेक्टेयर वनभूमि के अनधिगृहण के कारण 117.50 से 119.50 कि.मी. का कार्य नहीं सौंपा गया था। यद्यपि, जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर ने, मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन) भोपाल द्वारा यथा वांछित वन क्षेत्र से लगी हुई 20 हेक्टेयर राजस्व भूमि के अंतरण हेतु आदेश दिए (मई 2005), कार्य निविदित नहीं किया गया। छूटी हुई कड़ी का निर्माण न होना, सृजित क्षमता की अनुपयोगिता में परिणित होगा एवं समयांतर के कारण छूटी हुई कड़ी के निर्माण में अतिरिक्त लागत शामिल हो सकती है ।

3.4.7 कार्यों का निष्पादन

3.4.7.1 व्यर्थ व्यय

सात परियोजनाओं के निर्माण पर 51.64 करोड़ रुपए का व्यय व्यर्थ था क्योंकि उनसे परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं हुए ।

मार्च 2000 तथा सितम्बर 2003 के मध्य 51.64 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्ण सात परियोजनाओं से परियोजित हितलाभ प्राप्त नहीं हुए एवं निवेश व्यर्थ सिद्ध हुआ जैसी कि नीचे चर्चा की गई है:-

- मंडला जिले में मटियारी मध्यन परियोजना का शेष कार्य, 10120 हेक्टेयर के पहले से ही निर्मित सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए 21.32 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत किया गया (सितम्बर 1995)। दस करोड़ इकतालीस लाख रुपए व्यय करने के पश्चात, कार्य का पूर्ण होना सूचित किया गया(मार्च 2000)। निष्पादित कार्य, स्वीकृत कार्य के क्षेत्र के समतुल्य नहीं था । शूट फाल, बहाव नहर(स्पिल चैनल) का चौड़ीकरण, जल मार्ग, खेत की नहरों तथा निकासी कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे । कोई अतिरिक्त सिंचाई नहीं की गई, जैसा कि परिकल्पित था । अधिकतम 4751 हेक्टेयर सिंचाई की गई, जिसको नाबार्ड निधिकरण प्राप्त करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया था ।

निधियों के आबंटन के अभाव में 1998-2000 के दौरान निष्पादित आठ ठेकों के 97.70 लाख रुपए के दायित्व लंबित थे।

- तीन हजार चार सौ हेक्टेयर को सिंचित करने के लिए, नाबार्ड ऋण से मंदसौर में काका साहिब गाड़गिल सागर परियोजना 27.36 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत की गई (2001-02)। जून 2006 तक 35.42 करोड़ रुपए व्यय किए गए किन्तु मुख्य नहर के आर.डी.3360 मीटर पर रेल-क्रासिंग का निर्माण न होने के कारण कोई सिंचाई नहीं की जा सकी । रेल प्राधिकारी को 75.85 लाख रुपए जमा किए गए थे (मई 2005)।

- खंडवा में निंब तालाब परियोजना (1996-97) एवं सिवनी में बरेलीपार तालाब परियोजना (1998-99) का क्रमशः दिसम्बर 2001 एवं जून 2002 में, 2.10 करोड़ रुपए तथा 1.41 करोड़ रुपए के व्यय से पूर्ण होना बताया गया था। यद्यपि लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि निंब तालाब के लिए 40 लाख रुपए एवं बरेलीपार तालाब के लिए 21.15 लाख रुपए, क्रमशः फरवरी 2002 एवं सितम्बर 2002 में रेल-क्रासिंग के निर्माण के लिए रेल्वे को जमा किए गए । इसप्रकार, मुख्य नहरों के पार रेल-क्रासिंग के निर्माण न होने के कारण निंब तालाब से 445 हेक्टेयर में से 270 हेक्टेयर एवं बरेलीपार तालाब से 150 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता अनुपयोगी रही । इसप्रकार यह निवेश व्यर्थ था मुख्य अभियंताओं ने कार्यों की शीघ्र पूर्णता के लिए आश्वासन दिया (जुलाई 2006)।

- खरगोन जिले में उटावद तालाब, 513 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 1992 में निर्मित किया गया था। चूँकि इसका जलग्रहण क्षेत्र अपर्याप्त था, 12.50 वर्ग कि.मी. जलग्रहण क्षेत्र के पानी के दिक्परिवर्तन से उटावद तालाब की आपूर्ति के लिए निमगुलनाला व्यपवर्तन परियोजना, 1.18 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत की गई थी(1998-99) । कृषकों के विरोध प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में पानी की निकासी को बढ़ाने के लिए स्वीकृत 150 मीटर की लम्बाई के विरुद्ध 960 मीटर में नाले का चौड़ीकरण निष्पादित किया गया, ताकि वर्षा के दौरान किसानों के खेत डूब न जाएँ। कार्य 1.72 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्ण होना सूचित किया गया (मार्च 2002)। चौड़ीकृत नाला अभी भी वर्षा के दौरान पानी के अत्यधिक बहाव को ले जाने के लिए अपर्याप्त था। इसलिए, वर्षा के दौरान किसानों के खेतों में पानी भरना जारी था एवं मार्च 2006 तक जल के संग्रहण में या उटावद तालाब से सिंचाई में कोई वृद्धि नहीं हुई थी । का. यं. ज. सं. संभाग, खरगोन ने आश्वासन दिया (जुलाई 2006) कि शेष कार्य राज्य आयोजना निधि से पूर्ण किया जाएगा।

- खरगोन में बगवानाला तालाब 50 हेक्टेयर को सिंचित करने के लिए 17.79 लाख रुपए के परिव्यय से नाबार्ड ऋण से स्वीकृत किया गया(1997-98) । कार्य 17.79 लाख रुपए के निवेश से पूर्ण होना सूचित किया गया (जून 2000)। चूँकि मार्च 2006 तक नदी में पानी का बहाव नहीं था, निर्मित सिंचाई

क्षमता अनुपयोगी रही । निवेश, जलग्रहण क्षेत्रों के त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण के कारण व्यर्थ हुआ ।

- कटनी में सिंघनतलाई तालाब, 172 हेक्टेयर को सिंचित करने के लिए 33.85 लाख रुपए के परिव्यय से स्वीकृत हुआ था(1995-96) । तालाब 39.70 लाख रुपए के निवेश से पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया (जून 1998)। मार्च 2006 तक निर्मित सिंचाई क्षमता नहरों और उसकी संरचनाओं में क्षति के कारण अनुपयोगी रही ।

3.4.7.2 दुष्परिकल्पित निष्पादन

बाईस करोड़ सड़सठ लाख रुपए के परिव्यय से स्वीकृत 5 परियोजनाओं का निष्पादन विभिन्न बाधाओं के कारण दुष्परिकल्पित था ।

बाईस करोड़ सड़सठ लाख रुपए के परिव्यय से स्वीकृत 5 परियोजनाओं, जिनपर जून 2006 तक 23.55 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था, का निष्पादन विभिन्न बाधाओं के कारण दुष्परिकल्पित था, जैसी नीचे चर्चा की गई है:

- गुना जिले में बांडियानाला मध्यम परियोजना का शेष कार्य, नाबार्ड ऋण की सहायता से 7.98 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत हुआ था (1995-96)। चूँकि नाबार्ड ऋण से निधिकरण अंतिम रूप से मार्च 2000 तक बढ़ाया गया, कार्य, 13.71 करोड़ रुपए, जिसमें नाबार्ड ऋण की स्वीकृति से पूर्व व्यय की गई राशि सम्मिलित है, के व्यय के पश्चात पूर्ण प्रतिवेदित किया गया(मार्च 2000) । तथापि, नहर का पुनर्परिच्छेदन एवं संरचनाओं सहित दो दाँयी छोटी नहरों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। दो करोड़ तिहत्तर लाख रुपए की लागत के प्राक्कलित नहर कार्य की स्वीकृति को मु. अ. को भेजा गया था (जून 2005), जो अब तक प्रतीक्षित थीं (जून 2006)। रूपांकित जल बहाव के लिए नहर कार्य का निष्पादन न होने के कारण 2040 हेक्टेयर की परिकल्पित क्षमता के विरूद्ध मात्र 430 हेक्टेयर में सिंचाई प्राप्त की जा सकी । प्र. अ. ने नहर परिच्छेद के अपुनरीक्षण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए थे (जुलाई 2002) किन्तु अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई (जून 2006)।

- खरगोन जिले में 97 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 0.60 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत खेड़ी तालाब(जून 1997), भूमि अधिग्रहण के निर्णयाधीन प्रकरण के कारण मार्च 2000 में छोड़ दिया गया । परियोजना पुनः जुलाई 2002 में प्रारंभ की गई एवं जून 2006 तक 1.20 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे जबकि 100 प्रतिशत शीर्ष-कार्य, नहर-कार्य के बिना पूर्ण हो गया था। नहर के लिए भूमि अधिग्रहित करने के लिए प्रकरण लंबित था (जुलाई 2006) क्योंकि इसका कमान क्षेत्र इंदिरा सागर परियोजना के कमान क्षेत्र द्वारा अतिच्छादित होना था। इसप्रकार, अविकासक्षम परियोजना पर 1.20 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल था।

- खरगोन में जूनापानी तालाब, 259 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 2.26 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत हुआ था (2003-04) । जून 2006 तक 1.63 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे । दायें पार्श्व पर बहाव नहर (स्पिल चैनल) का स्थल एवं तकनीकी रूप से स्वीकृत चित्रांकन (अक्टूबर 2002) जनविरोध के कारण बाँए पार्श्व

में बदल दिया गया (जनवरी 2005)। अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं त्रुटिपूर्ण स्वीकृति से 55.64 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई । परियोजना जून 2006 तक अपूर्ण थी। मु. अ. नर्मदा तापी कछार, इंदौर ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2006) एवं परियोजना की शीघ्र पूर्णता का आश्वासन दिया।

- राजगढ़ में बरगोलिया तालाब 1134 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए 8.69 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत किया गया था (2002-03)। तालाब कार्य पर 6.38 करोड़ रुपए एवं नहर कार्य पर 0.23 करोड़ रुपए का व्यय करने के पश्चात भी शीर्ष-कार्य पूर्ण नहीं हुआ था एवं नहर कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ था(जून 2006) । यद्यपि नाला-बंधान सितम्बर 2005 में किया गया था, नहर कार्य के लिए 48.00 हेक्टेयर की भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव जून 2006 में ही प्रस्तावित किया गया । इसके परिणामस्वरूप कृषकों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा। का. यं., ज. सं. संभाग, राजगढ़ ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2006)।

- राजगढ़ में मनियापुरा तालाब 315 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 3.14 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत किया गया (2004-05)। परियोजना के लिए 0.40 करोड़ रुपए की लागत से अधिग्रहित की गई 30 हेक्टेयर भूमि, किसानों द्वारा अतिक्रमित की गई (मई 2006) तथा कार्य प्रारंभ नहीं हो सका । का. यं., ज. सं. वि. संभाग, राजगढ़ ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2006)।

3.4.7.3 सिकुड़न अधिदेय (श्रींकेज अलाउन्स) की कटौती न किए जाने के कारण अधिक भुगतान

अ.यं., रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर परिक्षेत्र जबलपुर ने निदेश दिया(फरवरी 2002) कि जब नहर के अस्तरण कार्य में संसजक अनुद्यात्त (कोहेसिव नॉन स्वेलिंग) परत बिछाई जा रही हो तो अनुप्रस्थ परिच्छेद मापों से गणना की गई सकल मात्रा से दस प्रतिशत संकुचन घटाना चाहिए । कि.मी. 97 से 111 में बाँयी तट मुख्य नहर के निर्माण में तथा अंदिया, कांदेली एवं सुरघी वितरणियों के निर्माण में क्रमशः 7.95 लाख रुपए तथा 36.10 लाख रुपए संकुचन के न घटाने के कारण अधिक भुगतान किए गए। का. यं. नरसिंहपुर ने उत्तर में बताया (जून 2006) कि संहत कार्य के निष्पादन के कारण कोई संकुचन नहीं घटाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह अ. यं. के अनुदेशों के अनुरूप नहीं था।

3.4.7.4 अनधिकृत एवं अनियमित क्रय

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना 3.05 करोड रुपए का अनियमित क्रय देवास उद्योग, देवास से किया जाना

मु. अ. की अनुमति से, नवम्बर 2000 से जुलाई 2005 के मध्य 3.05 करोड़ रुपए के एम.एस.पाईप, लोहे की नलिकाएं, स्तंभ एवं पैदल पुल इत्यादि का देवास उद्योग, देवास (मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित की एक इकाई) से क्रय अनियमित था क्योंकि भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत यह मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम से पंजीकृत नहीं थी । इसको वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भी स्पष्ट एवं पुष्टिकृत किया गया(अक्टूबर 2004)। आगे, संभागों ने मु. अ. की अनुमति से 59.56 लाख रुपए के सर्वेक्षण उपकरण भी नाबार्ड ऋण से क्रय किए । इन उपकरणों के लिए परियोजना के स्वीकृत प्राक्कलनों में प्रावधान नहीं किए गए थे । मु. अ., चंबल बेतवा कछार, भोपाल ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2005) कि देवास उद्योग से क्रय ज. सं. वि. के निर्देशों के अनुसार किए गए थे एवं जब वाणिज्य

एवं उद्योग विभाग से पत्र प्राप्त हुआ तो इसके बाद देवास उद्योग से कोई क्रय नहीं किए गए।

3.4.7.5 अप्रत्यादेय विकलनीय लागत

मूल ठेकेदार से 4.32 करोड़ रुपए की विकलनीय लागत वसूली योग्य नहीं थी।

धार में बागेड़ी तालाब के मृदुइस्पात साइफन सह एक्वाडक्ट के साथ नहर का निर्माण 3.84 करोड़ रुपए से 24 माह में पूर्ण करने हेतु सौंपा गया (नवम्बर 2003) ठेकेदार को 91.83 लाख रुपए का भुगतान किया गया (जुलाई 2005)। ठेकेदार ने जुलाई 2005 से कार्य रोक दिया एवं कार्यस्थल से मशीनरी भी हटा ली । कार्य की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप उसका ठेका इस शर्त के साथ कि छोड़े गए शेष कार्य को पूर्ण करने में अतिरिक्त लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी, निरस्त किया गया(जनवरी 2006)। शेष कार्य को विभाजित किया गया । एक एजेंसी को नहर साइफन सह एक्वाडक्ट का निर्माण 5.46 करोड़ रुपए पर सौंपा गया (फरवरी 2006)। एक अन्य एजेंसी को नहर का निर्माण 12 माह में पूर्ण करने के लिए 2.09 करोड़ रुपए पर सौंपा गया (जून 2006)। नहर साइफन सह एक्वाडक्ट का निर्माण अन्य एजेंसी के माध्यम से कराये (अवार्ड) जाने में, मूल ठेकेदार की 1.14 करोड़ रुपए की निविदित लागत की तुलना में 4.32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत निहित थी। मूल ठेकेदार से अतिरिक्त लागत अप्रत्यादेय थी क्योंकि शेष कार्य को विभाजित किया गया था एवं मूल ठेके के अनुरूप शर्तों एवं निबंधनों पर अन्य एजेंसी को नहीं सौंपा गया था।

3.4.7.6 परियोजनाओं की अ-सम भौतिक प्रगति

बाँध कार्य के साथ-साथ नहर का निर्माण न होने के कारण 38 परियोजनाओं पर व्यय किए गए 65.78 करोड़ रुपए कोई हितलाभ नही दे सके ।

परियोजना के बाँध तथा नहर का कार्य साथ-साथ प्रारंभ किया जाना आवश्यक थे तथा जब तक नहर कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण नहीं होता नाला बंधान नहीं किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि नमूना परीक्षण की गई 22 परियोजनाओं[12] में, नहर संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, भूमि अधिग्रहित न करने एवं एजेंसी निर्धारित न होने के कारण, नहर कार्य प्रारंभ नहीं हुए जबकि बाँध कार्य पूर्ण थे। पन्द्रह प्रकरणों[13] में नहर 6कार्य बहुत पीछे चल रहे थे एवं एक प्रकरण (कलमोडा तालाब, झाबुआ) में यद्यपि नहर पूर्ण थी किन्तु बाँध की भौतिक प्रगति मात्र 30 प्रतिशत थी। परिणामतः कार्यों के अयोजनाबद्ध निष्पादन एवं कार्यक्रम के अप्रभावी परिवीक्षण के कारण 84.63 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के विरूद्ध ब्याज वाले ऋण के 65.78 करोड़ रुपए का व्यय हितग्राहियों को कोई हितलाभ नहीं दे सका । मु. अ. नर्मदा तापी कछार, इंदौर ने इन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया (जुलाई 2006)।

3.4.7.7 अवमानक कार्य का निष्पादन

अवमानक कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप बाँध की नींव में अत्यधिक रिसाव

अनुदेश के अनुसार, जलाशय तकनीकी आधार पर पहले वर्ष में एक तिहाई, दूसरे वर्ष में दो तिहाई एवं तीसरे वर्ष में पूर्ण स्तर तक भरा जाना चाहिए । तथापि यह देखा गया कि कटनी जिले में सलैय्या तालाब जून 2003 में पूर्ण हुआ जो पहली बार में ही पूर्ण जलाशय स्तर (एफ.टी.एल.) से 0.36 मीटर ऊपर तक भरा गया । वर्ष 2003 की बारिश के दौरान, सितम्बर 2003 में, बाँध का अवमानक मिट्टी-कार्य का निष्पादन प्रकट होते हुए नींव के नीचे अत्यधिक रिसाव देखा गया। मु. अ. द्वारा प्रदान की गई (मार्च 2004) स्वीकृतियों के

[12] नर्मदा तापी कछार, इंदौर 10, चंबल बेतवा कछार, भोपाल-8, वैनगंगा कछार, सिवनी-2, धसान केन कछार, सागर एवं यमुना कछार, ग्वालियर प्रत्येक एक ।

[13] नर्मदा तापी कछार, इंदौर (9), चंबल बेतवा कछार, भोपाल (3),वैनगंगा कछार सिवनी, गंग कछार, रीवा एवं यमुना कछार ग्वालियर में एक एक ।

अनुसार बाँध के रिसाव एवं पारगम्यता परीक्षण सुराख करने पर व्यय किए गए 20 लाख रुपए भी समस्या हल नहीं कर सके । अवमानक कार्य एवं अनुदेशों के उल्लंघन में पहली बारिश के दौरान जलाशय को पूर्ण स्तर से ऊपर भरे जाने के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया ।

3.4.7.8 *रायल्टी प्रभारों की वसूली न होने के कारण हानि*

ठेकेदारों को भुगतान की गई दरें रायल्टी प्रभार सहित थी । रायल्टी प्रभारों की वसूली न होने से शासन को 8.83 करोड़ रुपए की हानि हुई

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मिट्टी बाँधों के आवरण कटिबन्ध (केसिंग झोन) के निर्माण के लिए मुरम के साथ मिली हुई मिट्टी, कंकड़ या अन्य समान प्रकार की असंसजक (नान कोहेसिव) मिट्टी का उपयोग किया था। तथापि ठेकेदारों से दरों में सम्मिलित 15 रुपए प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी की वसूली नहीं की गई एवं खनिज विभाग से रायल्टी निकासी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के विषय में आग्रह भी नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप शासन को 8.15 करोड़ रुपए[14] की हानि हुई। मु. अ., नर्मदा ताप्ती कछार ने उत्तर में बताया कि विभाग के बाँध के कछार या खुदाई क्षेत्र की उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया गया, जिस पर कोई रायल्टी नहीं वसूली गई । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिलाध्यक्ष (खनिज) धार ने लेखापरीक्षा आपत्ति का समर्थन किया । कि.मी. 97 से 111 में बाँयी तट मुख्य नहर का निर्माण एवं अंदिया, कांदेली एवं सुरघी वितरणियों के निर्माण दो अलग एजेंसियों को सौंपे गए (2002-03)। ठेकेदारों से उनके निर्माण में उपयोग की गई 454367.12 घनमीटर सी.एन.एस. सामग्री के लिए 15 रुपए प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी की वसूली नहीं की गई न ही खनिज विभाग से रायल्टी निकासी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के विषय में आग्रह किया गया । इसके फलस्वरूप शासन को 0.68 करोड़ रुपए की हानि हुई । का. यं., रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग, नरसिंहपुर ने उत्तर में बताया (जून 2006) कि ठेकेदारों ने जिलाध्यक्ष (खनिज) नरसिंहपुर का अनापत्ति देयधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेकेदारों ने सी.एन.एस. सामग्री के लिए यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था ।

3.4.7.9 *जल उपभोक्ता संस्थाएँ गठित नहीं की गई*

पचास पूर्ण परियोजनाओं में जल उपभोक्ता संस्थाएँ गठित नहीं की गई ।

नाबार्ड ऋण की शर्तों और निबंधनों के अनुसार परिचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी को कम करने के लिए, सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय सहभागिता रखने के लिए तथा सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक प्रकरण में इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने से पहले जल उपभोक्ता संस्थाओं को बनाया जाना था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना परीक्षण किए गए 50 प्रकरणों[15] में जल उपभोक्ता संस्थाएं परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद भी गठित नहीं की गई ।

3.4.8 परिवीक्षण, नियंत्रण एवं मूल्यांकन

कार्यक्रम का परिवीक्षण ,नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रभावी नही था ।

उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से नहीं की जा रही थी। प्र. अ. / मुख्य अभियंताओं द्वारा परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक बैठक संचालित की गई थी । परियोजनाओं की

[14] मु. अ. नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर (95 परियोजनाएं) 4.97 करोड़ रुपए, मु. अ. धसान केन कछार सागर (15परियोजनाएं) 0.58 करोड़ रुपये, मु. अ. गंगा कछार सिवनी (27 परियोजनाएं) 1.65 करोड़ रुपए, मु. अ. चंबल बेतवा कछार भोपाल (24 परियोजनाएं) 0 95 करोड़ रुपये ।

[15] खरगोन (24 परियोजनाएं), मंदसौर (9 परियोजनाएं), धार (7 परियोजनाएं), बड़वानी (3 परियोजनाएँ) एवं खंडवा (3 परियोजनाएं), झाबुआ (2 परियोजनाएं), इंदौर एवं रतलाम (एक परियोजना प्रत्येक)

समयबद्ध पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए परिणामोन्मुख उपचारी कार्रवाई नहीं की गई । वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न एजेंसियों के मध्य सही समन्वय नहीं था । कार्यक्रम का परिवीक्षण, नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर्याप्त तथा प्रभावी नहीं था। अतिमहत्वाकांक्षी एवं अतिआवश्यक कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं मूल्यांकन आँकलन करने के लिए निष्पादन संकेतक एवं तलचिन्ह निर्धारित नहीं किए गए थे ।

3.4.8.1 नाबार्ड ऋण से पूर्ण परियोजनाओं का निराशापूर्ण निष्पादन

वर्ष 1996-97 एवं 2005-06 के मध्य ज. सं. वि. की 382 एवं न. घा. वि. प्रा. की 3 पूर्ण हुईं परियोजनाओं ने 1.69 लाख हेक्टेयर एवं 0.51 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता दर्ज की किन्तु उपयोग क्रमशः 0.53 लाख हेक्टेयर एवं 0.04 लाख हेक्टेयर मात्र था। सिंचाई क्षमता के निर्माण में निष्पादन वृद्धि खराब थी। इसप्रकार सृजन-उपयोग अंतर लगातार बना रहा । यद्यपि सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में कमी (I) तकनीकी आधार पर जलाशयों का पहले वर्ष में एक तिहाई, दूसरे वर्ष में दो तिहाई एवं तीसरे वर्ष में पूर्ण भरे जाने (II) खरीफ में केवल संरक्षी सिंचाई (III) अधिकांश क्षेत्रों में कम या अवर्षा के कारण जलाशयों के न भरे जाने (IV) सूखे की परिस्थियों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पीने योग्य/ निस्तार उद्देश्य के लिए पानी सुरक्षित रखने एवं (V) कमान क्षेत्र में अधिक पानी वाली उच्च अभिजाति फसलों की खेती, के कारण थी परन्तु औचित्य पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वितरणियों, फील्ड नहरों एवं खेत विकास का निर्माण इत्यादि न तो प्राक्कलनों में प्रावधानित किए गए जैसी नाबार्ड द्वारा भी सलाह दी गई थी, न ही निष्पादित किए गए ताकि सृजित सिंचाई क्षमता को उपयोग में लाया जाए । रखरखाव के कार्य के लिए निधियों का अपर्याप्त आबंटन देखा गया । सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में कमी के, छोटे-मोटे क्रय पर अत्यधिक आवर्ती व्यय एवं रखरखाव कार्य पर अनुचित ध्यान जैसे अन्य कारण भी थे । परिणामतः नहरों के परिस्थितियाँ बिगड़ रही थीं । बहुत से प्रकरणों में, विशेष मरम्मत अन्य कार्यक्रमों (सांसद / विधायक, स्थानीय क्षेत्र विकास निधियाँ या विशेष केंद्रीय सहायता) से पूर्ण की गईं थीं । प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया गया परिणामतः कार्यक्रम के उद्देश्य अप्राप्त रहे।

यद्यपि ज. सं. वि. एवं न. घा. वि. प्रा. द्वारा क्रमशः 1.69 लाख हेक्टेयर एवं 0.51 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी किन्तु ज. सं. वि. एवं न. घा. वि. प्रा. द्वारा मात्र 0.53 लाख हेक्टेयर एवं 0.04 लाख हेक्टेयर का ही उपयोग किया गया ।

3.4.9 निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन अपूर्ण था क्योंकि धीमी प्रगति एवं अल्प परिवीक्षण के कारण स्वीकृत ऋणों की बड़ी राशियों का उपयोग नहीं किया जा सका। कार्य की अनुमोदन रहित मदों पर किए गए व्यय के परिणामस्वरूप नाबार्ड द्वारा राशियाँ अस्वीकृत की जा रहीं थीं । विलंब के कारण परियोजनाओं की साध्यता पर ब्याज अवयव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा किन्तु लागत लाभ अनुपात के मूल्यांकन में ब्याज के अवयव की गणना नहीं की गई थी। प्राधिकार के बिना अतिरिक्त मदें स्वीकृत की गईं एवं परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब थे। उचित सर्वेक्षण के बिना एवं त्रुटिपूर्ण प्राक्कलनों के आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। विद्यमान सिंचाई योजनाओं के खराब निष्पादन के बावजूद भी आगे ऐसी योजनाएं स्वीकृत की गई तथा बहुत सी परियोजनाओं की वन निःशाख के अभाव में प्रगति नहीं हो सकी । चूँकि कार्य, उचित आयोजना के बिना आरंभ किए गए थे, निष्पादन में विभिन्न बाधाओं के कारण बहुत सी परियोजनाओं से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए । अप्राधिकृत एवं अनियमित [illegible] के प्रकरण देखे गए तथा परियोजनाओं की भौतिक प्रगति समकालिक नहीं

थी, परिणामस्वरूप उद्देश्य अप्राप्त रहे । अवमानक कार्य निष्पादन के प्रकरण थे एवं रायल्टी प्रभारों की वसूली न होने के कारण राज्य राजकोष को हानि हुई । जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठित होना नहीं पाया गया एवं अत्यधिक निवेशों के बावजूद सम्पूर्ण सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग बहुत कम था।

3.4.10 अनुशंसाएँ

- राज्य शासन, शीघ्र भूमि अधिग्रहण तथा अविलंब वन निःशाखों (क्लीयरेन्स) को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन विभागों एवं राजस्व विभाग और अन्य विभागों के मध्य अर्थपूर्ण संचार स्थापित कर सकता है ।

- नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत की जा रही अत्यधिक राशियों के प्रकाश में, प्राक्कलनों के उचित पुनरीक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित होना चाहिए एवं स्वीकृतियों तथा प्राक्कलनों के भीतर कार्यों के निष्पादन हेतु कड़े अनुदेश जारी किए जाने चाहिए ।

- राज्य शासन को, हितलाभों की उपलब्धता को निरंतर रखने के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर, पूर्ण परियोजनाओं के परिचालन एवं रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट आबंटन की व्यवस्था करनी चाहिए ।

- जल उपभोक्ता संस्थाएँ अविलम्ब गठित होना चाहिए ताकि परिचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी की सहभागिता तथा सिंचाई में कृषकों का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित हो।

- कार्यों की प्रगति विभिन्न स्तरों पर आवधिक तथा नियमित आधार पर मॉनिटर की जानी चाहिए ताकि समयबद्ध रचनाकार्य में इन कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से बाधाओं की पहचान एवं गत्यावरोध हटाये जा सकें ।

मामला मध्य प्रदेश शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2006) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2006) ।

गृह विभाग

3.5 पुलिस बल का आधुनिकीकरण

3.5.1 प्रस्तावना

बढ़ते अपराध, आंतकवादी एवं नक्सली गतिविधियों एवं आंतरिक सुरक्षा के खतरे का प्रभावी रूप से सामना करने हेतु पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि एवं संरचनाओं यथा भवन, वाहन, संचार, हथियार, प्रशिक्षण, न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, सुरक्षा उपकरण, कम्प्यूटरीकरण एवं कार्यालय उपकरण आदि की कमियों को दूर करने के उद्धेश्य से भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना प्रारम्भ की गई (1969) । शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृहविभाग योजना के क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण हेतु उत्तरदायी थे। उच्चस्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय विशेष अधिकार प्राप्त समिति वार्षिक कार्य योजना तैयार करने एवं योजना के क्रियान्वयन के परिवीक्षण हेतु प्राधिकृत थे। विभागीय स्तर पर पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक (दूरसंचार), संचालक न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम (पु.गृ.नि.नि) तथा जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे ।

3.5.2 वित्तीय प्रबंधन

आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50: 50 प्रतिशत के अनुपात में निधियां उपलब्ध कराई गई । केन्द्र सरकार के केन्द्रांश में 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण के रूप में था । वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुदान पुनरीक्षितकर 60:40 प्रतिशत किया गया । वर्ष 2005-06 से केन्द्रीय अनुदान बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया ।

वर्ष 2000-06 की अवधि हेतु स्वीकृत योजना, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी राशियां एवं उनके विरूद्ध किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी ।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अनुमोदित योजना	केन्द्रांश		राज्यांश		केन्द्र द्वारा विमोचित राशि	राज्य द्वारा विमोचित राशि	योग (कालम7+8)	कुल व्यय	शेष
		प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000-01	108.97	50	54.49	50	54.48	54.49	58.04	112.53	10.00	102.53
2001-02	106.00	50	53.00	50	53.00	53.00	53.07	106.07	81.56	24.51
2002-03	106.00	50	53.00	50	53.00	51.33	51.33	102.66	57.19	45.47
2003-04	98.07	60	58.84	40	39.23	48.24	40.32	88.56	80.95	7.61
2004-05	99.74	60	59.84	40	39.90	42.07	28.05	70.12	189.23	(-)119.11
2005-06	104.24	75	78.18	25	26.06	30.29	10.10	40.39	71.45	(-)31.06
	623.02		357.35		265.67	279.42	240.91	520.33	490.38	29.95

वर्ष के अंत में बकाया राशियाँ वित्त विभाग के अनुमोदन से सिविल जमाओं में जमा की गई थी ।

3.5.2.1 केन्द्रांश की कमी एवं निधियों का कम उपयोग किया जाना

कार्यक्रम कार्यान्वयन की धीमी प्रगति के कारण, राज्य सरकार द्वारा 77.93 करोड़ रुपए का केन्द्रांश प्राप्त नहीं किया जा सका ।

छः वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए 623.02 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के विरुद्ध केन्द्रांश की राशि 357.35 करोड़ रुपए थी परन्तु योजना के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति के कारण केन्द्र द्वारा केवल 279.47 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की गई । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु 77.93 करोड़ रुपए का केन्द्रांश प्राप्त नहीं किया जा सका ।

वर्ष 2000-06 की अवधि में जारी की गई कुल सहायता राशि 520.33 करोड़ रुपए में से विभाग द्वारा मार्च 2006 तक 29.95 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका । पुनश्च व्यय के रूप में दर्शाए गए 490.38 करोड़ रुपए में से 159.42 करोड़ रुपए मार्च 2006 तक निर्माण ऐजेन्सियों* के पास पड़े हुये थे ।

159.42 करोड रुपए का अधिक व्यय प्रतिवेदित किया गया जबकि यह राशि निर्माण एजेन्सियों के पास पड़ी हुई थी ।

तथापि राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राशि व्यय के रूप में प्रतिवेदित की गई एवं केन्द्र सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए । परिणामस्वरूप 159.42 करोड़ रुपए की राशि का अधिक व्यय प्रतिवेदित किया गया जबकि यह राशि निर्माण एजेन्सियों के पास पड़ी हुई थी ।

3.5.2.2. अव्ययीत राशि वापस न करना

103 भवनों के निर्माण हेतु प्रदाय किये गये 4.72 करोड रुपए में से 0.76 करोड रुपए की बकाया राशि एजेन्सियों द्वारा वापस नहीं की गई ।

पुलिस गृह निर्माण निगम द्वारा 3.96 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 103 आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण पूर्ण कर मई 2003 से सितम्बर 2005 की अवधि में विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया । तथापि इन भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई राशि 4.72 करोड़ रुपए में से बकाया राशि 0.76 करोड़ रुपए पुलिस गृह निर्माण निगम द्वारा विभाग को वापस नहीं की गई ।

विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सियों को राशि वापस करने के निर्देश (जुलाई 2006) दिए गए थे । तथापि, यह अगस्त 2006 तक वापस नहीं की गई थी ।

3.5.3 गृह निर्माण

पु.गृ.नि.नि. द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई राशियों पर 2000-06 की अवधि में 11.45 करोड रुपए का ब्याज अर्जित किया गया एवं इसका उपयोग स्वयं को व्यय की पूर्ति हेतु किया गया ।

योजना में पुलिस कर्मियों को कार्य हेतु अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आवासीय, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है जिसके लिए वर्ष 2000-06 की अवधि में निर्माण एजेंसियों को भवनों के निर्माण हेतु 243.74 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की गई इसके विरुद्ध जून 2006 तक 84.32 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई । शेष राशि (159.42 करोड़ रुपए) निर्माण एजेन्सियों पर बकाया रही ।

* म.प्र.पुलिस गृह निर्माण निगम (155.17 करोड़ रुपए), म.प्र. गृहनिर्माण मंडल (2.21 करोड़ रुपए), लोक निर्माण विभाग (0.42 करोड़ रुपए), ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें (1.56 करोड़ रुपए)

पु.गृ.नि.नि. को निर्माण कार्यो हेतु प्रदाय की ई राशियां बैंकों में जमा रखी गई एवं इस पर वर्ष 2000-06 की अवधि में 11.45** करोड़ रुपए का ब्याज अर्जित किया गया एवं इसका उपयोग स्वयं के व्यय की पूर्ति हेतु किया गया । भवनों के निर्माण की स्थिति आगामी कंणिकाओं में वर्णित की गई है ।

3.5.3.1 पूर्ण भवनों को विभाग को हस्तांतरण किया जाना ।

15.76 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किए गए अठहत्तर भवन विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गए।

वर्ष 2000-06 के दौरान 243.74 करोड़ रुपए की लागत के 6080 भवनों के निर्माण किए गए जिनमें से वर्ष 2000-03 की अवधि से सम्बन्धित 1739 भवनों का निर्माण 62.44 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर पूर्ण किया गया । इनमें से भी 15.76 करोड़ रुपए की लागत से फरवरी 2004 से अगस्त 2005 की अवधि में पूर्ण किए गए 78 भवन (पुलिस गृह निर्माण निगम-छः भवन, 0.94 करोड़ रुपए, म.प्र.गृह निर्माण निगम 34 भवन, 10.49 करोड़ रुपए तथा लोक निर्माण विभाग 38 भवन, 4.33 करोड़ रुपए) निर्माण ऐजेन्सियों द्वारा अगस्त 2006 तक विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गए । इन भवनों में 23 जिलो के 44 थाना भवन, 12 जिलों के 18 प्रशासनिक भवन तथा 10 जिलों के 293 आवासीय भवन सम्मिलित थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है ।

3.5.3.2. भवनों के निर्माण में विलम्ब

12.82 करोड़ रुपए की राशि व्यय किए जाने के उपरान्त भी 868 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे ।

वर्ष 2000-03 की अवधि में राशि 37.56 करोड़ रुपए की लागत के स्वीकृत 868 भवनों का निर्माण वर्ष 2001-05 की अवधि में प्रारम्भ किया गया था तथापि 12.82 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने के उपरान्त भी अगस्त 2006 तक निर्माण कार्य अपूर्ण रहे । अभिलेखों की समीक्षा पर पाया गया कि इन भवनों का निर्माण विलम्ब से प्रारम्भ के कारण वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 एवं सम्बन्धित राशियां विभाग द्वारा क्रमशः अगस्त 2001,अक्टूबर 2002 एवं मार्च 2005 में निर्माण एजेन्सियों को प्रदाय की गई थी । यद्यपि निर्माण कार्य अक्टूबर 2001 से मार्च 2005 की अवधि में प्रारंभ किए गए थे, तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी इन्हें पूरा नहीं किया जा सका ।

इन निर्माण कार्यो में मुख्यतः वर्ष 2000- 01 एवं 2001-02 की अवधि के धार, सतना, कटनी, श्योपुर, मुरैना, एवं मंदसौर जिलों में 218 आवासीय भवन पर 4.06 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था इसी प्रकार भोपाल, इन्दौर, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी एवं उमरिया जिलों के पांच प्रशासनिक भवन, 22 थाना भवन एवं 14 अन्य भवन जिन पर 2.12 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी, अपूर्ण रहे । धार जिले में 1.48 करोड़ रुपए की लागत से 54 आवासीय भवनों के लिये निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था एवं माह अक्टूबर 2005 तक 0.90 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने के उपरान्त अक्टूबर 2005 में कार्य का ठेका निरस्त कर दिया गया एवं इसके लिए अगस्त 2006 तक पुनः टेण्डर किए जाने की प्रक्रिया जारी थी ।

** वर्ष 2000 -01 में 0.46 करोड़ रुपए, 2001-02 में 1.77 करोड़ रुपए, 2002-2003 में 2.21 करोड़ रुपए, 2003-04 में 0.89 करोड़ रुपए, 2004-2005 में 2.68 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2005 -06 में 3.44 करोड़ रुपए

उपर्युक्त तथ्य की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2006) कि निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, मासिक बैठकों में, एजेन्सियों को अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये नियमित रूप से निर्देश दिये जारहे थे । यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों पर प्रभावी परिवीक्षण नहीं किया गया एवं पांच वर्ष से अधिक अवधि पूर्व स्वीकृत किए गए कार्य भी अभी तक अपूर्ण रहे ।

3.5.3.3. निर्माण कार्यों का प्रारम्भ न किया जाना

निधियो के निर्माण एजेन्सियों को यथासमय विमुक्त किए जाने के उपरान्त भी 2658 निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किए गए ।

वर्ष 2000-06 की अवधि में 109.75 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किए गए 2658 निर्माण कार्य (2000-01 में एक भवन, 2001-02 में तीन, 2000-03 में 752, 2003-04 में 333, 2004-05 में 1053 एवं 2005-06 में 516 भवन) प्रशासकीय अनुमोदन (444), ड्राइंग, डिजाइन एवं प्राकलन (162), निविदाओं की स्वीकृतियां (451), भूमि की अनुपलब्धता (1557) एवं अन्य कारणों (44) के अभाव में माह जून 2006 तक प्रारम्भ नहीं किए जा सके । ऐसा निर्माण इकाइयों* को 109.75 की राशि पूर्व में ही विमुक्त किए जाने के उपरान्त भी था । निर्माण कार्य जिनके कार्य प्रारम्भ नहीं हुए थे; मुख्यतः भोपाल, झाबुआ, बड़वानी एवं सतना जिलों में एक एक थाना भवन, शिवपुरी (80), ग्वालियर (53) एवं मुरैना (13) जिलों में आवासीय भवन तथा धार (02) तथा डाबरी चौकी (01) में प्रशासकीय भवन सम्मिलित थे ।

3.5.4 वाहनों का उपार्जन

3.5.4.1 वाहन चालकों की अपर्याप्त संख्या

राज्य में 932 पुलिस थाने हैं । वर्ष 2000 के प्रारम्भ में केवल 16 प्रतिशत पुलिस थानों पर ही वाहन उपलब्ध थे । विभाग द्वारा वर्ष 2000-05 की अवधि में 110.90 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 3737 वाहन क्रय किये गये तथा सभी पुलिसे थानों को वाहन उपलब्ध कराये गये ।

जांच किये गये आठ जिलों** में वर्ष 2000 में 287 वाहन थे तथा योजना लागू होने के पश्चात 2000-05 की अवधि में 401 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये गये । इस प्रकार जनवरी 2006 तक इन जिलों में 688 वाहनों की उपलब्धता के विरूद्ध इन जिलों में केवल 412 वाहन चालक कार्यरत थे जिससे कि सभी वाहनों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं इस प्रकार वाहन चालकों की सेवायें सुनिश्चित किये बिना वाहनों का उपार्जन न्यायोचित नहीं था ।

* मध्य प्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम 108.21 करोड़ रुपए (0.10 करोड़ रुपए अगस्त 2001,26.62 करोड़ रुपए मार्च 2005, 11.55 करोड़ रुपए मई 2005, 37.74 करोड़ रुपए मार्च 2005, 32.60 करोड़ रुपए मार्च 2006)मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल 1.54 करोड़ रुपए (0.36 करोड़ रुपए अक्टूबर 2002, 1.04 करोड़ रुपए मार्च 2005, 0.14 करोड़ रुपए मार्च 2005 में)

** बड़वानी, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर एवं सागर

3.5.4.2 विलम्बित प्रत्युत्तर समयावधि

सराफ समिति का अभिमत था कि दिशा एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु अधिकतम प्रत्युत्तर विलम्ब समयावधि निर्धारित किया जाना आवश्यक है एवं अपराध स्थल पर पहुँचने के लिये 5 मिनिट की अधिकतम विलंब प्रत्युत्तर समयावधि की अनुशंसा की । राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रत्युत्तर समयावधि निश्चित नहीं की गई । सात जिलों[$] 2000-06 की अवधि के दौरान 311 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये गये थे ।

सात जिलों के 32 पुलिस थानों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2003 के दौरान 575 में से 356 प्रकरणों एवं वर्ष 2005 के दौरान 517 में से 253 प्रकरणों में पुलिस एक से दो घन्टे में घटना स्थल पर पहुचीं तथा 2003 के 103 प्रकरणों एवं 2005 के 122 प्रकरणों में पुलिस दो घंटे से भी अधिक विलम्ब के बाद घटना स्थल पर पहुँची। इस प्रकार ली गई प्रत्युत्तर समयावधि बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं थी एवं इन जिलों में अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी प्रत्युत्तर समयावधि की कमी में कोई उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित नहीं हुआ ।

3.5.5 कम्प्यूटरीकरण

3.5.5.1 कम्प्यूटरीकरण के उददेश्य की पूर्ति न होना

18.56 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने के उपरान्त भी कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई ।

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत दक्षता बढाने, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण के उददेश्य से राज्य में 914 पुलिस थाने, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं रेन्ज महानिरीक्षक कार्यालयों को राज्य पुलिस मुख्यालय से ऑन लाइन कनैक्टिविटी के साथ कम्प्यूटरीकरण किया जाना था । उपरोक्त कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 2000-06 की अवधि में कम्प्यूटरीकरण, फिंगर प्रिन्ट ब्यरो, प्रश्नाधीन दस्तावेज कार्य आदि हेतु 29.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से राशि 18.56 करोड़ रुपए (15.62 करोड़ रुपए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं 2.94 करोड़ रुपए पुलिस अधीक्षक कार्यालयों द्वारा) व्यय किया गया तथा अगस्त 2006 को अंव्ययीत राशि 10.54 करोड़ रुपए (6.90 करोड़ रुपए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं 3.64 करोड़ रुपए पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के पास) शेष थी।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सम्बन्धित उपकरण मुख्यालय कार्यालयों, जिला कार्यालयों एवं 114 पुलिस थानों को उपलब्ध कराये गये थे। यद्यपि, मुख्यालय कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में लोकल एरिया नेटवर्क सुविधा उपलब्ध थी किन्तु जिला कार्यालयों पुलिस थानों, एवं मुख्यालय कार्यालय को परस्पर ऑन लाइन नहीं जोड़ा गया था । पुनःश्च जाँच में पाया गया कि यह योजना 2004-05 के बाद से वाषिक कार्य योजना में शामिल नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप कम्प्यूटरीकरण योजना के ऑन लाइन जोड़ने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी ।

[$] बड़वानी, भोपाल, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर एवं सागर

विभाग ने बताया (अगस्त 2006) कि शासन द्वारा परस्पर संयोजकता (इन्टर कनेक्टिविटी) हेतु राशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास 10.54 करोड़ रुपए की अव्ययीत राशि पूर्व से ही उपलब्ध थी ।

3.5.5.2 सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग परियोजना (सीपा) के क्रियान्वयन में कमी

राज्य में मुख्यालय कार्यालय, रेन्ज कार्यालयों, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालयों तथा समस्त पुलिस थानों का आपस में एक दूसरे को ऑन लाइन संयोजन स्थापित करने साथ ही एक दूसरे को/से अपराध एवं अपराधियों के ऑकडे प्राप्त करने/भेजने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकरण करके अपराध एवं अपराधियों के आँकडों का रिकॉर्ड रखने की दृष्टि से सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग परियोजना (सीपा) भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी (2003-04) ।

भारत सरकार द्वारा परियोजना हेतु वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की वार्षिक कार्य योजना में क्रमशः 5.40 करोड़ रुपए एवं 13.86 करोड़ रुपए अनुमोदित किये गये । परियोजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में 94 पुलिस थाने तथा दूसरे वर्ष में 274 पुलिस थाने शामिल करने थे । स्थल निर्माण कार्य राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित विन्यास का हार्डवेयर का प्रदाय, सॉफ्टवेयर का विकास एवं उनके संस्थापन का कार्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया जाना था । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 हेतु अनुमोदित निधियां विमुक्त नहीं की गई ।

निर्धारित लक्ष्य 94 पुलिस थानों के विरुद्ध केवल 3 पुलिस थानों में ही कम्प्यूटर संस्थापित किए गए । सीपा सॉफ्टवेयर अव्यवहारिक पाया गया ।

विक्रेता द्वारा 93 पुलिस थानों में हार्डवेयर प्रदाय किये गये किन्तु अगस्त 2006 तक केवल 3 पुलिस थानों में उनका संस्थापन किया गया था । भारत सरकार द्वारा निधियां विमुक्त न किये जाने के कारण 275 पुलिस थानों में हार्डवेयर का प्रदाय एवं उनका संस्थापन प्रारम्भ नहीं किया गया था । 94 पुलिस थाने जिन के लिये राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा कार्य स्थल तैयार किये गये थे, किसी में भी आवश्यक एयर कण्डीश्नर प्रदाय नहीं किये गये ।

सामग्री प्रदाय एवं योजना क्रियान्वयन समयसूची की जानकारी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को नहीं थी तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी सहायक सामग्री प्राप्त हुई है, हार्डवेयर एवं सम्बन्धित उपकरणों के विन्यास भी उनके द्वारा जांच नहीं किए गये। इस प्रकार राज्य अपराध ब्यूरो एवं क्रियान्वयन एजेन्सी के बीच समन्वय तथा क्रियान्वयन के परिवीक्षण में कमी होने के कारण 90 पुलिस थानों में प्राप्त हार्डवेयर अनुपयोगी पड़े रहे ।

विभाग ने स्वीकार किया कि पुलिस थानों में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संस्थापित नहीं किये गये (अक्टूबर 2006) तथा क्रियान्वयन एजेन्सी व राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के बीच समन्वय की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था । यह भी कहा गया कि सीपा सॉफ्टवेयर प्रदर्शन के दौरान कमी के कारण व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

3.5.6 दूर संचार

3.5.6.1 पुलिस नेटवर्क (पॉलनेट) परियोजना के क्रियान्वयन में कमी

पोलनेट एक उपग्रह आधारित नेटवर्क है जो कि पुलिस थानों, जिला कार्यालयों, रेन्ज कार्यालयों ,राज्य मुख्यालय व राष्ट्रीय राजधानी के बीच ध्वनि ,आंकडे एवं सूचना संचार प्रदान करता है । परियोजना के नेटवर्क में भोपाल में हाइब्रिड स्टेशन, 37 जिलों में 37 वेरीस्माल एपरचर टर्मिनल (व्हीसेट) एवं व्हीसेट स्थल पर स्थापित बेस स्टेशन यूनिट (बी एस यू) के मार्फत 825 पुलिस थानों को मल्टी असेस रेडियो टेलिफोनी (मार्ट) के द्वारा जोड़ा जाना था । परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 2002-03 से 2005-06 की वार्षिक कार्ययोजना में राशि 4.75 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई तथा गृह मंत्रालय द्वारा परियोजना क्रियान्वयन का कार्य डायरेक्टोरेट आफ कॉरडिनेशन, पोलिस वायरलेस (डी.सी.पी.डब्ल्यू) को सौंपा गया । परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मई 2005 था जो नवम्बर 2006 तक बढ़ाया गया ।

पॉलनेट परियोजना के लिये प्रदाय की गई 1.39 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

जांच में पाया गया कि व्हीसेट एवं मार्ट के औजार/उपकरण पुलिसथानों एवं जिलों में जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 के मध्य प्राप्त हुए तथा भोपाल में हाइब्रिड स्टेशन एवं 37 जिलों के व्हीसेट मई 2005 तक संस्थापित किये गये थे । पुनःश्च जांच में पाया गया कि 825 पुलिस थानों में सें सामग्री का उपयोग केवल 470 पुलिस थानों में ही किया गया क्योंकि ये बी.एस .यू. की रेन्ज में होने के कारण साध्य थे । इस प्रकार शेष 355 पुलिस थानों, जो बी.एस.यू.की रेंज से बाहर थे, को प्रदाय की गई 1.39 करोड़ रुपए मूल्य की मार्ट की सामग्री अलाभकारी सिद्ध हुई ।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सामग्री के उपयोग के उद्देश्य से ऐसे पुलिस थाने जो रेन्ज में आते हैं परन्तु मुख्य योजना में सम्मिलित नहीं थे, को परियोजना में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे ।

3.5.7 न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली

3.5.7.1 डी.एन.ए.प्रयोगशाला की स्थापना में विलम्ब

परिप्रेक्ष्य योजना 2000-05 में सागर में डी.एन.ए.प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना सम्मिलित था । विभाग द्वारा (फरवरी 2004 से अप्रैल 2005)डी.एन.ए. प्रयोगशाला हेतु 3.35 करोड़ रुपए के उपकरण क्रय किये गये । इन उपकरणों को नवम्बर 2006 तक चालू नहीं किया गया था तथा आपराधिक प्रकरणों में डी.एन.ए.विश्लेषण का लाभ नहीं मिल सका ।

3.35 करोड़ रुपए व्यय किए जाने के उपरान्त भी नवम्बर 2006 तक प्रयोगशाला में डी.एन.ए. विश्लेषण प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

प्रयोगशाला में न्यायालयिक विश्लेषण प्रक्रिया हेतु उच्च ज्ञान, क्षमता व विशेषज्ञता होना अनिवार्य है । निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रयोगशाला तकनीकी प्रबन्धक या लीडर को कम से कम तीन वर्ष का न्यायालयिक डी.एन.ए.प्रयोगशाला का अनुभव होना चाहिए तथा जो डी.एन.ए. विश्लेषण में वास्तविक रूप से नियुक्त हैं, उन्हें नियमित अंतराल में कम से कम 180 दिन का बाह्य दक्षता प्रशिक्षण लेना होगा । स्वतंत्र रूप से प्रकरणों की जांच प्रारम्भ करने के पूर्व उन्हे अर्हता परीक्षा पूर्ण करनी चाहिए । तकनीशियनों एवं प्रयोगशाला के सहायक कर्मियों को उनके कार्य एवं जिम्मेंदारी के अनुरूप प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुभव होना चाहिए जैसाकि उनके कार्य विवरणों की रूपरेखा में दर्शाया गया है । तथापि, ऊपर दर्शायी गई अर्हता रखने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रयोगशाला में नियुक्ति नहीं की गई । आगे जांच में पाया गया कि शासन द्वारा डी.एन.ए. प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिकों, तकनीशियनों एवं सहायकों के कोई पद स्वीकृत नहीं किए गए थे वरन प्रयोगशाला के अन्य विभागो में कार्यरत चार वैज्ञानिक जो मैनुअल के प्रावधान के अनुसार डी.एन.ए. के स्वतंत्र परीक्षण हेतु निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे, नियुक्त किये गये । विभाग के इन वैज्ञानिकों को विक्रेता द्वारा पोस्ट सप्लाई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था।

निदेशक एफ.एस.एल ने बताया (नवम्बर 2006) कि प्रयोगशाला प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ की गई थी । कार्य का मानकीकरण प्रगति पर है तथा डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के अगले क्रम के रूप में पृथक्कृत डी.एन.ए. का जैनोटाइपिंग कार्य प्रारम्भ करना है । जहां तक वैज्ञानिकों की योग्यता का प्रश्न है ऐसा बताया गया कि वे मध्य प्रदेश शासन तथा सी.डी.एफ.डी. हैदराबाद के मध्य हुए समझौते के अनुसार एम.ओ.यू. के अन्तर्गत आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रयोगशाला में डी.एन.ए.विश्लेषण का कार्य नवम्बर 2006 तक प्रारम्भ नहीं हुआ था तथा वैज्ञानिकों ने डी.एन.ए.मानदण्ड के अनुसार कम से कम 180 दिन का बाह्य प्रवीणता प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया था ।

3.5.7.2 वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु नमूनों की प्राप्ति में विलम्ब

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुलिस द्वारा घटना स्थल से एकत्रित किये गये नमूने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने के दो सप्ताह के अंदर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने चाहिए ।

निदेशक एफ.एस.एल.सागर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अगस्त 2006)कि पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरणों में एकत्रित किये गये नमूने प्रयोगशाला में एक से सात साल के विलम्ब से भेजे गये थे । चूंकि पुलिस थानों में प्रयोगशाला की आवश्यकता के अनुसार नमूनों को सुरक्षित रखने हेतु कोई सुविधा नहीं थी अतएव निदेशक एफ.एस.एल. ने बताया (अगस्त 2006) कि समय व्यतीत होने के साथ-साथ बैक्टीरिया /फफूँद/ जंग के कारण नमूनों की गुणवत्ता में ह्रास होने से जाँच परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है ।

3.5.7.3 नमूनों के विश्लेषण अत्यधिक संख्या में लम्बित होना

प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों का यथाशीघ्र विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है । एफ.एस.एल द्वारा किये गये नमूनों का वर्षवार विश्लेषण निम्नानुसार था:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान परीक्षित प्रकरण	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरण
2000	22796	14443	37239	32792	4447
2001	4447	14818	19265	12308	6957
2002	6957	13848	20805	12169	8636
2003	8636	12987	21623	15144	6479
2004	6479	11292	17771	13015	4756
2005	4756	9081	13837	9171	4666
2006 से 6.06 तक	4666	4224	8890	4870	4020

प्रकरणों के विश्लेषण के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्ष के दौरान विश्लेषण किये गये प्रकरणों की संख्या 2000 में 32792 थी जो 2005 में घटकर 9171 रह गयी । जून 2006 के अंत में लम्बित दर्शाये गये 4020 प्रकरणों में से 2814 प्रकरण वर्ष 1992 से 2005 तक की अवधि से सम्बिन्धित थे (2394 प्रकरण 10 से 14 वर्ष पुराने, 399 प्रकरण पाँच से 10 वर्ष पुराने एवं 21 प्रकरण एक से पाँच वर्ष पुराने) । उत्तर में यह बताया कि नस्तियां विष विज्ञान शाखा (टॉक्सिकोलॉजी) में सुरक्षित रखी गई थीं एवं सम्बन्धित इकाई द्वारा माँगे जाने पर विश्लेषण परिणाम सूचित किया जावेगा।

3.5.8 संरचनाओं का न बनाया जाना एवं प्रशिक्षण पाठयक्रमों की संख्या में कमी

वर्ष 2000-05 के दौरान राशि 9.37 करोड़ रुपए के स्वीकृत 49 आवासीय एवं प्रशासन्कि भवनों, जिनमें कक्षाओं हेतु कमरे भी सम्मिलित हैं, में से 4.02 करोड़ रुपए का व्यय करने के पश्चात 33 भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किये गये एवं शेष 16 इकाइयों में अगस्त 2006 तक प्राक्कलन, ड्राइंग डिजाइन के अनुमोदन एवं स्थल चयन के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था । अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) प्रशिक्षण कलेन्डर का निर्धारण करने एवं उसके क्रियान्वयन का परिवीक्षण करने तथा क्षेत्र में दिए गए विभिन्न प्रशिक्षणों के प्रभाव का मूल्याकंन करने के लिए उत्तरदायी थे । अभिलेखों एवं दी गई जानकारी की जांच पर पाया गया कि पुलिस प्रशिक्षण शाला (पी.टी.एस.) इन्दौर, पंचमढ़ी, रीवा, तिगरा, एवं उमरिया में वर्ष 2002,2003 एवं 2005 में 204 पाठ्यक्रमो में 11750 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विरूद्ध इन वर्षो में केवल 138 पाठ्यक्रमों को चलाया जाकर 5758 कर्मियों को ही प्रशिक्षित किया जा सका तथा पाठ्यक्रमों की संख्या 66 (32 प्रतिशत) की कमी रही एवं प्रशिक्षार्थियों की संख्या में 5992 (51 प्रतिशत) की कमी रही । वर्ष 2000, 2001 एवं 2004 के लिए पुलिस कर्मियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों एवं आवंटित स्लॉटों की संख्या अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी ।

3.5.9 उपसंहार

राशियों के उपयोग की धीमी गति के कारण, राज्य शासन द्वारा, योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार का 77.93 करोड़ रुपए का शेयर प्राप्त नहीं किया जा सका । योजना का वित्तीय प्रबन्धन दोषपूर्ण था क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण ऐजेन्सियों के पास पड़ी हुई अव्ययित राशि वसूल नहीं की जा सकी । निर्माण एजेन्सीयों के पास ऐसी अत्यधिक राशि पड़ी हुई थी जिसे भारत सरकार को भेजे गये प्रतिवेदनों में, व्यय किया जाना दर्शाया गया था । निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गये भवनों को विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया, इस प्रकार, जिन उद्देश्यों हेतु भवनों का निर्माण किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो सकी । अनुमोदन प्राप्त न होने, ड्राइंग डिजाइन को अन्तिम रूप न देने तथा भूमि की अनुपलब्धता आदि के कारण थाना भवनों, आवासीय भवनों के निर्माण में विलम्ब हुआ तथा अन्य स्वीकृत कार्यो का निर्माण प्रारम्भ ही नहीं किया जा सका । यद्यपि वाहन क्रय एवं प्रदाय किये गये परन्तु पर्याप्त संख्या में वाहन चालक उपलब्ध नहीं थे तथा प्रत्युत्तर समयावधि भी अपेक्षानुसार कम पायी गई । ऑन लाइन कनैक्टिविटी को सुनिश्चित नहीं किया गया एवं सीपा परियोजना के अन्तर्गत क्रय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपयोग में नहीं लाए गए। डी.एन.ए. प्रयोगशाला की स्थापना में विलम्ब हुआ तथा एफ.एस.एल में अत्यधिक संख्या में जाँच के प्रकरण भी लंबित रहे । प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित अधोसंरचनाओं का सृजन नहीं किया गया एवं अनेक प्रशिक्षण स्लॉटों का भी उपयोग नहीं किया गया ।

3.5.10. अनुशंसाएं

1. निर्माण एजेन्सियों के पास पड़ी हुई राशि को भारत सरकार को भेजे गये प्रतिवेदनों में व्यय के रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात एजेन्सी के पास पड़ी हुई अव्ययित राशि को तुरन्त वसूल किया जाना चाहिए ।

2. पूर्ण निर्माण कार्यो को विभाग को हस्तान्तरण हेतु त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि जिस प्रयोजन हेतु निर्माण कार्य किये गये हैं उनका उपयोग किया जा सके ।

3. अत्यधिक मात्रा में निर्माण कार्यो में विलम्ब एवं उनके प्रारम्भ न होने को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्यो की समींक्षा की जानी चाहिए एवं अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वित कदम उठाए जाने चाहिए तथा सावधिक एवं नियमित परिवीक्षण पद्धति लागू की जानी चाहिए ताकि इन कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करके पूर्ण किया जा सके ।

4. विभिन्न स्तरों पर ऑन लाइन कनैक्टिविटी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कम्प्यूटरीकरण का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके ।

यह प्रकरण सितम्बर 2006 में शासन को सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2006) ।

राजस्व विभाग

3.6 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली " भू-अभिलेख")

मुख्य विशेषतायें

भारत सरकार द्वारा 1988-89 में भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र प्रवृर्तित योजना इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि भूस्वामियों को अधिकार के अभिलेखों (खसरा खतौनी) की समय पर परिशुद्ध प्रतियां दी जा सके एवं भू-अभिलेख डाटाबेस में घटित होने वाले परिवर्तनों का अद्यतनीकरण किया जा सके । 3 जिलों एवं 97 उपसंभागों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित न होने एवं 3 जिलों एवं 5 तहसीलों के कम्प्यूटर केन्द्रों में कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध न कराये जाने के कारण विभाग पूरी तरह से योजना का क्रियान्वयन करने में विफल रहा । 7 तहसीलों में खसरा खतौनी की प्रतियाँ हस्तलिखित में जारी की जा रही थीं एवं जिला स्तर पर परिवीक्षण के अभाव में 18,440 ग्रामों से संबंधित डाटा प्रविष्टियों को अद्यतन नहीं किया गया था ।

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण अभी भी पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि भू-स्वामियों को (अधिकार के अभिलेखों) खसरा खतौनी की प्रतियाँ अभी भी हस्तलिखित जारी की जा रही थीं ।

(कंडिका 3.6.7.4)

परिवीक्षण की कमी एवं ई.डी.पी. स्टाफ की सेवाओं में परिवर्तन करने के कारण 18,440 ग्रामों में डाटाबेस के अद्यतन का कार्य नहीं किया गया ।

(कंडिका 3.6.7.5)

तहसील स्तर पर इनपुट नियंत्रणों के अभाव में एवं समुचित वैधीकरणों की कमी के कारण डाटाबेस में विसंगतियाँ पाई गईं ।

(कंडिका 3.6.9.1 एवं 3.6.9.2)

विभाग में किसी सूचना प्रौद्योगिकी नीति/कार्यनीति के अभाव में सामान्य सूचना तकनीकी नियंत्रणों की कमी थी ।

(कंडिका 3.6.10)

3.6.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना 1988-89 में प्रारम्भ की गई थी तथा इसे एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में निष्पादित किया गया था । प्रारंभ में यह योजना एक मार्गदर्शी योजना के रुप में मुरैना जिले में प्रारम्भ की गई थी । बाद में इसका विस्तार राज्य के शेष जिलों में किया गया ।

समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था । योजना इस परिकल्पना के साथ लागू की गई ताकि भू-स्वामियों को खसरा खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उचित कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकें । इसके अतिरिक्त शीघ्रता, परिशुद्धता, पारदर्शिता सुनिश्चित हो एवं विवाद निपटारे तथा भू-अभिलेखों का आनलाइन प्रबंधन हो ।

व्यापक डाटाबेस की अनुपलब्धता तथा हस्तलिखित पद्धति में भू-अभिलेखों का उचित अद्यतन न होने के कारण भू-सुधारों से संबंधित निर्णयों को लागू करने में बाधा रही तथा भू सुधारों हेतु डाटाबेस में कमी जारी रही । भू-सुधारों का प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन तथा संबंधित क्रियाकलापों की देखभाल हेतु एक कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख प्रणाली निर्णायक समझी गई । इसके लिये भू-अभिलेख से संबंधित एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस का सृजन आवश्यक माना गया जो भू-दखल, भू-सीमा तथा भू-समेंकन में सहायक हो ।

भू-अभिलेख एक आई.एस.ओ. प्रमाणित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है जो राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख, व बन्दोबस्त राजस्व विभाग म.प्र. सरकार के लिये भू-प्रबंधन क्षेत्र में निचले स्तर पर (तहसील स्तर तक) शासन व्यवस्था प्रदान करने हेतु अभिकल्पित तथा विकसित किया गया है । भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम (सी.एल.आर.) एन.आई. सी., ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य शासन का संयुक्त प्रयास है । वर्तमान में भू-अभिलेख वर्जन 2.0 जो भू-अभिलेख वर्जन 1.0 का सुपरसेट है, सभी 48 तहसीलों में कार्यान्वित है । विज्युअल बेसिक 6.0 फ्रंट एण्ड सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग किया जा रहा था तथा एस.क्यू.एल सर्वर डाटाबेस के संधारण हेतु उपयोग किया जा रहा था ।

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार (दिसम्बर 2002), भू-अभिलेख की प्रारम्भिक डाटा एन्ट्री निजी वेंडरों के द्वारा की गई तथा डाटाबेस के अद्यतनीकरण का कार्य तथा खसरा* (आर.ओ.आर.) एवं खतौनी** (बी 1) के वितरण का कार्य इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर किया जा रहा था । भू-अभिलेख वर्जन 3.0 सभी तहसीलों में अनुवर्ती उपयोग हेतु मार्गदर्शी के कार्यान्वयन के अन्तर्गत है ।

3.6.2 योजना के उद्देश्य

अन्य बातों के साथ-साथ योजना के उद्देश्य इस प्रकार है:-

भूमि के डाटा बेस, भू-स्वामियों को अधिकारों के अभिलेखों की समय पर परिशुद्ध प्रतियां जारी करने हेतु भू-खण्डवार विवरण का सुगम संधारण एवं अद्यतन "भू-सूचना प्रणाली" तथा प्रभावी भूमि सुधारों हेतु डाटा बेस का सृजन, निचले स्तर पर राजस्व प्रशासन एवं विकासात्मक योजना निर्माण लम्बे समय तक विश्वसनीय प्रतिरक्षण हेतु कम लागत पर सुगम रूप से पुनः उत्पादक संग्रहण माध्यम के सृजन को सुविधाजनक बनाना, चित्रात्मक एवं मूलपाठ विषयक दोनों प्रकार की जानकारियों को शीघ्र एवं सक्षमता पूर्वक पुनः प्राप्त करना ।

* खसराः कृषक, फसल तथा ऐसी फसल के अंतर्गत क्षेत्र के विवरण देने वाली फसल निरीक्षण पंजी ।

** खतौनीः हकों/अधिकारों का अभिलेख जो प्रत्येक भू-भाग का स्वामित्व दर्शाता है ।

3.6.3. संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर योजना के आयोजन, कार्यान्वयन एवं परिवीक्षण के लिये पर प्रधान सचिव, राजस्व विभाग उत्तरदायी थे, जबकि राज्य स्तर पर आयोजन, कार्यान्वयन, परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये आयुक्त, भू-अभिलेख नोडल अधिकारी थे । जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यान्वयन, परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये क्रमशः जिला कलेक्टर तथा तहसीलदार उत्तरदायी थे । राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी आधारभूत सूचना प्रदान करने के लिये उत्तरदायी थे ।

3.6.4. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिये की गई थी कि क्या भू-अभिलेखों में डाटाबेस का सही व सुगम रखरखाव तथा अद्यतनीकरण था । इस बात की जाँच जानी थी कि भू-स्वामियों को परिशुद्ध तथा समय पर कम्प्यूटरीकृत खसरा व खतौनी की प्रतियाँ जारी की जा रहीं थी । इसके अलावा इस बात की भी जांचा जानी थी कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न नियत्रणों का समावेश किया गया था तथा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान उनके अनुपालन का ध्यान रखा जा रहा था।

3.6.5. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 1988-2006 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के अभिलेखों की नमूना जाँच, मार्च 2006 से अगस्त 2006 की अवधि में, आयुक्त, भू- अभिलेख, ग्वालियर के कार्यालय में 48 जिलों में से 11* के कलेक्टर भू-अभिलेख कार्यालयों में तथा प्रत्येक जिले की एक-एक तहसील अर्थात 11 तहसीलों में की गई थी । अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की जाँच नियंत्रणों शुद्धता, उपयुक्तता तथा उपलब्धता जानने की लिए की गई । फसल वर्ष 2004-05 (जुलाई 2004 से जून 2005) के लिए चयनित तहसीलों के डाटा का विश्लेषण स्ट्रकचर्ड क्वेरी लेंगवेज (एस.क्यू.एल.) का प्रयोग कर किया गया। जांच के परिणाम अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित किये गये हैं ।

3.6.6. वित्तीय प्रबंधन

योजना भारत सरकार द्वारा इस शर्त के साथ शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से केन्द्र प्रवर्तित की गई थी कि जिलों में परियोजना के पूर्ण होने के बाद वित्तीय सहायता रोक दी जायेगी एवं भविष्य में इसे निरंतर जारी रखने तथा संधारण हेतु आवश्यक व्यय राज्य सरकार वहन करेगी ।

* बैतुल, भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, धार, मुरैना, सतना, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा

1988 से 2006 तक की अवधि के दौरान प्राप्त केन्द्रीय सहायता बजट प्रावधान तथा व्यय एवं निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्राप्त केन्द्रीय सहायता	व्यय	अधिक (+) वचत (-)	छत्तीसगढ़ राज्य को स्थानान्तरित
1988 से 3/98	4.66	4.66	--	--
1998-99	5.46	5.46	--	--
1999-2000	6.81	4.55	--	2.26
2000-01	5.01	3.21	--	1.80
2001-02	7.70	6.70	(-) 1.00	--
2002-03	--	--	--	--
2003-04	5.43	4.82	(-) 0.61	--
2004-05	2.86	2.01	(-) 0.85	--
2005-06	3.88	--	(-) 3.88	--
योग	**41.81**	**31.41**	**(-) 6.34**	**4.06**

भारत शासन से वर्ष 1988 से 2006 की अवधि में प्राप्त केन्द्रीय सहायता 41.81 करोड़ रुपए में से 1999-2001 की अवधि में 4.06 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य को स्थानांतरित किये गये । राज्य से संबंधित शेष सहायता 37.75 करोड़ रुपए में से, 31.41 करोड़ रुपए 1988-2005 के दौरान व्यय किए गए । राज्य सरकार के पास शेष 6.34 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त सहायता राशि में से 3.56 करोड़ रुपए राज्य के 97 उप संभागों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2005-06 के दौरान सिविल जमा में रखे गये जबकि डाटा एन्ट्री कार्य (76.02 लाख 2001-02) डिजिटाइजेशन मार्गदर्शी परियोजना, द्वितीय किस्त (24.33 लाख रुपए 2001-02) तथा संभागीय, जिला, उप संभागीय तथा तहसील स्तर पर कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना (2.77 करोड़ रुपए 2003-06) से संबंधित शेष 2.78 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त होने के बावजूद भी संबंधित वर्षो में आहरित नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर आयुक्त ने सूचित किया (मार्च 2006) कि वित्त विभाग ने सिविल जमाओं से 3.56 करोड़ रुपए के आहरण की अनुमति प्रदान कर दी है (मार्च 2006), जिसे केन्द्रों की स्थापना हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा 2.78 करोड़ रुपए भारत सरकार से पुनरीक्षित स्वीकृति पश्चात उपयोग किये जाएंगे ।

3.6.7 कार्यप्रणाली लागू करना

3.6.7.1 निर्धारित समयावधि की कमी

भारत शासन के दिशा निर्देश (1994) के अनुसार, परियोजना जिलों में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु निधियाँ जारी होने से तीन वर्ष समय सीमा निर्धारित थी । निर्धारित समय सीमा 3 वर्ष में परियोजना जिलों में कार्यक्रम, जिसके लिए 1994 से 2002 के मध्य निधियाँ जारी की गई, की पूर्णता दर्शाने वाले

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयावधि की कमी ।

कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये । यद्यपि लेखापरीक्षा हेतु चयनित 11 तहसीलों में भी पाया गया कि अधिकारों के अभिलेख (खसरा खतौनी) आदि की हस्तलिखित प्रतियाँ दी गई थीं तथा कम्प्यूटरीकरण पूर्ण नहीं हुआ था । फिर भी संशोधित दिशा निर्देश (2002) में परियोजना पूर्ण करने हेतु कोई भी विशिष्ट तिथि निश्चित नहीं की गई थी । राज्य सरकार ने भी परियोजना लागू करने हेतु कोई भी समयाबद्ध कार्य-योजना तैयार नहीं की जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ ।

3.6.7.2. नेट वर्किंग

नेटवर्क संयोजकता स्थापित नहीं की गई ।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों (1999/2002) के अनुसार, तहसीलों, उप संभाग, जिला एवं राज्य स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों के बीच नेटवर्क संयोजन स्थापित करने का निर्णय लिया गया । हालांकि अगस्त 2006 तक कम्प्यूटर केन्द्रों के बीच नेटवर्क संयोजन स्थापित नहीं किया गया था ।

3.6.7.3 जिलों एवं उप संभागों में कम्प्यूटर केन्द्रों की संस्थापना न होना

आयुक्त, भू-अभिलेख ने अपने जनवरी 2005 के प्रगति प्रतिवेदन में भू-अभिलेखों का शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण होना दर्शाया गया ।

निधियों की उपलबध बावजूद भी तीन जिला मुख्यालयों तथा 97 उप संभागों में कम्प्यूटर केन्दों की स्थापना नहीं गई थी ।

आयुक्त एवं जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रकट हुआ कि 3 जिला* मुख्यालयों तथा 97 उप संभागों में केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद भी केन्द्रों की संस्थापना नहीं की गई थी ।

2004-05 के दौरान उपरोक्त 3 जिलों को प्रदाय 19.41 लाख रुपए की कम्प्यूटर सामग्री जून 2006 तक अप्रयुक्त पड़ी रही । **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाये अनुसार, भारत सरकार द्वारा 2005-06 में 4.00 लाख रुपए प्रति उप संभाग की दर से 97 उप संभागों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु जारी की गई 3.88 करोड़ रुपए की निधियाँ अप्रयुक्त रहीं ।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर आयुक्त ने आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया (अप्रैल 2006) । हालांकि सत्यता यह रही कि आवश्यक निधि उपलबध होने के बाद भी जिला एवं उप संभाग स्तर पर अभी भी कम्प्यूटरीकरण पूर्ण नहीं हुआ है आयुक्त के प्रगति प्रतिवेदन (जनवरी 2005) में दर्शाया गया शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण सत्य नहीं पाया गया ।

भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी

3.6.7.4. जिला एवं तहसील स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध न होने से कम्प्यूटर केन्द्र अकार्यशील रहे ।

डाटा एन्ट्री आपरेटर उपलब्ध न होने के कारण 3 जिला मुख्यालय एवं 5 तहसीलों में कम्प्यूटर केन्द्र क्रियाशील नहीं थे।

तीन जिला** मुख्यालयों एवं 5 तहसीलों*** के अभिलेखो की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि यद्यपि कम्प्युटर केन्द्र स्थापित किये गये थे एंव दतिया जिले के 5 ग्रामों को छोड़कर प्रारंभिक डाटा एन्ट्री कार्य भी पूर्ण किये गया था फिर भी वे अगस्त 2006 तक कम्प्यूटर ऑपरेटर के अभाव में अकार्यशील रहे थे ।

आगे दतिया जिले के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 256 ग्रामों में से 5 ग्रामों में डाटा इनपुट कार्य (कमरारी,दतिया गिर्द, बसई,जुहारपुर एवं चंदेरिया) में पूर्ण नहीं हुआ था (मई 2006) ।

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया भाग-I पुस्तिका, जिसे आयुक्त द्वारा वर्ष 2004 में जारी किया गया था, के अनुसार भू-स्वामियों को खसरा-खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां ही वितरित की जानी थी ।

7 तहसीलों में कम्प्यूटरीकरण प्रतियों के स्थान पर हस्तलिखित खसरे की प्रतियां प्रदाय की गई ।

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 7 तहसीलों में, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, भू-स्वामियों को खसरा खतौनी की प्रतियां अभी भी हस्तलिखित जारी की जा रही थी जो खसरा खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां दिये जाने के उद्देश्य की असफलता है ।

क्र. सं.	तहसील का नाम	2001- 02		2002- 03		2003- 04		2004- 05		2005- 06	
		हस्त लिखित खसरे की प्रतियां प्रदाय	कम्प्युटरी कृत प्रतियां प्रदाय	हस्त लिखित प्रतियां प्रदाय	कम्प्यूटरी कृत प्रतियां प्रदाय	हस्त लिखित प्रतियां प्रदाय	कम्प्यूटरी कृत प्रतियां प्रदाय	हस्त लिखित प्रतियां प्रदाय	कम्प्यूटरी कृत प्रतियां प्रदाय	हस्त लिखित प्रतियां प्रदाय	कम्प्युटरी कृत प्रतियां प्रदाय
1.	छतरपुर	--	--	4260	--	3599	--	2387	3000	897	6500
2.	दमोह	--	--	117	--	132	--	602	--	946	118
3.	भिण्ड	--	--	438	--	772	--	795	--	839	--
4.	दतिया****	--	--	3115	10911	7350	6946	2900	11286	3370	9327
5.	सतना	3425	1993	3489	6864	3680	3631	3939	2369	4253	2583
6.	शिवपुरी	960	5623	982	11093	1019	10373	1116	8370	520	5736
7.	बैतूल	2786	निरंक	3076	1421	3679	557	4342	1308	4726	1288

3.6.7.5 डाटा एन्ट्री का अद्यतनीकरण न होना ।

18440 ग्रामों में डाटाबेस अद्यतनीकरण नहीं हुआ ।

भारत शासन द्वारा 1999 में जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष डाटा का अद्यतनीकरण किया जाना था एवं अद्यतनीकरण पर व्यय की गई राशि राज्य सरकार

** छतरपुर में कम्प्यूटर स्थापित हुआ । (जुलाई 2005) दतिया (फरवरी 2006) एवं दमोंह (फरवरी 2006) ।

*** खाचरोद में कम्प्यूटर स्थापित हुआ (दिसम्बर 1999) बड़नगर (दिसम्बर 1999) घटिया (दिसम्बर 1999)नागदा (अगस्त 2001)एवं दमोह (अगस्त 2001)

**** दतिया जिले के 5 ग्रामों कें (कभरारी,दतियागिर्द, बसई, जुझारपुर एवं चंदेरिया)डाटा एन्ट्री कार्य पूर्ण नहीं हुआ ।

द्वारा वहन की जानी थीं । फिर भी यह पाया गया कि (फरवरी 2006) राज्य में 55657 ग्रामों में से 18440 ग्रामों को डाटाबेस का अद्यतनीकरण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	म.प्र.में कुल ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें डाटा अधतनीकरण किया गया ।	ग्रामों की संख्या जिनमें डाटा अधतनीकरण नहीं किया गया ।
2003-04	55657	55626	31
2004-05	55657	55265	392
2005-06	55657	37640	18017
			18440

यह इंगित कियें जाने पर आयुक्त ने सूचित किया (मार्च 2006) कि डाटा अद्यतनीकरण की जिम्मेदारी जिलों की है । डाटावेस अधतनीकरण न होने के मुख्य कारण अनियमित विद्युत प्रदाय होना, जिला स्तर पर हार्डवेयर का संधारण न होना एवं ई.डी.पी स्टाफ का तहसील स्तर पर डाटा एंट्री कार्य करने के साथ ही अन्य विविध कार्यों में संलग्न होना था ।

3.6.7.6 जिलों द्वारा व्यय न की गई राशि 11.98 लाख रुपए वापिस न किया जाना ।

व्यय न की गई शेष राशि 11.98 लाख रुपए 8 जिलों द्वारा डाटा एन्ट्री कार्य पूर्ण होने के बाद वापिस नहीं की गई ।

आयुक्त द्वारा जिलों को डाटा एंट्री कार्य हेतु अवधि 1997-98 से 2001-2002 तक 14.52 करोड़ रुपए प्रदाय किये गये । परिशिष्ट 3.11 के अनुसार 8 जिलों द्वारा भेजे गये फरवरी 2006 के व्यय विवरण के सत्यापन में 11.98 लाख रुपए व्यय न की गई राशि बैंक में रखी गई जबकि सभी जिलों में डाटा एंट्री कार्य पूर्ण हो गया था । डाटा एंट्री कार्य पूर्ण होने के बाद व्यय न की गई राशि वापिस की जानी थी जो नहीं की गई।

यह इंगित किये जाने पर आयुक्त द्वारा में संबंधित जिलों से स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु कहा गया (अप्रैल 2006) ।

3.6.7.7. उपयोग प्रमाण पत्र न भेजे जाना

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, किये गये व्यय के विरुद्ध मदवार व्यय के साथ अंतरिम उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा भेजे जाने थे । प्राप्त सहायता, किये गये व्यय राशि एवं भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र को विवरण निम्नानुसार है ।

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	प्राप्त अनुदान	व्यय की गई राशि	भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र	राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे गये
2003-04	542.50	482.08	284.00	198.08
2004-05	286.30	201.13	--	201.13
योग	**828.80**	**683.21**	**284.00**	**399.21**

राशि 3.99 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को नहीं भेजे गये ।

इस प्रकार 3.99 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को नहीं भेजे गये। आयुक्त द्वारा बताया गया (जून 2006) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही भारत शासन को भेजे जायेंगे ।

3.6.7.8 ठेकेदार को अधिक भुगतान

जिलाध्यक्ष उज्जैन द्वारा भू-अभिलेख डाटा एंट्री कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गई (नवम्बर 1997) । मैसर्स पिक कम्प्यूटर टेकनीक प्रा. लिमि.उज्जैन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति अभिलेख निम्नतमदर 1.25 रुपए की जिलाध्यक्ष उज्जैन द्वारा जनवरी 1998 में स्वीकृत की गई। जनवरी 1998 में किये गये अनुबन्ध के अनुसार, डाटा एंट्री कार्य मार्च 1998 के अंत तक पूर्ण किया जाना था । 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के बाद फर्म ने कलेक्टर उज्जैन से उन दरों को बढ़ाने के लिये निवेदन किया जो कि आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा दिसम्बर 1999 में स्वीकृत की गई थीं । उक्त दरें 1.25 रुपए प्रति अभिलेख से 2.15 रुपए प्रति अभिलेख इस शर्त के साथ बढ़ाई गई कि बढी हुई दर का भुगतान शेष 70 प्रतिशत कार्य हेतु किया जायेगा ।

नियम विरुद्ध उच्च दरों को स्वीकार करने के कारण ठेकेदार को 6.30 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया गया

अगस्त 2006 में जिलाध्यक्ष उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अनुबंध के अनुसार बीच में दर बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था । 9,99,856 अभिलेखों के लिये 1.25 प्रति अभिलेख के मान से 12.50 लाख रूपए के विरुद्ध वास्तविक तौर पर 18.80[*] लाख रुपए का अगस्त 2006 तक भुगतान किया गया जिससे फर्म को 6.30 लाख रूपए अधिक भुगतान हुआ ।

इंगित किये जाने पर, आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2006) कि फर्म को स्वीकृत दर बहुत कम थी एवं डाटा एंट्री कार्य समय पर शुद्धता के साथ पूर्ण किया जाना था, इसलिये डाटा एंट्री दर बढ़ाई गई । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार बीच में दर बढ़ाने का प्रावधान नहीं था ।

3.6.8 अनुप्रयोग नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण के अभाव में त्रुटियां पाई गई ।

अनुप्रयोग नियंत्रण वे नियंत्रण हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लेन-देन संगठन के व्यवसायिक नियमों के अनुसार किये गये । ये नियंत्रण प्रणाली के इनपुट प्रोसेसिंग तथा आउटपुट ऑपरेशन को आवृत करते हैं । इनपुट नियंत्रण यह आश्वस्त करते हैं, कि सिस्टम में उपलब्ध कार्यविधि तथा नियंत्रण यह प्रत्याभूत करें कि प्रोसेसिंग हेतु प्राप्त डाटा वास्तविक, पूर्ण शुद्ध तथा सही रूप से अधिकृत किया गया है तथा साथ ही यह भी आश्वस्त करते हैं कि डाटा सही तथा द्विरावृत्ति रहित प्रविष्ट किया गया है । इनपुट नियंत्रण की उपस्थिति इसलिए भी महत्व रखती है, कि यह गलत तथा कपटपूर्ण इनपुट को रोकने में सहायक है । लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग द्वारा डाटा इनपुट प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई ।

- कोई भी ऐसी कार्यप्रणाली नहीं रखी गई तथा ऐसी कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई जो यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी स्रोत दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं तथा डाटा

[*] 9,99,856 अभिलेखों का 30%= 2,99,257 अभिलेख 1.25 रूपए की दर से = 3,74,946=00

9,99,856 अभिलेखों का 70%= 6,99,899 अभिलेख 2.15 रूपए की दर से = 15,04,783=00

18,79,729=00

को सही ढंग से अद्यतन कर लिया गया है । अतः तहसील स्तर पर कम्प्यूटर में रखे गये डाटा की परिशुद्धता एवं पूर्णता हमेंशा संदिग्ध रहेगी ।

- भू-अभिलेखों के रखरखाव की पारंपरिक पद्धति में पटवारियों का भू-अभिलेख के रखरखाव पर एकाधिकार था तथा डाटा में अनधिकृत परिवर्तनों की संभावना हमेशा रहती थी । भू-स्वामी खसरा खतोनी की प्रतियां भी समय पर प्राप्त नहीं कर रहें थे । अतः आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों (1991) का एक उद्देश्य पटवारियों का बोझ कम करना था । तथापि विभाग के कम्प्यूटरीकरण के उपरांत भी स्थिति वही थीं तथा विभाग अभी भी भू-अभिलेखो में किये गये परिवर्तनों पर निगाह रखने के लिये पूरी तरह से पटवारियों पर निर्भर था ।

- डाटा में दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन की संभावना सदैव बनी रही क्योकि डाटा एंट्री आपरेटर को 4 तहसीलों[&] में भू-स्वामियो को खसरा खतौनी वितरित करने के अधिकार प्रदाय कर दिये गये थे ।

- पटवारियों से प्राप्त केवल पी-II विवरण पत्रक स्त्रोत दस्तावेजों के रूप में रखे गये हैं। अभिलेखों में सुधार पर नियंत्रण रखने के लियें अलग से कोई दस्तावेज अथवा पंजी संधारित नहीं की गई थी । 3 तहसीलो[*] में कम्प्यूटर केन्द्रों द्वारा वितरित अधिकार के अभिलेखों (खसरा खतौनी) की मुद्रित प्रति भी मूलप्रतिलिपि के रूप में नहीं रखी गई थी ।

- मूल डाटा एंट्री में अनधिकृत संशोधनों को रोकने के लिये भू-अभिलेखों में दाखिला खारिज (नामांतरण) द्वारा हुये परिवर्तनों को अंकित करने के लियें सॉफ्टवेयर प्रयोग में अलग से व्यवस्था की गई है । परन्तु 10 तहसीलों[#] में यह देखा गया कि ऐसे सभी सुधार खसरा सुधार मोडयूल का प्रयोग कर किये गये हैं । इस स्थिति में उन सभी नियंत्रणों जैसे दाखिल खारिज विधि, कोर्ट का नाम तथा प्रकरण क्रमांक आदि जो कि म्यूटेशन (नामांतरण) मोडयूल में उपलब्ध हैं, का उपयोग संभव नहीं है ।

- 5 तहसीलो[▲] में डाटा एन्ट्री आपरेटरों की डाटा वैद्यीकरण के लिए जबाबदेह बनाया गया । तथा ऐसी कोई भी प्रणाली सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं की गई थी जो डाटा वैधीकरण करने के उपरान्त सुधारों को रोक सके । अतः इस स्थिति में मूल डाटा बेस में अनाधिकृत परिवर्तन की संभावना हमेंशा रहेगी ।

- यद्यपि सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध की गई थी जो व्यक्तिगत मालिकों के लिये संबधित राजस्व राशियों को लेखबद्ध कर सके परन्तु ये रशियां डाटाबेस में फीड नहीं पाई गई, इस कारण राजस्व संग्रहण के आँकड़े इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता करना संभव नहीं था ।

[&] भिण्ड,धार,मुरैना तथा उज्जैन

[*] धार, मुरैना तथा उज्जैन

[#] भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, मुरैना, सतना, धार, उज्जैन, बैतुल तथा विदिशा

[▲] दतिया, भिण्ड, सतना, उज्जैन तथा धार

3.6.9 भू-अभिलेख डाटावेस के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर) में पाई गई त्रुटियाँ ।

इनपुट तथा वैद्यीकरण नियंत्रणों की कमी के कारण सी.एल.आर. डाटाबेस में त्रुटियां

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत योजना की सफलता का मूल आधार एकत्रित किये गये डाटा की विश्सनीयता पर था । 11 चयनित तहसीलों** के वर्ष 2004-05 के 21.61 लाख अभिलेखों की जांच करने पर डाटा में निम्नानुसार कई कमियां प्रकट हुई जिससे डाटा अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं । अधिकतर त्रुटियां डाटा एन्ट्री स्तर पर समुचित इनपुट तथा वैद्यीकरण नियंत्रणों के अभाव के कारण पाई गई ।

3.6.9.1 इनपुट नियंत्रणों की कमी के कारण त्रुटियां

डाटाबेस के 17816 प्रकरणों में क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया,162 प्रकरणों में भूस्वामी के नाम का स्थान खाली था । 3.42 लाख प्रकरणों में यह पाया गया कि भूस्वामी के पिता का नाम रिक्त छोड दिये गये थे । 0.86 लाख प्रकरणों में भूस्वामी का पता उल्लेखित नहीं किया गया । 1307 प्रकरणों में भूस्वामी के नाम के स्थान पर एक अर्थहीन अक्षर फीड पाया गया । 3.48 लाख प्रकरणों में भू-स्वामीयों की जाति नहीं दर्शाई गई । 182 कब्जा प्रकरणों में पिता का नाम रिक्त था । 116 कब्जा प्रकरणों में पिता के नाम के स्थान पर एक अर्थहीन अक्षर प्रविष्ट पाया गया ।

180 कब्जा प्रकरणों में पता का स्थान रिक्त था । 410 भूमि अतिक्रमण प्रकरणों में अतिक्रमणकारी के नाम के स्थान पर एक अर्थहीन अक्षर प्रवेष्ट था । 19 अतिक्रमण प्रकरणों में अतिक्रमणकारी का नाम उल्लेखित नहीं था । 4641 प्रकरणों में अतिक्रमणकारी के पिता का नाम उल्लेखित नहीं पाया गया । 5084 प्रकरणो में अतिक्रमणकारी का पता के स्थान पर उसका पता उल्लखित नहीं किया गया।

3.6.9.2 प्रणाली में समुचित वैधीकरण नियंत्रणों के अभाव में त्रुटियां

कृषकों पर बकाया लगान की राशि (भू-राजस्व) 8.08 लाख प्रकरणों में उल्लखित नहीं की गई हालांकि इन प्रकरणों में भूमि का प्रकार "निजी" था । 16.92 लाख प्रकरणों में निजी सपत्तियों पर अन्य करो का उल्लेख नहीं किया गया । 1.53 लाख प्रकरणों में शासकीय भूमि के विरुद्ध 0.37 लाख रुपए का लगान उल्लेखित किया गया 41 प्रकरणों में कुल अतिक्रमण भूमि का क्षेत्रफल इन सर्वे क्रमांकों के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक पाया गया । 8768 प्रकरणों में, फसल का बोना दिखाया गया परन्तु वह क्षेत्रफल उल्लेखित नहीं किया गया जिस पर फसल बोई गई । भू-क्षेत्रफल के अभाव में पटवारियों द्वारा करो की गणना करना अंसभव था । 165 प्रकरणों में क्षेत्रफल 0 (शुन्य) दर्शाया गया परन्तु इन प्रकरणों में करों के रूप में कुछ राशि सूचित पाई गई । 7809 प्रकरणों में, भूमि सिचिंत दर्शाई गई परन्तु सिचांई का प्रकार नहीं दर्शाया गया । 131 प्रकरणों में करो की वसूल की गई राशि वास्तविक वसूली योग्य राशि से अधिक थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि ये सभी त्रुटियाँ संबधित वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से दूर कराई जायेंगीं ।

** बैतुल, भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, धार, मुरैना, सतना, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा

3.6.10. सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रणों की कमी के कारण विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम में कमियां ।

सामान्य नियंत्रण वे नियंत्रण है जो उस परिवेश को नियंत्रित करते है जिसमें आई. टी.आपरेशन चलते है । ये आई.टी. सुरक्षा व सूचना रक्षण सॉफ्टवेयर, परिवर्तन प्रबंधन, कर्तव्यों का प्रथकीकरण, कार्य निरंतरता योजना तथा सिस्टम प्रलेख को कवर करते हैं । सामान्य नियंत्रणों की मुख्य कमियां निम्नानुसार हैः

3.6.10.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अभाव

विभाग की सूचना प्रणाली के समावेशन के लिये विभाग द्वारा कोई सूचना प्रौद्योगिकी नीति/रणनीति नहीं बनाई गई थी । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर,आयुक्त ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि विभाग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई जायेगी

विभाग के पास समुचित दस्तावेंज नीति नहीं थी । नीति की अनुपस्थिति के कारण सिस्टम दस्तावेज अद्यतन नहीं पाये गये । भू-अभिलेख वर्जन 2.0 से संबधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे । इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों तथा कम्प्यूटर प्रिंट्स के रखरखाव के लिए भी कोई नीति नहीं थी जिसके कारण अनधिकृत कार्यप्रणालियों को अपनाने का खतरा बढ़ गया । विभाग ने कोई सुरक्षा नीति भी नही बनाई थी । ठीक प्रकार से दस्तावेज न रखने अथवा दस्तावेज न बनाये जाने के कारण सिस्टम की अनुपलब्धता, डाटा की प्रमाणिकता खोना अथवा सिस्टम असफलता से प्रत्यादान में देरी जैसी समस्याऐं खड़ी हो सकती थी । विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कम्प्यूटरीकृत सिस्टम की आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2006) कि सॉफ्टवेयर में आनलाइन सहायता उपलब्ध है तथा उपयोगकर्ता मैनुअल बनाये जा रहे है।

3.6.10.2 रखरखाव नीतियों में कमियां

कार्य निरंतरता योजना व आपदा रिकवरी योजना विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है हालांकि डाटा की बेंकअप प्रतियां सी.डी में विभिन्न स्थानों पर रखी जा रही थीं परन्तु अग्निरोधक संग्रहण व्यवस्था राज्य तथा तहसील स्तर पर उपलब्ध नहीं थी । आयुक्त ने बताया कि जिला डाटा केन्द्र तथा तहसीलों पर स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ा जायेगा तथा तहसील स्तर पर आपदा की स्थिति में खसरा-खतौनी की प्रतियां जिला डाटा केन्द्रों के माध्यम से जारी होंगीं । इससे यह पुष्टि होती है कि वर्तमान सिस्टम एकीकृत नहीं है,तथा आपदा की स्थिति में आई.टी.आपरेशन को शीघ्र पुनः चालू करने की व्यवस्था में कमी है ।

- यद्यपि आयुक्त कार्यालय में आग तथा पानी के जमाव से बचाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई थी तथा आधारिक संरचना के लिए बेकअप पावर आपूर्ति के साथ वातानुकूलन की व्यवस्था उपलब्ध है परन्तु तहसील स्तर पर चयन की गई 11 तहसीलों में से किसी में आग से बचाव के साधन उपलब्ध नहीं थे । अपर्याप्त पर्यावरण नियंत्रण के कारण व्यवस्था को छति हो सकती थी तथा कम्प्यूटर सुविधा/डाटाबेस की अनुवर्ती हानि हो सकती थी ।

- जो हार्डवेयर वस्तुयें वारंटी से संरक्षित नहीं थी उनके लिए वार्षिक रखरखाव संविदा करार नहीं था अतः हार्डवेयर के बार-बार खराब होने से डाटा प्रविष्टियों के अपडेशन तथा खसरा-खतौनी जारी करने के कार्य में विलंब हुआ ।

3.6.10.3 एसेस कंट्रोल

- सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, तथा सिस्टम सपोर्ट कार्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (निक) द्वारा किये जा रहे थे । तथा डाटा प्रविष्टि तथा डाटाबेस प्रशासन का कार्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा हो रहा था । परन्तु आई.टी.कर्मचारियों के दायित्व तथा अनुभाग के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट तौर पर अलग नहीं किया गया है । विभाग ने समुचित कार्य विवरण नहीं दिया था, आई.टी.कर्मचारी अन्य विविध कार्यो में संलग्न किये गये थे ।
- विभाग में कोई फॉर्मल डॉक्यूमेन्टेड लोजिकल एसेस नीति उपलब्ध नहीं थी तथापि प्रतिबंधित यूसर के लिये मीनूस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध थे । यूजरों को यूजर आई.डी.तथा पासवर्ड दिये गये थे फिर भी भू-अभिलेख बर्जन 2.0 के लिये विभाग में कोई पासवर्ड पोलिसी नहीं बनाई गई थी ।
- अनुप्रयोग, में अनधिकृत छेड़-छाड़ को रोकने (लॉग करने) के लिए सुविधा नहीं थी। स्वचालित टाइम आउट व्यवस्था अनुप्रयोग में उपस्थित नहीं थी । एक से अधिक साइन आन की कोई सीमा अनुप्रयोग में नहीं थी तथापि अनधिकृत व्यक्ति को सिस्टम यूटीलिटीज तथा आडिट टूल के प्रयोग से रोकने के लिए पासवर्ड द्वारा प्रतिबंधित एसेस उपलब्ध थीं परन्तु स्टॉफ को मशीन का अनावश्यक उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था अतः डाटा हमेशा छेड़छाड़ की जोखिम में था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि पासवर्ड सुरक्षा नियंत्रणों को विभाग की आई.टी.नीति में सम्मलित किया जायेगा ।

3.6.10.4 परिवर्तन प्रबंधन की प्रणाली

सॉफ्टवेयर में परिवर्तनों को अभिप्रमाणित करने के लिये आयुक्त की अध्यक्षता में, एक समिति बनाई गई तथा सॉफ्टवेयर में सभी परिवर्तन समिति की प्रार्थना पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (निक) द्वारा किये गये थे । लाइब इनवायरनमेंट में स्थानान्तंरित करने से पहले अपडेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेम्पल डाटा के साथ चैक किया जाता था । पायलट रन में स्वीकार्य जाँच के लिए विभाग के कर्मचारी शामिल किये गये थे । हालांकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किये गये परिवर्तनों का उचित एवं अद्यतन दस्तावेज नहीं रखा गया । एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आकस्मिक परिवर्तनों के लिये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (निक) द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार पेचेस लोड किये जाते थे । अतः दस्तावेजों की अनुपस्थिति में यह पता लगाना संभव नहीं है कि केवल अधिकृत सुधार ही टेस्ट से लाइव वातावरण में स्थानांतरित किये गये थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2006) कि सभी सुधार विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा जाँच के बाद ही कार्यान्वित किये जाते हैं । जवाब मान्य नहीं था क्योंकि उत्तर के सर्मथन में कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को नहीं दिखाये गये।

3.6.11 परिवीक्षण तथा पर्यवेक्षण

जिला एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी

भारत सरकार द्वारा जारी किये गए पुनरीक्षित निर्देशों (दिसम्बर 2002) के अनुसार सभी जिलों में कलैक्टर/उपआयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता के अधीन जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं समीक्षा समिति गठित की जानी थी जिसमें स्थानीय सांसद और विधायक सदस्य के रूप में शामिल होने थे, उनके साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (निक) भी रहने थे । इस समिति द्वारा परियोजना को प्रभावशाली एवं शीघ्रता से लागू करने के लिए जिलास्तरीय कार्यान्वयन योजना बनाई जानी थी तथा राजस्व विभाग को प्रतिमाह की 10 तारीख तक स्थिति प्रतिवेदन भेजा जाना था । राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलों के स्थिति प्रतिवेदन संकलित कर भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय को त्रैमासिक प्रस्तुत किये जाने थे ।

आयुक्त एवं 11 जिलों* के अभिलेखों का सत्यापन करने पर पाया गया कि यद्यपि जिला स्तरीय समितियां बनाई गई थीं (मार्च 2004- जनवरी 2005) लेकिन न ही मासिक बैठकें का आयोजित की गईं और न ही कोई कार्यन्वयन योजना बनाई गई एवं अवस्था प्रतिवेदन भी राजस्व विभाग को प्रस्तुत नही किया गया । जिलों से अवस्था प्रतिवेदन प्राप्त न होने से, वे राज्य राजस्व विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे । यह स्थिति दर्शाती है कि योजना संबंधी कार्यों का पूरी तरह से परिवीक्षण नहीं किया जा रहा था ।

इंगित किये जाने पर आयुक्त ने सूचित किया कि परियोजना को मूल्यांकित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कोई भी ऐजेन्सी नियुक्त नहीं की गई ।

3.6.12. निष्कर्ष

31.41 करोड़ रुपए का भारी व्यय करने के बाद भी, विभाग योजना को लक्ष्य एवं मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयित नहीं कर सका है । जिलों एवं उप संभागों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित न होने के कारण, तीन जिलों में वर्ष 2004-05 में क्रय किये गये 19.41 लाख रुपए कीमत के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर निष्क्रिय एवं अनुपयोगी रहे । राज्य सरकार 6.34 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सकी जो 'सिविल डिपाजिट' में रखी गयी थी । योजना के निष्पादन में असमान्य देरी के कारण वाँछित उद्देश्य प्राप्त नही किये जा सके । भू-स्वामी योजना के अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सके तथा अत्यधिक प्रकरणों में हस्तलिखित खसरा-खतौनी जारी किये गये ।

डाटा बैधीकरण नियंत्रणों के अभाव में, भू-सुधारों के लिये मुख्य नीति निर्धारण निर्णयों के लिये भू-अभिलेख डाटाबेस पर विश्वास रखा जाना संभव नहीं था । व्यवस्थित परिवीक्षण तथा नियंत्रण तंत्र कमजोर था ।

* बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, धार, मुरैना, सतना, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा

3.6.13 अनुशंसाएं

- दस्तावेज नीति, कार्यों का विभाजन, फिजीकल एसेस तथा पर्यावरण नियंत्रण, परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण, लॉजिकल नियंत्रण,विभाग के सूचना तंन्त्र का समावेशन जैसे विभिन्न पहलुओं को सम्मलित करते हुये एक लिखित व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी नीति/रणनीति बनायी जाये । एक कार्य निरन्तरता योजना एवं आपदा से रिकवरी योजना बनाई जाये जो विभाग के नाजुक आधारभूत ढाँचे को प्राकृतिक या मानवकृत आपदा से होने बाली हानि को कम कर सके।
- राज्य, जिला व तहसील स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों के मध्य नेटवर्किंग कनैक्टिविटी स्थापित की जाये जिससे भू-अभिलेख डाटा का विभिन्न स्तरों पर आकलन किया जा सके ।
- तहसील स्तर पर, जहॉ पद रिक्त हों, डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति तुरंत की जाये ताकि कम्प्यूटरीकरण के कार्य का समुचित रखरखाव एवं नियमित अद्यतनीकरण किया जा सके ।
- योजना के परवीक्षण एवं त्वरित कार्यन्वयन के लिये जिला स्तरीय समितियों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाये एवं उनकी रिपोर्ट की राज्य स्तर पर समीक्षा की जाये ।

यह प्रकरण सितम्बर 2006 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया । उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2006) ।

लोक निर्माण विभाग

3.7 केन्द्रीय सड़क निधि(के.स.नि.), ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (ग्रा.अ.वि.नि.) एवं फास्ट ट्रेक योजना से सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

विशेषताएँ

भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) ने मध्य प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के 102कार्य रुपये 437.60 करोड़ रुपये की लागत पर वर्ष 2001-2006 के मध्य अनुमोदित किए। इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने ग्रामीण, सड़कों (ग्रा.स.) के निर्माण एवं सुधार के 167 कार्य नाबार्ड ऋण सहायता से 309.97 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किए। राज्य सरकार ने फास्ट ट्रेक के अंतर्गत 309.86 करोड़ रुपये की लागत से राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों के 7751 किलोमीटर के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारंभ किया था (2003-04 एवं 2004-05)। मार्च 2006 तक, के.स.नि. के अंतर्गत 59 कार्य, नाबार्ड के अंतर्गत 42 कार्य और फास्ट ट्रेक के अंतर्गत 3014 कि.मी. सड़क के कार्य क्रमशः 286.55 करोड़ रुपये, 119.94 करोड़ रुपये एवं 275.56 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात वास्तविक रूप से पूर्ण किए गए। फास्ट ट्रेक योजना, मार्च 2005 तक पूर्ण होनी थी, परंतु इस माह तक उपलब्धि केवल 39 प्रतिशत रही; योजना सफल नहीं थी। ग्रा.स.तथा अन्य जिला सड़कों पर के.स.नि.21.54 करोड़ रुपए गलत उपयोग की गई थी। सड़को का समयपूर्व चयन से 66.54 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ। विशिष्टियों से निम्नस्तर के कार्य के लिए ठेकेदारों से समयानुपातिक 1.58 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई एवं अस्वीकृत कार्य के लिए 1.98 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रबंधन सूचना प्रणाली(प्र.सू.प्र.) परिचालन में नहीं आई थी, यद्यपि संगणक के क्रय पर 2.17 करोड़ रुपए व्यय किए गए। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुख्य कमियां देखने में आईं :-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) की विशिष्टियों के विपरीत सड़क की सतह (क्रस्ट) में बिटुमिन सतहीकरण तथा सरफेस ड्रेसिंग के साथ ग्रेनुलर सबबेस की अतिरिक्त मोटाई देने से एम्बेन्कमेंट के रूपांकन में 12.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत व्यय की गई थी।

(कंडिकाएँ 3.7.8.1 एवं 3.7.8.4)

स.प.रा.मं. के निर्देशों के बावजूद 9.72 करोड़ रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन से अधिक व्यय किया गया। कार्यों जो कि स्वीकृत नहीं थे, पर भुगतान के कारण 4.36 करोड़ रुपए का अधिक व्यय था। दो करोड़ सत्ताईस लाख रुपए अन्य कार्यों के लिए विचलित किए गए थे।

(कंडिकाएँ 3.7.6.1 एवं 3.7.6.2)

उचित कार्य प्रबंधन की कमी के कारण बाहर से लाई गई मिट्टी की विशिष्टियों में बदलाव से 2.69 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.7.8.5)

संहितीय प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए निविदा आमंत्रित किए बिना 2.11 करोड़ रुपये मूल्य के अतिरिक्त कार्य उच्चतर दरों पर दिए गए थे।

(कंडिका 3.7.8.7)

दो करोड़ तेईस लाख रुपये मूल्य के बिटुमिनस मेकेडम एवं 8.50 करोड़ रुपये मूल्य के सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट के निष्पादित कार्य, विशिष्टियों से निम्नतर थे। कमजोर मिट्टी पर ग्रेनुलर सबबेस की मोटाई कम की गई, 1.07 करोड़ रुपये का कार्य अवमानक एवं समयपूर्व क्षति योग्य था।

(कंडिकाएँ 3.7.9.1, 3.7.9.2 एवं 3.7.9.3)

परिसमापन हानियाँ, दरों के गलत लागू करने, अतिरिक्त बिटुमिन के उपयोग एवं मूल्य विभिन्नता की वसूली न करने तथा बैंक गारन्टी के नवीनीकरण न करने के कारण 9.87 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान लेखापरीक्षा में देखने में आया।

(कंडिकाएँ 3.7.8.8 से 3.7.8.12)

3.7.1 प्रस्तावनाः

भारत सरकार (भा.स.), भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) ने केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.) में पेट्रोल एवं डीजल पर 1 रूपया प्रति लीटर उपकर में जमा करके पुनअर्भिवृद्धि (रिवेम्प) करने एवं इसमें से डीजल पर उपकर का 15 प्रतिशत तथा पेट्रोल पर उपकर का 30 प्रतिशत का उपयोग, भारी यातायात दबाव वाले राज्य के राजमार्गों मुख्य जिला मार्गों के संधारण एवं विकास, छूटी हुई कड़ियों, क्रास ड्रेनेज, दो लेन का चार लेन में चौड़ीकरण, कमजोर पेवमेंट सेक्शन्स के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान तथा विकास एवं आंकड़े तथा राजमार्ग अभियंताओं के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए उपयोग करने का निर्णय लिया।

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में जनवरी 2001 एवं दिसम्बर 2005 के मध्य 72462 कि.मी. में से 2150 कि.मी. की सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण (102 कार्य) का कार्य 437.60 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित किया। मध्य प्रदेश शासन ने भी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से चरण VII से XI के अंतर्गत 309.97 करोड़ रुपए की लागत पर 2420.87 कि.मी. की ग्रामीण सड़कों के सुधार हेतु (167 कार्य) अनुमोदन प्राप्त किया(2001-06)। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान किसी भी कार्यकम में शामिल नहीं किए गए 7751 कि.मी. राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों में 309.86 करोड़ रुपये की लागत पर नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का निर्णय (फरवरी 2002) लिया। निधियाँ राज्य आयोजना से प्रदान की गई और इसे "फास्ट ट्रेक" नाम दिया गया।

3.7.2 संगठनात्मक संरचना

तीनों योजनाओं के लिए शासकीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग थी। शीर्ष स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), लोक निर्माण विभाग एवं सात परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता (मु.अ.) उत्तरदायी हैं। कार्य का निष्पादन 48 जिलों में से लोक निर्माण विभाग के 66 संभागों द्वारा कार्यपालन यंत्री (का.यं.) की प्रमुखता में किया जा रहा है।

3.7.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना थे कि -

- निधि प्रबंधन दक्ष तथा नियमों और विनियमों के अनुसार था।
- सड़कों के चयन की कार्यप्रणाली कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार थी तथा कार्यों के निष्पादन की आयोजना उचित थी।
- परियोजना का निष्पादन मितव्ययता एवं दक्षता से किया गया था।
- गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली तथा परिवीक्षण अस्तित्व में था और प्रभावी था।

3.7.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न मानदण्डों पर आधारित है:-

- सड़कों के उन्नयन हेतु स.प.रा.मं., नाबार्ड एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश
- भवन एवं सेतु निर्माण कार्य के लिए स.प.रा.मं. द्वारा जारी की गई विशिष्टियाँ
- सड़क कार्य हेतु भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित की गई कार्यप्रणालियाँ, अनुशंसाएँ
- कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंधों मे सम्मिलित नियम तथा आदेशों

3.7.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा 2001-05 की अवधि के लिए चयनित 48 जिलों में से 14 जिलो में, निष्पादित/ निर्माणाधीन कार्यों जिनमें के.स.नि. से 102 में से 62 कार्यों पर व्यय किए गए 177.27 करोड़ रुपए (40.50 प्रतिशत), नाबार्ड के अंतर्गत 167 कार्यों में से 53 कार्यों पर व्यय किए गए 49.56 करोड़ रुपए(15.99 प्रतिशत) एवं फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत 192 में से 97 कार्यों पर व्यय किए गए 58.58 करोड़ रुपये (18.91 प्रतिशत), को सम्मिलित करते हुए फरवरी 2006 के मध्य की गई नमूना जांच पर आधारित है।

3.7.6 निधि प्रबंधन

के.स. द्वारा के स.नि. के अंतर्गत राज्य सरकार को निधियाँ प्रदान करना होता है। नाबार्ड, राज्य सरकार को मासिक आधार पर राज्य सरकार द्वारा किए गए दावों के विरूद्ध प्रतिपूर्ति के रूप में ऋण विमुक्त करता है, फास्ट ट्रेक के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा स्वयं के बजट से निधियाँ उपलबध कराई जाती है। नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि कोई वित्तीय बाधाएं नहीं थीं। कार्यों के कार्यान्वयन के लिए शासन से निधियों की दृढ़ प्रतिबद्धता थी । ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण निधियों का कम उपयोग किया गया।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	के. स. नि.		नाबार्ड		फास्ट ट्रेक*	
कुल परियोजना लागत	437.60		309.97		309.86	
	ब.प्रा.	व्यय	ब.प्रा.	व्यय	ब.प्रा.	व्यय
2001-02	100.00	36.32	179.30	100.07	-	-
2002-03	110.65	83.41	138.75	94.33	-	-
2003-04	100.00	56.98	73.75	50.06	200.00	118.17
2004-05	60.00	42.89	111.60	50.43	156.82	104.98
2005-06	52.01	66.95	95.77	107.57	40.00	52.41
योग	**422.66**	**286.55**	**598.67**	**402.46$**	**396.82**	**275.56**

ब.प्रा.= बजट प्रावधान

**फास्ट ट्रेक के अंतर्गत कार्य केवल 2003-04 एवं 2004-05 के लिए परियोजित थे।*

$119.94 करोड़ रुपए 2001-02 से 2005-06 तक प्रारंभ किए गए कार्यों पर व्यय था एवं शेष व्यय 1993-2001 के दौरा प्रारंभ किए गए पूर्व के कार्यों का था।

3.7.6.1 निधियों का व्यपवर्तन

के.स.नि. नाबार्ड एवं फास्ट ट्रेक से 2.27 करोड़ रुपए अन्य कार्यों को व्यपवर्तित किए गए थे।

के.स.नि. (0.97 करोड़ रुपये), नाबार्ड (0.26 करोड़ रुपये) एवं फास्ट ट्रेक (1.07 करोड़ रुपये) 2.27 करोड़ रुपये निर्माण कार्य की अन्य मदों जैसे सुरक्षा दीवार का निर्माण, सड़क चिन्हांकन एवं हार्ड शोल्डर्स और चिन्ह पटलों(साइन बोर्ड्स) का क्रय के लिए व्यपवर्तित किए गए (2005)। ये मदें मूल प्राक्कलन में प्रावधानित नही थी एवं ऋणात्मक♥ निविदा प्रीमियम से बचत इस हेतु उपयोग की गई थी।

स्वीकृति प्राक्कलनों से बचत किया गया व्यय, स.प.रा.मं. के दिशा-निर्देशों (अक्टूबर, 2000) एवं नाबार्ड के अनुबंधों की दृष्टि से अनियमित था।

3.7.6.2 अनधिकृत व्यय

स.प.रा.मं. से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, 9.72 करोड़ रुपए का अनधिकृत व्यय किया गया।

स.प.रा.मं. ने निर्देशित किया (2000) कि प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) के 10 प्रतिशत के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए एवं अनुमोदित लागत से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि जबलपुर और रीवा जिलों में तीन निर्माण कार्यों में 1.87 करोड़ रुपये अधिक व्यय किए गए परंतु, पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन (पु.प्र.अ.) प्राप्त नहीं किया गया।

का.यं. ने बताया (जनवरी 2006) कि स्थल स्थिति के कारण डब्ल्यू.बी.एम. की मात्रा बढ़ गई थी एवं संशोधित प्राक्कलन मु.अ. को प्रस्तुत किया गया था। तथ्य यही है कि पु.प्र.अ. प्राप्त नहीं किया गया था।

इसीप्रकार के.स.नि. के अंतर्गत स्लीमनाबाद उमरियापान विलायतकला सड़क एवं बंधी झिर्री सड़क (जिला-कटनी) के लिए अनुमोदित लागत 17.33 करोड़ रुपये(2001-02) के विरुद्ध

♥ प्राक्कलित दरों से कम निविदा दरें

25.18 करोड़ रुपये वास्तव में व्यय किए गए। प्र.अ. से अधिक 7.85 करोड़ रुपये का आधिक्य पु.प्र.अ. के माध्यम से नियमित नहीं कराया गया। अतिरिक्त 40.10 कि.मी. में बिटुमिनस मेकेडम और 28 कि.मी. में सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट जो कि प्राक्कलन में स्वीकृत नहीं थे, के कारण 4.36 करोड़ रुपये का आधिक्य देखा गया।

3.7.7 आयोजना

3.7.7.1 भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

यद्यपि वित्तीय बाधा नहीं थी फिर भी निर्माण की प्रगति में कमी थी।

कार्यों को पूरा करने के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। कार्य की वास्तविक प्रगति केवल प्र.अ. के कार्यालय में संधारित की जाती थी। नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत 167 कार्यों के विरूद्ध केवल 42 कार्य ही मार्च 2006 तक पूर्ण किए गए थे। मार्च 2006 तक सड़क अधोसंरचना विकास निधि (स.अ.वि.नि.)-IX (2003-04) के अंतर्गत तीन कार्य और स.अ.वि.नि.-X। (2005-06) के अंतर्गत 21 कार्य शुरू नहीं किए गए थे क्योंकि निविदाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

मार्च 2006 के अंत तक के.स.नि. के अंतर्गत 102 कार्यों में से 59 कार्य[♠] पूर्ण हुए थे। के.स.नि. के अंतर्गत अलग-अलग कार्य के लिये दिया गया समय 8 से 24 माह के परास (रेन्ज्ड) के मध्य था। अतः 2000-01 से 2004-05 के बीच प्रारंभ किए गये 82 कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, जबकि वास्तव में केवल 59 कार्य पूर्ण हुए थे। इसप्रकार इसमें 28 प्रतिशत की कमी थी।

उपलब्धि में कमी के कारण को खोजने के लिए शासन ने भी स्थिति की कोई समीक्षा नहीं की।

फास्ट ट्रेक योजना मार्च 2005 तक पूर्ण हो जानी थी। वित्तीय विवशता न होने के बावजूद भी 7751 कि.मी. में से केवल 3014 कि.मी. (39 प्रतिशत) सड़क पूरी की गई थी। कार्य ठेकेदारों द्वारा मुख्यतः धीमी प्रगति के कारण पूरे नहीं किए गए थे।

3.7.7.2 सड़कों का त्रुटिपूर्ण चयन : -

सड़कों के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण 21.54 करोड़ रुपए का दुरूपयोग हुआ।

स.प.रा.मं. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (मई 2000) के अनुसार के.स.नि. से केवल राज्य राजमार्ग (रा. रा.) और मुख्य जिला मार्गों (मु.जि.मा.) का नवीनीकरण किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 262.6 कि.मी. लम्बाई की ग्रामीण सड़कों (ग्रा.स.) के आठ कार्य एवं अन्य जिला सड़कों (अ.जि.स.) के सात कार्य, के.स.नि. के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से चयनित किए गए। अतः इन सड़को पर व्यय किए गए 21.54 करोड़ रुपए का दुरूपयोग हुआ था।

♠

वर्ष	कार्यों की संख्या
2002-03	11
2003-04	22
2004-05	04
2005-06	22
कुल	59

का.यं. ने बताया (सितम्बर, 2006) कि अत्यधिक यातायात के कारण सड़कें के.स.नि. के अंतर्गत ली गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़कों के चयन करने में शासन के निर्देशों की उपेक्षा की गई थी।

3.7.7.3 नाबार्ड के अंतर्गत कार्य उसके अनुमोदन के पश्चात प्रारंभ किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि शाजापुर जिले में दो कार्य अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रारंभ किए गए (2003) एवं बाद में इन कार्यों को उस वर्ष में अनुमोदन नहीं दिए जाने के कारण बंद कर दिया गया। वर्ष 2003 में किए गए 30.21 लाख रुपए मूल्य के डब्ल्यु.बी.एम. के कार्य व्यर्थ रहे क्योंकि इसे 26.23 लाख रुपये की लागत पर 2005 में अनुमोदनों के प्राप्त होने पर दोबारा कराना पड़ा।

इंगित करने पर का.यं. ने स्वीकार किया (मार्च 2006) कि डब्ल्यू. बी.एम. कार्य दोबारा कराए गए थे।

3.7.7.4 फास्ट ट्रेक योजना के अंतर्गत नवीनीकृत (जुलाई 2003) शाजापुर जिले की 24.80 कि.मी. आगर बरोड़ सड़क जो जुलाई 2006 तक निष्पादन प्रतिभूति के अंतर्गत थी किन्तु के.स.नि.के अंतर्गत 2.49 करोड़ रुपए की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु समयपूर्व रूप से पुनर्चयनित की गई थी (2004-05) एवं पूर्व में 35.93 लाख रुपये की लागत पर किया गया डामरीकरण कार्य (बी.टी.) पुनः कराया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित करने पर, का.यं. ने बताया (मार्च 2006) कि फास्ट ट्रेक के अंतर्गत 3.75 मीटर में सड़क का नवीनीकरण किया गया था, जबकि के.स.नि. के अंतर्गत सड़क 7 मीटर तक चौड़ी की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अगर चौड़ीकरण को जरूरी समझा गया था तो बी.टी. नवीनीकरण, जो कि बाद में चौड़ीकरण पर किया जाना था, पर होने वाली हानि का परिहार करने के लिए सड़क का चयन मूलतः के.स.नि. के अंतर्गत किया जाना चाहिए था।

3.7.8 निष्पादन

3.7.8.1 मिट्टी भराई (एम्बेन्कमेंट) के रूपांकन से अतिरिक्त लागत

मिट्टी भराई (एम्बेन्कमेंट) में बाहर से लाई गई मिट्टी के उपयोग के कारण 3.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई।

स.प.रा.मं. की विशिष्टियों के अनुसार, सड़क के क्रस्ट भाग में दिया जाने वाला ग्रेनुलर सब बेस पूरे भाग की चौड़ाई में बढ़ाया जा सकता है, जहां सबग्रेड की सी.बी.आर. 2 प्रतिशत से कम थी, पारगम्यता कम थी और बाक्स आकार की नाली बनाई जानी थी। इन विशिष्टियों के विपरीत के.स.नि. के अंतर्गत तीन कार्यों में और नाबार्ड के अंतर्गत छः कार्यों में ग्रेनुलर सब बेस सड़क की पूरी चौड़ाई के भाग में दिया गया, परिणामस्वरूप 3.12 करोड़ रुपए♦ की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित करने पर (मार्च 2006) उत्तर में का.यं. ने बताया कि स.प.रा.मं. की विशिष्टियों के अनुसार जो सड़कें काली मिट्टी वाली पहुंच से होकर गुजरती है, पूरी चौड़ाई के भाग में ग्रेनुलर सब बेस होना चाहिए। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मिट्टी की सी.बी.आर. 2 प्रतिशत से अधिक थी और इसकी पारगम्यता भी जांची नहीं गई थी।

♦ के.स.नि. (भोपाल - 75.81 लाख, शाजापुर 15.60 लाख, इन्दौर 24.78 लाख=116.19 लाख)
नाबार्ड (शाजापुर 25.89 लाख, इन्दौर-I 31.12 लाख, रीवा 55.38 लाख, कटनी 21.73 लाख, विदिशा 61.51 लाख=195.63 लाख) कुल 3.12 करोड़ रुपए।

3.7.8.2 अधिक परत (क्रस्ट) देने के कारण अतिरिक्त लागत

पेवमेन्ट पर अधिक परत देने के परिणामस्वरूप 4.61 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आई

विशिष्टियों में अपेक्षित है कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण करते समय, सड़क में विद्यमान परत का उपयोग किया जाना चाहिए एवं उसे कुल अपेक्षित परत में से घटाना चाहिए। के.स.नि. के अंतर्गत पाँच कार्य (176 कि.मी.) एवं नाबार्ड के अंतर्गत दो कार्य (235 कि.मी.) में विद्यमान वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) ग्रेड-I एवं ग्रेड-II का कुल परत के लिए उपयोग नहीं किया गया एवं दोबारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप रुपये 4.61 करोड़ रुपए* की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर का.यं. ने उत्तर में बताया (जनवरी, 2006) कि कार्य का निष्पादन अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विशिष्टियों की उपेक्षा की गई थी।

3.7.8.3 अवांछित बिटुमिनस परतों (कोर्सिस) के कारण अतिरिक्त लागत

अतिरिक्त परत (कोर्स) के व्यय पर 2.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत

स.प.रा.मं. के अनुदेशों के अनुसार, ऐसे मार्ग जिनका यातायात घनत्व 2500 व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन (सी.व्ही.डी.) या अधिक हो का सुदृढ़ीकरण 50 मि.मी. मोटे बिटुमिनस मेकेडम (बी.एम.) या 75 मि.मी. मोटे बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट (बी.यू.एस.जी.) से किया जाना था।

इन अनुदेशों के विपरीत के.स.नि. के अंतर्गत रायसेन एवं इन्दौर जिले में दो कार्य, जहाँ यातायात घनत्व 2500 व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन (सी.व्ही.डी) से कम था, सुदृढ़ीकरण में बी.एम. और बी.यू.एस.जी. किए गए जबकि वहां केवल एक बिटुमिनस आधार परत ही अपेक्षित थी जिसके परिणामस्वरूप 2.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

इंगित करने पर का.यं. ने बताया (अप्रैल 2006) कि कार्य का निष्पादन मु.अ. द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कराया गया था। उत्तर सही नहीं है, क्योंकि मु.अ. द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन का.यं. द्वारा प्रस्तावित थे और ये प्राक्कलन स.प.रा.मं. के अनुबंधों के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे।

3.7.8.4 अतिरिक्त लागत एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

ठेकेदारों को 2.06 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया क्योंकि डब्ल्यू.बी.एम. तथा बी.एम. के मध्य सरफेस ड्रेसिंग का भुगतान किया गया था।

तुरंत किए गए वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) के संरक्षण के लिए सरफेस ड्रेसिंग की अनुशंसा की गई थी परंतु यह पेवमेंट को न तो मजबूती प्रदान करती है न ही संरचित गुणवत्ता को बढ़ाती है। के.स.नि. के अंतर्गत चार कार्य एवं नाबार्ड व फास्ट ट्रेक प्रत्येक के अंतर्गत एक कार्य में डब्ल्यू.बी.एम. और बी.एम. सतहों के बीच में सरफेस ड्रेसिंग प्रावधानित एवं निष्पादित की गई, जहां उसी ठेकेदार को डब्ल्यू.बी.एम. के बाद उस पर बी.एम. करना था एवं वह निर्माण के दौरान डब्ल्यू.बी.एम. के अनुरक्षण के लिए भी जिम्मेदार था। अतः, सरफेस ड्रेसिंग का प्रावधान एवं निष्पादन अप्राधिकृत (अनवारंटेड) था जिसके परिणामस्वरूप 2.06 करोड़ रुपये♥ की अतिरिक्त लागत आई।

* *के.स.नि. (सीहोर 59.68 लाख रूपये, जबलपुर 42.78 लाख रूपये देवास 44.97 लाख, रूपये रीवा 17.54 लाख रूपये एवं कटनी 191.98 लाख रूपये=356.95 लाख रुपए)*
नाबार्ड (शाजापुर 57.76 लाख, देवास 45.80 लाख 103.56 लाख) कुल 460.51 लाख रूपये, या 4.61 करोड़।

♥ *के.स.नि. (भोपाल - 17.98 लाख, रायसेन 107.38 लाख, देवास 9.23 लाख, सागर 51.08 लाख)*
नाबार्ड (सागर 10.90 लाख) फास्ट ट्रेक (देवास 9.76 लाख) योग 2.06 करोड़ रुपए।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, का.यं. ने बताया (अगस्त 2006) कि डब्ल्यू.बी.एम. की सतह पर सरफेस ड्रेसिंग प्राक्कलन में प्रावधानित/स्वीकृत थी। विशिष्टियों की दृष्टि से उत्तर मान्य नहीं है।

3.7.8.5 कार्यों के प्रबंधन में कमियां

दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रस्ताव में परियोजना की प्रमुख विशेषताएं शामिल होना चाहिए एवं निर्देशक मानचित्र (परियोजना की स्थिति दर्शाने वाला), प्रस्ताव का कार्यक्षेत्र (संक्षिप्त चर्चा एवं सुधार की आवश्यकता दर्शाने वाला) वर्तमान स्थिति एवं सुधार (रूपांकित प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं यातायात), लागत प्राक्कलन एवं दरों के आधार (अपनाई गई दरों का आधार दर्शाने वाला), एवं उपयोगिता का प्रतिवेदन (यह दर्शाते हुए कि विद्यमान संरचना उपयोगी थी और इस हेतु भूमि उपलब्ध थी) शामिल होंगे।

तथापि, यह देखने में यह आया कि निम्न कार्यों में, या तो परियोजनाएं उचित सर्वेक्षण/यातायात गणना के बिना तैयार की गई थी या कार्य की मदें अमितव्ययी रूप से पुनरीक्षित की गई थी।

परियोजना प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन के अनुसार खुदाई क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाना था परंतु के.स.नि. के अंतर्गत तीन कार्यों एवं नाबार्ड के अंतर्गत एक कार्य हेतु इसे अतिरिक्त लागत के 2.69 करोड़ रुपये* व्यय करते हुए बाहर से लाया गया ।

का.यं. ने बताया (फरवरी, 2006), कि दरें मु.अ. द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद स्वीकृत की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मु.अ. द्वारा दी गई स्वीकृतियों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

3.7.8.6 शासन ने फास्ट ट्रेक के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों में हार्ड शोल्डर्स एवं पटरी भराई (बर्म फिलिंग) के निर्माण को शामिल नहीं करने को निर्देशित किया तथा इसे विभागीयतौर पर किया जाना था। तदनुसार 38.8 कि.मी. चम्बल इंगोरिया उन्हेल नागदा रोड (उज्जैन जिला) के नवीनीकरण के लिए प्राक्कलन एवं अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि, मु.अ. ने (फरवरी 2005) बर्म फिलिंग कार्य की मद के लिए पूरक अनुसूची को अनुमोदित किया और बर्म फिलिंग पर 32.88 लाख रुपये खर्च भी किए थे। इस परिवर्तन के कारण परिणामस्वरूप मात्र 21.60 कि.मी. सड़क नवीनीकृत की गई क्योंकि निधियाँ व्यपवर्तित भी की गई थी एवं त्रुटिपूर्ण मदों पर व्यय की गईं ।

चूँकि जिला सागर, राहतगढ़ खुरई रोड़ एवं जिला अशोक नगर, देहरदा राजघाट रोड पर हार्ड शोल्डर्स के प्राक्कलन में प्रावधान नहीं थे फिर भी क्रमशः 25.19 लाख रुपये एवं 17.48 लाख रुपये के मु.अ. की स्वीकृति के बिना भुगतान किये गये थे।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अगस्त 2006) कि शोल्डर्स का कार्य इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले शोल्डर्स खराब हो गए थे एवं इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि शासन के निर्देशों की उपेक्षा की गई थी।

* *के.स.नि.- भोपाल 10.25 लाख रूपये, कटनी 123.18 लाख रूपये, सागर 70.59 लाख रूपये, ।*

नाबार्ड - देवास 64.56 लाख रूपये ।

कुल - 2.69 करोड़ रूपये ।

3.7.8.7 निविदा आंमत्रित किए बिना कार्य का सौंपा जाना

निविदा आमंत्रित किए बिना 2.11 करोड़ रुपए के कार्य सौंपे गए

कटंगी पोला मझोली सड़क का निर्माण कार्य, ठेके की अनुमानित लागत 2.60 करोड़ रुपये, दर अनुसूची से 19.80 प्रतिशत अधिक पर प्राक्कलन का अनुमोदन विचाराधीन होते हुए सौंपा गया (अगस्त 2004)। सीमेंट कांक्रीट सड़क के प्रावधान को शामिल करते हुए 4.10 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति काफी विलंब से मई 2005 में प्रदान की गई। निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न 2.60 करोड़ रुपये की अनुसूची, संभाग में उपलब्ध नहीं थी। नियमों में अपेक्षित है कि 2.00 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के कार्य खुली निविदा आमंत्रित करने के बाद सौपें जाना चाहिए, तथापि, इस निविदा के सौंपने में इस अनुदेश की उपेक्षा की गई।

मु.अ. ने, भोपाल जिले में 2.11 करोड़ रुपये मूल्य के अतिरिक्त कार्य दो ठेकेदारों को के.स.नि. के अंतर्गत उनके पूर्व में स्वीकृत निविदाओं की दरों पर, बिना निविदा आमंत्रित किए सौप दिये।

इंगित करने पर, कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (फरवरी, 2006) कि कार्य, मु.अ. द्वारा अनुमोदित पूरक अनुसूची के अनुसार सौंपा गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अतिरिक्त कार्य संहितीय प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए सौंपे गए थे।

3.7.8.8 परिसमापन हानियों की कम वसूली

ठेकेदार से 4.55 करोड़ रुपए की परिसमापन हानियाँ वसूल नहीं की गई थी।

अनुबंधों में अपेक्षित है कि कार्यों में विलंब के लिए [illegible] से कार्यमूल्य का 1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह, निविदा मूल्य का 6 प्रतिशत तक सीमित, की दर से परिसमापन हानियाँ अनिवार्य रूप से वसूल की जानी चाहिए यद्यपि कार्य, 14 सप्ताहों से 144 सप्ताहों तक विलम्बित थे फिर भी अनुबंध के अनुसार 4.90 करोड़ रुपये की वसूलीयोग्य परिसमापन हानि वसूल नहीं की गईं थीं। कुछ प्रकरणों में मु.अ. ने अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में 0.35 करोड़ रुपये के नाममात्र दण्ड के साथ समयवृद्धि प्रदान की, परिणामस्वरूप ठेकेदार को 4.55 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिला। **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है।

इंगित करने पर, कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अगस्त 2006) कि केवल मु.अ. द्वारा निश्चित दंड ही उद्ग्राह्य था । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंध के अनुसार परिसमापन हानि वसूल की जानी थी ।

3.7.8.9 त्रुटिपूर्ण दरों के लागू करने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान

चौडीकरण में खुदाई के लिए त्रुटिपूर्ण दरें लागू करने से 1.84 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ

दरों की अनुसूची (द.अ.) जो अनुबंध का हिस्सा है के अनुसार चौड़ीकरण के लिए 86/- रुपये घनमीटर (पूर्णांकित) की दर से मिट्टी भराई (एम्बेंकमेंट) में खुदाई मद में (i) चौड़ीकरण खुदाई के लिए 43 रुपये प्रति घनमीटर एवं (ii) खोदी गई मिट्टी से एम्बेन्कमेंट का निर्माण 43.20 रुपये प्रति घनमीटर शामिल है। जबकि एम्बेन्कमेंट के निर्माण के लिए ठेकेदारों को 43.20 रुपये प्रति घनमीटर (या बाहर से लाई गई मिट्टी के लिए 133 रुपये प्रति घनमीटर) की दर से अलग से भुगतान किया गया था। तब भी खुदाई एवं निर्माण के लिए 86 पये प्रति घनमीटर की पूरी दर से ठेकेदारों को त्रुटिपूर्ण भुगतान किया गया। चूंकि निर्माण कार्य का भुगतान अलग से किया गया था। अतः केवल खुदाई का ही भुगतान किया जाना था तथापि ऐसा नही किया गया।

दरों को त्रुटिपूर्ण लागू करने के परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपए* (के.स.नि.1.31 करोड़ रुपये एवं नाबार्ड 0.53 करोड़ रुपये) का ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ।

इंगित करने पर का.यं. ने बताया(फरवरी 2006) कि भुगतान मु.अ. के अनुमोदन के अनुसार किया गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि केवल खुदाई के लिए 43 रुपये प्रति घनमीटर की दर देय थी।

3.7.8.10 सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट में बिटुमिन के लिए अधिक भुगतान

के.स.नि. कार्यों (2000-2001) के लिए अनुबंधों में सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट की एक मद कुल मिश्रण वजन के 4 प्रतिशत से बिटुमिन धारिता के साथ दी जानी शामिल थी, इसमें जॉब मिक्स फार्मूला (जॉ.मि.फा.) को तैयार करना भी शामिल था, एवं डाली गई मिश्रित सामग्री की मात्रा के समर्थन में ठेकेदार द्वारा स्वयं की लागत पर तौलकाँटा रसीद प्रस्तुत की जानी थी। निष्पादन के दौरान ठेकेदार ने चार एवं पाँच प्रतिशत बिटुमिन धारिता का उपयोग दर्शाते हुए जो जॉ.मि.फा. प्रस्तुत किया जो कि न तो अभियंता द्वारा अनुमोदित न ही निरनुमोदित था। विशिष्टियों के अनुसार, कार्य का परीक्षण, उसके घनत्व (1 परीक्षण/200 वर्ग मी.), मार्शल स्थिरता (3 परीक्षण/400 टन) एवं मिश्रण की बंधनधारिता के लिए (2 निरीक्षण/400 टन) किया जाना था एवं तदनुसार बिटुमिन की लागत समायोजित की जानी थी। जॉ.मि.फा. के आधार पर, रायसेन तथा कटनी जिले में अतिरिक्त बिटुमिन के लिए 1.09 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। भुगतान ग्राह्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार ने डाली गई मिश्रित सामग्री की तौलकाँटा रसीद प्रस्तुत नहीं की थी। आगे विस्तृत परीक्षण केवल रायसेन जिले में कराये गये थे जिसके अनुसार केवल 4 प्रतिशत बिटुमिन का वास्तव में उपयोग किया गया था एवं कटनी जिले में छः में से केवल एक प्रकरण में 4 प्रतिशत बिटुमिन के साथ कार्य किया गया था जबकि अन्य सभी प्रकरणों में उपयोग की गई श्रेणी सेमी डेन्स बिटुमिनस कांक्रीट के अनुसार नहीं थी जैसा **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है।

का.यं., रायसेन ने बताया (अप्रैल 2006) कि राशि की वसूली अंतिम देयक से कर ली जाएगी, जबकि का.यं., कटनी ने कोई अभिमत नहीं दिया।

3.7.8.11 मूल्य भिन्नताओं के लिए अधिक भुगतान

ठेकेदारों को मूल्य भिन्नताओं के, अनुबंध प्रावधानों के प्रतिकूल 1.33 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया।

अनुबंध के अनुसार, सामग्री/मजदूरी और पो.ओ.एल. के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण मूल्य भिन्नता देय थी, बशर्ते संविदा अवधि 12 माह से अधिक हो एवं ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार सामग्री लाई और उपयोग की गई हो। इन प्रावधानों के प्रतिकूल, रायसेन तथा सागर जिले में 1.33 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दर्शाये गये हैं। इनमें, पैक्ड बिटुमिन के स्थान पर बल्क बिटुमिन के कारण 94.32 लाख रुपए का आधिक्य सम्मिलित था।

का.यं. ने बताया (अगस्त 2006), कि मूल्यों में विभिन्नता का भुगतान खुला (बल्क) बिटुमिन के लिए किया गया था जो पैक्ड बिटुमिन के समान है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार मूल्य विभिन्नता केवल अनुबंध में दी गई सामग्री के लिए देय थी एवं अनुबंध में केवल पैक्ड बिटुमिन ही विनिर्दिष्ट था।

* कें. स. नि. - (सीहोर 15.75 लाख, भोपाल 33.53 लाख, इन्दौर 29.72 लाख, कटनी 42.62 लाख, शाजापुर 8.97 लाख) नाबार्ड - (भोपाल 42.40 लाख, इन्दौर 11.28 लाख योग 1.84 करोड़ रुपए) ।

3.7.8.12 निष्पादन प्रत्याभूतियों (गारंटीज़) का नवीनीकरण न किया जाना

निष्पादन प्रतिभूति के स्थान पर ली गई 1.06 करोड़ रूपए की बैंक प्रतिभूति (गारंटी) नवीनीकृत नहीं की गई थी।

अनुबंधों के अनुसार, ठेकेदारों को कार्य पूर्ण होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यों का निष्पादन व संधारण करना था। निष्पादन प्रतिभूति 5/10 प्रतिशत प्रत्येक देयक से वसूल की जानी थी एवं निष्पादन अवधि के दौरान बैंक गारंटी के विरूद्ध लौटाई जा सकती थी। ठेकेदारों को प्रभारी अभियंता से संसूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर सभी आवश्यक सुधार कार्य करने थे, इससे चूकने पर सुधार कार्य ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर विभाग द्वारा कराये जाएगें एवं लागत ठेकेदार की निष्पादन प्रतिभूति से वसूल की जाएगी।

तीन जिलों@ में, देखा गया कि यद्यपि जुलाई 2003 और अक्टूबर 2005 के मध्य पूर्ण किए गए कार्य, जुलाई 2006 एवं अक्टूबर 2008 के मध्य निष्पादन गारंटी के अंतर्गत थे, फिर भी प्रतिभूति के स्थान पर ली गई 1.06 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी नवीनीकृत नहीं कराई गई थी एवं व्यपगत हो गई।

का.यं. ने उत्तर दिया (जुलाई 2006), कि बैंक गारंटीज़ के नवीनीकरण पत्राचार के अधीन थे।

3.7.9 गुणवत्ता आश्वासन एवं परिवीक्षण तंत्र

3.7.9.1 कार्य का विशिष्टियों से निम्नस्तर का निष्पादन एवं अस्वीकृत कार्यों का भुगतान

तीन करोड़ तेईस लाख रूपए मूल्य का बी.एम. कार्य अवमानक था, 48.74 लाख वसूल नहीं किए गए थे।

विशिष्टियों में अपेक्षित है कि, बी.एम. के कार्य को 48 घंटे के अंदर सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के वियरिंग कोर्स से ढँका जाएगा। यदि इसमें विलम्ब होता है, तो बी.एम. सील कोट से ढँका जाएगा, इसे प्रासंगिक भाग माना जाएगा एवं ठेकेदार को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। यह देखा गया कि अप्रैल 2003 तक स्लीमनाबाद-विलायत कला मार्ग पर 1.98 करोड़ रूपये की लागत से 159917.18 वर्ग मी. पर बिटुमिनस मेकेडेम निष्पादित किया गया, जिस पर दो वर्षा ऋतुएँ बीत जाने के बाद भी अक्टूबर, 2004 तक एस.डी.बी.सी. या सील कोट से नहीं ढँका गया। इसीप्रकार, अप्रैल 2004 तक बंधी झिर्री मार्ग पर 70.11 लाख रूपये की लागत से 59362.265 वर्ग मीटर पर बी.एम. निष्पादित किया गया, जिसे नवम्बर 2004 तक एस.डी.बी.सी. या सील कोट नहीं ढँका गया। जून 2005 तक अशोक नगर जिले के चन्देरी मुंगावली विदिशा मार्ग पर 54.46 लाख रूपये की लागत से 67319.88 वर्ग मी. पर बी.एम. निष्पादित किया गया, जिसे अक्टूबर, 2006 तक एस.डी.बी.सी. से नही ढँका गया। इस प्रकार 3.23 करोड़ रूपये की लागत से निष्पादित कार्य विशिष्टियों से निम्नतर था।

यह भी देखा गया कि स्लीमनाबाद विलायत कला मार्ग के विशिष्टियों से निम्नतर कार्य को मु.अ. द्वारा निरस्त किया गया था (अप्रैल, 2003), फिर भी ठेकेदार को पूरा भुगतान किया गया एवं सभी प्रकरणों में सील कोट के लागत की राशि 48.74 लाख रूपये ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अगस्त, 2006) कि बी.एम. को समय पर नहीं ढँका जा सका क्योंकि अनुबंध की राशियाँ अधिक हो रही थी।

@ इन्दौर, रायसेन एवं रीवा

विशिष्टियों में अपेक्षित है कि एस.डी.बी.सी. दृढ़ डामरीकृत सतह पर बी.एम. की जाना चाहिए। इन विशिष्टियों के प्रतिकूल, सिरोंज बैरसिया सड़क (जिला विदिशा) की 13.60 कि.मी. पर डब्ल्यू.बी.एम. सतह पर एस.डी.बी.सी. प्रावधानित किया गया, परिणामस्वरूप 52.51 लाख रुपये मूल्य का कार्य विशिष्टियों से निम्नतर था।

का.यं. ने बताया (अक्टूबर, 2006) कि कार्य प्राक्कलन के अनुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विशिष्टियों की उपेक्षा की गई थी।

3.7.9.2 रूपांकन के अनुसार कार्य का निष्पादन न होना

अनुमोदित रूपांकन बदला गया था।

नाबार्ड के अंतर्गत 2.09 करोड़ रुपये की लागत से 15.80 कि.मी. लम्बे किसनपुरा मुगारयायू सड़क (जिला सागर) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रारंभ किया गया (2005)। सड़क की परत (क्रस्ट) 10 वर्ष के जीवनकाल के लिए 70 से.मी. रूपांकित की गई थी। चूंकि सबग्रेड मिट्टी कमजोर थी ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) की 15 से.मी. परत के अतिरिक्त आई.आर.सी.-37 की आवश्यकतानुसार जी.एस.बी. की 15 से.मी. मोटी एक ऊपरी परत का भी प्रावधान था। यह देखने में आया कि निष्पादन के दौरान जी.एस.बी. की केवल एक परत दी गई थी। कमजोर मिट्टी को ध्यान मे रखते हुए, जी.एस.बी. की ऊपरी परत मोटाई को कम करना त्रुटिपूर्ण था। अनुमोदित रूपांकन के प्रतिकूल 1.07 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य का निष्पादन, न केवल विशिष्टियों से निम्नतर था बल्कि उसे क्षति होने की संभावना भी थी।

इंगित करने पर का.यं. ने बताया (सितम्बर, 2006) कि खुदाई के दौरान, कठोर मिट्टी पाई गई एवं संशोधित क्रस्ट रूपांकन के अनुसार, संशोधित उपचार किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सबग्रेड की सी.बी.आर. 2 प्रतिशत से कम थी एवं आई.आर.सी. के अनुसार जी.एस.बी. की 15 से.मी. मोटी ऊपरी परत आवश्यक थी।

3.7.9.3 समानुपातिक वसूली के बगैर अवमानक कार्य का निष्पादन

सात करोड़ अट्ठानबे लाख रुपए मूल्य का एस.डी.बी.सी. अवमानक था एवं समानुपातिक वसूली नहीं की गई।

स.प.रा.मं. की विशिष्टियों में अपेक्षित है कि सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट का वियरिंग कोर्स अभियंता द्वारा यथावत अनुमोदित जॉब मिक्स फार्मूला के आधार पर दिया जाना चाहिए। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत जॉब मिक्स फार्मूला या तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय या निजी प्रयोगशाला के थे। जॉब घनत्व 2.30 ग्राम/सी.सी. से 2.34 ग्राम/सी.सी. एवं मिश्रण मे कुल भार मिश्रण का 5 प्रतिशत से 5.17 प्रतिशत बिटुमिन धारिता की आवश्यकता के विपरीत, मिश्रण का घनत्व कम से कम 2.0 ग्राम/सी.सी. से 2.10 ग्राम/सी.सी. तथा बिटुमिन धारित 2.17 प्रतिशत से 5 प्रतिशत दर्ज की गई। अतः 7.98 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य का निष्पादन (के.स.नि. 1.10 करोड़ रुपये, फास्ट ट्रेक 6.87 करोड़ रुपए) अवमानक था।

इंगित करने पर कार्यपालन यंत्रियों ने उत्तर में बताया (जून 2006) कि प्राप्त घनत्व रूपांकित घनत्व के 90 प्रतिशत के अंदर था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स.प.रा.मं. की विशिष्टियों के अनुसार ऐसा कोई विचलन अनुज्ञेय नहीं था।

3.7.9.4 परिवीक्षण

निर्देशों के अनुसार, निर्धारित समय में लक्ष्यों की उपलब्धि तथा पूर्ण आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन का परिवीक्षण प्र.अ. तथा परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं द्वारा किया जाना अपेक्षित था। कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति प्र.अ. द्वारा

तैयार की गई थी, परंतु कार्यक्रम के प्रभावी परिवीक्षण एवं परियोजना की सामयिक पूर्णता हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। अतः कार्य विलंबित हुए। सफल निष्पादन एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक समान विशिष्टियां एवं अनुदेश न तो तैयार किए गये न ही जारी किए गये। प्रभावी परिवीक्षण की कमी ने कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता आश्वासन को बाधित किया।

3.7.9.5 प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.)

म.प्र.शासन ने के.स.नि. से लोक निर्माण विभाग के लिए संगणकों को खरीदने एवं सभी लोक निर्माण विभाग संभागों को जोड़ने का निर्णय लिया (नवम्बर, 2004), तद्नुसार मु.अ. (योजना) ने राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम (रा.इ. वि.नि.) के माध्यम से 2.17 करोड़ रुपये की लागत पर 171 संगणकों का क्रय किया। प्र.अ. कार्यालय एवं लो.नि.वि. संभागों में संगणक संस्थापित किए गए थे (मई 2005)।

चूंकि संगणक मुख्यालय से जोड़े नहीं गए थे एवं संभागों के पास प्रशिक्षित डाटा एंट्री आपरेटर (डी.ई.ओ.) नहीं थे, प्र.सू.प्र. विकसित नहीं की गई है (मार्च 2006)। इसप्रकार किया गया व्यय निष्फल रहा।

3.7.10 निष्कर्ष

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधि प्रबंधन की कमी थी, क्योंकि निधियों का विचलन किया गया था एवं अनधिकृत व्यय भी किया गया था। योजना एवं परिवीक्षण कमजोर था, क्योंकि ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के कारण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुए थे। ग्रामीण एवं अ.जि.स. का चयन भी त्रुटिपूर्ण था तथा कुछ प्रकरणों में निर्धारित स्वीकृति के बिना कार्य शुरू किए गए थे। कार्य के निष्पादन में कमी थी क्योंकि प्रकरणों की बड़ी संख्या में प्राक्कलनों को बनाने एवं अनुमोदन में स.प.रा.मं. की विशिष्टियों की उपेक्षा की गई थी। निविदा आंमत्रित किए बिना कार्य सौंपे गए एवं परिसमापन हानियों की वसूली नहीं की गई थी। दरों के त्रुटिपूर्ण लागू करने से अधिक भुगतान थे एवं निर्धारित निष्पादन बैंक गारंटियों का समय पर नवीनीकरण होना नहीं पाया गया। अवमानक कार्यों के निष्पादन अदक्ष गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सूचक थे। परिवीक्षण कमजोर था।

3.7.11 अनुशंसाएं

- तकनीकी प्राक्कलन सर्वथा स.प.रा.मं. की विशिष्टियों के अनुसार बनाए जाने चाहिए एवं प्राक्कलनों के अनुमोदन के दौरान इन विशिष्टियों के अनुपालन के लिए समुचित जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- निष्पादन बैंक गारंटी की सामयिक प्राप्ति एवं नवीनीकरण पर परिवीक्षण की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- अवरोधों को पहचानने एवं तीव्रतम पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यों की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर आवधिक एवं नियमित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए।

मामला शासन को प्रेषित किया गया (सितम्बर, 2006); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर, 2006)।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

- कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/हानियाँ
- निष्फल/निरर्थक/अतिरिक्त व्यय/अधिक भुगतान
- संविदागत दायित्वों का उल्लंघन
- परिहार्य व्यय
- निधियों का निष्क्रिय निवेश/अवरोध/व्यपवर्तन
- नियामक वादविषय एवं अन्य मुद्दे

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

4.1 कपटपूर्ण आहरण /दुर्विनियोजन/हानियाँ

कृषि विभाग

4.1.1 सरकारी धन का संदिग्ध गबन

संहितागत प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 1.84 लाख रुपए का गबन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खन्ड -I के प्रावधानों के अनुसार, जैसे ही कोई लेनदेन होता है, तो ऐसे समस्त आर्थिक लेनदेनों को रोकड़ बही में शीघ्र प्रविष्ट किया जाना चाहिए और उसे रोकड़ बही के प्रभारी अधिकारी द्वारा जांच के परिणामस्वरूप अनुप्रमाणित करना चाहिए । जहां सरकार की ओर से धन प्राप्त किया जाता है वहाँ कार्यालय प्रमुख को एम.पी.टी.सी.6 के प्रपत्र में रसीद दी जानी चाहिए । प्राप्त धन को बिना किसी विलंब के कोषालय में जमा किया जाना चाहिए ।

सहायक संचालक उद्यानिकी (प्रमुख उद्यान) भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2004 एवं मार्च 2006) तथा आगे जुलाई 2006 में संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि छह उद्यान अधीक्षकों (उद्यान(पार्क)क्रमांक 1,2,3,गुलाब उद्यान, बल्लभ भवन उद्यान एवं उद्यान सेवा केन्द्र) ने 1 अप्रैल 2003 से 13 अगस्त 2003 के दौरान 1.84 लाख रुपए मूल्य के पौधों का विक्रय किया, जिसके लिए उन्होनें विभागीय रसीदें जारी कीं । विक्रयागम की राशि सहायक संचालक उद्यानिकी को सौप दी गई थी जिन्होंने केवल सादे कागज पर 1.63 लाख रुपए के लिए उनको रसीदें जारी कीं । राशि न तो सहायक संचालक उद्यानिकी की रोकड़ बही में लेखांकित की गई और न ही इस राशि को कोषालय में प्रेषित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.84 लाख रुपए का गबन हुआ ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मार्च2004), सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया (मार्च 2004) कि मामले की रिपोर्ट संचालक उद्यानिकी को नवम्बर 2003 में की गई थी । प्रकरण में आगे की गई संवीक्षा (मार्च 2006)में प्रकट हुआ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 दिसम्बर 2004 को तत्कालीन सहायक संचालक उद्यानिकी के विरूद्ध 15 माह की समाप्ति के पश्चात, पुलिस थाना, आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल में दायर की गई थी । उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2004 को हो गई थी ।

सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा संहितागत प्रावधानों का पालन न किए जाने एवं उच्च प्राधिकारियों की ओर से शिथिलता के कारण 1.84 लाख रुपए का गबन हुआ ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को अप्रैल 2004/2006 में की गई थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006) ।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.1.2 सामग्री की उठाईगीरी (पिलफरेज) के कारण हानि

सामग्री की उठाईगीरी/उपयोग न की गई सामग्रियों को न लौटाए जाने के फलस्वरूप शासन को 92.76 रूपये लाख की हानि।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाई गई) की कंडिका 10.3.11 में प्रावधान है कि, उन सभी प्रकरणों, में जहां कार्य के लेखे उप-शीर्षो में संधारित होते हैं, कार्य को सीधे ही जारी की गई सामग्रियों को, प्राप्त होते ही, लेखाकृत किया जाना चाहिए एवं उनका पूर्ण मूल्य कार्य को विकलित किया जाना चाहिए तथा मात्राएं कार्यस्थल सामग्री लेखा (प्रपत्र 35) की पंजी में प्रविष्ट की जानी चाहिए । सभी लेन देनों का लेखा, प्रत्येक माह में तैयार कर, उपसंभाग/संभाग कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यदि अधिकारी या अधीनस्थ, जो ऐसे कार्य के सीधे प्रभार में है, जिसके लेखे उपशीर्षो में संधारित होते हैं, उक्त लेखे बंद ह ं के पूर्व स्थानांतरित हो जाता है, तो कार्यस्थल पर पड़ी उपयोग में न आई हुई सामग्रियों का सत्यापन, प्रभार-मुक्त करने वाले अधिकारी को प्रभार-मुक्त होने वाले अधिकारी को साथ लेकर करना चाहिए तथा उपसंभागीय अधिकारी द्वारा कंडिका 10.3.14 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिवेदन तैयार किया जाकर सम्भागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, वितरणी सम्भाग, पाटन के लेखाओं की लेखापरीक्षा में जांच (दिसम्बर 2005) से प्रकट हुआ कि सम्भाग के भण्डार से उपयंत्री "ए" को आर.सी.सी. ह्यूम पाईप (68.20 लाख रूपये मूल्य के 1607 रनिंग मीटर) एवं एल.डी.पी.ई. फिल्म (24.56 लाख रूपये मूल्य की 30.706 घन मीटर) जारी किए गए थे। उपयंत्री ने उप सम्भाग/सम्भाग को कार्य स्थल सामग्री लेखा प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के कार्यालय में उसके स्थानान्तरण के कारण 4 जनवरी, 2006 को उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। उपयंत्री अपने उत्तराधिकारी को 92.76 लाख रूपये मूल्य की सामग्री सौंपने में भी विफल रहा। प्रतिवेदन न तो उपयंत्री द्वारा दिए गए न ही कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राप्त किए गए । इस प्रकार, कार्यपालन यंत्री के स्तर पर केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता में निर्धारित नियन्त्रण क्रियाविधि के अनुसरण में विफलता के फलस्वरूप सामग्रियों की उठाईगीरी (पिलफरेज) हुई तथा फलस्वरूप शासन को 92.76 लाख रूपये की हानि हुई । लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा स्टेशन ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, पाटन से दोषी कर्मचारी के विरूद्ध प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन (प्राथनिकी) दर्ज करने हेतु निवेदन किया (जनवरी 2006 एवं अगस्त 2006) जो 22 अगस्त 2006 को दर्ज किया गया । दोषी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रक्रियाधीन था (नवम्बर 2006)।

प्रकरण फरवरी 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.1.3 शासकीय धन के छलपूर्ण आहरण

अंकों में हेर-फेर या जोड़-तोड़ कर चेकों के माध्यम से शासकीय धन के छलपूर्ण आहरणों के फलस्वरूप 1.89 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाई गई के.लो.नि.ले.संहिता) की कंडिका 3.2.1 में नियत है कि सम्भागीय अधिकारी सम्भाग का प्राथमिक संवितरण अधिकारी है जिसे कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी संवितरणों हेतु वांछित निधि चेकों के माध्यम से, सिविल कोषालय या बैंक से प्राप्त करने की अनुमति है। वह कुछ विभागीय प्राप्तियों की उगाही भी करता है तथा उनका सिविल कोषालय या बैंक में प्रेषण करता है। इन प्राप्तियों एवं संवितरणों (उसकी ओर से कार्य करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों के लेन-देनों सहित) को उसके ही पर्यवेक्षण में, महालेखाकार द्वारा उसके कार्यालय में पदस्थ लेखापाल द्वारा संकलित किया जाता है जो, स्वीकृतियों एवं निधियों के पुनर्विनियोजन के अनुसार इनकी लेखापरीक्षा करते हैं एवं तब इन्हें शासन के सामान्य लेखाओं में समाहित करते हैं ।

कंडिका 22.3.3 में आगे निर्दिष्ट है कि आहरित चेकों हेतु, कोषालय अधिकारी से निर्गमों के प्रमाणपत्र सहित, संबंधित माहों हेतु समुचित रूप से परिपूर्ण पास बुक प्राप्त करना चाहिए एवं प्रपत्र 51-कोषालयों से मासिक परिशोधनों की अनुसूची के भाग 2 में, जो कि अंतरों का विवरण भी देती है, उनका मिलान संभाग की रोकड़ पुस्तिकाओं से किया जाना चाहिए। यह प्रपत्र 51 लेखापरीक्षा हेतु मूलतः प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, भिण्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2005) से प्रकट हुआ कि सम्भागीय अधिकारी, अगस्त 2003 के पश्चात् कोषालय से लेखाओं के परिशोधन की अनुसूची (प्रपत्र 51) प्रस्तुत करने में विफल रहे। कोषालय से आहरित चेक एवं सम्भागीय रोकड़ पुस्तिका के मिलान के दौरान यह दृष्टिगोचर हुआ कि, अक्टूबर 1998 एवं जून 2005 के मध्य, 72 चेक (जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में विवरणित है) तिजोरी हेतु, कुल 18,37,000 रूपये राशि की रोकड़ की संपूर्ति के लिए, जारी किए जाना दर्शाए गए थे जबकि चेक पुस्तिका के प्रतिपर्ण पर दर्शाई गई राशि एवं रोकड़ पुस्तिका में दर्ज की गई राशि की तुलना में, अंकों में हेर-फेर एवं जोड़-तोड़ कर, वास्तविक रूप से 2,07,37,000 रूपये राशि के चैकों का बैंक से नकदीकरण कराया गया था । 17 जून 1999 से 30 जून 1999 की अवधि के दौरान हुए आहरणों का लेखापरीक्षा द्वारा मिलान नहीं किया जा सका क्योंकि कोषालय अधिकारी भिण्ड ने विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार सम्भाग में हुए कदाचार ने 1.89 करोड़ रूपये के छलपूर्ण आहरण के लिए रास्ता तैयार किया।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा, विस्तृत जाँच की इच्छा करते हुए प्रकरण राज्य शासन के वित्त विभाग को संप्रेषित किया गया (सितम्बर 2005)। तत्पश्चात् दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दो प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी) भिण्ड पुलिस के पास दाखिल कराए गए (सितम्बर 2005 एवं जनवरी 2006)। प्रकरण अभी भी राज्य शासन के पास जाँच के अधीन था।

इस तरह, जारी किए गए चेकों की राशि एवं बैंक/कोषालय से वास्तविक रूप से नकदीकृत की गई राशि के मिलान में विफलता तथा कोषालय (प्रपत्र-51) से परिशोधन की अनुसूची तैयार न करने /प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ये अनवरत छलपूर्ण आहरण हुए ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2005 एवं अप्रैल 2006); उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

4.1.4 ब्याज की हानि

मिट्टी के तेल की कीमतों को पूर्णांक में करने से हुई बचतों को सहकारी बैंक के स्थान पर 2 वर्षों के लिए डाकघर में आवधिक जमा लेखे में रखे जाने से सरकार को 37.50 लाख रुपए मूल्य के ब्याज की आय से वंचित होना पड़ा ।

राज्य सरकार ने राज्य के उपभोक्ताओं को एकसमान दर पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक नियमावली तैयार की (मार्च 2001) । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई मिट्टी के तेल की उपभोक्ता दर में परिवहन, कमीशन इत्यादि को जिलाध्यक्ष के विवेक से जोड़ने के पश्चात पूर्णांक में किया जाकर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एकसमान दर पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है । पूर्णांक करने से हुई बचतों की राशि को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में जिलाध्यक्ष के बचत खाते और / अथवा आवधिक जमा खाते में जमा किया जाना था और उसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाना चाहिए था ।

नियंत्रक, जिला आपूर्ति भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2006) में यह प्रकट हुआ कि नियमों का उल्लंघन करते हुए पूर्णांक से हुई 3 करोड़ रुपए मूल्य की बचतें को प्रधान डाकघर, भोपाल के खाते में 2 वर्ष के लिए, इस तथ्य को सुनिश्चित किए बिना कि उस पर ब्याज का भुगतान देय होगा अथवा नहीं, जमा कर दिया गया था (मार्च 2003) । डाकघर द्वारा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया गया, क्योंकि यह सरकारी जमाधन था । इससे सरकार को 37.50 लाख रुपए तक की राशि के ब्याज (6.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित) के अर्जन से वंचित होना पड़ा ।

इसे ध्यान में लाने पर, नियंत्रक ने बताया (फरवरी 2006) कि उच्चतर ब्याज की प्रत्याशा में, निधियों को डाकघर में रखा गया था तथा डाकघर के द्वारा ब्याज देने से इनकार कर देने पर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमानुसार निधियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा किया जाना चाहिए था । इस प्रकार नियमों का पालन न किए जाने से ब्याज के रूप में अर्जित किए जाने वाले 37.50 लाख रुपए की हानि हुई ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को अप्रैल 2006 में की गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2006) ।

लोक निर्माण विभाग

4.1.5 ब्याज की हानि

अनधिकृत रूप से चालू खाता खोलने तथा निधियों के अवरोधन के कारण 38.57 लाख रूपये की राशि के ब्याज की हानि।

शासन के आदेशों (मई 2002) एवं प्रमुख अभियन्ता के निर्देशों (दिसम्बर 2002) के अनुसार सड़कों के उन्नयन/सुधार हेतु मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से प्राप्त मंडी निधियों हेतु कार्यपालन यंत्री के नाम से बचत खाते खोले जाने थे। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से भी निधियां, पहले से ही सौंपे गए कार्यों हेतु, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही, मांगी जाना थी। निधियां, जिनका 15 दिन के अंदर उपयोग होना संभावित नहीं हो वे, निधियों के अवरोधन टालने हेतु, अविलंब मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को लौटा दी जानी चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 2005) कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) सम्भाग, सीधी ने अनधिकृत रूप से स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की सीधी शाखा में चालू खाता (नम्बर 01079959101) खोल लिया था। इसके फलस्वरूप जमा राशियों पर नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2005 के दौरान ब्याज अर्जित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता से अधिक निधियां भी मांगी गई थी एवं, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उसी अवधि के दौरान समर्पित करने के बदले, उन्हें छः माह से अधिक तक की अवधि हेतु चालू खाते में रखा गया। इस प्रकार, शासनादेशों की उपेक्षा की गई जिसके फलस्वरूप 38.57[€] लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

€

अवधि	*ब्याज जिसकी हानि हुई*	*कारण*
11/02 से 11/03	*940729.00*	*चालू खाते में राशियाँ (रोकड़ पुस्तिका के अनुसार)*
12/2003से 10/05	*987897.00*	*चालू खाते में राशियाँ (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार)*
11/02 से 10/05	*1928626.00*	*बचत खाते में निधि का अवरोधन*
योग	***38.57 लाख***	

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2006) एवं बताया की राशि को बचत खाते में न रखने के लिए कार्यपालन यंत्री उत्तरदायी थे।

प्रकरण अप्रैल 2006 में शासन को संप्रेषित किया गया, उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

4.1.6 "मेला क्षेत्र" में वाहनों के स्टेन्ड के लिए ठेका निरस्त किए जाने के कारण हानि।

सिंहस्थ मेला 2004 के दौरान वाहनों के स्टेन्ड के लिए ठेके को निरस्त किए जाने के कारण सरकार को 23.14 लाख रुपए से वंचित होना पड़ा ।

उज्जैन नगर एवं उसके चारों ओर के सात शहरों में वाहनों के स्टेन्ड के लिए ठेका दिए जाने के लिए 5 मार्च 2004 को भारतीय सेवा समिति इन्दौर एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी, उज्जैन के मध्य एक अनुबध निष्पादित हुआ था और भारतीय सेवा समिति ने 99.18 लाख रुपए की राशि भी जमा कर दी थी । अनुबन्ध क खन्ड 14 के अनुसार प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण यदि ठेका निरस्त किया जाता है तो जमा की राशि को आनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा ।

मेला अधिकारी, उज्जैन के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2005) में प्रकट हुआ कि मेला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक 'उच्च स्तरीय समिति' की बैठक 10 अप्रैल 2004 को आयोजित की गई थी और भारतीय सेवा समिति इन्दौर को दिया गया वाहनों के स्टेन्ड का ठेका निरस्त करने का निर्णय इस आधार पर लिया कि पहचान किए गए वाहनों के स्टेन्ड स्थलों पर वाहनों का भार वाहनों की आशातीत संख्या की अपेक्षा कम था । तदनुसार, आयुक्त, उज्जैन के 12 अप्रैल 2004 को ठेकेदार को सूचित किया और भारतीय सेवा समिति द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि वापस कर दी और भारतीय सेवा समिति से 23.14 लाख रुपए (7 दिन ठेका चलाने के लिए आनुपातिक राशि)की वसूली नहीं की यद्यपि भारतीय सेवा समिति को इस अवधि के दौरान एकत्रित वाहन शुल्क को रखे रहने की अनुमति दे दी गई थी ।

इस प्रकार, मेला प्रारम्भ होने के ठीक सात दिनों के पश्चात आयुक्त, उज्जैन द्वारा वाहन स्टेन्ड के ठेके को निरस्त कर दिए जाने एवं समस्त राशि को वापस कर दिए जाने के कारण सरकार को 23.14 लाख रुपए की राजस्व वसूली से वंचित होना पड़ा ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को मार्च 2006 में की गई थी , उत्तर अद्य दिनाक (नवम्बर 2006) तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

4.2 निष्फल/निरर्थक/अतिरिक्त व्यय एवं अधिक भुगतान

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.2.1. मूल्यवृद्धि (एस्केलेशन) का अधिक भुगतान एवं क्षतिपूर्ति राशि (लिक्विडेटेड डैमेजेज) का अनारोपण ।

समयवृद्धि की स्वीकृति का अनधिकृत पुनरीक्षण एवं मूल्यवृद्धि हेतु त्रुटिपूर्ण सूचकांक अपनाने के परिणाम स्वरूप 22.16 लाख रूपये के अधिक भुगतान के अतिरिक्त विलम्ब हेतु 13.91 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का अनारोपण हुआ।

"बेलखेडी वितरणी " के 13.91 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत वाले एवं, "पिपरिया उप-वितरणी " के 14.76 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत वाले, संरचनाओं सहित मिट्टी कार्य एवं सीमेंट, कांक्रीट लाइनिंग निर्माण के कार्य, कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई सागर, पुनर्वास सम्भाग, जबलपुर द्वारा क्रमश 14.73 करोड़ रूपये एवं 15.97 करोड़ रूपये की निविदत्त लागत पर, वर्षाकाल सहित 21 माह में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को सौंपे गए (अप्रैल एवं जून 2003)। मार्च 2006 तक कार्य प्रगति पर थे एवं ठेकेदार को दिसम्बर 2005 तक क्रमशः 13.34 करोड़ रूपये एवं 9.32 करोड़ रूपये जिसमें मूल्य समयोजन के 75.45 लाख रूपये एवं 57.60 लाख रूपये सम्मिलित थे, भुगतान किए गये । लेखापरीक्षा जाँच से निम्नानुसार पता लगाः

अनुबंध की धारा 2.40.2 में प्रावधानित है कि मूल्य-वृद्धि (प्राइस एस्केलेशन) उसी कार्य के लिए लागू होगी जो नियत अवधि, या उसमें ऐसी समय-वृद्धि, जो ठेकेदार पर आरोप्य कारणों की वजह से न हो, में किया जाता है।

"बेलखेडी वितरणी" का कार्य 16 जनवरी 2005 तक पूर्ण किया जाना नियत था, परन्तु ठेकेदार नियत अवधि में कार्य पूर्ण करने में विफल रहा एवं मुख्य अभियन्ता ने दाण्डिक धारा (धारा 4.3.2) के अन्तर्गत 31 मार्च 2005 तक की समय-वृद्धि प्रदान की (फरवरी 2005)फलतः, ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार, बढ़ाई गई अवधि के दौरान मूल्य-वृद्धि के लिए हकदार नहीं था। तथापि,यह देखा गया कि मुख्य अभियन्ता ने अपनी पूर्व स्वीकृति (फरवरी 2005) पुनरीक्षित कर दी (मई 2005) एवं गैर-दाण्डिक धारा (धारा 4.3.5.2.) के अंतर्गत समय-वृद्धि प्रदान कर दी एवं, तदनुसार, कार्यपालन यंत्री ने, बढ़ाई गई अवधि हेतु, 17.85 लाख रूपये का मूल्य-वृद्धि (प्राइस एस्केलेशन) का भुगतान कर दिया ।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए (जुलाई 1961)स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार दिए गए निर्णय की, न तो उस अधिकारी द्वारा न ही उसके उत्तराधिकारी द्वारा, समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार, मुख्य अभियन्ता अपनी स्वयं की स्वीकृति की समीक्षा करने एवं पुनरीक्षण करने हेतु सक्षम नहीं थे । इस तरह, समय-वृद्धि के अनधिकृत पुनरीक्षण के फलस्वरूप 17.85 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

यह भी कि, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने ठेके के दस्तावेज पर्याप्त सावधानी पूर्वक तैयार नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप ठेके की धाराएँ विसंगतिपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण हो गईं। अनुबंध त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसमें विगणित क्षतिपूर्ति राशि (लिक्विडेटेड डैमेजेज), के आरोपण सम्बन्धी धारा विद्यमान नहीं थी। मानक धारा के अनुसार, विगणित क्षतिपूर्ति राशि (लिक्विडेटेड डैमेजेज), अधिकतम 8 प्रतिशत के अध्यधीन, प्राक्कलित लागत के एक प्रतिशत या कोई अन्य अल्पतर राशि, जो कार्यपालन यंत्री/ अधीक्षण यंत्री प्रत्येक दिन के व्यतिक्रम हेतु निश्चित करें,, की दर से आरोपणीय थी। तथापि, अनुबन्ध में त्रुटियों के कारण ऐसा कोई दण्ड आरोपित नहीं किया गया । यदि प्राक्कलित लागत के न्यूनतम एक प्रतिशत दण्ड का प्रावधान होता तो क्षतिपूर्ति की राशि 13.91 लाख रुपये (8 प्रतिशत तक सीमित) संगणित होती।

भुगतान की गई मूल्य-वृद्धि की राशि में गलत सूचकांको के आधार पर मूल्य-वृद्धि का भुगतान भी सम्मिलित है । पिपरिया उप-वितरणी के कार्य की मूल्य बोली 29 अप्रैल 2003 को खोली गई, तदनुसार श्रम एवं सामग्री हेतु आधार सूचकांक 475 एवं 173.1 थे जिनके विरूद्ध संभाग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से क्रमशः 473 एवं 171.06 के आधार सूचकांक अपनाए जो कि मार्च 2003 से सम्बंधित थे, इसके परिणामस्वरूप 4 31 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

जब लेखापरीक्षा में इसे इंगित किया गया तो कार्यपालन यंत्री ने बताया (दिसम्बर 2005) कि कार्य-स्थल की स्थिति की जांच के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा, दाण्डिक धारा के अंतर्गत प्रदान की गई समय-वृद्धि को बदलकर बिना दण्ड के कर दिया गया । मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी स्पष्टीकरण की दृष्टि से उत्तर मान्य नहीं था । जहां तक मूल्यवृद्धि के अधिक भुगतान का प्रश्न है यह बताया गया कि निविदाएं 28 मार्च 2003 को खोली गई थीं अतः मूल्य-वृद्धि हेतु मार्च 2003 के आधार सूचकांक लिए गये थे । उत्तर मान्य नही था क्योंकि 28 मार्च 2003 को मात्र पूर्व-अर्हता दस्तावेज ही खोले गए थे एवं मूल्य-बोली 29 अप्रैल 2003 को खोली गई थी अतः अप्रैल 2003 के आधार सूचकांक अपनाए जाना थे ।

प्रकरण अप्रैल 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

4.2.2 लेखापरीक्षा के बताने पर अधिक भुगतान की वसूली

जल-छिड़काव एवं संघनीकरण का दो बार भुगतान किए जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को 23.55 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सम्भाग क्रमांक 4, जबलपुर ने बरगी दांयी तट मुख्य नहर के आर. डी. 36.50 से 42 किलोमीटर तक खुदाई, मिट्टी कार्य, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग एवं संरचनाओं का कार्य, मद दर निविदा पर अनुबन्ध क्रमांक 3 डी एल वर्ष 2004-05 के अंतर्गत, 21.48 करोड़ रूपये की लागत से, वर्षाकाल छोड़कर 9 माह की नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को सौंपा(सितम्बर 2004) । कार्य प्रगति पर

था एवं ठेकेदार को 11.00 करोड़ रूपये राशि के 19 वें चल देयक का भुगतान मई 2006 में किया गया था ।

अनुबन्ध के साथ संलग्न मात्राओं की अनुसूची के मद क्रमांक 4 (ए) में, सभी सामग्रियों की लीड व लिफ्ट एवं अन्य प्रभारों, जल-छिड़काव एवं शीप फुट रोलर से 90 प्रतिशत से अन्यून शुष्क संहति (ड्राई डेन्सिटी) प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम आर्द्रता निहिति (आप्टिमम मॉइस्चर कन्टेन्टस) पर मिट्टी के संघनीकरण सहित, जो विशिष्टयों के अनुरूप एवं प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार हो, बंध (बंड) एवं नहर एम्बेंकमेन्ट हेतु बांध विशिष्टयों के अनुरूप मिट्टी कार्य का प्रावधान था । ठेकेदार ने इस मद हेतु रू. 50 प्रति घन मीटर की दर उद्धृत की थी।

अन्य मद 4 (बी) में जल-छिड़काव एवं शीप फुट रोलर से 90 प्रतिशत से अन्यून शुष्क संहति प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम आर्द्रता निहिति पर मिट्टी के संघनीकरण, जो विशिष्टयों के अनुरूप एंव प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार हो, का प्रावधान था । ठेकेदार ने इस मद हेतु 22.10 रूपये प्रति घनमीटर की दर उद्धृत की थी ।

मद 4 (ए) की उपरोक्त नामावली (नामेनक्लेचर) से स्पष्ट होता है कि इस मद में अन्यत्र से लाई गई (बॉरोड) मिट्टी का जल-छिड़काव एवं संघनीकरण सम्मिलित था तथा मद 4 (बी) का आशय नहर खुदाई से प्राप्त मिट्टी से निर्मित एम्बेन्कमेन्ट के जल-छिड़काव एवं संघनीकरण से था।

लेखापरीक्षा जॉच से प्रकट हुआ (जनवरी 2006) कि ठेकेदार ने 106543 घन मीटर नहर एम्बेंकमेन्ट का निर्माण अन्यत्र से लाई गई मिट्टी से किया एवं उसे मद 4 (ए) के अंतर्गत रू. 50 प्रति घन मीटर की दर से 53.27 लाख रूपये का भुगतान किया गया । ठेकेदार ने नहर खुदाई से प्राप्त मिट्टी से भी 73641 (180184 -106543) घन मीटर मिट्टी कार्य निष्पादित किया । इस मात्रा हेतु जल-छिड़काव एवं संघनीकरण का मद 22.10 रूपये प्रति घनमीटर की दर से ही भुगतान योग्य था। तथापि अन्यत्र से लाई गई 106543 घनमीटर की मात्रा का जल-छिड़काव एवं संघनीकरण मद 4 (बी) के अंतर्गत, भुगतान हेतु कुल मात्रा (180184 घन मीटर) में पुनः सम्मिलित कर लिया गया।

इस प्रकार, 106543 घनमीटर हेतु जल-छिड़काव एवं संघनीकरण का दो बार भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 23.55 लाख रूपये (106543 घनमीटर x 22.10 रूपये = 2354600 अर्थात 23.55 लाख रूपये) का अधिक भुगतान हुआ।

यद्यपि कार्यपालन यंत्री ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की (जनवरी 2006), तथापि शासन ने, जिसे प्रकरण मई 2006 में प्रतिवेदित किया था, अधिक भुगतान स्वीकार किया एवं बताया (सितम्बर 2006) कि 23.55 लाख रूपये की राशि पहले ही जून 2006 में वसूल कर ली गई थी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.2.3 दर को त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाने के कारण अधिक भुगतान

यील्ड टेस्ट हेतु त्रुटिपूर्ण दर को लागू करने एवं नल कूपों का विकास हैण्ड पम्प की बजाय पावर पंपों से करने के फलस्वरूप 78.02 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा, मई 2002 से प्रभावशील एकीकृत दर अनुसूची में जारी किए गए (जुलाई 2004) संशोधन में विनिर्दिष्ट है कि यील्ड टेस्ट एवं नलकूपों, जिन पर केवल हेन्ड पम्प ही स्थापित किए जाना है, का विकास 75 रूपये प्रति नलकूप की दर से, हाथ से (मेनुअली) ही चार घण्टे तक किया जायेगा ।

छः सम्भागों के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि एकीकृत दर अनुसूची के उपरोक्त प्रावधान की पूर्ण उपेक्षा करते हुए 3303 नलकूपों, जिन पर हेन्ड पम्प स्थापित किए जाना थे, का यील्ड टेस्ट एवं विकास, हैन्ड पम्पों द्वारा हाथ से कराए जाने के स्थान पर, विभिन्न प्रतिशतता दर ठेकों के माध्यम से, सबमर्सिबल पावर पम्पों द्वारा 2437 रूपये (पावर पम्पों की स्थापना हेतु श्रमः 698 रूपये, पॉवर पम्पों से नौ घण्टो तक यील्ड टेस्ट करनाः 1143 रूपये एवं पॉवर पम्प निकालने हेतु श्रमः 596 रूपये) प्रति नलकूप की दर से कराया गया ।

इस प्रकार, एकीकृत दर अनुसूची का उल्लंघन करते हुए त्रुटिपूर्ण दरें लगाने के परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को 78.02 लाख• रूपये (निविदा प्रतिशतता, जो कि अलग-अलग अनुबन्धों में भिन्न भिन्न थी, छोड़कर औसतन 2437 रूपये - 75 रूपये= 2362 रूपए प्रति टेस्ट) का अधिक भुगतान हुआ।

ये इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (जनवरी 2006 एवं मई 2006) कि लागू एकीकृत दर अनुसूची की दर के अनुसार भुगतान किए गए थे तथा प्रकरण दिशा निर्देश हेतु उच्चाधिकारियों को संप्रेषित किया जायेगा । विभाग के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा जारी संशोधन के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं थे।

•

1.	*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, बैतूल*	*538X2362*	*=12,70,756*
2.	*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, रीवा*	*254X2362*	*=5,99,948*
3.	*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, डिन्डोरी*	*1195X2362*	*=28,22,590*
4.	*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, छिन्दवाड़ा*	*664X2362*	*=15,68,368*
5.	*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, सिवनी*	*137X2362*	*=3,24,000*
6.	*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सम्भाग, खरगोन*	*515X2362*	*=12,16,000*
		योग	*=78,01,662*

प्रकरण जून 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.2.4 पहाड़ी मार्ग पर चिकित्सालय भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय ।

नुपयुक्त स्थल पर चिकित्सालय का निर्माण करने के कारण चिकित्सा सुविधा की वृद्धि के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया और 3.37 करोड़ रुपए का, निर्माण पर किया गया, व्यय निष्फल सिद्ध हुआ ।

तहसील स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि के लिए, सरकार ने विद्यमान 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , सोंसर, जिला छिन्दवाड़ा को 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय के रूप में स्तरोन्नयन करने का निर्णय लिया (जुलाई 1997) । चिकित्सालय भवन के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था (जुलाई 1997) । 3.37 करोड़ रुपए की कुल लागत से विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी मार्ग पर नए भवन का निर्माण हुआ । भवन को स्वास्थ्य विभाग के उपयोगार्थ सौंप दिया गया (जनवरी 2003) ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2005) और मई 2006 में आगे संग्रहीत की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि आयुक्त, स्वास्थ्य, के निर्देश (जनवरी 2003) के बावजूद कि विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिकता के आधार पर नव-निर्मित 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय भवन में स्थानांतरित किया जाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थानांतरण, नए भवन में जल आपूर्ति, साफ-सफाई व पहुँच मार्ग की सुविधा के अभाव में नहीं किया जा सका । अन्ततोगत्वा, जिला योजना समिति (जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता) ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को, जनता के द्वारा वृहद् रूप से कठिनाईयों का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में, पुराने भवन में ही चलाते रहने के लिए आदेश दिए (जनवरी 2003)। केवल एक्सरे मशीन और भंडार को नवीन भवन में स्थानांतरित किया गया (जनवरी 2003) तथा बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) सहित अन्य विभाग पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में ही चल रहे थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2005) ।

इस प्रकार 3.37 करोड़ रुपए के व्यय तथा तीन वर्षों के व्यतीत हो जाने के बावजूद सोंसर द्वारा चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय के निर्माण पर किया गया 3.37 करोड रूपए का व्यय निष्फल सिद्ध हो गया । आगे, अनुचित योजना बनाने यथा विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी मार्ग पर नवीन भवन के लिए स्थल का चुनाव करने, वाहनों की उचित सुविधा का अभाव,दो विभिन्न स्थानों पर

चिकित्सा सुविधाओं के बिखर जाने एवं जल आपूर्ति, साफ-सफाई एवं पहुंच मार्ग का नवीन भवन तक अपूर्ण रह जाने के कारण जनता की असुविधाओं में वृद्धि हुई ।

मामले की सूचना सरकार को मार्च 2006 में भेजी गई थी ; उत्तर नवम्बर 2006 के अद्य दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

लोक निर्माण विभाग

4.2.5 ठेकागत दायित्वों के उल्लंघन के कारण अधिक भुगतान

पैक्ड बिटुमिन के स्थान पर बल्क बिटुमिन के उपयोग से ठेकों की विशेष शर्त का उल्लंघन हुआ जिसके फलस्वरूप ठेकेदारों को 61.38 लाख रूपये की राशि का अधिक भुगतान हुआ ।

निर्माण में उपयोग होने वाले डामर (बिटुमिन) में मिलावट रोकने/डामरीकृत सड़कों के सुधार की दृष्टि से अतिरिक्त विशेष शर्त, जो ठेकों का भाग थी, में विनिर्दिष्ट था कि डामर के सभी कार्य 60/70 ग्रेड के पैक्ड बिटुमिन का ही उपयोग कर किए जाएंगे ।

तीन लोक निर्माण सम्भागों की, मार्च 2005 एवं दिसम्बर 2005 के दौरान, की गई लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ था कि उपरोक्त ठेकागत प्रावधान के होते हुए भी, आठ मद-दर ठेकों के माध्यम से, विभिन्न सड़कों के डामर के कार्य यथा डामरीकृत नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन, निष्पादित कराए गए जिनके अंतर्गत, ठेकेदारों को पैक्ड बिटुमिन के स्थान पर बल्क बिटुमिन का उपयोग करने की अनुमति दी गई । चूंकि इन कार्यों के निष्पादन हेतु अधिक सस्ती सामग्री (इनपुट) का प्रावधान था, अतः विभाग, दोषी ठेकेदारों से, लागत का अंतर वसूल करने का हकदार था । परन्तु एक (कार्यपालन यंत्री अशोकनगर, आंशिक मात्रा हेतु) के अतिरिक्त, शेष दो कार्यपालन यंत्री, इस आधार पर वसूली करने में विफल रहे । इस तरह ठेके के प्रावधानों का उल्लंघन कर अधिक सस्ती सामग्री (इनपुट) के उपयोग एवं लागत के अंतर की वसूली न करने के फलस्वरूप 65.90[+] लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ जिसमें से, कार्यपालन यंत्री अशोक नगर सम्भाग द्वारा, 4.52 लाख रूपये मात्र की, वसूली की गई।

लेखापरीक्षा में ये इंगित किए जाने पर अशोकनगर एवं कटनी सम्भागों के कार्यपालन यंत्रियों ने, तथ्यों को स्वीकार करते हुए,बताया कि जाँच के पश्चात् राशि की वसूली

[+]

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कटनी-	33.78 लाख रूपये
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग राजगढ -	23.61 लाख रूपये एवं
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अशोकनगर -	8.51 लाख रूपये
=कुल	65.90 लाख रूपये
(-)वसूले गए	4.52 लाख रूपये
=	61.38 लाख रूपये

करने सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जाएगी, जबकि कार्यपालन यंत्री राजगढ़ ने बताया (दिसम्बर 2005) कि पैक्ड बिटुमिन के स्थान पर बल्क बिटुमिन का उपयोग करने के कारण लागत राशि की वसूली हेतु कोई प्रावधान अनुबन्ध में नहीं था। उत्तर, ठेके के प्रावधानों से संगति में न होने से, लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं था।

प्रकरण मई 2006 में शासन को प्रतिवेदन किया गया; उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

4.2.6 त्रुटिपूर्ण दरें लगाने के कारण अधिक भुगतान

ह्यूम पाईप पुलियों के पश्च-भराव(बैकफिलिंग) हेतु त्रुटिपूर्ण दर लगाने के फलस्वरूप 33 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

सड़क एवं पुल कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों (चतुर्थ पुनरीक्षण 2001) में प्रावधान है कि ह्यूम पाइप पुलियों के निर्माण में एक दूसरे के पास पास लगाये जाने वाले दो या अधिक पाईप, न्यूनतम 450 मिलिमीटर के अध्यर्धीन पाईप के व्यास के कम से कम आधे के बराबर दूरी द्वारा पृथक किए जायेंगे । पाईप बिछाए जाने एवं जुड़ाई सामग्री कड़ी हो जाने के तुरंत पश्चात खन्तियों (ट्रेन्चेज) का पाईपों के ऊपर 300 मिलिमीटर तक पश्च-भराव(बैकफिल) किया जायेगा। पश्च-भराव(बैकफिल) मिट्टी, बोल्डरो, दीर्घ जड़ों, तृण युक्त भूमि के टुकड़ों या वनस्पतिक सामग्री की अत्यधिक मात्रा से मुक्त एवं स्वच्छ होगी एवं अभियन्ता द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

तदनुसार, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल कार्यों हेतु जारी की गई दर अनुसूची में एबटमेन्ट्स एवं रिटर्न्स के मध्य पश्च-भराव के कार्य हेतु, 165 रूपये प्रति घनमीटर की दर पर एक मद (डी-26) का प्रावधान था ।

तीन सम्भागों* के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (दिसम्बर 2005 एवं मई 2006 के मध्य) यह देखा गया कि ह्यूम पाईप पुलियों का 13029.26 घनमीटर पश्च-भराव, जो 165 रूपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान योग्य था (डी-26), के भुगतान हेतु, दर अनुसूची की अन्य मद (डी-11), जो मेहराबदार (आर्च-टाइप) वृहत् पुलों की हॉन्चेज* में मुरम-भराव हेतु लागू थी एवं 467 रूपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान योग्य थी, त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू की गई । भुगतान गलत था क्योंकि दो पास-पास के पाईपों के मध्य दूरी न्यूनतम 450 मिलिमीटर थी एवं, इस तरह, कोई हॉन्च नहीं थी । यह भी कि, लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने पर, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक सामान्य परिपत्र (अगस्त 2003) के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निष्पादित हो रहे ह्यूम पाईप पुलियों के ऐसे ही कार्यों में, दर अनुसूची की मद डी-11 के अंतर्गत भुगतान पर रोक लगाई गई थी । लोक निर्माण

* लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) सम्भाग ग्वालियर, टीकमगढ़ एवं बालाघाट

* यह मेहराब (आर्च) के पार्श्वों (फ्लेन्क्स) का निचला भाग होता है ।

सम्भागों में त्रुटिपूर्ण दरें लगाए जाने के फलस्वरूप, ठेकेदारों को 33 लाख[+] रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (दिसम्बर 2005-मई 2006) कि स्वीकृत प्राक्कलनों के प्रावधानों एवं कार्य-स्थल की स्थितियों के अनुसार कार्य-मद निष्पादित कराए गए । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलनों में मद (डी-11) का त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रावधान किया गया एवं स्वीकृति दी गई।

प्रकरण जून 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

4.2.7. कार्य के अवमानक निष्पादन के फलस्वरूप निरर्थक व्यय

अवमानक डामरीकरण कार्य के निष्पादन से सड़क समयपूर्व विफल हो गई जिससे पूरा कार्य निरर्थक (54.36 लाख रूपये) हो जाने के साथ ही यातायात के पुनर्स्थापन हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई 62.04 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत की वसूली भी नहीं हुई ।

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2.73 करोड़ रूपये हेतु "राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के किलोमीटर 299 से 306 में परिवहन (राईडिंग) गुणवत्ता सुधार" का कार्य स्वीकृत किया गया (जून 2002)। कार्य चार माहों में पूरा करने हेतु, प्रतिशतता दर निविदा पर, दर अनुसूची (दर अनूसूची अगस्त 1999) से 17 प्रतिशत कम पर, एक ठेकेदार को सौंपा गया (अगस्त 2002)। तथापि 54.36 लाख रूपये मूल्य का कार्य निष्पादन करने के पश्चात् ठेकेदार ने कार्य छोड़ दिया। अतः कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग सम्भाग, कटनी द्वारा ठेका विखण्डित (रिस्साइन्ड) कर दिया गया (सितम्बर 2004)। लेखापरीक्षा में जाँच (नवम्बर 2005) से निम्नलिखित चूकें प्रकट हुईं:

स्वीकृत प्राक्कलन में, अन्य मदों के साथ ही, बिटुमिनस मैकेडम (बी. एम.) से 40 मिलिमीटर मोटाई का प्रोफाईल करेक्टिव कोर्स (पी.सी.सी) एक-सी मोटाई में 75 मिलिमीटर मोटाई का बी. एम. एवं 25 मिलीमीटर मोटाई का सेमीडेन्स बिटुमिनस कोर्स (एस.डी.बी.सी.) सम्मिलित था। मंत्रालय ने अपनी तकनीकी टीप में स्पष्टतः उल्लेख किया था कि, चूंकि अधिक महंगी विशिष्टियों का प्रावधान किया जा रहा है अतः परिवहन (राईडिंग) गुणवत्ता में कोई कमी स्वीकार्य नहीं होगी । यदि घटिया गुणवत्ता का कार्य निष्पादित किया जाता है तो एजेन्सी, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, दोषों (डिफेक्टस) को सुधारेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में यह भी प्रावधान है कि बी.एम. को, 48 घण्टे के अंदर, या तो अगले पेवमेन्ट कोर्स से या वियरिंग कोर्स से ढंका जाना

+ लोक निर्माण विभाग (भ/स) सम्भाग ग्वालियर - 16.55 लाख रुपए;
लोक निर्माण विभाग (भ/स) सम्भाग टीकमगढ़ - 4.94 लाख रुपए एवं
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बालाघाट - 11.51 लाख रुपए= कुल 33.00 लाख रुपए

है। यदि इसमें कोई विलम्ब होना हो तो कोर्स को सील कोट से ढका जाएगा जो कार्य के लिए नैमित्तिक (इन्सीडेन्टल) होगा एवं उसका अलग से भुगतान नहीं होगा।

तथापि, यह दृष्टिगोचर हुआ कि पी.सी.सी. (1713.833 घन मीटर) एवं बी. एम. (810.15 घनमीटर) निष्पादित करने के पश्चात्, सड़क को यातायात के लिए खोलने के पूर्व, सतह को न तो वियरिंग कोर्स (एस.डी.बी.सी.) से न ही सील कोट से ढंका गया। तकनीकी विशिष्टियों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानों का अनुसरण न किए जाने के कारण बी एम की परत पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। अधीक्षण अभियंता, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया (अक्टूबर 2003) कि क्षतियों के कारण सड़क-अभाव की स्थिति बन गई जिससे यातायात को असुविधा हुई। प्रमुख सचिव, सचिव एवं प्रमुख अभियंता द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया (नवम्बर 2003) उन्होंने भी निर्णायक रूप से पाया गया कि कार्य अवमानक था, अतः प्रमुख अभियन्ता ने निष्पादित कार्य नामंजूर कर दिया, कार्यपालन यंत्री के स्तर पर अगला भुगतान रोकना अनिवार्य था। तथापि, कार्यपालन यंत्री ने अविवेकपूर्ण ढंग से ठेकेदार को चतुर्थ चल-देयक का, 11.12 लाख रुपये का निवल (नेट) भुगतान कर दिया (मार्च 2004)।

आगे, दोषों का शोधन करना ठेकेदार का उत्तरदायित्व था, परन्तु सड़क की यातायात सक्षमता पुर्नस्थापित करने के लिए, दोषों का शोधन 62.04 लाख रुपये की लागत पर विभाग द्वारा किया गया। ठेके की शर्तों के अनुसार, यह राशि भी दोषी ठेकेदार से वसूली-योग्य थी । इस प्रकार, विशिष्टियों का अनुसरण न किए जाने एवं अवमानक कार्य के निष्पादन से 54.36 लाख रुपये का व्यय निरर्थक हो गया।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2005) कि ठेकेदार किसी प्रकरण में जेल में था अतः विभाग द्वारा दोषों का शोधन किया गया। फिर भी तथ्य यह है कि लागत की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी ।

प्रकरण जुलाई 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

4.2.8 वर्दियों के क्रय पर अनियमित अत्यधिक व्यय

कन्या छात्रों को वर्दियों के दो सेट, एक सेट के स्थान पर, उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप 24.48 लाख रुपए का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ ।

मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विभाग ने पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कन्या छात्रों को वर्दी एक सेट उपलब्ध कराने की योजना का प्रारंभ किया (2000-01) ।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2005) से प्रकट हुआ कि सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों की कन्या छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली 13904* वर्दियों के विरूद्ध 48.95लाख रुपए

* (अनुसूचित जाति की कन्याओं की संख्या 2002-03 : 6562, 2003-04 : 7342)

मूल्य की कुल 27,808 वर्दियों (2002-03 : 13,124 ; 2003-04 : 14,684) का क्रय किया । इस प्रकार, सरकार के निर्देशों के विपरीत वर्दी के एक सेट के स्थान पर वर्दी के दो सेट क्रय किए जाकर उपलब्ध करवाए गए । इसके परिणामस्वरूप 24.48 लाख रुपए का अनियमित अधिक व्यय हुआ ।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास ने वर्दी के एक सेट के स्थान पर दो सेट वर्दियों की आपूर्ति को अनियमित बताते हुए अधिक व्यय को स्वीकार किया । 2004-05 के दौरान आपूर्ति मानदन्डों के अनुरूप की गई थी ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को अगस्त 2005 में की गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006) ।

जल संसाधन विभाग

4.2.9 दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाने के कारण अधिक भुगतान

अतिरिक्त मात्राओं हेतु दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाने के कारण, मिट्टी बांध का कार्य निष्पादित करने वाले ठेकेदार को 1.14 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना मिट्टी बांध संभाग, नरवर, शिवपुरी ने 607 मीटर लम्बे मड़ीखेड़ा मुख्य मिट्टी बांध एवं उकायला सैडिल बांध के निर्माण का कार्य, एक ठेकेदार को, मद दर ठेके पर, 25.91 करोड़ रूपये (24.35 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत से 6.39 प्रतिशत अधिक पर मूल्यांकित) हेतु सौंपा (जनवरी 1994)। पूर्णता हेतु नियत अवधि, वर्षाकाल छोड़कर, 48 माह थी। तथापि कार्य अप्रैल 2006 तक प्रगति पर था एवं फरवरी 2006 में ठेकेदार के 58.08 करोड़ रूपये राशि के 84वें चल-लेखा देयक का भुगतान किया गया।

ठेके की धारा के अनुसार यदि किसी कार्य-मद (आईटम) की मात्रा निविदा प्रलेख में दर्शाई गई मात्राओं से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है तो ऐसी अधिक मात्रा का भुगतान कार्य-मद की प्राक्कलित दर में समग्र निविदा प्रतिशतता जोड़ या घटाकर किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में जाँच से प्रकट हुआ कि उर्ध्व (वर्टिकल) चिमनी फिल्टर लगाने की एक कार्य--मद से सम्बन्धित निविदत्त दर, 44330.30 घन मीटर हेतु, 225 रूपये प्रति घनमीटर थी। ठेकेदार ने 84वें चल-लेखा देयक तक यह कार्य मद 84534 घनमीटर निष्पादित की थी । ठेके के प्रावधान के अनुसार 48763 घनमीटर मात्रा उसकी 225 रूपये प्रति घनमीटर की निविदत्त दर से भुगतान योग्य थी एवं 35771 घनमीटर की शेष मात्रा 96.17 रूपये प्रति घनमीटर (90.39 रूपये की प्राक्कलित दर में 6.39 निविदा प्रतिशत जोड़कर) की दर से भुगतान योग्य थी । तथापि, ठेकेदार को 57623 घनमीटर हेतु 225 रूपये प्रति घनमीटर की दर से एवं 26911 घनमीटर मात्रा हेतु 118.71 रूपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 34.08 लाख रूपये (मूल्यवृद्धि के 16.61 लाख रूपये के आनुपातिक अधिक भुगतान सहित) का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2006) कि 10 प्रतिशत से अधिक मात्राओं के भुगतान को विनियमित करने वाली अनुबन्ध की सम्बन्धित धारा में मुख्य अभियन्ता द्वारा परिवर्तन कर दिया गया था , अतः ठेकेदार को उसकी निविदित दर पर भुगतान किया गया। उन्होंने आगे बताया कि,यदि शासन ने मुख्य अभियन्ता द्वारा किए गए संशोधन को अमान्य किया तो, ठेकेदार से अधिक भुगतान की वसूली की जावेगी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियन्ता, ठेके की धारा, जो कि शासन स्तर पर अनुमोदित की गई थी, में परिवर्तन करने हेतु सक्षम नहीं थे।

(ii) ठेके की एक अन्य कार्य-मद "40 मिलिमीटर ग्रेड की गिट्टी एवं रेत से क्षैतिज (होरीजोन्टल) एवं झुका हुआ (इन्कलाइन्ड) फिल्टर लगाने " में 97610 घनमीटर निष्पादन विनिर्दिष्ट था। निष्पादन के दौरान मुख्य अभियन्ता ने ठेकेदार को कार्य की यह मद "40 मिलिमीटर ग्रेड की गिट्टी एवं रेत" के स्थान पर "ग्रेवल एवं रेत" से निष्पादित करने का निर्देश दिया, परंतु, बाद में (जनवरी 2003) " 40 मिलिमीटर ग्रेड की गिट्टी एवं रेत" से फिर से निष्पादन करने का निर्देश दिया। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित रेखांकनों (ड्राइंग्ज) में दोनों ही विकल्प विनिर्दिष्ट थे।

लेखापरीक्षा में जाँच से प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने "40 मिलिमीटर गिट्टी एवं रेत" से इस कार्य-मद की 1,07,344.80 घनमीटर मात्रा निष्पादित की जो कि निविदत्त मात्रा से 10 प्रतिशत तक अधिक थी तथा 180 रूपये प्रति घनमीटर की दर से उसे भुगतान कर दिया गया। तथापि, 66,454,.50 घनमीटर मात्रा जो कि निविदत्त मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक से भी ऊपर थी, का भुगतान गलत ढंग से "अतिरिक्त मद" के रूप में, 110.99 रूपये (104.32 रूपये की प्राक्कलित दर में 6.39 निविदा प्रतिशत जोड़कर) प्रति घनमीटर की भुगतान योग्य दर के स्थान पर 172.32 रूपये प्रति घनमीटर की दर से कर दिया गया। कार्य की अनुसूचित मद हेतु "अतिरिक्त मद" के रूप में गलत भुगतान के परिणामस्वरूप 79.52 लाख रूपये (मूल्यवृद्धि के 38.74 लाख रूपये के आनुपातिक अधिक भुगतान सहित) का अधिक भुगतान हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2006) कि, चूंकि वन क्षेत्र होने के कारण ठेकेदार को कार्यस्थल पर स्टोन क्रशर स्थापित करने में कठिनाई हो रही थी, अतः उसे "40 मिलिमीटर ग्रेड की गिट्टी" के स्थान पर "ग्रेवल" से कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी गई थी तथा "ग्रेवल" के मद से निष्पादित कार्य की मात्रा को "अतिरिक्त मद" माना गया एवं तदनुसार भुगतान किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (I) 40 मिलिमीटर ग्रेड की गिट्टी के स्थान पर "ग्रेवल" से निष्पादन की अनुमति ठेकेदार की सुविधा के कारण दी गई थी (II) केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित रूपांकन (डिजाइन) में 40 मिलिमीटर ग्रेड की गिट्टी या ग्रेवल दोनों के उपयोग की अनुमति थी एवं (III)अनुबंध में विनिर्दिष्ट शासनादेशों (20 अक्टूबर 1987) के अनुसार मुख्य अभियंता 15 लाख रूपए से अधिक की अतिरिक्त मद दर की स्वीकृति हेतु सक्षम नहीं थे।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2006) उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.3 संविदागत दायित्वों का उल्लंघन

4.3.1 संविदा की दोषपूर्ण शर्तों के परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई एवं विकलनीय अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं हुई।

कार्य की मदों की असंतुलित दरों के कारण अतिरिक्त प्रतिभूति जमा हेतु शर्त प्रभावी न करने के परिणामस्वरूप 37.18 लाख रूपये की परिहार्य हानि हुई एवं 7.72 करोड़ रूपये की विकलनीय (डेबिटेबिल) अतिरिक्त लागत की वसूली भी नहीं हुई।

कार्यपालन यंत्री द्वारा 26.81 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत वाले " बरगी दांयी तट नहर के आर डी 63 से 72 किलोमीटर तक के निर्माण " का कार्य एक ठेकेदार को, कार्य के प्रारम्भ की तिथि से 12 माह के अंदर पूर्ण करने हेतु, 25.27 करोड़ रूपये (प्राक्कलित दरों से 5.74 प्रतिशत कम पर मूल्यांकित) पर सौंपा गया (अक्टूबर 2003)। धीमी प्रगति एवं जून 2005 तक कार्य पूर्ण करने में विफलता के कारण, दोषी ठेकेदार की जोखिम एवं लागत (रिस्क एंड कास्ट) पर संविदा को विखण्डित कर दिया गया (जून 2005)। तथापि, जून 2005 तक ठेकेदार को 8.00 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था । लेखापरीक्षा जाँच में निम्नानुसार प्रकट हुआ (दिसम्बर 2005)।

ठेके की शर्तों के अनुसार, यदि अनुमोदन प्राधिकारी मानता है कि निविदाकार ने कुछ मदों हेतु अननुपातिक दरें उद्धृत की हैं या कि निविदा असंतुलित[1] है तो ऐसी मदों का भुगतान, समग्र प्रतिशत जोड़ या घटा कर प्राक्कलित दरों तक सीमित रहेगा, एवं ऐसी मदों का शेष भुगतान अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के रूप में रोक कर रखा जाएगा जो कि पूरे कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् विमुक्त किया जायेगा। कार्य पूर्ण करने में विफल होने की स्थिति में, कुल अतिरिक्त प्रतिभूति जमा जब्त (फोरफीट) कर ली जाएगी । नर्मदा घाटी विकास विभाग ने यह भी निदेशित किया (अप्रैल 1993) कि मद-दर निविदाएं उपरोक्त विनिर्दिष्टियों के साथ ही स्वीकृत की जानी चाहिए।

यद्यपि ठेकेदार ने 11 कार्य-मदों हेतु अननुपातिक रूप से उच्च दरें उद्धृत की थीं तथा अतिरिक्त प्रतिभूति जमा रोक रखने हेतु एक विशिष्ट वचन पत्र पर भी ठेकेदार ने हस्ताक्षर किए थे (जो कि ठेके का एक भाग था) तथापि उन कार्य-मदों, जिनकी दरें प्राक्कलित दरों से अधिक थीं, से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली किए बिना ठेकेदार को उसकी निविदत्त दरों पर भुगतान कर दिया गया।

यदि अतिरिक्त प्रतिभूति जमा रोककर रखी जाती तो, ठेके के विखण्डन के समय, वह जब्त की जा सकती थी। इस प्रकार, शर्त को प्रभावी न करने से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा रोक रखने के अवसर को विभाग ने पहले ही समाप्त कर दिया जिसके फलस्वरूप, **परिशिष्ट 4.2** में दिए गए विवरणानुसार, 37.18 लाख रूपये की परिहार्य हानि हुई।

[1] *शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.93 के अनुसार यदि किसी कार्य-मद हेतु उद्धृत दर उन कार्य-मदों की तत्संबन्धी प्राक्किलत दर (निविदा प्रतिशत जोड़ या घटा कर) से अधिक हो तो वह असंतुलित मानी जाएगी।*

ठेका विखण्डन (जून 2005) के पश्चात् अधूरा छोड़ा गया कार्य, जिसकी प्राक्कलित लागत 19.17 करोड़ रुपये (मूल ठेकेदार की लागत 18.07 करोड़ रूपये) थी, अगस्त 2006 में, एक अन्य ठेकेदार को 25.79 करोड़ रूपये (दर अनुसूची 1998 से 34.54 प्रतिशत अधिक) हेतु नवम्बर 2005 के दौरान दोषी ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर सौंपा गया। इस प्रकार ऐसी दरों पर, जो कार्य-योग्य नहीं थी, सौपने के कारण कार्य अधूरा छोड़ा गया एंव ठेका बीच में समाप्त करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 7.72 करोड़[+] रूपये की विकलनीय (डेबिटेबिल) अतिरिक्त लागत आई जो कि दोषी ठेकेदार से वसूली योग्य थी। तथापि, विकलनीय अतिरिक्त लागत की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने में विभाग दिसम्बर 2005 तक विफल रहा।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2005) मुख्य अभियन्ता, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर ने तथ्य स्वीकार किए (नवम्बर 2006) एवं बताया कि, ठेकेदार की उपलब्ध जमा राशियों (डिपाजिट्स) एवं राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट) के माध्यम से, वसूली करने हेतु प्रयास किए जायेंगे।

प्रकरण फरवरी 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

4.3.2. संविदा की दोषपूर्ण शर्तों के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय सहायता प्राप्त हुई।

पाँच संविदाओं में अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 4.77 करोड़ रूपये राशि की अदेय सहायता प्राप्त हुई।

मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने निर्देश दिए (जून 1993) कि मद-दर निविदाओं में, ऐसी कार्य-मदों, जिनके लिए ठेकेदारों ने अननुपातिक रूप से उच्च दरें उद्धृत की थी, का भुगतान समग्र प्रतिशत जोड़ या घटाकर, प्राक्कलित दरों तक सीमित किया जाना चाहिए । शेष भुगतान, अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के रूप में, रोक कर रखना चाहिए जो कि पूरे काम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् ही विमुक्त किया जावेगा। यदि ठेकेदार, किसी भी कारण से कार्य अधूरा छोड़ता है, तो इस प्रकार से रोककर रखी गई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राजसात (फोरफीटेड टू गर्वनमेंट) हो जावेगी। शासन के हितों की रक्षा हेतु यह धारा(क्लाज), सभी निविदाओं में, अपरिहार्य रूप से समाहित की जानी थी।

[+] शेष कार्य की प्राक्कलित लागत — 19.17 करोड़ रुपये

मूल ठेकेदार की लागत (5.74% कम): — 18.07 करोड़ रुपये

पश्चातवर्ती ठेकेदार की लागत (34.54% अधिक) — 25.79 करोड़ रुपये

विकलनीय अतिरिक्त लागत — 7.72 करोड़ रुपये

यह देखा गया कि, उपरोक्त निर्देशों के बावजूद तथा विभाग के अन्य निविदा प्रलेखों में विद्यमान धारा 3.47 की भी अवहेलना करते हुए नर्मदा घाटी विकास सम्भाग क्रमांक 8 एवं 21 सनावद एवं सम्भाग क्रमांक 32 बड़वाहा के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के निर्माण हेतु पांच संविदाओं में यह शर्त सम्मिलित नहीं पाई गई । परिणामस्वरूप, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने, ***परिशिष्ट 4.3*** में दिए गये विवरणानुसार, पांच ठेकेदारों से 4.77 करोड़ रूपये की वसूली करने का अवसर पहले ही समाप्त कर दिया।

नर्मदा घाटी विकास विभाग ने संविदा प्रलेख अपेक्षित सावधानी पूर्वक तैयार नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप संविदा की धाराएँ, विसंगतिपूर्ण एवं दोषपूर्ण बन गईं। अतिरिक्त प्रतिभूति जमा रोक रखने सम्बन्धी संविदा-शर्तों के विद्यमान न होने से ठेकेदारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त हुई जिससे परियोजना की मितव्ययिता प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा में ये इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि अनुबंधों में कार्य की मदों की असंतुलित दरों हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति जमा वसूलने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि ऐसी धारा को सम्मिलित न करना, अपने हितों की रक्षा हेतु जारी शासन के निर्देशों के प्रतिकूल था।

प्रकरण अगस्त 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

4.3.3 रायल्टी प्रभारों की वसूली न होना

रायल्टी प्रभार 1.45 करोड़ रूपये के अग्रिम भुगतान के बिना लघु खनिज का अनधिकृत उत्खनन एवं ठेकेदारों से उसे वसूल करने में विभाग की विफलता ।

अनुबंध की धारा 4.3.36.2 में प्रावधानित था कि शासकीय कार्य हेतु लघु खनिजों[@] का उत्खनन करने हेतु ठेकेदार, नियमानुसार रायल्टी प्रभारों का भुगतान करेगा तथा इस प्रकार से वसूली गई राशि ठेकेदार को वापस नहीं की जाएगी, मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 के अनुसार ,शासकीय कार्यों में उपयोग हेतु लघु खनिजों की निकासी के लिए ,ठेकेदार को, रायल्टी प्रभार अग्रिम रूप से जमा करने के पश्चात्, जिलाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होता है तथा इस प्रकार जमा की गई राशि ठेकेदार को वापसी-योग्य नहीं होगी। शासन (नर्मदा घाटी विकास विभाग) ने यह भी निदेशित किया था (अक्टूबर 2002) कि उपरोक्त विनिर्दिष्टियों के साथ ही निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए।

[@] रेत, मुरम, गिट्टी एवं ग्रेनुलर मिट्टी

रानी अवंती बाई सागर परियोजना (रा.अ.बा.सा.)*, के दो सम्भागों के अभिलेख की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि चार अनुबंधों पर कार्य निष्पादित कर रहे ठेकेदारों ने, न तो लघु खनिजों की निकासी हेतु जिलाध्यक्ष जबलपुर से अनुमति प्राप्त की, न ही अग्रिम रूप से रायल्टी जमा की।

जिलाध्यक्ष जबलपुर के स्पष्ट निवेदन (अगस्त 2005) एवं कार्यपालन यंत्रियों द्वारा बार-बार जारी किए गए (अगस्त 2005 से जनवरी 2006) निर्देशों के बावजूद, न तो ठेकेदारों ने खनिज विभाग के पास 1.45 करोड़ रूपये राशि के रायल्टी प्रभार जमा किए न ही कार्यपालन यंत्रियों ने, निकाले गए एवं शासकीय कार्यों में उपयोग किए गए लघु खनिजों से सम्बन्धित रायल्टी प्रभार ही ,उनके चल-देयको के भुगतानों से काटे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर दोनों ही कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (दिसम्बर 2005) कि रायल्टी अनापत्ति (क्लियरेन्स) प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही ठेकेदारों के अंतिम देयकों का भुगतान किया जावेगा। कार्यपालन यंत्री,पुनर्वास संभाग,बरगी हिल्स ने आगे बताया कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी का उपयोग, चिपकने वाली न फूलने वाली (सी.एन.एस.) परत के रूप में किया गया था जिसके लिए कोई रायल्टी भुगतान-योग्य नहीं थी।

उत्तर नियमों से संगति मे नहीं थे क्योंकि रायल्टी प्रभार अग्रिम रूप से जमा करने में ठेकेदारों के विफल रहने पर, शासन को समुचित एवं समय पर राजस्व प्राप्ति (फ्लो) सुनिश्चित करने के लिए, कार्यपालन यंत्रियों के स्तर पर ठेकेदारों के चल-देयकों से रायल्टी की वसूली करना अनिवार्य था। आगे कार्यपालन यंत्री, पुनर्वास संभाग,बरगी हिल्स का यह उत्तर, कि मिट्टी का उपयोग सी.एन.एस. के रूप में किया गया जिस पर कोई रायल्टी वसूली योग्य नहीं है, भी मान्य नहीं है क्योंकि फूलने वाले गुण वाली मिट्टी का सी.एन.एस. के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता एवं जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा जारी किए गए (9 अगस्त 2005) स्पष्टीकरण के अनुसार कंकड़-मिश्रित पीली-निट्टी पर भी, जो कि अन्य (लघु खनिजों) के साथ साथ, इन कार्यों पर उपयोग की गई, 15 रूपये प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी प्रभार्य है ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006), उत्तर नवंबर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

* *पुनर्वास संभाग, बरगी हिल्स, जबलपुर एवं वितरणी संभाग, पाटन, जबलपुर*

मद	*मात्रा (घन मीटर)*	*दर /घन मीटर*	*राशि*
मुरम	*712497*	*15 रूपये*	*106.90 लाख रूपये*
रेत	*56197*	*25 रूपये*	*14.05 लाख रूपये*
गिट्टी	*81500*	*30 रूपये*	*24.45 लाख रूपये*
		कुल	*145.40 लाख रूपये*

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.3.4 संविदागत दायित्वों का उल्लंघन एवं अवमानक निष्पादन

कड़ी चट्टान की लागत 53.80 लाख रूपए की राशि की वसूली न करना एवं न किए गए कार्य हेतु 11.36 लाख रूपए का भुगतान।

बेबस नदी पर सागर जल प्रदाय आवर्धन परियोजना, सागर के पार्श्व स्पिलवे सहित मिट्टी बांध का निर्माण एक ठेकेदार को वर्षाकाल सहित 32 माह में पूरा करने हेतु 18.09 करोड़ रूपये की मद-दर संविदा पर सौंपा गया (फरवरी 1998)। कार्य पूर्ण हो चुका था एवं 19.54 करोड़ रूपये की समग्र राशि एवं 67.06 लाख रूपये की निवल (नेट) राशि का ठेकेदार का 56 वां एवं अंतिम देयक भुगतान हेतु लम्बित था (मई 2005)। लेखा परीक्षा में जाँच से निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट हुई:-

अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार द्वारा खोदी गई कड़ी चट्टान 40 रूपये प्रति घनमीटर की दर से जारी की जाना थी। ठेकेदार ने 183593.758 घनमीटर कड़ी चट्टान की खुदाई की जो कि कार्यों पर वास्तविक (बोनाफाइड) उपयोग हेतु उसे जारी की गई। तथापि, यह देखने में आया कि 73.44 लाख रूपये की वसूली योग्य राशि के विरूद्ध मात्र 19.64 लाख रूपये की वसूली की गई एवं 53.80 लाख रूपये की राशि शेष बची रही।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को, कड़ी चट्टान की खुदाई की मद हेतु भुगतान की गई 120 रूपये प्रति घन मीटर की दर में, खोदी गई चट्टान के चट्टे लगाने का कार्य सम्मिलित था, तथापि, ठेकेदार ने न तो चट्टान के चट्टे लगाए न ही भुगतान करते समय कार्य-मद की दर में आनुपातिक कमी की गई। इस प्रकार, ठेकेदार को चट्टे लगाने के वास्तविक रूप में न किए गए कार्य हेतु 6.19 रूपये प्रति घनमीटर की दर से 11.36 लाख रूपये का भुगतान किया गया ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने चट्टे न लगाने संबंधी तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2005) राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया। जहां तक कड़ी चट्टान की लागत की वसूली का संबंध है उन्होंने बताया कि खोदी गई चट्टान की पूरी मात्रा जारी की गई थी परंतु वसूली, उपयोग की गई मात्रा हेतु ही, की गई थी। संविदा के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं था।

प्रकरण जून 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

4.4 परिहार्य व्यय

आवास एवं पर्यावरण विभाग

4.4.1 परिहार्य व्यय

नगर निगम को नहीं सौंपी गई विकसित कॉलोनियों में संधारण पर 35.37 लाख रुपए का परिहार्य व्यय

मध्य प्रदेश सरकार, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना (मार्च 1991) के अनुपालन में, मध्य प्रदेश गृहनिर्माण मंडल ने समस्त कार्यपालन यंत्रियों को आदेश जारी किए (अप्रैल 1991) कि मध्य प्रदेश गृहनिर्माण मंडल नियमावली 1972 की धारा 42(1) के अधीन 'लोक मार्ग' के रूप में घोषित की गई सड़कों वाली कॉलोनियों को नगर निगम / स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाना चाहिए और मई 1991 से आगे इन कॉलोनियों के संधारण पर कोई और व्यय नहीं किया जाना चाहिए ।

कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मंडल, संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर (दिसम्बर 2005) एवं कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश, गृहनिर्माण मंडल, संभाग क्रमांक 1, भोपाल (अक्टूबर 2006) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं आगे सग्रंहीत जानकारी (नवम्बर 2006) से प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (मार्च 1991) के अनुसार 'लोक मार्ग' के रूप में घोषित की गई सड़कों वाली कॉलोनियों (माधव नगर, ग्वालियर एवं कोहेफिजा, भोपाल) को 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी नगर निगम, ग्वालियर एवं भोपाल को नहीं सौंपा गया था । मध्य प्रदेश गृहनिर्माण मंडल द्वारा इन विकसित कॉलोनियों में संधारण पर अभी भी व्यय किया जा रहा है तथा 2001-02 से 2005-06 तक वास्तविक व्यय 35.37 लाख रुपए संगणित किया गया (ग्वालियर : 12.35 लाख रुपए भोपाल : 23.02 लाख रुपए) ।

आयुक्त, मध्य प्रदेश गृहनिर्माण मंडल ने बताया (जुलाई 2006) कि इन कॉलोनियों को सौंपने के लिए बारम्बार पत्राचार करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इच्छित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था अतः कॉलोनियों को सौंपने का कार्य नहीं किया जा सका और मंडल को इन कॉलोनियों के संधारण पर व्यय करना पड़ा था ।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश गृहनिर्माण मंडल एवं नगर निगम के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सरकारी अधिसूचना (मार्च 1991) एवं मध्य प्रदेश गृहनिर्माण मंडल के आदेशों (अप्रैल 1991) के उल्लंघन से इन कॉलोनियों के संधारण पर 35.37 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को फरवरी 2006 में की गई थी ; उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2006) ।

लोक निर्माण विभाग

4.4.2 सर्फेस ड्रेसिंग एवं टैक कोट के अनपेक्षित निष्पादन के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय

ग्रेनुलर सतह पर सर्फेस ड्रेसिंग एवं टैक कोट के निष्पादन के बाद डामरीकृत आधार (बिटुमनस बेस) एवं वियरिंग कोर्स किया जाना अवांछित एवं विशिष्टियों के प्रतिकूल था। जिसके परिणामस्वरूप 47.66 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में सड़क कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के डामरीकृत आधार एवं वियरिंग कोर्सों का प्रावधान है। ग्रेनुलर आधार कोर्स पर सतह बनाने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वियरिंग कोर्सों में से सर्फेस ड्रेसिंग एक है। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित ग्रामीण सड़क नियमावली (आई.आर.सी.एस.पी. 20-2002) में भी प्रावधान है कि सर्फेस ड्रेसिंग सड़कों पर सतह की बहुत पुरानी तकनीक है जो कि हाल के वर्षो में लगातार आधुनिकृत हुई है । इस प्रकार के निर्माण के ,जो कि मुख्यतः ग्रेनुलर सरफेस को ढंकता (सील करता) है, गुण हैं :

- आधार परत को जल रोधी बनाने के साथ ही बाइन्डर गिट्टी संकुल (एग्रीगेट्स) के स्थिरिकरण को सुनिश्चित करता है तथा पुरानी सतह के और आगे ओषजनीकरण को रोकता है।
- गिट्टी -संकुल (एग्रीगेट्स) यातायात एवं सड़क सतह (पेवमेन्ट) के मध्य संपर्क सुनिश्चित करने का कार्य करता है तथा फिसलन -रोधी सतह प्रदान करता है।

यदि ग्रेनुलर सतह (वाटर बाउन्ड मेकेडम) को सेमी डेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (वियरिंग कोर्स) के अनुगमन के साथ बिटुमिनस मेकेडम (आधार कोर्स) से सुदृढीकृत किया जाना हो तो, तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार ,सर्फेस ड्रेसिंग अपेक्षित नहीं है। मुख्य अभियंता, रीवा जोन ने अपनी जोन के सभी सड़क कार्यों से, जहां प्राक्कलनों में बिटुमिनस मेकेडम (बी.एम.) एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) का प्रावधान था एवं चल रहे कार्यों से संबंधित अनुबन्धों से, सर्फेस ड्रेसिंग हटाने (डिलीट) के आदेश प्रसारित किए थे (नवंबर 2003) ।

तथापि, लेखापरीक्षा में जॉच से प्रकट हुआ (सितम्बर 2005) कि उपरोक्त निर्देशो की पूर्ण उपेक्षा करते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग सतना द्वारा किए गए दो अनुबन्धों के अंतर्गत 189663.08 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 47.66[•] लाख रूपये की

•• अनुबन्ध क्रमांक 235/02-03:22 रूपये (13.85% अधिक) की दर पर 62143.08 वर्ग मीटर सर्फेस ड्रेसिंग = 15.56 लाख रूपये.
अनुबन्ध क्रमांक 152/02-03:21.34 रूपये (17.95% अधिक) की दर पर 127520.00 वर्ग मीटर सर्फेस ड्रेसिंग= 32.10 लाख रूपये
कुल=47.66 लाख रूपये

लागत की सर्फेस ड्रेसिंग, जिसके पश्चात् बी एम एवं एस.डी. बी.सी. किया गया, निष्पादित कराई गई। बी.एम. एवं एस.डी. बी.सी. के पूर्व सर्फेस ड्रेसिंग न केवल अवांछित थी वरन निर्देशों एवं विशिष्टियों के भी प्रतिकूल थी ।

प्रकरण अक्टूबर 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; शासन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि प्रमुख अभियंता द्वारा सितम्बर 2001 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सिंगल कोट सर्फेस ड्रेसिंग का प्रावधान व निष्पादन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देश शासन द्वारा अपनाई गई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे।

जल संसाधन विभाग

4.4.3 दोषपूर्ण योजनाकरण के कारण परिहार्य व्यय

नींव उपचार हेतु सुधारक उपाय समय पर करने में विफलता के कारण, मूल्य-वृद्धि पर 79.37 लाख रूपये का परिहार्य व्यय।

केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री शोध केन्द्र (सेंट्रल सॉइल एण्ड मेटेरियल रिसर्च स्टेशन), नई दिल्ली ने गुलाब सागर (महान) परियोजना, जिला नीमच में प्लेट जैकिंग,शियर एण्ड एन्कर पुल आउट परीक्षण किए (जुलाई 1990)। इन परीक्षणों के प्रतिवेदन में नींव खण्ड (फाउन्डेशन ब्लाक) में कमजोर क्षेत्र (जोन) स्पष्टतः इंगित था जहाँ आगे कार्य निष्पादन के पूर्व नीव -उपचार अपेक्षित था। उसके पश्चात् कार्य लगभग 10 वर्षो तक बन्द रहा ।

उपरोक्त प्रतिवेदन की पूर्ण उपेक्षा करते हुए तथा नींव-उपचार हेतु प्रतिकारक (रेमेडियल) उपाय भी न करते हुए, परियोजना का 14.40 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत वाला "मेसनरी बांध एवं तत्संबंधी अंगभूत कार्य" से संबंधित शेष कार्य 20 माह (17 जुलाई 2004 तक) पूर्ण करने हेतु, 13.71 करोड़ रूपये (प्राक्कलित लागत से 5.06 प्रतिशत कम पर मूल्यांकित) पर एक ठेकेदार को सौंपा गया (नवम्बर 2002)। कार्य प्रगति पर था एवं इस आधार पर, कि पूर्व में निष्पादित किए गए कार्य में बारीक दरारें (हेयर क्रेक्स) देखी गई थीं जिसके लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) एवं भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया-जी.एस.आई.) द्वारा आवश्यक परीक्षण किए गए थे, 30 जून 2006 तक की समय-वृद्धि प्रदान की गई थी (जुलाई 2005) ।

केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री शोध केन्द्र ने याद दिलाया (जनवरी 2005) कि उनके द्वारा जुलाई 1990 में किए गए परीक्षणों के प्रतिवेदन पहले से ही परियोजना प्राधिकारियों के पास थे तथा वर्तमान में स्थल पर परीक्षण आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दोषपूर्ण योजनाकरण एवं समय पर सुधारक उपाय किए जाने में विफलता से कार्य में असामान्य रूप से विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप, समय-वृद्धि अवधि में मूल्य-वृद्धि पर 79.37 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (सितम्बर 2005) कि अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् पुराने कार्य में बारीक दरारें देखी गईं तथा सी.डब्ल्यू.सी. एवं जी.एस.आई. के निरीक्षण के पश्चात् नींव-उपचार हेतु रेखांकन (ड्राइंग्ज) उपलब्ध कराई गईं जिससे कार्य में विलम्ब हुआ ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नींव में कमजोर क्षेत्र विद्यमान होने की समस्या की जानकारी प्राधिकारियों को पहले से ही 1990 से थी, जिसके लिए कार्य सौंपने के पूर्व विभाग द्वारा प्रतिकारक कदम समय पर नहीं उठाए गए। परिणामस्वरूप, क्रियान्वयन के दौरान जब ये दोष पुनः देखने में आए तो कार्य पूर्ण करने की अवधि में पुनः वृद्धि करना पड़ी एवं मूल्य-वृद्धि का भुगतान हुआ जो कि टाला जा सकता था।

प्रकरण अप्रैल 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

4.5 निधियों का निष्क्रिय निवेश/ अवरूद्ध / व्यपवर्तन होना

जेल विभाग

4.5.1 निधियों का अवरूद्ध होना ।

उचित योजना बनाने के अभाव के परिणामस्वरूप जेल में बिजलीकरघों (पावरलूम) की अधिष्ठापना के लिए आवंटित 28 लाख रुपए का अवरूद्ध होना ।

जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना में बंदियों के उपयोग हेतु जेलों में कपड़े के उत्पादन के लिए केन्द्रीय जेलों में बिजलीकरघों की स्थापना सम्मिलित थी । भारत सरकार ने 3 केन्द्रीय जेलों (भोपाल, सागर एवं सतना) में बिजलीकरघों की अधिष्ठापना के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के लिए 14 लाख रुपए जारी किए (मार्च 2002) । राज्य सरकार ने स्वयं के बजट संसाधनो से 12 बिजलीकरघों एवं उनके अनुषंगी उपकरणों (एसेसरीज) के क्रय के लिए 14 लाख रुपए का बराबरी का अशंदान उपलब्ध कराया (फरवरी 2003) ।

जेल महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2005) से प्रकट हुआ कि 12 बिजलीकरघों के क्रय के लिए उद्दिष्ट 28 लाख रुपयों को सिविल जमाओं के अन्तर्गत रखा गया था (मार्च 2003) । जेल मुख्यालय, भोपाल ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल को 45 दिनों के भीतर 11* बिजलीकरघों (भोपालः 4;

* *12 बिजलीकरघों के आपूर्ति आदेश के विरूद्ध निधि की उपलब्धता के अनुसार केवल 11 बिजलीकरघों के आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे ।*

सागरः 3; सतनाः 4) की स्थापना के लिए आदेश जारी किए (मार्च 2005) । 28 लाख रुपए की राशि का आहरण सिविल जमा से करके मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के वैयक्तिक जमा खाते में जमा कर दिया गया (मार्च 2005) । मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने सूचित किया (जुलाई 2005) कि बिजलीकरघों को इसलिए अधिष्ठापित नहीं किया जा सका क्योंकि सायबान(शेड)/चबूतरा(प्लेटफार्म)/विद्युत संयोजन जैसी व्यवस्थाएं तैयार नहीं पाई गई थीं । केन्द्रीय जेल, सागर में पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता के कारण यह निश्चय किया गया (सितम्बर 2005) कि बिजलीकरघों को केन्द्रीय जेल, रीवा में अधिष्ठापित किया जाए । यद्यपि, भोपाल में करघे मई 2006 में अधिष्ठापित हो गए थे, परन्तु केंद्रीय जेल, सतना एवं रीवा में बिजलीकरघों की अधिष्ठापना प्रारंभ नहीं हुई थी क्योंकि बिजलीकरघों के लिए जेलों द्वारा विकसित की गयी अधोसंरचना फर्म के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अपर्याप्त पाई गई थी एवं भोपाल में अधिष्ठापित बिजलीकरघों का तकनीकी निरीक्षण नहीं किया गया था (अक्टूबर 2006) ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, जेल महानिरीक्षक ने सूचित किया(अक्टूबर 2006) कि आदेश में विलम्ब का कारण बिजलीकरघों की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम/महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान दरों की अनुपलब्धता थी तथा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम दूसरे स्थानों पर करघों की अधिष्ठापना करने के लिए फर्मों के साथ कार्यवाही जारी रखे हुए है । उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि योजना तैयार करने में भी कमी के कारण बिजलीकरघों की अधिष्ठापना नहीं की जा सकी जबकि चार वर्ष की अवधि बीत चुकी है । बिजलीकरघों को अधिष्ठापित/चालू नहीं करने के कारण निधियों के अवरुद्ध होने के अतिरिक्त योजना का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ था ।

मामले की सूचना सरकार को फरवरी 2006 में भेजी गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

4.5.2 चिकित्सा उपकरणों पर निष्क्रिय परिव्यय

3.50 करोड़ रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों का क्रय उनको कार्यशील करने के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना किया गया था ।

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (मध्यप्रदेश) ने आयातित चिकित्सा उपकरणों का क्रय किया और उनको रीवा में नव स्थापित संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय में रोगियों की चिकित्सा के लिए तुरन्त अधिष्ठापित करने हेतु आपूर्ति कर दी ।

अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2005) से प्रकट हुआ कि 2000-02 के वर्ष के दौरान संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल ने संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा के लिए 3.50 करोड़ रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों (बैक्री थेरेपी मशीन, कोबाल्ट 60, डोजीमीटर, पिच्यूटरी सर्जरी कम्पलीट सेट एवं लेमीनोक्टॉमी एवं लम्बर डिसेक्टॉमी सेट) का क्रय किया । क्रय किए गए चिकित्सा

उपकरण तुरंत अधिष्ठापना एवं उनके उचित प्रयोग के लिए थे । यद्यपि उपकरणों को 2001-2003 में अधिष्ठापित कर दिया गया था परन्तु तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण उनको उपयोग में नहीं लाया जा सका । (अक्टूबर 2006) अधिष्ठापित चिकित्सा उपकरणों को क्रियाशील नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप इन चिकित्सा उपकरणों के क्रय पर निष्फल व्यय हुआ एवं रोगी इच्छित चिकित्सीय देखभाल से वंचित रहे जिसके द्वारा उपकरणों की अधिप्राप्ति का उद्देश्य विफल हो गया।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, अधीक्षक ने बताया (अक्टूबर 2005 एवं नवम्बर 2006) कि तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों एवं स्नायु शल्य चिकित्सा (न्यूरो सर्जरी) के सहायक प्राध्यापक के अन्य संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण, जो कि वापस कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकते थे, इन उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया जा सका ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को फरवरी 2006 में की गई थी, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006) ।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

4.5.3 बर्तनों की अधिप्राप्ति के लिए अनाबद्ध राशियों (अनटाइड फंड्स) का व्यपवर्तन

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, डिन्डोरी ने बर्तनों की अधिप्राप्ति के लिए अनाबद्ध राशि से 69.60 लाख रुपए का व्यपवर्तन किया ।

मध्य प्रदेश सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के राज्य समन्वयक होने की हैसियत से, मध्याह्न भोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय किया (फरवरी 2004) जिसमें पाठशालाओं में बच्चों को पका हुआ भोजन परोसा जाना था । भारत सरकार शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर गेहूँ एवं चावल उपलब्ध करा रही थी और अन्य सामग्री यथा खाना पकाने के लिए अपेक्षित ईंधन एवं श्रम राज्य सरकार को स्वयं के बजट से तथा अनाबद्ध राशि* से पूरा करना था। अनाबद्ध राशि से बर्तनों का क्रय अनुमत्य नहीं था । तथापि, बर्तनों की अधिप्राप्ति, गैस चूल्हा इत्यादि पर अनावर्ती व्यय को राजीव गांधी शिक्षा मिशन से उपलब्ध 2000 रुपए प्रतिवर्ष के शाला अनुदान से पूरा किया जाना था ।

सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण, डिन्डोरी के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2006) से प्रकट हुआ कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिन्डोरी ने शिक्षक पालक संघ के माध्यम से मध्याह्न भोजन सामग्री का क्रय करने के लिए सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, डिन्डोरी को अनाबद्ध राशि से 69.60 लाख रुपए

* अनटाइड फंड्स (अनाबद्ध राशियों) स्थानीय महत्व के लघु निर्माण कार्यों यथा पुलों, पुलियों एवं रोक बांध के निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, डी पी ए पी के अधीन अधूरे निर्माण कार्य, दूरस्थ स्थानों पर चिकित्सकों के लिए आवासीय स्थान का निर्माण इत्यादि पर व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं ।

का विनिधान किया । सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, डिन्डोरी ने इसके बदले समस्त राशि का व्यपवर्तन कर दिया और मध्याह्न भोजन योजना के लिए बर्तनों का क्रय करने हेतु विकास खन्ड शिक्षा अधिकारियों के नाम से पालक शिक्षक संघ के बैंक खातों में प्रति पाठशाला 5000/- रुपए की राशि जमा करने के लिए चैक जारी कर दिये । 69.60 लाख रुपए की अनाबद्ध राशि का उपयोग, बर्तनों को क्रय करने के उद्देश्य से अनाबद्ध राशि के उपयोग के लिए निर्धारित मानदन्डों के विपरीत था । बर्तनों के क्रय के लिए और निधियां राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थीं । इसके परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना के लिए बर्तनों की अधिप्राप्ति हेतु अनाबद्ध राशि का व्यपवर्तन किया गया ।

चूंकि व्यपवर्तन के लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे, लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, सहायक आयुक्त, जनजाति विकास ने उत्तर दिया (जनवरी 2006) कि निधियों के उपयोग की स्थिति को इकाईयों से सुनिश्चित किया जा रहा है ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को जुलाई 2006 में की गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006) ।

4.6 नियामक वादविषय एवं अन्य मुद्दे

गृह विभाग

4.6.1 केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति न किया जाना

संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को निर्धारित विवरणी प्रस्तुत न करने से राज्य राजकोष के 4.89 करोड़ रुपए के राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के संधारण व्यय पर केन्द्रीय अंश से वंचित होना पड़ा ।

विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के द्वारा किए गए संधारण व्यय का 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता था । भारत सरकार ने राज्यों के केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति के लिए एक नवीन प्रणाली अपनाने के लिए आदेश जारी किए (अगस्त 1983) । नई प्रणाली के अन्तर्गत, केन्द्रीय अंश का 90 प्रतिशत राज्यों के द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से अग्रिम प्राप्त किया जा सकता था (संस्वीकृत बजट अनुमानों को भेजे जाने पर 50 प्रतिशत जून में एवं 40 प्रतिशत नवम्बर दिसम्बर में, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को संस्वीकृत संशोधित अनुमानों को भेजे जाने पर) शेष 10 प्रतिशत केवल केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को लेखापरीक्षित व्यय विवरण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद प्राप्त किया जा सकता था । अपेक्षित विवरणी भेजने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक अनुसूची भी निर्धारित की गई थी (दिसम्बर 1983) ।

संचालक, सैनिक कल्याण, मध्य प्रदेश, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2006) से प्रकट हुआ कि 1999-2000 से 2004-05 के दौरान राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के संधारण पर 17.94 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था । जिसमें से

लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत किए बिना भारत सरकार, के द्वारा केन्द्रीय अंश (8.07 करोड़ रुपए) के 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जानी थी जिसके विरुद्ध केवल 4.08 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे । 4.99* करोड़ रुपए की शेष राशि प्राप्त नहीं की जा सकी क्योंकि इन वर्षों में निर्धारित विवरणियाँ/लेखापरीक्षित लेखे केन्द्रीय सैनिक बोर्डो को प्रेषित नहीं किए गए थे ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, संचालक ने नियत समय में निर्धारित विवरणियाँ प्रेषित नहीं किए जाने के लिए कोई कारण नहीं बतलाए । तथापि, संचालक ने आश्वासन दिया (मार्च 2006) कि निर्धारित विवरणियाँ लेखापरीक्षा विवरण पत्र भविष्य में भारत सरकार को भेजे जाएंगे । इस प्रकार, निर्धारित विवरणियों / लेखापरीक्षित विवरण पत्रों को भारत सरकार को नहीं भेजे जाने के कारण राज्य राजकोष को 4.89 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश से वंचित होना पड़ा ।

मामले की सूचना सरकार को भेजी गई थी (मई 2006) ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2006) ।

जेल विभाग

4.6.2 उत्पीडितों की सहायतार्थ सामान्य निधि का उपयोग न किया जाना

प्रतिबन्धों के अधिरोपण के कारण पांच केन्द्रीय जेलों में सामान्य निधि के अन्तर्गत 2.38 करोड़ रुपए अनुपयोगी पड़े हुए थे ।

उत्पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सरकार ने जेल अधिनियम 1894 में संशोधन करते हुए जेल (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1999 के नाम से 3 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अधिनियम का प्रवर्तन किया । तदनुसार, एक नई धारा 36 क जोड़ी गई थी जिसमें व्यवस्था थी कि बन्दी द्वारा एक माह में अर्जित कुल राशि की 50 प्रतिशत राशि को पृथक रुप से सामान्य निधि के अन्तर्गत रखा एवं जमा किया जायेगा जिसका उपयोग अनन्य रुप से पात्र उत्पीड़ितों अथवा उनके परिवार को क्षतिपूर्ति के उस भुगतान के लिए उपयोग किया जाना था जिस अपराध को करने के कारण बन्दी को कारावास का दन्डादेश आवश्यक हुआ था । सामान्य निधि की राशि को वैयक्तिक जमा खाते के अंतर्गत कोषालय में जमा किया जाना चाहिए था । उत्पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की दर का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जाना था । जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होने थे जिनको इसके लिए विहित किया जाना था । तत्पश्चात, मध्य प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल 2001 से प्रभावी नियमों 647 क एवं 647 ख को जोड़ा जो कि समिति के गठन, पात्र उत्पीडितों का निर्धारण करने की शक्तियों एवं वेतन तथा सामान्य निधि के प्रबन्धन से सम्बन्धित हैं । आगे, मध्यप्रदेश सरकार ने अनुदेश जारी किए (जनवरी 2002) कि क्षतिपूर्ति का भुगतान, 10,000 रुपए की अधिकतम सीमा के

* *0.40 करोड़ रुपए 50 प्रतिशत के विषय में ; 3.59 करोड़ रुपए 40 प्रतिशत के विषय में ; एवं 0.90 करोड़ रुपए 10 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के विषय में ।*

साथ भारतीय दन्ड संहिता 1860 की धारा 302 के अधीन अपराधियों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को किया जाना था जहां बंदियों को आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड दिया गया था ।

केन्द्रीय जेल,ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2005) और जेल मुख्यालय से आगे संग्रहीत जानकारी (जुलाई 2006) से प्रकट हुआ कि मार्च 2006 तक सामान्य निधि में 2.46 करोड़ रुपए की राशि (केन्द्रीय जेल ग्वालियर ;25.19 लाख रुपए, भोपाल ;123.59 लाख रुपए, सतना ;28.38 लाख रुपए, सागर ;26.07 लाख रुपए, उज्जैन ;43.19 लाख रुपए) जमा की गई थी, जिसमें से केवल 8.10 लाख रुपए की राशि (केन्द्रीय जेल ग्वालियर ;0.6 लाख रुपए, भोपाल ;0.6 लाख रुपए, सतना ;2.9 लाख रुपए, सागर ;2.7 लाख रुपए, उज्जैन ;1.3 लाख रुपए) 81 हितग्राहियों को वितरित की जा सकी और 2.38 करोड़ रुपए का शेष अनुपयोगी पड़ा हुआ था जिसके विरूद्ध मार्च 2006 के अन्त तक 25 प्रकरण लंबित थे । निधियों के इतने कम उपयोग के कारणों एवं अनुपयोगी निधि में सतत वृद्धि में नियमों के बनाने में विलम्ब एवं जनवरी 2002 के अनुदेशों के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि की पात्रता एवं प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जाना प्रतीत होता है,जो कि जेल अधिनियम 1894 की नयी धारा 36 क के अनुरूप न होने तथा हितग्राहियों की जागरूकता के लिए योजना के प्रचार का प्रावधान न होने एवं कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के बीच समन्वय का अभाव होने के कारण मेल नहीं होता है । सामान्य निधि में निष्क्रिय पड़ी हुई राशि के उपयोग के लिए महानिदेशक, जेल ने भी गरीबी रेखा से नीचे वाले खंड को निरस्त करने का तथा 20,000 रुपए तक की क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था (अक्टूबर 2005) ।

इस प्रकार सामान्य निधि की बहुत बड़ी राशि अनुपयोगी पड़ी हुई थी एवं उत्पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हो गया । भारतीय दन्ड संहिता 1860 की धारा 302 के अधीन दंडित अपराध के उत्पीड़ित, जेल अधिनियम 1894 की धारा 36 क के अधीन उपलब्ध क्षतिपूर्ति से, वंचित हो गए थे ।

मामले की सूचना सरकार को अक्टूबर 2005 में दी गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006) ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.6.3 श्रमिक कल्याण उपकर की कम वसूली / वसूली नहीं होना ।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंडला, सीहोर एवं खंडवा के द्वारा 32.82 लाख रुपए मूल्य के श्रमिक कल्याण उपकर का कटौत्रा न किया जाना ।

राज्य सरकार, ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित राशि पर एक प्रतिशत की दर से श्रमिक कल्याण उपकर लगाने का निर्णय लिया (मई 2003) । यह अनुदेश 01 मई 2003 से प्रभावी थे और इस किए गए कटौत्रे की राशि को भवन एवं संनिर्माण अधिनियम 1996 के अधीन श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड को समर्पित किया जाना था ।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंडला (सितम्बर 2005), सीहोर एवं खंडवा (अप्रैल 2006) के अभिलेखों की संचालित की गई नमूना जांच एवं आगे संग्रहीत जानकारी (नवम्बर 2006) से प्रकट हुआ कि 2003-04 से 2005-06 के दौरान निर्माण कार्यों पर 30.35 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था तथा बिलों से उपकर के रुप में 30.35 लाख रुपए की राशि का कटौत्रा किया जाना था परन्तु बिलों से 25.20 लाख रुपए (मंडला:10.20 लाख रुपए ; सीहोर:1.77 लाख रुपए एवं खंडवा:13.23 लाख रुपए) के उपकर का कटौत्रा नहीं किया गया था ।

इसे ध्यान में लाए जाने पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, मंडला ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) कि भविष्य में 1 प्रतिशत की दर से उपकर काट लिया जायेगा। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, सीहोर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2006) कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय की गई सामग्री पर उपकर नहीं काटा गया था। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, खंडवा ने उत्तर दिया (अप्रैल 2006) कि विभागीय निर्माण कार्यों पर उपकर का कटौत्रा किए जाने के लिए कोई स्पष्ट अनुदेश नहीं थे ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि उपकर की वसूली विभागीय निर्माण कार्यों सहित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त भुगतानों पर की जाने योग्य थी । इस प्रकार आहरण एवं संवितरण अधिकारी सरकार के विनिर्गयों (मई 2003) का अनुपालन करने में विफल रहे जिससे श्रमिकों के कल्याणार्थ निधियों की स्थापना हेतु आदर्शवाक्य निष्फल हो गया । 2006-07 के दौरान भी निर्माण कार्यों पर 7.62 लाख रुपए* नवम्बर 2006 तक वसूल नही किए गए थे ।

मामले की सूचना सरकार को जून 2006 में दी गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2006) ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.6.4. चम्बल नदी में प्रदूषण समाप्ति योजना

चम्बल नदी में प्रदूषण समाप्ति योजना का क्रियाशील न होने के कारण 2.66 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोजना के अंतर्गत चम्बल नदी में प्रदूषण समाप्ति योजना, भारत सरकार द्वारा 3.00 करोड़ रूपये के परिव्यय पर प्रशासकीय रूप से अनुमोदित की गई थी (दिसम्बर 1999)। योजना के अंतर्गत नागदा में नदी हेतु रोक एवं व्यपवर्तन (इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्सन), अपशिष्ट स्थिरीकरण कुण्ड (वैस्ट स्टेबलाइजेशन पोण्ड), नदी अग्रभाग का विकास (रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट) एवं मल-उपचार संयंत्र (सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) का प्रावधान था। योजना हेतु निधि, भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जानी

* *कार्यपालन यंत्रियों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, खंडवा 3.42 लाख रुपए ; मंडला 2.66 लाख रुपए एवं सीहोर 1.58 लाख रुपए ।*

थी। राज्य शासन ने, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को इस कार्य हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया था। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ,भोपाल ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना संभाग, उज्जैन (क्रियान्वयन एजेन्सी) को 2.55 करोड़ रूपये (2004-05 के दौरान) दिए थे। तथापि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा फरवरी 2005 तक 2.66 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके थे।

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ (अगस्त 2004) कि योजना इस विनिर्दिष्टि के साथ स्वीकृत की गई थी कि उसके परिचालन एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य शासन/ स्थानीय निकाय का होगा। पूर्ण होने के पश्चात, योजना, उसके परिचालन एवं रख-रखाव हेतु, संबंधित स्थानीय निकाय को सौंपी जाना थी। यद्यपि चम्बल नदी हेतु नागदा में मल-उपचार संयंत्रों के साथ रोक एवं व्यपवर्तन योजना का, 2.66 करोड़ रूपये की लागत से, निर्माण किया जाकर उसे जून 2001 में प्रारंभ (कमीशन) कर दिया गया था। तथापि, निधियों की अनुपलब्धता के करण स्थानीय निकाय ने योजना का आधिपत्य (पजेशन) ग्रहण नहीं किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने, शासन के निर्देशों के अनुसार, जुलाई 2001 से अगस्त 2003 तक, 16.13 लाख रूपये की राशि की निधियां व्यपवर्तित कर, नागदा की योजना का प्रचालन एवं रख-रखाव किया। राज्य शासन से निधियों की अनुपलब्धता के कारण योजना सितम्बर 2003 से अक्रियाशील हो गई। भारत सरकार ने इस पर भी जोर दिया था (मार्च 2004) कि प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु तथा पूर्ण परिसम्पत्तियाँ (असेट्स) स्थानीय निकाय को सौंपने हेतु राज्य शासन को निधियाँ उपलब्ध कराना चाहिए।

योजना के अक्रियाशील होने से 2.66 करोड़ रूपये का पूरा निवेश निष्फल हो गया तथा प्रदूषण समाप्ति का उद्देश्य ही विफल हो गया। इसके अतिरिक्त, निर्मित परिसंपत्तियों के ह्रास एवं क्षति की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2004) अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता ने बताया (फरवरी 2006) कि चम्बल की योजना, एक पक्षीय रूप से नगर पालिका, नागदा को स्थानान्तरण कर दी गई है (सितम्बर 2003) परंतु, वर्तमान में , उनके द्वारा चलाई नहीं जा रही है। नगर पालिका, नागदा द्वारा योजना चलाने हेतु, जिलाध्यक्ष/आयुक्त के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 2.66 करोड़ रूपये के निवेश से पूर्ण की गई योजना, नगर-पालिका, नागदा को स्थानान्तरित कर दिए जाने के बावजूद भी, योजना का सफलतापूर्वक परिचालन सुनिश्चित करना, राज्य शासन का ही उत्तरदायित्व होता है । इस प्रकार, सितम्बर 2003 से योजना के अक्रियाशील रहने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ ।

प्रकरण जनवरी 2005 में शासन को प्रतिवेदन किया गया, उत्तर नवम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

4.6.5 प्रशिक्षण की योजना का कार्यान्वयन न किया जाना

80.30 लाख रुपए मूल्य की केन्द्रीय सहायता को मार्च 2004 से सरकारी लेखे से बाहर रखे जाने के निष्क्रिय प्रतिधारण से बेरोजगार अनुसूचित जाति बुनकर परिवारों को करघों के अभिप्रेत प्रशिक्षण एवं प्राप्ति से वंचित होना पड़ा ।

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष के दौरान प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता में से 80.30 लाख रुपए, बैतूल जिले के शाहपुर विकास खंड में अनुसूचित जनजातियों के संवर्ग से संबंधित बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश बुनकर ग्रामोद्योग विकास समिति मुख्यालय, भोपाल के द्वारा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए संस्वीकृत किए (मार्च 2004)। योजना के अन्तर्गत, चयनित प्रशिक्षणार्थियों को बुनाई का छह माह का प्रशिक्षण दिया जाना था और उसके पश्चात उनको समिति के द्वारा निशुल्क करघे उपलब्ध कराए जाने थे ।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, बैतूल के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2005) से प्रकट हुआ कि 80.30 लाख रुपए की सम्पूर्ण राशि का आहरण किया जाकर जिलाध्यक्ष, बैतूल के आदेशानुसार डाकघर में जिलाध्यक्ष एवं सहायक आयुक्त जनजाति विकास, बैतूल के संयुक्त खाते में जमा किया गया था (मार्च 2004) । आगे, प्रशिक्षण के प्रकार के सम्बन्ध में अध्यक्ष बुनकर समिति एवं जिलाध्यक्ष के मध्य विवाद के कारण, जिलाध्यक्ष ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल 2004) कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना था, परन्तु राज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया जा सका और राशि डाकघर में जुलाई 2006 तक अनुपयोगी पड़ी रही । सरकार ने, बुनकर समिति के स्थान पर उद्यमी विकास संगठन के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया (जुलाई 2006) और जिलाध्यक्ष, बैतूल को निर्देश दिया कि वह समस्त राशि को महाप्रबंधक, उद्यमी विकास संगठन, भोपाल को सौंप दे । तदनुसार, जिलाध्यक्ष ने राशि को अगस्त 2006 मे संगठन को सौंप दिया । प्राधिकारियों एवं सरकार के मध्य समन्वय के अभाव के कारण निधियों का उपयोग न किए जाने के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक अभिप्रेत प्रशिक्षण से वंचित रहे ।

यह ध्यान में लाए जाने पर, सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, बैतूल ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि योजना के लिए कार्ययोजना तैयार की जाकर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।

मामले की सूचना सरकार को अप्रैल 2006 में दी गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2006) ।

सामान्य

4.6.6 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्तरदायित्व का प्रवर्तन करने एवं सरकार के हितों की सुरक्षा करने में विफलता ।

प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, लेनदेनों की नमूना जांच करने के साथ साथ निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकनों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण संचालन की व्यवस्था करते हैं । जब महत्वपूर्ण अनियमितताएं इत्यादि, जो कि निरीक्षण के दौरान पाई जाती हैं और स्थल पर निराकृत नहीं हो पाती हैं तो, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में सुधारात्मक कार्यवाही एवं कमियों, त्रुटियों इत्यादि के लिए उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं । कार्यालय प्रमुख एवं अन्य उच्च प्राधिकारियों से निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन करने और चूक के साथ साथ त्रुटियों में सुधार करने तथा उनका पालन प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार को प्रेषित करने की अपेक्षा की जाती है । प्रधान महालेखाकार गंभीर अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों के ध्यान में भी लाते हैं । लंबित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के परिवीक्षण की सुविधा के लिए लबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव को प्रेषित की जाती है ।

मार्च 2006 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से (वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग को छोड़कर) प्रकट हुआ कि 30 सितम्बर 2006 तक 7880 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 20688 कंडिकाएं बकाया थीं । इनमें से 1396 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 2328 कंडिकाएं सम्मिलित थीं जो कि 10 वर्षो से अधिक समय से बकाया थी । कुछ चयनित विभागो से संबंधित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार एवं वर्षवार स्थिति क्रमशः **परिशिष्ट 4.4** एवं **परिशिष्ट 4.5** में दर्शाए गए अनुसार थीं ।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यालय प्रमुखों (जिनके अभिलेखों का निरीक्षण प्रधान महालेखाकार द्वारा किया गया था)एवं विभागाध्यक्षों ने बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के कोई उत्तर प्रेषित नही किए थे जो कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं के विषय में कार्यवाही प्रारंभ करने में विफलता का परिचायक है । प्रमुख सचिव/ विभागों के सचिवों, जिन्हें अर्धवार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, उन्होंने भी यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनके विभागों से संबधित कार्यालयों द्वारा त्वरित एवं समय से कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं ।

चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही के अभाव ने गंभीर अनियमितताओं को सरल बना दिया एवं सरकार को हानि पहुँचाना जारी रखा, यद्यपि लेखापरीक्षा में इसे ध्यान में लाया जा चुका था । यह अनुशंसा की जाती है कि जो अधिकारी निर्धारित

समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों /कंडिकाओं के उत्तर प्रेषित करने में विफल रहते हैं उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया का पुनर्विलोकन सरकार को करना चाहिए । हानियों, बकाया अग्रिमों, अधिक भुगतानों इत्यादि की वसूली समयबद्ध रीति से प्रारंभ करने के लिए की गई कार्यवाही एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है।

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पशु पालन विभाग

5.1 पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

मुख्य विशेषताएँ

सुशासन के लिए आंतरिक नियंत्रण अनिवार्य है । यह ऐसे क्रियाकलाप और सुरक्षा उपाय हैं जो एक संगठन के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं कि उनके क्रियाकलाप योजनाबद्ध रूप से लागू हो रहें हैं । यह पाया गया कि पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी । प्राथमिक रोकड़ लेखे के अभिलेख की संधारण-प्रणाली दोषपूर्ण थी । व्यय के आँकड़ों का समाधान नहीं किया गया था । पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में कार्यचालन का अभाव पाया गया था । पशु-चिकित्सा देखभाल अपंजीकृत सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी । भारत सरकार द्वारा निधियाँ उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी राज्य में दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की संस्थापना नहीं हुई थी । विभागीय नियमावली को 1927 से अद्यतन नहीं किया गया था ।

बजट अनुमानों में सकल रूप से कमी थी, सतत बचतें हुईं थीं एवं 7.91 करोड़ रुपए सिविल जमा एवं निगमों के खाते में जमा रखे गए थे ।

(कंडिकाएं 5.1.5.1 एवं 5.1.7.2)

रोकड़ भंडार का कार्य संभालने वाले कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा की राशि को जमा नहीं कराया गया था ।

(कंडिका 5.1.6.2)

अस्थाई पदों को जारी रखे बिना 46.72 करोड़ रुपए के वेतन का आहरण किया गया एवं 95 सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की अनियमित स्वस्थाने पदोन्नति के परिणामस्वरूप 14.66 लाख रुपए की राशि का वेतन पर अधिक भुगतान किया गया ।

(कंडिकाएं 5.1.7.5 एवं 5.1.8.3)

35 चिकित्सालयों एवं 171 पशु औषधालयों में क्रमशः पशुचिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना न होने से पशु उपचार की सुविधा से वंचित रहे जिसके परिणामस्वरूप पशुचिकित्सा कर्मचारियों के वेतन एवं औषधियों पर 5.89 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ ।

(कंडिका 5.1.8.4)

संचालनालय में 1.93 करोड़ रुपए के निवेश का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था एवं 45.38 लाख रुपए मूल्य की पशुचिकित्सा सामग्री (किट्स) अप्रयुक्त पड़ी हुई थी ।

(कंडिकाएं 5.1.8.11 एवं 5.1.8.15)

12.59 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियों का उपयोग बिना परीक्षण के किया गया एवं 4.84 लाख रुपए मूल्य की निषिद्ध औषधियों की अधिप्राप्ति करके पशुओं पर उपयोग किया गया ।

(कंडिका 5.1.8.14)

5.1.1. प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, परिचालन एवं वित्तीय मामलों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करती है । यह विभाग के वरिष्ठ प्रबन्धन को जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण ढांचे की पर्याप्तता पर आश्वस्त भी करती है । यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा निर्धारित संहिताओं, । नयम-पुस्तकों तथा नियमों के प्रावधान कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के निर्विघ्न निष्पादन के लिए सुष्पष्ट एवं व्यावहारिक प्रणाली को उपबन्ध करते हैं । इन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने हेतु विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना एवं प्रभावी कार्य संचालन की अनिवार्यता है । पशुपालन विभाग, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषकों को पशुपालन के विषय में जागरूकता उपलब्ध कराने तथा अपने कर्मचारियों को बुनियादी एवं नवीनतम पशुपालन पद्धतियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु पशुधन एवं कुक्कुट पालन के उत्पादन की संभाव्यताओं के आवर्धन के लिए उत्तरदायी है ।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, शासन स्तर पर, विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष हैं एवं कार्यक्रमों / योजनाओं से संबंधित सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, विभागाध्यक्ष हैं, जिन्हें मुख्यालय पर संयुक्त संचालक एवं उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है । क्षेत्रों में संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः 9 संयुक्त संचालक एवं 39 उपसंचालक हैं । राज्य में पशुचिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने हेतु मार्च 2006 को, 565 पशुचिकित्सालय 1742 औषधालय एवं 2243 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र थे ।

5.1.3. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा के उद्देश्य निम्नांकित की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना थे:

- बजट नियंत्रण ;
- रोकड़ नियंत्रण ;
- व्यय नियंत्रण ;

- संचालन नियंत्रण ;
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और सतर्कता तंत्र ।

5.1.4. लेखापरीक्षा समावेशन

संचालनालय पशुचिकित्सा सेवाएं एवं 48 जिलों में से 11* जिलों के पशुचिकित्सा कार्यालयों के साथ इन जिलों के 140 पशुचिकित्सालयों तथा 913 पशु औषधालयों / उपकेन्द्रों के वर्ष 2001-06 के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च से नवम्बर 2006 के दौरान संचालित की गई । नमूना जांच के परिणाम आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं ।

5.1.5 बजट नियंत्रण

5.1.5.1. सतत बचतें

बजट नियम-पुस्तक के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा चालू वर्ष हेतु संशोधित अनुमान एवं आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमानों को प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह में संचालनालय को प्रेषित किया जाना चाहिए है जिसे बाद में प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । तथापि, अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/इकाइयों ने अपने बजट प्रस्तावों को लेखापरीक्षा के अधीन आवृत समस्त वर्षो के दौरान संचालनालय को प्रेषित नहीं किया । परिणामतः अनुमान तैयार करने वाले अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए बिना ही विभाग द्वारा काल्पनिक आधार पर बजट अनुमान तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दिए । यह वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना को इंगित करता है । 2001-06 की अवधि के विनियोग लेखे के अनुसार बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार था:--

(करोड रुपए में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य(+) बचतें (-)	कालम 4 में से समर्पण	कालम 4 में से व्यपगत होने के लिए अनुमत्य प्रावधान
1	2	3	4	5	6
2001-02	165.33	130.99	(-) 34.34	(-) 17.99	(-) 16.35
2002-03	165.89	139.94	(-) 25.95	(-) 21.49	(-) 4.46
2003-04	162.91	142.98	(-) 19.93	--	(-) 19.93
2004-05	178.16	165.60	(-) 12.56	(-) 07.63	(-) 4.93
2005-06	181.09	160.43	(-) 20.66	(-) 11.24	(-) 9.42
महायोग	**853.38**	**739.94**	**(-)113.44**	**(-)58.35**	**(-)55.09**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि बजट अनुमान काल्पनिक आधार पर तैयार किए गए थे क्योंकि वर्ष 2001-06 के दौरान सतत बचतें 12.56 करोड़ रुपए एवं 34.34 करोड़ रुपए की सीमा के मध्य थी ।

आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (अप्रैल 2006) कि सतत बचतें अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से समय पर मासिक व्यय पत्रकों के प्राप्त

* बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, खण्डवा, मुरैना, पन्ना, सागर, सीधी तथा उज्जैन ।

न होने के कारण तथा इकाइयों द्वारा रिक्त पदों हेतु प्रावधान किये जाने तथा वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी के बाद कोषालय से आहरणों पर रोक लगाये जाने के कारण हुई थी । विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आहरणों पर रोक लगाया जाना प्रति वर्ष प्रचलन में रहा है । अतः इन्हें बजट अनुमानों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था । आगे बजट नियम पुस्तक के अनुसार रिक्त पदों हेतु प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए था । यह भी पाया गया कि बजट अनुमानों को तैयार करने हेतु अपेक्षित बजट नियम पुस्तक भी संचालनालय एवं अधीनस्थ इकाइयों में उपलब्ध नहीं थी ।

5.1.5.2 निधियों का अनियमित पुनर्विनियोजन

निधियों के पुनर्विनियोजन करने के लिए अनियमित पद्धति का पालन किया गया था ।

वित्तीय शक्तियों की पुस्तक के भाग-II के खण्ड III की मद 1 की शर्त संख्या 7(i) तथा कार्यपालक अनुदेशों (26 अगस्त 1996) में प्रावधान है कि आयोजनेतर के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "वेतन एवं मजदूरी" से पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकता है । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 2.25 करोड़ रुपए का अनियमित पुनर्विनियोजन (मार्च 2006) वेतन से अन्य प्रभार में 1.35 करोड़ रुपए, औषधियां 0.80 करोड़ रुपए, पैट्रोल, तेल, चिकनाई(पी ओ एल) 0.08 करोड़ रुपए तथा यात्रा भत्ता मद में 0.02 करोड़ रुपए किया गया था । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (मई 2006) कि पुनर्विनियोजन प्राकृतिक आपदा (बर्ड फ्लू) के कारण किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें का पुनर्विनियोजन प्रस्ताव तथा सरकार का अनुमोदन संहितीय प्रावधानों के विरूद्ध था । आगे अनुदान संख्या-58-प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत सरकार के पास पूर्व में ही पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध था जिसे इस अनियमित पुनर्विनियोजन के स्थान पर उपयोग किया जा सकता था ।

5.1.6. रोकड़ नियंत्रण

5.1.6.1 रोकड़ बही का दोषपूर्ण संधारण तथा बिल पंजी की समीक्षा नहीं किया जाना

कोषालय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं संवेतरण अधिकारी को प्रत्येक माह के अंत में दिनांकित हस्ताक्षर सहित व्यक्तिगत रूप से रोकड़ का सत्यापन करना चाहिए तथा रोकड़ शेष का विश्लेषण, रोकड़ बही में अंकित करना चाहिए । रोकड़ बही के दैनिक योगों की जांच रोकड़ बही लिखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से कराई जानी चाहिए । कोषालय वाउचर स्लिप से आहरणों का पाक्षिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा कोषालय से प्रत्येक माह के अंत में आहरणों की कम्प्यूटराइज्ड सूची प्राप्त की जानी चाहिए । अस्थायी अग्रिमों को रोकड़ बही में लाल स्याही से अंकित किया जाना चाहिए तथा उसे अंतिम भुगतान के रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए ।

रोकड बहियों तथा बिल पंजियों का संधारण दोषपूर्ण था

संचालनालय तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों* के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ शेष का विवरण आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नहीं निकाला गया और न ही अभिलिखित किया गया । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा रोकड़ बही के योगों की जांच लिखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से नहीं कराई गई । कोषालय वाउचर स्लिप के संदर्भ में आहरणों का पाक्षिक सत्यापन तथा कोषालय द्वारा जारी आहरणों की कम्प्यूटराइज्ड सूची के संदर्भ में मासिक सत्यापन भी नहीं किया गया था । 2001-06 के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया ।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -1 के नियम 197 के अनुसार , प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक रूप से बिल पंजी की समीक्षा करनी चाहिए और उनके द्वारा की गई ऐसी समीक्षा के परिणाम अंकित करना चाहिए । यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए जिलों के 15 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[Ψ] ने 2001-2006 के दौरान बिल पंजी की समीक्षा नहीं की थी ।

उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवा, बालाघाट द्वारा पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक, बैहर, परसबाड़ा एवं बिरसा को पशु आहार क्रय हेतु भुगतान किए गए (30 मार्च 2005) 4.83 लाख रुपए के अस्थाई अग्रिम की राशि तथा मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को पशु-प्रदाय हेतु भुगतान किए गए 18.35 लाख रुपए की प्रविष्टि रोकड़बही मे लाल स्याही से नहीं की अपितु इसे रोकड़ बही में अंतिम भुगतान के रूप मे दर्शाया गया था । ये अग्रिम मई 2006 तक वसूल/समायोजित नहीं किए गए थे और अस्थायी अग्रिमों की पंजी में भी अंकित नहीं किए गए थे ।

5.1.6.2 कर्मचारियों द्वारा बिना प्रतिभूति जमा किए रोकड़ / भंडार का कार्य सम्हालना

मध्य प्रदेश कोषालय सहिता भाग- I के नियम 252 में प्रावधान है कि रोकड़ / भंडार का कार्य संभालने वाले कर्मचारियों से ' प्रतिभूति जमा ' को जमा कराया जाना चाहिए। तथापि, नमूना जांच में पाया गया कि 19 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने रोकड़ सम्हालने वाले कर्मचारियों (12) तथा भंडार के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों (9)से भी अपेक्षित प्रतिभूति जमा कराना सुनिश्चित नहीं किया । उप संचालकों, पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (अप्रैल से अक्टूबर 2006) कि संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक प्रतिभूति जमा को प्राप्त कर लिया जाएगा ।

* बालाघाट (2), बैतूल (2), भिण्ड (1), भोपाल (5), छतरपुर (2), खंडवा (1), मुरैना (1), पन्ना (2), सागर (3), सीधी, (1), उज्जैन (2), तथा संचालनालय

Ψ संचालनालय, बालाघाट ,बैतूल, भिण्ड ,पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढी, मुरैना , पन्ना , खण्डवा, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भोपाल , कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान भोपाल , पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतोना , राज्य चिकित्सालय भोपाल, सागर , सीधी , उज्जैन एवं माता महामारी उज्जैन ।

5.1.7 व्यय-नियंत्रण

5.1.7.1 व्यय के आंकडों का समाधान नहीं किया जाना

विभाग ने न तो उनके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से मासिक व्यय विवरण पत्रों की प्राप्ति का परिवीक्षण किया गया और न ही, बजट नियम-पुस्तक में अपेक्षित, व्यय की प्रगति पर निगरानी रखी । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के व्यय के आंक्ड़ों को भी समेकित नहीं किया गया और इनका समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के 2001-06 के दौरान व्यय आंकड़ों के साथ नहीं किया जैसा कि नीचे दी गई सारणी से दृष्टिगोचर होता है ।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विनियोजन लेखे में दर्शाया गया व्यय	विभाग द्वारा दर्शाया गया व्यय	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के संदर्भ में अंतर
2001-02	130.99	132.09	(+)1.10
2002-03	139.84	132.97	(-)6.87
2003-04	142.98	131.26	(-)11.72
2004-05	165.60	158.48	(-)7.12
2005-06	160.43	165.45	(+) 5.02

विभाग में व्यय -नियंत्रण के कार्यचालन की कमियों को दर्शातें हुये कुछ उदाहरण नीचे उल्लिखित किए गए हैं ।

5.1.7.2 तात्कालिक आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण

सिविल जमा तथा निगमों के पास जमा रहने के कारण निधियाँ अनुपयोगी रहीं।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग I के नियम 284 में प्रावधान है कि कोषालय से तब तक धन का आहरण नहीं किया जाए जब तक कि तुरंत संवितरण करने की आवश्यकता न हो । तथापि, बजट प्रावधान को व्यपगत होने से टालने के लिए दुग्ध संघो के पुर्नवास एवं दुग्ध परीक्षण प्रयोगशाला की संस्थापना हेतु क्रमशः 5.75 करोड़ रुपए एवं 0.33 करोड़ रुपए का आहरण किया गया (मार्च 2002) । 5.75 करोड़ रुपए का पुनः आहरण आगामी वित्त वर्ष के दौरान किया गया था (जून 2002) तथा 0.33 करोड़ रुपए में से 0.08 करोड़ रुपए का पुर्नआहरण किया गया (मार्च 2004) तथा शेष राशि को व्यपगत हो जाने दिया गया ।

इसी प्रकार, "पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता" योजना के अन्तर्गत आहरित (मार्च 2005) 1.83 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पास जमा रखे हुए थे । इसमें से 0.72 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था । शेष 1.11 करोड़ रुपए नवम्बर 2006 तक मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पास रखे हुए थे । सिविल जमाओं में राशियों को न रखे जाने के सरकार के निर्देशों (मार्च 2006) के बावजूद भी ऐसा किया गया ।

5.1.7.3 वेतन के भुगतान में विलम्ब

कोषालय नियमों में प्रावधान है कि मासिक वेतन का वितरण आगामी माह के प्रथम दिन किया जाना चाहिए । लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 23 में से 10 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने उनके कर्मचारियों को वेतन का भुगतान 27 दिन

की सीमा तक विलम्ब से किया गया था । वेतन के संवितरण में 27 दिन तक का विलम्ब व्यय नियंत्रण प्रणाली की कमी को दर्शाता है जो एक गंभीर मामला है । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (अप्रैल से अक्टूबर 2006) कि विलम्ब का कारण कोषालय से धनादेशों (चैकों) का देरी से प्राप्त होना था।

5.1.7.4 सरकारी देय धन की वसूली/समायोजन न किया जाना

बकाया देय धन की वसूली पर निगरानी रखने हेतु प्रभावी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवेक आवश्यक है । तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ को स्थानांतरित शासकीय डेरियों के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की ब्रिक्री के बकाया देय धन से सम्बन्धित 20.98 लाख रुपए दुग्ध संघों से वसूली हेतु 6 से 25 वर्षो तक की अवधि से बकाया थे, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	शासकीय डेरी का नाम	संघ का नाम जिससे राशि बसूल की जानी थी	अवधि जब से देय धन की बसूली बकाया थी ।	कुल देय धन	वसूल किए गए	शेष
					(लाख रुपए में)	
1	बालाघाट	जबलपुर	1986-92	48.48	45.40	3.08
2	नरसिंहपुर	जबलपुर	1999-2000	0.02	--	0.02
3	छतरपुर	सागर	1996	0.18	--	0.18
4	गुना	सागर	1997-98	1.35	--	1.35
		भोपाल	1981-82	0.05	--	0.05
5	छिन्दवाड़ा	जबलपुर	1982-83	15.79	--	15.79
6	सिंगरौली	जबलपुर	1999-2000	0.51	--	0.51
	योग			**66.38**	**45.40**	**20.98**

न तो यह राशि नकद वसूल की गई और न ही इन संघो को प्रतिवर्ष भुगतान किए गए सहायता अनुदानों से देय धन के समायोजन हेतु संचालनालय ने तत्परता दिखाई । तथापि, संचालक ने देय धन की शीघ्र वसूली करने का आश्वासन दिया(जून 2006) । फिर भी, देय धन की वसूली नवम्बर 2006 तक प्रभावी नहीं हुई थी ।

5.1.7.5 अस्थायी पदों को जारी रखे बिना वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण

अस्थायी पदों को जारी रखे बिना 46.72 करोड़ रुपए का अनियमित आहरण किया गया

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि अस्थायी स्थापना के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का आहरण किया जा सकता है बशर्ते कि अस्थायी पदों को जारी रखने की स्वीकृति सरकार से प्राप्त कर ली जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक के वर्षो के लिए स्थापना में स्वीकृत जिलों के अस्थायी पदों को जारी रखने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी । इसके बावजूद भी नमूना जाँच किए गए जिलों में 1626 अस्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर वर्ष 2001-06 के दौरान उप संचालकों, पशु-चिकित्सा सेवायें द्वारा 46.72 करोड़ रुपए के अनधिकृत आहरण किए गए थे । उप संचालकों ने बताया गया (अप्रैल - अक्टूबर 2006) कि वेतन का आहरण आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें से जिलाध्यक्षों को प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया गया था कि अस्थाई पदों को जारी रखने का प्रस्ताव सरकार

को भेजा गया था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन प्रस्तावों के लिए सरकार से कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई थी । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2006) कि पदों को जारी रखने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे परंतु स्वीकृतियां अभी भी प्रतीक्षित थी ।

5.1.8 प्रचालन नियंत्रण

5.1.8.1 विभागीय नियम पुस्तक का अद्यतनीतरण नहीं किया जाना

विभागीय नियम पुस्तक का अद्यतनीकरण 1927 से नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि प्रचालन नियंत्रण तंत्र प्रभावशील नहीं था क्योंकि विभागीय संहिता तथा नियमावली संचालनालय के, किसी भी क्षेत्र कार्यकर्ता एवं शाखा पर उपलब्ध नहीं थीं । संचालक ने बताया कि पूर्व सेन्ट्रल प्रोविन्स तथा बरार राज्य द्वारा 1927 में तैयार की गयी नियम-पुस्तक उनके पास उपलब्ध है तथा उसके अद्यतनीकरण का कार्य चल रहा है । क्षेत्र कार्यकर्ताओं के पास अद्यतनीकृत विभागीय नियम-पुस्तक उपलब्ध न होने से तथा राज्य के गठन (1 नवम्बर 1956) के 50 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी इसका अद्यतनीकरण न किए जाने से निचले स्तर पर विभाग के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

5.1.8.2 आयुक्त-सह-संचालक पशुचिकित्सा सेवायें, को बकायाओं के प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया जाना ।

सप्ताहिक एवं मासिक बकाया प्रतिवेदन आयुक्त-सह-संचालक पशुचिकित्सा सेवायें को प्रस्तुत नहीं किया जाना

संचालनालय, पशुचिकित्सा सेवाएं तथा उप कार्यालयों की कार्यालय कार्यविधि नियम-पुस्तक की कंडिका 76 के अनुसार प्रत्येक अनुभाग/कक्ष/शाखा कार्यालय के विषय में साप्ताहिक बकायाओं का प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए था, जिसको सामान्य अनुभाग द्वारा साप्ताहिक रूप से समेकित करके आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । इसी प्रकार, नियम-पुस्तक की कंडिका 77 में प्रावधान है कि एक माह से ऊपर लंबित प्रकरणों का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक कैलेडर माह के अंतिम दिन आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवा, को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो साप्ताहिक बकायाओं के विवरण पत्र और न ही एक माह से अधिक लंबित प्रकरणों के मासिक प्रतिवेदन आयुक्त-सह-संचालक,पशुचिकित्सा सेवायें, को प्रस्तुत किए गए जो कि संचालनालय द्वारा कार्यचालन पर नियंत्रण में शिथिलता का परिचायक है । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, ने भविष्य में पालनार्थ नोट किया गया (मई 2006) ।

5.1.8.3 सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को अनियमित स्वस्थाने पदोन्नति

सरकार के आदेशों के विरूद्ध आयुक्त सह-संचालक पशु चिकित्सा सेवा द्वारा सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को अनियमित स्वस्थाने पदोन्नति दी गई

राज्य सरकार ने पशु पालन विभाग के अपने आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2003 में स्पष्ट किया है कि सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को स्वस्थाने पदोन्नति की पात्रता नहीं है । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि संचालनालय द्वारा अप्रैल 1999 से मार्च 2006 तक के दौरान 95* सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को स्वस्थाने पदोन्नति के

* उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं बैतूल (20) 3.56 लाख रुपए,पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, मुख्य प्राण योजना बैतूल (8) 0.82 लाख रुपए, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं भिन्ड (15) 0.25 लाख रुपए, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खंडवा (5) 1.55 लाख रुपए, संयुक्त संचालक,पशु चिकित्सा सेवाएं सागर

आदेश जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 14.66 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ तथा एक वेतन वृद्धि एवं उस पर समय-समय पर अनुमत्य भत्तों को जोड़कर आवर्ती दायित्वों में वृद्धि हुई । उपसंचालकों, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा बताया गया (अप्रैल से अक्टूबर 2006) कि स्वस्थाने पदोन्नति संचालक द्वारा स्वीकृत की गई थी । संचालक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुओ था तथा नवम्बर 2006 में सत्यापन के दौरान अनियमितताओं में सुधार होना नहीं पाया गया ।

5.1.8.4 चिकित्सकों एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के बिना चिकित्सालयों एवं औषधालयों का कार्यचालन

पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सकों /सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना चिकित्सालयों एवं औषधालयों में न होने से पशु उपचार से वंचित रहे ।

पशुओं को पशुचिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पशुचिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना की गई थी । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं की देखभाल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु कर्मचारी भर्ती संरूप (स्टाफिंग पैटर्न) के अनुसार प्रत्येक चिकित्सालय के लिये एक पशुचिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक तथा प्रत्येक औषधालय हेतु एक सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी,एवं परा पशुचिकित्सा कर्मचारियों सहित, उपलब्ध कराया जाना था । नमूना जांच किये गए 10 जिलों के अभिलेखों में पाया गया कि 35 चिकित्सालय तथा 171 औषधालय जिनका विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है, 1 से 16 वर्षों की अवधि तक,पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के बिना ही संचालित हो रहे थे । पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक तथा सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के बिना इन चिकित्सालयों तेथा औषधालयों से इन क्षेत्रों में पशुओं की देखभाल एवं चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा सकी जबकि अप्रैल 2001 से मार्च 2006 के दौरान परा पशुचिकित्सा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, औषधियों तथा उपकरणों पर 5.89 करोड़ रुपए व्यय किए गए । उप संचालकों, पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (अप्रैल-अक्टूबर 2006) कि समीप के चिकित्सालयों एवं औषधालयों से पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की सेवाएं सप्ताह में दो बार उपलब्ध करायी गईं थीं तथा पशु परिचारकों (समूह "घ" कर्मचारियों) द्वारा रोगी पशुओं के मालिकों को औषधियाँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परा पशुचिकित्सा कर्मचारी औषधियां एवं मार्गदर्शन देने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नही हैं । तथापि, आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, ने बताया (नवम्बर 2006) कि पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सकों/सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना करने की कार्यवाही की जा रही है ।

5.1.8.5 राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना न किया जाना

चूँकि दूध एक पूर्ण आहार है अतः भारतीय मानक संस्थान-अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार इसकी गुणवत्ता की जाँच अनिवार्य कर दी गई थी । भारत सरकार द्वारा निर्धारित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद गुणवत्ता की जाँच करने की दृष्टि से, एक राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना भोपाल में सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी (21 अगस्त 2001) जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश

(14) 2.63 लाख रुपए उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीधी (12) 2.39 लाख रुपए, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं उज्जैन (20) 3.24 लाख रुपए एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ माता महामारी उज्जैन (1) 0.22 लाख रुपए ।

1992 के अन्तर्गत अपेक्षित था । गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था (18 अक्टूबर 2001) तथा आम जनता के हितों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा आयुक्त-सह-संचालक पशुचिकित्सा सेवायें को 32.90 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई गई थी क्योंकि राज्य में सिंथेटिक दूध तैयार करने के कई प्रकरण पाए गए थे । अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 5 वित्तीय वर्षो के बाद भी संचालनालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की जा सकी । प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए त्वरित प्रयास करने के बजाय राशि सिविल जमा में जमा की गई (30 मार्च 2002) तथा जो संबंधित राजस्व शीर्ष में व्यपगत हो गई (मार्च 2005) ।

आयुक्त, पशुचिकित्सा सेवा ने बताया (जून 2006) कि उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की जा सकी ।

5.1.8.6 पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों के संचालन में कमियां ।

आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, द्वारा निर्धारित दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किए गए ।

राज्य में पशुधन की नस्ल में सुधार, दुग्ध उत्पादन बढाने एवं पशुचिकित्सा की नई तकनीकियों के प्रसार की दृष्टि से पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा, गढ़ी एवं रतोना में क्रमशः 696,1080 एवं 688 एकड़ भूमि में स्थापित किए गए थे । अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि औसत दुग्ध उत्पादन एवं बछड़ों की मृत्यु दर में कमी के लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं किया गया, जो कि निम्नानुसार वर्णित हैं:-

- प्रतिदिन औसत दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य, जो गढ़ी में 7 लीटर प्रति गाय, रतोना में 6 लीटर प्रति गाय एवं भदभदा में 8 लीटर प्रति गाय था, वर्ष 2001-06 के दौरान कभी भी प्राप्त नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 32.15 लाख रुपए की कुल हानि हुई जो प्रक्षेत्र में अकुशल प्रबंधन को दर्शाती है । प्रक्षेत्र प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि इसका कारण गायों द्वारा बछडों को दूध पिलाना तथा पुरानी गायों कों न बदलना था ।

बछड़ों की मृत्यु दर, निर्धारित अधिकतम दर से अधिक थी ।

- आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा नर बछड़ों की मृत्यु दर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी । तथापि 2001-06 के दौरान पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी में बछड़ों की मृत्यु दर 14 से 62 प्रतिशत एवं भदभदा में 15 से 42 प्रतिशत के मध्य रही थी । प्रक्षेत्र प्रबंधक गढी द्वारा बताया गया कि मृत्यु दर अधिक होने का कारण तत्काल पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पदस्थापना नहीं किया जाना था तथा प्रक्षेत्र प्रबंधक, भदभदा द्वारा बताया गया कि चूँकि बदलते हुए मौसम के प्रति बछड़े बहुत संवेदनशील होते हैं, अतः मृत्यु स्वभाविक थी ।

5.1.8.7 अवमानक स्तर के पशु आहार की आपूर्ति

अवमानक स्तर का पशु आहार प्रदाय करने से दुग्ध उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया ।

मानक स्तर के पशु आहार की आपूर्ति करने की दृष्टि से, पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल में पशु आहार के प्रत्येक बैच का परीक्षण किए जाने के आदेश दिए गए थे (दिसम्बर 1999) जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशुओं को खिलाया जा रहा पशु आहार निर्धारित मानकों के अनुसार है या नहीं । इन प्रक्षेत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2001-06 के दौरान 1.23 करोड़ रुपए कीमत का 2091.07 टन पशु आहार 121 खेपों में क्रय किया गया था । 59 खेपों की जाँच नहीं

कराई गई। शेष 62 खेपों में से दुधारू जानवरों को दिए जाने वाले 23.14 लाख रुपए कीमत के पशु आहार के 25 खेपों (410.49 टन) को अवमानक स्तर का पाया गया जिसके बदले में आपूर्तिकर्ता से अवमानक पशु आहार की आनुपातिक कीमत की वसूली भी नहीं की गई।

प्रक्षेत्र प्रबंधक भदभदा एवं गढ़ी ने बताया (अक्टूबर 2006 तथा मई 2006) कि परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक पशु आहार को परिरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह खराब होने लगता है और प्राप्त होते ही इसे पशुओं को खिलाया जाना था । पशुओं को आहार प्रदाय करने से पूर्व परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए जाने तथा अवमानक पशु आहार की आनुपातिक कीमत की वसूली किए जाने का प्रबंध करने की आवश्यकता है ।

5.1.8.8 अपंजीकृत सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा अप्राधिकृत पशुचिकित्सा देखभाल

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (परिषद), अधिनियम 1984 के अनुसार सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को परिषद में बिना पंजीयन कराये स्वतंत्र रूप से पशुचिकित्सा सेवायें प्रदान करने की अनुमति नहीं है । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि परिषद मे पंजीयन कराए बिना 1742 औषधालयों में (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित) स्वतंत्र रूप से पदस्थ सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक के पर्यवेक्षण एवं निर्देश के बगैर अनधिकृत रूप से सभी प्रकार की पशुचिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही थीं । संचालक ने बताया (अप्रैल 2006)कि संबंधित औषधालय में पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक के साप्ताहिक भ्रमण के दौरान उनके परिवीक्षण एवं निर्देशों के अनुसार वे पशुचिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रहे थे । जाँच के दौरान पंजीयक, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद म.प्र.भोपाल द्वारा पुष्टि की गई (मई 2006) कि परिषद मे बिना पंजीयन कराये सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा पशुचिकित्सा सेवायें दिया जाना वैध रूप से प्राधिकृत नहीं है ।

5.1.8.9 *कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की कम बसूली*

कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की वसूली पर निगरानी रखने के लिए कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप कम वसूली हुई ।

सरकार के आदेशों (दिसम्बर 1994) क अनुसार जनवरी 2005 तक पशुओं के मालिकों से 5 रुपए प्रति कृत्रिम गर्भाधान की दर से तथा उसके बाद बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूल किया जाना था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई इकाइयों में कृत्रिम गर्भाधानों के 3.98 लाख प्रकरणों के लिए 22.25 लाख रुपए के निर्धारित शुल्क के विरुद्ध 11.19 लाख रुपए वसूल किए गए थे । इस प्रकार 11.06* लाख रुपए कम वसूल किए गए थे । उप संचालकों, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा बताया गया (अप्रैल-अक्टूबर 2006) कि कम राशि की वसूली अधीनस्थ कर्मचारियों से की

* *उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, बालाघाट (2001-04) 0.12 लाख रुपयें, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें बैतूल (2001-06) 2.01 लाख रुपयें पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, मुख्य ग्राम योजना बैतूल (2001-06) 0.87 लाख रुपयें, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें, भिन्ड (2001-06) 0.66 लाख रुपयें, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें छतरपुर (2003-06) 0.49 लाख रुपयें उप संचालक पशुचिकित्सा सेवा खन्डवा (2001-06) 1.64 लाख रुपयें, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें मुरैना (2001-06) 2.74 लाख रुपयें संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा सेवा सागर (2001-06) 1.59 लाख रुपयें तथा उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें सीधी (2001-06) 0.94 लाख रुपयें*

जाएगी । चूँकि इनमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत हो गये हैं मूल पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित हो गए हैं, अतः वसूली की संभावना बहुत कम है ।

5.1.8.10 बढ़ी हुई दर से कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की वसूली न होना

सरकार के आदेशों के क्रियान्वयन न होने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई ।

सरकार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुल्क की दर शहरी क्षेत्रों के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर (जनवरी 2005) 30 रुपए प्रति कृत्रिम गर्भाधान तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 रुपए प्रति कृत्रिम गर्भाधान की गई थी । लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई इकाइयों (उप संचालक,पशुचिकित्सा सेवा भिन्ड को छोडकर) द्वारा बढ़ी हुई दर से कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की वसूली नहीं को जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2005 से मार्च 2006 के दौरान 28.47[v] लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई । उप संचालकों, पशुचिकित्सा सेवा, द्वारा बताया गया (अप्रैल - अक्टूबर 2006) कि सरकार से विशिष्ट आदेश प्राप्त होने पर बढ़ी हुई दर से शुल्क की वसूली की जाएगी तथा उप संचालक पशुचिकित्सा सेवा मुरैना ने बताया (अप्रैल 2006) कि उन्होंने 1 अप्रैल 2006 से बढ़ी हुई दर से वसूली प्रारंभ कर दी है । आयुक्त, पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (नवम्बर 2006) कि उपरोक्त आदेश सभी जिला इकाईयों को जारी किए गए थे एवं इन आदेशों को पुनः जारी करने के लिए, पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण को, अग्रेषित किया गया था । इस प्रकार सरकार द्वारा शुल्क बढ़ाये जाने के निर्णय के बाद भी सभी उप संचालकों द्वारा एकसमान रूप से बढ़ी हुई दर पर वसूली नहीं की जा रही है ।

5.1.8.11 सरकार द्वारा किए गए निवेशो पर नियंत्रण न होना

निगमों में किए गए निवेशों की निगरानी पर नियंत्रण नहीं पाया गया ।

किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निवेशों के अभिलेखों को संचालनालय स्तर पर संधारित किया जाना चाहिए । लेखापरीक्षा में पाया गया कि संचालनालय द्वारा ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था जबकि सरकार द्वारा अगस्त और नवम्बर 2000 के मध्य 1.93 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ में निवेश की गई थी। तथापि, मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के अभिलेखों के सत्यापन में यह देखा गया कि केवल 97.10 लाख रुपए के ही शेयर प्रमाण पत्र जारी किए गए थे । यह भी पाया गया कि तत्कालीन शासकीय डेरियों जो अब मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ को स्थानान्तरित हो गई हैं,की कीमत 96.13 लाख रुपए मूल्य को भी शेयर पूँजी के रूप में निवेश किया गया था परंतु वह राशि संघ के शेयर पूँजी रजिस्टर में दर्ज नहीं पाई गई । मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ द्वारा 2000-06 के दौरान किसी लाभांश का भी भुगतान नहीं किया गया । इसे इंगित किए जाने पर आयुक्त-सह-संचालक पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा म.प्र. सहकारी दुग्ध संघ

[v] *उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें, बालाघाट- 2.09 लाख रुपए, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें बैतूल-4.55 लाख रुपए, पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, मुख्य ग्राम योजना-बैतूल, 0.91 लाख रुपए, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें छतरपुर 1.60 लाख रुपए, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें खंडवा- 3.38 लाख रुपए, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें मुरैना-5.77 लाख रुपए, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें पन्ना-1.37 लाख रुपए, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें-सीधी 2.49 लाख रुपए एवं संयुक्त संचालक पशुचिकित्सा सेवायें उज्जैन 6.31 लाख रुपए .*

से प्राप्त उत्तर को अग्रेषित किया (अप्रैल 2006) जिन्होंने लेखापरीक्षा के दावे का समर्थन किया ।

आयुक्त-सह-संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा जिला कार्यालयों तथा उप संचालकों, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा चिकित्सालयों/ औषधालयों के विभागीय निरीक्षण में अपर्याप्तता पाई गई थी।

5.1.8.12 *विभागीय निरीक्षणों में कमी*

विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाना विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की यथार्थता एवं प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवा तथा उपसंचालकों द्वारा नमूना जाँच किए गए जिलों में वर्षवार किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या का लक्ष्य, वास्तविक रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या तथा पाई गई कमियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था -

वर्ष	आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, द्वारा वर्ष के दौरान किए जाने वाले उप संचालक पशुचिकित्सा सेवायें कार्यालयों के निरीक्षण			उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा वर्ष के दौरान किए जाने वाले चिकित्सालयों / औषधालयों के निरीक्षण			
	नियत निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	कमी (प्रतिशत)	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या	नियत निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षण की संख्या	कमी (प्रतिशत)
2001-02	97	निरंक	97 (100)	10	998	412	586 (59)
2002-03	97	निरंक	97 (100)	10	990	444	546 (55)
2003-04	97	निरंक	97 (100)	10	963	523	440 (46)
2004-05	97	निरंक	97 (100)	10	913	342	571 (63)
2005-06	97	निरंक	97 (100)	10	929	411	518 (56)

इस प्रकार विभागीय निरीक्षण मे अत्यधिक कमी दर्शाती है कि यह महत्वपूर्ण तंत्र वृहद रूप से निष्प्रभावी था ।

उप संचालकों, पशुचिकित्सा सेवायें, द्वारा निर्धारित भंडार एवं स्टाक लेखे संधारित नही किए गए तथा संचालनालय द्वारा संकलित नहीं किए गए थे ।

5.1.8.13 *भंडार एवं स्टाक लेखे तैयार नहीं किया जाना*

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालय, जो औषधियों, उपकरणों एवं मशीनों का वार्षिक क्रय एवं प्रदाय करता है, को भंडार एवं स्टाक लेखे संधारित किए जाना चाहिए । भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए तथा भंडार प्रभारी, माल सूची के नियंत्रण में प्रशिक्षित होना चाहिए । नमूना जाँच किए गए क्षेत्र कार्यकर्ताओं के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 12 इकाईयो[*] द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय तक तथा पाँच[φ] इकाइयों द्वारा अंतिम तीन वर्षो से संबंधित भंडार एवं स्टॉक लेखे संधारित नही किए गए । नमूना जॉच की गई 23 इकाइयों में से 8[λ] इकाईयो एवं संचालनालय द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन भी पिछले 3 वर्षो से नहीं

* *भोपाल(3), बैतूल(2), छतरपुर, खन्डवा, मुरैना, पन्ना(2), मातामहामारी उज्जैन तथा संचालनालय।*

φ *बालाघाट, भिन्ड, सागर, सीधी तथा कुक्कुट प्रक्षेत्र भोपाल*

λ *संचालनालय, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं, बैतूल, पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, मुख्य ग्राम योजना बैतूल, उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल, उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं छतरपुर, उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें खंडवा, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं मुरैना, उप संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं पन्ना तथा पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, मुख्य ग्राम योजना पन्ना ।*

किया गया था । उप संचालकों द्वारा बताया गया कि (अप्रैल से अक्टूबर 2006) भंडारों एवं स्टाक लेखे का संधारण तथा भंडारों के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रगत्याधीन है ।

5.1.8.14 निषिद्ध/परीक्षण न की गई औषधियों का उपयोग

उप संचालकों पशुचिकित्सा सेवायें द्वारा औषधियों को परीक्षण किए बिना उपयोग में लाया जा रहा था तथा निषिद्ध औषधियों का भी उपयोग किया जा रहा था ।

औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार क्रय की गई औषधियों के बैचवार नमूनों का परीक्षण उपयोग से पहले प्रयोगशाला में किया जाना चाहिए था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2001-06 के दौरान 12.59 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियाँ बिना नमूना परीक्षण के उपयोग में लाई जा रहीं थीं । आयुक्त, पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उपयोग से पहले औषधियों का परीक्षण कराए जाने के निर्देश सभी जिला अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं ।

आयुक्त-सह-संचालक पशु चकित्सा सेवायें द्वारा डायक्लोफेनिक नामक एक एलोपैथिक औषधि का उपयोग प्रतिबंधित किया गया था (अक्टूबर 2004) । यह देखा गया कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी संयुक्त संचालक तथा उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं द्वारा अक्टूबर 2004 से मार्च 2006 के दौरान 4.84 लाख रुपए कीमत की औषधियों की अधिप्राप्ति किया जाना जारी रखा गया जैसा कि **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाया गया है । इन औषधियों का इस अवधि में उपयोग किया जाना भी पाया गया ।

5.1.8.15 पशुचिकित्सा किटों का अनियमित क्रय

45.38 लाख रुपए मूल्य के किट्स का अनियमित रुप से क्रय

भंडार क्रय नियमों में प्रावधान है कि क्रय, सबसे मितव्ययी तरीके से राज्य स्तर के समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार द्वारा राज्य स्तर की निविदाएं आमंत्रित करके, किया जाना चाहिए तथा आरक्षित मदें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए । अभिलेखों की नमूना जाँच मे पाया गया कि निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बजाय संचालनालय द्वारा पशुचिकित्सा किटों के क्रय हेतु दिल्ली की चार विशिष्ट फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए गए (20 नवम्बर 2003) । क्रय किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था तथा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय हेतु आरक्षित सामग्री भी म.प्र. लघु उद्योग निगम से क्रय नहीं की गई थी । उत्पाद की गुणवत्ता की जाँच हेतु सामान्यतः निविदा के साथ मदवार नमूना माँगा जाता है, परन्तु क्रय आदेश जारी करते समय ही इनकी आपूर्ति करने के आदेश दिए गए, जो यह दर्शाता है कि गुणवत्ता का सत्यापन किए बगैर ही कोटेशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई । उप संचालक (मुख्यालय) भी 45.38 लाख रुपए मूल्य का क्रय आदेश आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें तथा शासन के अनुमोदन के बिना जारी करने हेतु सक्षम नहीं थे ।

आयुक्त ने की गई उक्त चूकों को स्वीकार किया (मार्च 2006) तथा बताया कि तत्कालीन उप संचालक (मुख्यालय) द्वारा जारी क्रय आदेशों को निरस्त किया जा चुका है (नवम्बर 2004) तथा किटों को उठाने हेतु प्रदायकर्ता को कहा गया है । परन्तु प्रदायकर्ता द्वारा नवम्बर 2006 तक किटों को नहीं उठाया गया तथा उसके द्वारा शीघ्र भुगतान करने हेतु न्यायालय में वाद दायर किया गया था ।

5.1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियाँ

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों की कमी ।

संचालनालय में संयुक्त संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें के पर्यवेक्षणाधीन एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा गठित की गई थी जिसके लिए एक लेखाअधिकारी, सात लेखापरीक्षकों, सात उप लेखापरीक्षकों तथा दो सहायक ग्रेड ।।। के पद स्वीकृत थे । इसके विरूद्ध 2001- 05 के दौरान एक लेखा अधिकारी, 3 लेखापरीक्षक, 2 उप लेखापरीक्षक तथा दो सहायक ग्रेड ।।। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में पदस्थ रहे थे तथा 2005 - 06 के दौरान एक लेखा अधिकारी, 3 लेखापरीक्षक तथा 2 सहायक ग्रेड ।।। के अलावा केवल एक उप लेखापरीक्षक उपलब्ध था । इस तरह आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में चार लेखापरीक्षकों तथा पाँच/छह उप लेखापरीक्षकों की कमी से लेखापरीक्षा का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ । लेखापरीक्षा हेतु नियत 353 इकाइयों के विरुद्ध, 2001-06 के दौरान केवल 45 इकाइयों की ही लेखापरीक्षा की गई तथा 308 इकाइयों की लेखा परीक्षा नहीं की गई । इकाइयों द्वारा 15 निरीक्षण प्रतिवेदनों का, जिसमें 58 कंडिकांए थीं, प्रथम पालन प्रतिवेदन भी आयुक्त ,पशु चिकित्सा सेवायें को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरुप लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई ।

इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु योजना का अभाव।

आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना, इकाइयों के व्यय एवं आकार को ध्यान मे रखते हुए जोखिम विश्लेषण के माध्यम से परिपुष्ट जोखिम संकेतकों पर आधारित होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा किसी रोस्टर, चक्र एवं नियतकालिकता का पालन किए बिना तदर्थ आधार पर संचालित की जा रही थी । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को, विभागीय लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों के चयन के लिए आधार, लेखापरीक्षा में जाँच हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लेखापरीक्षा निष्पादन का अभिज्ञान, लेखा परीक्षा दल के प्रत्येक सदस्य को सौंपे गए विस्तृत कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों आदि से संबंधित लेखापरीक्षा मार्गदर्शी सिद्धांत, उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।

5.1.10 सर्तकता रचनातंत्र

संचालनालय के पास तीस विभागीय जांच प्रकरण लंबित थे।

संचालनालय में विभागीय जांच प्रकरणें के निराकरण हेतु विभागीय जांच प्रकोष्ठ कार्यरत था । वित्तीय वर्ष 2005-06 के प्रारम्भ में 35 विभागीय जांच प्रकरण लंबित थे, जिसमें से 5 विभागीय जांच प्रकरण 2005-06 के दौरान निर्णीत हुए थे । तथापि, 30 विभागीय जाँच प्रकरण संचालनालय स्तर पर अनुपालन हेतु लंबित थे । आयुक्त-सह-संचालक पशुचिकित्सा सेवायें ने बताया (अप्रैल 2006) कि प्रत्येक प्रकरण में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही थी ।

5.1.11 निष्कर्ष

संचालनालय का आंतरिक नियंत्रण तंत्र शिथिल था, बजट अनुमान सकल रूप से कम थे क्योंकि सतत बचतें हुईं तथा निधियों का अनियमित रूप से पुनर्विनियोजन किया गया था । रोकड़ बही के संधारण की प्रणाली तथा रोकड़ सत्यापन दोषपूर्ण था तथा रोकड़/स्टोर का कार्य सम्हालने वाले कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा को प्राप्त नहीं किया

गया था । विभागीय आंकडों का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकडों से नहीं किया गया था । वेतन का भुगतान 27 दिनों तक के विलम्ब से किया गया । साप्ताहिक और मासिक बकाया प्रतिवेदन आयुक्त-सह-संचालक पशुचिकित्सा सेवायें को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे । प्रचालन नियंत्रण अप्रभावी रूप से किया गया क्योंकि सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की अनियमित रुप से स्वस्थाने पदोन्नति की गई, पशुओं को अवमानक स्तर का पशुआहार उपलब्ध कराया जा रहा था तथा कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की बढ़ी हुई दरों के आदेश जिला कार्यालयों द्वारा लागू नहीं किए गए । इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित औषधियाँ पशुओं को उपलब्ध कराई जा रहीं थीं तथा औषधियों को बिना परीक्षण के उपयोग में लाया जा रहा था । आयुक्त-सह-संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, ने कभी भी अपने अधीनस्थ 97 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया । 2001-06 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन में 71 से 100 प्रतिशत तक कमियाँ थीं जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया ।

5.1.12 अनुशंसाएं

- समय पर तथा यथार्थ बजट अनुभाग की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ इकाइयों से समय पर जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए तथा रिक्त पदों हेतु बजट प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए । इस संबंध में बजट नियम-पुस्तक की प्रतियां अधीनस्थ इकाइयों को तुरन्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

- इस तथ्य के दृष्टिकोण से कि रोकड़ बही के संधारण तथा सत्यापन संबंधी अनुदेशों का आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में समेकित अनुदेश सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुनः बल देकर अनिवार्य रूप से परिचालित किए जायें तथा इस विषय पर संचालनालय द्वारा नियमित रूप से परिवीक्षण हेतु एक प्रणाली विकसित कर लागू की जाए ।

- सरकार से निरन्तरता की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अस्थायी पदों के विरूद्ध वेतन एवं भत्तों का आहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को प्रदान की गई अनियमित स्वस्थाने पदोन्नति तत्काल बंद की जानी चाहिए ।

- परिनियोजन को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक/सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के संवर्ग में रिक्त पदों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि पशुओं को राहत एवं उपचार उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध पशुचिकित्सा की आधारिक संरचना के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके ।

- राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा उपयोग से पूर्व औषधियों का आवश्यक परीक्षण एवं निषिद्ध औषधियों की अधिप्राप्ति एवं उपयोग की रोकथाम हेतु अनुदेश तत्काल जारी किए जाने चाहिए ।

मामला अक्टूबर 2006 में सरकार को प्रेषित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2006) ।

(जयनारायण गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

ग्वालियर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्रनाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

भाग कः शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरुप

(संदर्भः कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

शासकीय लेखाओं की संरचनाः राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा

भाग I : सँचित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विपत्र जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राशियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि नामक एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं।

भाग II : आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए एक अग्रदाय के रुप में होती है जिससे वह विधानमंडल के अनुमोदन के लंबित होने की स्थिति में अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिमों की व्यवस्था कर सकता है । बाद में ऐसे व्यय के लिए एवं संचित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की पूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा

कुछ लेन्देनों लघु बचतो, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरणों संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल के मत के अधीन नहीं होते हैं।

भाग ख

वित्त लेखे की रूप रेखा

(संदर्भः कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

विवरण पत्रक	रूप रेखा
विवरण पत्रक क्र. 1	राज्य शासन के लेनदेनों- संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में प्राप्तियों तथा व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत लोक ऋण प्राप्तियों तथा संवितरणों आदि के सारांश को प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 2	इसमें वर्ष 2004-05 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण पत्रक होता है ।
विवरण पत्रक क्र. 3	सिंचाई निर्माण कार्यों, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यकारी व्यय तथा संधारण प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि आदि के वित्तीय परिणामों को दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 4	राज्य की ऋणस्थिति के सारांश को इंगित करता है जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से उधारियाँ, अन्य दायित्व तथा ऋण सेवा सम्मिलित होते हैं ।
विवरण पत्रक क्र. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतानों, बकाया वसूलियों आदि का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान के लिए शासन द्वारा दी गई गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 7	रोकड़ शेषों तथा ऐसे शेषों से किए गए निवेशों का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 8	31 मार्च 2005 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 9	वर्ष 2004-05 के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व तथा व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रुप में दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 10	वर्ष के दौरान किए गए प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 11	राजस्व प्राप्तियों का लघु शीर्षबार विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है

विवरण पत्रक क्र. 12	आयोजनेतर तथा आयोजना के अंतर्गत पृथक रुप से लघु शीर्षबार राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षबार पूँजीगत व्यय के लेखाओं को प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 13	वर्ष 2004-05 के दौरान एवं अंत तक किये गए विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 14	वर्ष 2005-06 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियो, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैको तथा समितियों आदि में राज्य शासन के निवेश का विवरण दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 15	वर्ष 2005-06 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय तथा उन प्रधान स्त्रोतों को दर्शाता है जिनसे उस व्यय हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई ।
विवरण पत्रक क्र. 16	ऋण आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से सबंधित लेखा शीर्षो के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणो तथा शेषों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 17	म.प्र. सरकार के ऋण एवं अन्य के व्याज सहित दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 18	31 मार्च 2005 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई ऋण की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 19	आरक्षित निधियों के प्रयोजन विशिष्ट शेषों का विवरण प्रस्तुत करता है ।

भाग ग

अध्याय 1 में प्रयुक्त शब्दों की सूची एवं उनकी संगणना का आधार

(संदर्भः कंडिका 1.3 पृष्ठ 5)

शब्द	
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदंड की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि
मानदंड (भ) की अन्य मानदंड (म) के संदर्भ में उत्प्लावकता	मानदंड (भ) की वृद्धि दर मानदंड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/ विगत वर्ष की राशि) -1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान / [(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयतांए + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयतांऐ)/2]*100
भारित ब्याज दर (I_w)	$I_w = \sum_i^n I_i W_i$ जहाँ I_i ऋण के i वे स्टॉक पर ब्याज की दर है तथा W_i राज्य के कुल ऋण स्टॉक में iवे स्टॉक का अंश है ।
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि- भारित ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक * ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋणों तथा अग्रिमों का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अंतर्गत विकलनों को छोड़कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व प्राप्तियाँ ।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1.4 पृष्ठ 4)
चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	राजकोषीय संकेतक	विगत वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2004-05 लेखा	2005-06 संशोधित अनुमान	2006-07 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	19743.25	21344.41	23480.19	8.11	10.01
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	12849.65	15310.67	17044.63	19.15	11.33
2.1	राज्य कर	7769.91	8933.34	10029.46	14.97	12.27
2.2	केन्द्रीय करों में भागीदारी	5079.74	6377.33	7015.17	25.54	10.00
3	कर भिन्न राजस्व	4461.86	2239.16	2059.08	-49.82	-8.04
4	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	2431.74	3794.58	4376.48	56.04	15.34
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	6504.54	7271.34	5137.52	11.79	-29.35
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	53.20	2796.04	43.69	5155.71	-98.44
7	निवल लोक ऋण	5457.62	4565.69	5169.58	-16.34	13.23
8	लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ	993.72	-90.39	-75.75	-109.10	-16.20
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	26247.79	28615.75	28617.71	9.02	0.01
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	18026.38	21369.90	22509.97	18.55	5.33
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	14861.20	16563.71	17347.08	11.46	4.73
10.2	आयोजनागत राजस्व व्यय	3165.18	4806.19	5162.89	51.85	7.42

1	2	3	4	5	6	7
10.3	राजस्व व्यय जिसमें से					
10.3.1	ब्याज भुगतान	3661.14	3685.97	4145.03	0.68	12.45
10.3.2	आर्थिक सहायता	4676.65	6731.72	6063.78	43.94	-9.92
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	6090.16	6376.01	7040.42	4.69	10.42
10.3.4	पेंशन भुगतान	1329.89	1548.07	1766.37	16.41	14.10
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	4950.98	6852.95	5168.54	38.42	-24.58
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	1382.99	2361.68	383.46	70.77	-83.76
11.2	आयोजनागत पूँजीगत व्यय	3567.99	4491.27	4785.08	25.88	6.54
12	ऋण एवं अग्रिम	3310.86	686.50	719.04	-79.27	4.74
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	2774.65	378.44	269.27	-86.36	-28.85
12.2	आयोजनागत ऋण एवं अग्रिम	536.21	308.06	449.77	-42.55	46.00
13	कुल व्यय	26288.22	28909.35	28397.55	9.97	-1.77
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	19018.84	19303.83	17999.81	1.50	-6.76
13.2	आयोजनागत व्यय (10.2+11.2+12.2)	7269.38	9605.52	10397.74	32.14	8.25
14	राजस्व घाटा (1-10)	1716.87	-25.49	970.22	-101.48	-3906.28
15	राजकोषीय घाटा (1-6-13)	-6491.77	-4768.90	-4873.67	-26.54	2.20
16	प्रारंभिक घाटा [1-6-(13-10.3.1)]	-2830.63	-1082.93	-728.64	-61.74	-32.72

परिशिष्ट -1.3

(संदर्भः कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2006 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रूपए में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं					
1. लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	4, 16 तथा 17
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-) 2.38	4 तथा 16
3. आरक्षित निधियां	657.94(क)	45.49	11.55	102.46 (ख)	4 तथा 16
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19 (ग)	16
II- परिसम्पत्तियां					
1. सकल पूँजीगत परिव्यय	15760.57	4950.27	1484.59	9325.71	2 तथा 13
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2187.44 (घ)	5 तथा 18
3. गारंटियाँ	9709.60	--	--	10549.04 (ड़)	

टिप्पणीः - और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें ।

(क) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42 (i) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल 657.94 करोड़ रूपए में से 498.44 करोड़ रूपए ड्राप कर दिये गये ।

(ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये ।

(ग) विवरणों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये ।

(घ) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये ।

(ड़) (i) निरस्त पुरानी गारंटी के 239.95 करोड़ रूपए (ii) प्राप्त पुरानी गारंटी के 15.00 करोड़ रूपए के कारण वर्ष 2004- 05 के 10773.99 करोड़ रूपए के आँकडों 224.95 करोड़ रूपए का अंतर

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भः कंडिका 1.3 एवं 1.7, पृष्ठ 5 एवं 22)

31 मार्च 2006 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए में)

31.3.2005 को	देयताएं	31-3-2006 को
24156.09	**आंतरिक ऋण**	**28483.94**
9298.91	ब्याज सहित बाजार ऋण	10244.62
2.88	ब्याज रहित बाजार ऋण	1.46
5725.06	अन्य संस्थाओं से कर्ज (स्वशासी निकाय)	6110.05
9129.24	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	12127.81
9112.17	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**8991.02**
220.46	1984-85 से पूर्व के ऋण	192.27
270.97	आयोज्नेतर ऋण	243.85
8464.94	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	8405.68
33.39	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	30.62
122.41	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	118.60
40.00	**आकारिमिक व्यय निधि**	**31.86**
7488.20	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि**	**7489.40**
2260.64	**जमा**	**2858.85**
1217.53	**आरक्षित निधियां**	**1463.86**
--	**उचन्त तथा विविध**	**72.12**
44287.90		**49391.05**

टिप्पणी - मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के निर्धारित दिवस अर्थात 1 नवम्बर 2000 के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के लोक ऋणों को छोड़कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के बटवारे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

31.03.2005 को	परिसंपत्तियाँ	31.03.2006 को
26417.31	**स्थाई परिसंपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**	**33040.60**
4151.65	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	6965.99
22265.66	अन्य पूँजीगत परिव्यय	26074.61
5866.09	**ऋण एवं अग्रिम**	**3848.55**
4195.93	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1557.40
1637.01	अन्य विकास ऋण	2257.96
33.15	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	33.19
6.29	**अग्रिम**	**9.01**
442.06	**प्रेषण शेष**	**403.43**
23.29	**उचन्त एवं विविध**	**--**
259.84	**रोकड़**	**827.87**
1.90	कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	2.41
22.99	रिजर्व बैंक में जमा	41.67
17.10	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	19.13
217.85	रोकड़ शेष, निवेश एवं उद्दिष्ट निधियों का निवेश	764.66
11273.44	**सरकारी लेखे में घाटा**	**11261.59**
12990.95	(i) अग्रेनीत संचित घाटा	11273.44
(-) 1716.88	(ii) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	(-)33.32
--	(iii) अंतर्राज्यीय निपटारा	--
	(iv) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	35.16
(-) 0.63	(v) वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अन्तरण	(-)13.69
44287.90		**49391.05**

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भः कंडिका 1.3 पृष्ठ 5)

वर्ष 2005-06 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रूपए में)

2004-05			2005-06	2004-05		2005-06		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
		अनुभाग (क): राजस्व						
19743.25	**I.**	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**20596.79**	**18026.37**	**I. राजस्व व्यय**	**16351.00**	**4212.47**	**20563.47**
7772.97		कर राजस्व	9114.70	**7468.35**	**सामान्य सेवायें**	**7563.32**	**29.79**	**7593.11**
				5672.45	**सामाजिक सेवायें**	**4397.92**	**2260.42**	**6658.34**
4461.86		कर भिन्न राजस्व	2208.20	2552.40	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति		665.27	2905.76
				856.17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	699.93	224.82	924.75
5076.68		संघ करों का राज्यांश	6341.35	479.01	जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं नगरीय विकास	264.85	291.03	555.88
458.82		योजनेतर अनुदान	767.86	23.24	सूचना एवं प्रसारण	25.67	0.35	26.02
				1006.61	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	470.30	692.43	1162.73
1313.75		राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1263.63	57.51	श्रम एवं श्रम कल्याण	45.13	11.33	56.46
				686.31	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	640.80	375.19	1015.99
659.17		केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	901.08	11.20	अन्य	10.75	--	10.75
				3968.91	**आर्थिक सेवायें**	**3475.06**	**1719.64**	**5194.70**
				1243.77	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधिया	823.20	462.02	1285.22
				703.23	ग्रामीण विकास	121.70	996.65	1118.35

2004-05			2005-06	2004-05		2005-06		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				--	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--
				299.68	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	246.60	80.61	327.21
				1465.94	ऊर्जा	1917.45	66.02	1983.47
				78.03	उद्योग एवं खनिज	38.22	68.59	106.81
				140.48	परिवहन	298.10	--	298.10
				4.83	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.90	38.42	40.32
				32.95	सामान्य आर्थिक सेवायें	27.89	7.33	35.22
				916.66	**सहायतानुदान एवं अंशदान**	**914.70**	**202.62**	**1117.32**
	II.	अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा		1716.88	अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत	33.32	--	33.32
19743.25		योग	20596.79	19743.25	योग	16384.31	4212.48	20596.79
		अनुभाग-ख						
94.21	III	स्थाई पेशगियां तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	259.84	--	III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	--	--	--
				4950.98	IV. पूँजीगत परिव्यय	2923.47	3699.81	6623.28
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		146.20	सामान्य सेवायें	33.27	88.06	121.33
				431.60	सामाजिक सेवायें	5.73	629.45	635.18
				23.58	शिक्षा, कला, खेलकूद एवं संस्कृति	--	42.02	42.02
				42.66	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.37	63.98	64.35
				241.74	जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं नगरीय विकास	3.56	390.68	394.24
				--	सूचना एवं प्रसारण	--	--	--

				109.67	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित आदिमजाति अन्य पिछडें वर्गो का कल्याण	--	130.28	130.28
				13.55	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	1.80	1.84	3.64
				0.40	अन्य सामान्य सेवायें	--	0.65	0.65
				4373.18	**आर्थिक सेवायें**	**2884.47**	**2982.30**	**5866.77**
				58.93	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	7.49	30.16	37.65
				305.03	ग्रामीण विकास	--	385.76	385.76
				1699.06	सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	1253.77	1253.77
				1747.04	-ऊर्जा	2874.22	361.95	3236.17
				9.64	-उद्योग एवं खनिज	0.21	118.98	119.19
				546.72	परिवहन	2.50	806.66	809.16
				6.76	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.05	25.02	25.07
		योग		**4950.98**	**योग**	**2923.47**	**3699.81**	**6623.28**

2004-05			**2005-06**	**2004-05**		**2005-06**
53.20	**V**	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**2851.98**	**3310.86**	**संवितरित कर्जे एवं पेशगिंयाँ**	**834.45**
9.03		**विद्युत परियोजनाओं से**	2816.82	3220.55	विद्युत परियोजनाओं के लिये	178.29
7.96		सरकारी कर्मचारियों से	0.08	0.30	सरकारी कर्मचारियें को	0.12
36.21		अन्य से	35.08	90.01	अन्य को	656.04
--	**VI**	**अर्न्तराज्यीय निपटारा**	**--**	**--**	**अर्न्तराज्यीय निपटारा**	**--**
1716.88	**VII**	**अग्रेनीत राजस्व बचत**	**33.32**	**--**	**अग्रेनीत राजस्व घाटा**	**--**
8849.00	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**5160.65**	**3391.38**	**लोक ऋण का प्रति भुगतान**	**953.96**
6967.99		अर्थोपाय अग्रिमें एवं अधिविकर्षो के अलावा आंतरिक ऋण	4866.82	1147.01	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष को छोड़कर आंतरिक ऋण	538.97
1881.01		केन्द्र सरकार से कर्जे एवं अग्रिमों	293.83	1977.59	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनः भुगतान	414.99
--		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमें के अधीन निवल ऋण	--	266.78	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	
1.00	**IX**	आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि	--	--	आकस्मिकता निधि से व्यय	**8.14**
24790.22	**X**	लोक लेखा प्राप्तियाँ	**29037.68**	**23591.45**	लोक लेखा संवितरण	**28095.77**
1810.50		लघु बचतें एवं भविष्य निधि	1329.68	1169.75	लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1328.48

350.69		आरक्षित निधियां	675.45	15.03	आरक्षित निधियां	429.13
13435.69		उचंत एवं विविध	16559.13	13258.34	उचंत एवं विविध	16498.86
5318.04		प्रेषण	6317.03	5302.06	प्रेषण	6278.40
3875.30		जमा एवं अग्रिम	4156.39	3846.27	जमायें एवं अग्रिम	3560.90
--	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**		**259.84**	**XI वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**	**827.87**
--				1.90	कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	2.41
--				22.99	रिजर्व बैंक में जमा	41.67
--				17.10	स्थायी नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	19.13
--				217.85	रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ठ निधियों का निवेश	764.66
55247.76		**योग**	**57940.26**	**55247.76**	**योग**	**57940.26**

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भः कंडिका 1.3 पृष्ठ 5)

निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रूपए में)

2004-05		स्त्रोत	2005-06	
राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
19743.25	74.64	राजस्व प्राप्तियां	20596.79	72.28
53.20	0.20	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	2851.98	10.01
5457.62	20.63	लोक ऋण में वृद्धि	4206.69	14.76
1198.77	4.53	लोक लेखे से प्राप्तियां	941.92	2.95
640.75		क - अल्प बचतों में वृद्धि	1.20	
29.03	--	ख -जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	595.49	
335.66	--	ग - आरक्षित निधियों में वृद्धि	246.33	
15.97	--	घ - प्रेषण लेनदेनों का प्रभाव	38.63	
177.36	--	ड.-उचन्त एवं विविध में वृद्धि	60.27	
26452.84		**योग**	**28597.38**	
		उपयोग		
18026.37	68.14	राजस्व व्यय	20563.47	72.16
4950.98	18.72	पूजीगत व्यय	6623.28	23.24
3310.86	12.52	विकास एवं अन्य उद्देश्य हेतु उधार देना	834.45	2.93
(-)1.00	(-) 0.01	आकस्मिक निधि लेनदेनों का निवल प्रभाव	8.15	0.03
--	--	अन्तर्राज्यीय निपटारे का निवल प्रभाव		
--	--	लोक लेखा से उपयोग		
--	--	(क) उचंत एवं विविध का निवल प्रभाव		
--	--	(ख) विविध शासकीय लेखे	--	
--	--	जमाओं एवं अग्रिमों में कमी	--	
--	--	प्रेषण लेनदेनों का प्रभाव	--	
165.63	0.63	अंतिम रोकड़ शेष में वृद्धि	568.03	1.64
26452.84		**योग**	**28597.38**	

विवरण पत्र I ,II एवं III की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. उपरोक्त विवरण पत्रकों में दर्शाये गए संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जायें ।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण परिशिष्ट I में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है, परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आँकडों इत्यादि में मूलहास अथवा भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शायी गई हैं ।

3. उचंत एवं विविध शेषों में जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किये गये चेक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अंतर्विभागीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्य लंबित निपटारे आदि सम्मिलित हैं ।

4. " रिजर्व बैंक में निक्षेपों के अंतर्गत लेखे में दर्शाये गये 4166.59 लाख रूपए (विकलन) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 6095.57 लाख रूपए (आकलन) के आँकडों में 1928.98 लाख रूपए (आकलन) का अंतर था । मई 2006 का लेखाबंद करने के उपरान्त समाधान किया जाने वाला निवल अंतर 2368.60 लाख रूपए (आकलन) का था ।

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भः कंडिका 1.6.5 पृष्ठ 21)
बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों का विभागवार विवरण

क्र.स.	संस्थाओं का नाम	संस्थाओं की संख्या	1997-2001		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		योग	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	शिक्षण संस्थायें	04	--	--	20	0.32	45	0.58	45	56.53	45	33.88	44	115.24	199	206.55
2.	नगर पालिका निगम एवं नगर पालिकायें	01	--	--	--	--	--	--	4	1.88	16	5.69	368	1027.34	388	1034.91
3.	जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थायें	03	--	--	89	3.79	89	5.71	89	24.20	89	437.31	121	684.88	477	1155.89
4.	विकास अभिकरण	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थायें	03	4	0.09	10	0.14	11	0.15	12	0.14	12	0.14	16	7.14	65	7.80
6.	अन्य संस्थायें	13	4	8.69	120	23.08	168	27.96	316	57.70	337	103.42	404	233.86	1349	454.71
	योग	**24**	**8**	**8.78**	**239**	**27.33**	**313**	**34.40**	**466**	**140.45**	**499**	**580.44**	**953**	**2068.46**	**2478**	**2859.86**

परिशिष्ट - 1.8
(संदर्भः कंडिका 1.6.7 पृष्ठ 21)
स्वायत्त निकायों के निष्पादन का सार

क्रम संख्या	निकाय का नाम	लेखा का प्रस्तुतीकरण	बकाया की वर्तमान स्थिति
1.	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल	2000-01	2001-02 से 2005-06
2.	मध्यप्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग, भोपाल	2004-05	2005-06
3.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2004-05	2005-06

परिशिष्ट - 1.9

(संदर्भः कंडिका 1.6.8 पृष्ठ 21)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार/ वर्षवार विवरण

(राशि रुपए में)

क्रम सं	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	मार्च 2002 तक		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		सफल योग	
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	कुल राशि
1.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	62	93,48,287=39	--	--	--	--	--	--	--	--	62	93,48,287=39
2.	2245	प्राकृतिक आपदाये एवं सहायता	2	46,83,536=05	--	--	--		--	--	--	--	02	46,83,536=05
3.	2051	लोक सेवा आयोग	1	23,109=71	--	--	--	--	--	--	--	--	01	23,109=71
4.	2040	विक्रय कर	1	85,518=50	--	--	--	--	--	--	--	--	01	85,518=50
5.	2014	न्याय प्रशासन	8	6,92,086=00	--	--	--	--	--	--	--	--	08	6,92,086=00
6.	2054	कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	10	33,03,481=97	--	--	--	--	--	--	--	--	10	33,03,481=97
7.	2029	भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त	14	4,67,663=49	--	--	--	--	--	--	--	--	14	4,67,663=49
8.	2053	वित्त तथा सामान्य प्रशासन	3	86,919=68	--	--	--	--	--	--	1	1575=00	04	88,494=68
9.	2058	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1	66,739=00	--	--	--	--	--	--	--	--	01	66,739=00
10.	2211	परिवार कल्याण विभाग	19	7,10,520=15	--	--	--	--	--	--	--	--	19	7,10,520=15
11.	2853	अलौह खनन	2	42,879=00	--	--	1	23600=00	1	3,000=00			04	69,479=00

12.	2403	पशुपालन विभाग	15	11,17,293=06	2	34616=00	--	--	8	80257=00	4	36954=00	29	12,69,120=06
13.	2225	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़ावर्ग कल्याण	50	28,03,530=81	--	--	--	--	--	--	--	--	50	28,03,530=81
14.	2030	मुद्रांक एवं पंजीयन	1	95,980=00	--	--	--	--	--	--	1	34155=00	02	1,30,135=00
15.	2055	पुलिस	164	73,22,713=90	42	1185789=00	43	2588405=00	38	869610=00	47	610406=00	334	1,25,76,923=90
16.	2041	परिवहन	1	5,63,756=00	--	--	--	--	--	--	--	--	01	5,63,756=00
17.	2235	पंचायत तथा समाज कल्याण	6	1,55,254=15	--	--	--	--	1	159412=00	--	--	07	3,14,666=15
18.	2235	महिला एवं बाल कल्याण	8	3,20,521=00	--	--	--	--	1	131102=00	--	--	09	4,51,623=00
19.	2235	पुनर्वास विभाग	4	27,960=49	--	--	--	--	--	--	--	--	04	27,960=49
20.	2401	कृषि विभाग	17	6,01,154=10	1	4292=00	3	266878=00	4	--	3	793900=00	28	18,57,064=10
21.	2402	कृषि विभाग	6	91,325=25	1	90,000=00	1	3500=00		--	1	40487=00	09	2,25,312=25
22.	2851	ग्रामोद्योग	3	2,82,287=40			1	5000=00		--			04	2,87,287=40
23.	2230	श्रम	5	7,17,427=00	1	13,000=00	1	43905=00	3	--	1	4800=00	11	7,95,784=00
24.	2039	राज्य उत्पाद कर	10	4,71,674=72	2	8629=00	--	--		--	--	--	12	4,80,303=72
25.	2408	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	52,357=35	--	--	--	--	1	--	--	--	02	53,457=35
26.	2425	सहकारिता	2	1,11,774=00	--	--	--	--	--	--	--	--	02	1,11,774=00
27.	2202	स्कूल शिक्षा विभाग	107	41,35,211=74	9	746603=00	3	465414=00	--	--	10	1741981=00	129	70,89,209=74
28.	2202	उच्च शिक्षा विभाग	10	9,51,021=60	1	6430=00	--	--	1	3545=00	6	171325=00	18	11,32,321=60
29.	2203	तकनीकी शिक्षा विभाग	3	2,23,651=00	--	--	2	661464=00	2	95531=00	3	196753=00	10	11,77,399=00

30	2205	कला एवं संस्कृति विभाग	1	13,12,117=70	--	--	--	--	1	25000=00		--	02	13,37,117=70	
31	2501, 2505, 2515	ग्रामीण विकास विभाग	9	4,92,180=44	1	1,33,000=00	--	--	--	--	--	--	10	6,25,180=44	
32	2217	शहरी विकास विभाग	--	--	--	--	--	--	1	2000=00	--	--	01	2,000=00	
33	2852	उद्योग	--	--	--	--	--	--	1	103000=00	--	--	01	1,03,000=00	
		योग	**546**	**41359932=65**	**60**	**2222359=00**	**55**	**4058166=00**	**63**	**1681049=00**	**77**	**3632336=00**	**801**	**52953842=65**	

परिशिष्ट - 1.10

(संदर्भः कंडिका 1.6.9 पृष्ठ 21)

हानियों आदि का अपलेखन

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपए में)
1.	2029	भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त	1	113071=80
2.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	71	2578890=49
3.	2053	वित्त एवं सामान्य प्रशासन	5	260797=26
4.	2202	स्कूल शिक्षा	2	24800=00
5.	2501	ग्रामीण विकास	1	7031=00
		योग	**80**	**2984590=55**

परिशिष्ट - 1.11

(संदर्भः कंडिका 1.7 पृष्ठ 22)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड रु. में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
(1) राजस्व प्राप्तियां	**12839**	**11211**	**13391**	**14289**	**19743**	**20597**
(i) कर राजस्व	5640(44)	4679(42)	6165(46)	6789(48)	7773(39)	9115(44)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2766(49)	2361(50)	2906(47)	3293(49)	3913(51)	4508(50)
राज्य आबकारी	975(17)	705(15)	890(15)	1086(16)	1193(15)	1370(15)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	477(8)	445(10)	535(9)	614(9)	789(10)	1009(11)
वाहनों पर कर	406(7)	393(8)	429(7)	455(6)	489(6)	556(6)
अन्य कर	1016(19)	775(17)	1405(22)	1341(20)	1389(18)	1672(18)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1724(13)	1602(14)	1635(12)	1480(10)	4462(23)	2208(11)
संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	3955(31)	3439(31)	3729(28)	4247(30)	5077(26)	6341(31)
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1520(12)	1491(13)	1862(14)	1773(12)	2431(12)	2933(14)
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--	--
(3) कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	**12839**	**11211**	**13391**	**14289**	**19743**	**20597**
(4) ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	**13**	**1588**	**43**	**36**	**53**	**2852**
(5) लोक ऋण प्राप्तियां	**3101**	**3281**	**4949**	**9938**	**8849**	**5161**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	1876(61)	1830(56)	3169(64)	7949(80)	6968(79)	4867(94)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम▲	994(32)	1451(44)	1780(36)	1722(17)	1881(21)	294(6)
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष में निवल लेनदेन	231(7)	--	--	267(3)	--	--
(6) समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)	**15953**	**16080**	**18383**	**24263**	**28645**	**28610**
(7) आकस्मिक व्यय निधि प्राप्तियां	7	--	--	--	1	--
(8) लोक लेखा प्राप्तियां	**16520**	**15013**	**20120**	**22285**	**24790**	**29038**
(9) सरकार की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**32480**	**31093**	**38503**	**46548**	**53436**	**57648**
(10) राजस्व व्यय	**14985(91)**	**14369(87)**	**14560(83)**	**18765(87)**	**18026(69)**	**20563(73)**
आयोजनागत	2683(18)	2516(18)	3520(24)	2816(15)	3165(18)	4212(20)
योजनेतर	12302(82)	11853(82)	11040(76)	15949(85)	14861(82)	16351(80)
सामान्य सेवायें (ब्याज, भुगतानों सहित)	5323(36)	5049(35)	5445(37)	6574(35)	7468(41)	7593(37)
सामाजिक सेवायें	5836(39)	4583(32)	5284(36)	5322(28)	5672(32)	6658(32)
आर्थिक सेवायें	3298(22)	4364(30)	3425(24)	6278(34)	3969(22)	5195(25)
सहायतानुदान एवं अंशदान	528(3)	373(3)	406(3)	591(3)	917(5)	1117(6)
(11) पूंजीगत व्यय	**1110(7)**	**1471(9)**	**2455(14)**	**2679 (12)**	**4951(19)**	**6623(24)**
आयोजनागत	1105(100)	1466(100)	2449(100)	2673(100)	3568(72)	3700(56)
योजनेतर	05	05	6	6	1383(28)	2923(44)
सामान्य सेवायें	16(2)	22(1)	36 (1)	36(1)	146(3)	121(2)
सामाजिक सेवायें	136(12)	172(12)	536(22)	535(20)	432(9)	635(10)
आर्थिक सेवायें	958(86)	1277(87)	1883(77)	2108(79)	4373(88)	5867(88)

▲ भारत सरकार से अर्थोपाय पेशगियाँ सम्मिलित हैं ।

परिशिष्ट - 1.11 (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
12. कर्जों एवं पेशगियों का संवितरण	296(2)	599(4)	481 (3)	204(1)	3311(12)	834 (3)
12 क. अंतर्राज्यीय निपटारा	--	5-	-	--	--	--
13. कुल व्यय (10+11+12)	16391	16444	17496	21648	26288	28020
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	818	522	1494	2275	3391	. 954
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिवकर्ष को छोड़कर)	123	150	153	278	1147	539
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	294	--	-	--	267	--
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	401	372	1341	1997	1977	415
15. आकस्मिक व्यय निधि विनियोग	--	--	-	--	--	--
16.समेकित विधि से कुल संवितरण	17209	16966	18990	23923	29679	28974
17. आकस्मिक व्यय निधि संवितरण	--	--	-	--	--	8
18 लोक लेखा संवितरण	15836	13569	19935	22439	23591	28096
19 सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	33045	30535	38925	46362	53270	57078
20 राजस्व घाटा / आधिक्य (+)	2146	3158	1169	4476	(+)1717	(+) 34*
21 राजकोषीय घाटा (3+4+13)	3539	3645	4062	7323	6492	4571
22 प्रारंभिक घाटा (21-23)	1128	1391	[illegible]	4117	2831	1149
भाग - घ अन्य आंकड़े						
23 ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2411	2254	2502	3206	3661	3422
24 राजस्व बकाया (कुर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	347(5)	204(3)	839 (11)	758$ (9)	34 (0.28)	986 (8.71)
25 स्थानीय निकाय आदि को वित्तीय सहायता	813	2304	525	3324	1143	2081
26 ली गयी अर्थोपाय पेशगियां अधिविकर्ष (दिन)	165/47	117/172	103/176	200/60	127/00	--
27 अर्थोपाय पेशगियां अधिविकर्ष पर ब्याज	8/3	11/5	11/7	13/4	4/00	--
28 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	88445	81286(Q)	83011(Q)	101027Q	107926A	109055A
29 बकाया ऋण (वर्षान्त)	22548	26487	30340	37525	44235	49173
30 बकाया गारंटियाँ (वर्षान्त)	467	472	585	974	2016	613
31 गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9673	9701	11572	12131	12507	12637
32 अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	185	180	301	453	436	अनुपलब्ध
33 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	4983	5589	6459	7447	9031	अनुपलब्ध

(Q) उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य हेतु त्वरित अनुमान

($) राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के राजस्व संबंधी आँकड़े

A अग्रिम अनुमान

आँकडें राजस्व आधिक्य से संबंधित हैं ।

* वास्तविक राजस्व आधिक्य 33.32 करोड़ रूपये है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अंतर्गत निवेश का राज्य सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तन के वर्णन राजस्व आधिक्य 814.78 करोड़ रूपये कम बताया गया है ।

परिशिष्ट - 1.12

(संदर्भः कंडिका 1.7.2 पृष्ठ 22)

अद्यतन वर्ष में जिसके लिए लेखाओं का निपटारा किया गया,हानि में चल रहे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों की 31.07.2006 को वित्तीय स्थिति

क्रम सं.	कम्पनी / निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक लेखे प्रस्तुत किये गए	वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि (प्रदत्त पूँजी)				वर्ष के 31 मार्च के अंत में संचित हानि (-)	अभियुक्ति
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
			(लाख रूपये में)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
क	कम्पनियाँ							
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2003-04	209.50	120.00	-	329.50	256.21	
2.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित रीवा	2005-06	--	--	80.00	80.00	45.69	
3.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2003-04	8109.18	--	-	8109.18	64867.91	
4.	म.प्र.राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2004-05	2191.25	--	--	2191.25	134.81	
5.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल	1998-99	674.85	--	--	674.85	7.21	
6.	म.प्र. पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल	2003-04	2497.29	--	--	2497.29	1255.63	
7.	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2004-05	68.92	--	--	68.92	263.91	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ख	**बंद कंपनियां**							
1.	म.प्र. उदवहन सिंचाई निगम मर्यादित, भोपाल	1992-93	592.29	--	--	592.29	629.73	
2.	ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन मर्यादित, भोपाल	2004-05	--	--	1500 896.71 (निजी शेयर धारक)	2396.71	11238.95	
3.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल	2002-03	1511.67	--	--	1511.67	4883.39	
4.	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित, भोपाल	2003-04	685.95	--	--	685.95	10021.06	
5.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित, भोपाल	1989-90	500	--	--	500.00	205.04	
ग	**619(ब) कम्पनियाँ**							
1.	म.प्र. विद्युत यंत्र निगम मर्यादित, भोपाल	1989-90	126.00	24.00	--	150.00	378.00	
क	**सांविधिक निगम**							
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मंडल	2004-05	16961.71	--	--	16961.71	94924.74	
2.	म.प्र.सड़क परिवहन निगम	2004-05	14140.34	4096.38	--	18236.72	78123.71	
3.	म.प्र. वित्त निगम	2005-06	6253.91	--	2554.45	8808.36	22707.59	
	योग		**54027.86**	**4240.38**	**5031.16**	**63794.40**	**289943.58**	

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 41)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
	क-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1	12- ऊर्जा	4801-06-190-0701-6869- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	32.40
2	13- कृषि	2401-119-0701-1580- वृहद प्रबंधन योजना	7.24
3	17- सहकारिता	2425-800-0701-6312- कृषि अनूपूरण का वृहद प्रबंधन	9.86
4	17- **सहकारिता**	6425-107-0701-6312-- कृषि अनुपूरण का बहद प्रबंधन	2.17
5	21- **आवास एवं पर्यावरण**	2217-02-800-0701-6917- रीवा मे रानी तालाब का निर्माण एवं सागर तालाब	1.29
6	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- कमान क्षेत्र विकास	4705-202-0701-6852- प्रणाली की कमियों मे सुधार	1.00
6	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-कमान क्षेत्र विकास	4705-203-0701-6852- प्रणाली की कमियों मे सुधार	1.82
7	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	14- कृषि विभाग- 2401-796-119-0702-1580- वृहद प्रबंधन योजना	1.62
8	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50- महिला एवं बाल विकास विभाग- 2236-02-796-101-0702-414- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम	15.58
9	45- **लघु सिंचाई कार्य**	4702-101-0701-3803- लधु एवं अति लधु सिंचाई योजना	12.42
10	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना	50- महिला एवं बाल विकास- 2236-02-789-101-0703-2179- शहरी गंदी बस्तियों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम	24.00
11	64- **अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना**	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग- 4225-01-789-277-0703-5220-कॉलेज छात्रावास-	1.72
		योग क	**111.12**
	ब- केन्द्रीय क्षेत्र योजना		
12	11- वाणिज्यिक एवं उद्योग	4875-60-800-0801-705- औद्योगिक क्षेत्र संस्थानों मे विकास एवं निर्माण कार्य	2.70
13	13- कृषि	2401-119-0801-6893- राज्य उद्यानिकी मिशन	40.50
14	19- **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**	2210-06-800-0801-1801- टी.सी.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री एवं उपकरणों की लागत	10.17
15	19- **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**	2211-800-0801-2498- परम्परागत गर्भनिरोधकों की आपूर्ति	10.00

16	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106- विश्वव्यापक प्रतिरक्षण	15.00
17	41- **आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना**	14- कृषि विभाग 2401-796-119-0802-6893- राज्य उद्यानिकी मिशन	2.17
18	55- **महिला एवं बाल विकासे**	2236-02-101-0801-8743- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	60.00
19	55- **महिला एवं बाल विकासे**	4235-02-102-0801-5357- सी.डी.पी.ओ.कार्यालय सह गोदाम (विदेशी सहायता प्राप्त) का निर्माण	6.28
20	64- **अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना**	14- कृषि विभाग 2401-789-119-0803-6893- राज्य उद्यानिकी मिशन	7.33
21	66- **पिछड़े वर्गो का कल्याण**	2225-03-277-0801-2676- मेट्रिकोत्तर छात्रवृति	2.00
		योग (ख)	**156.15**
	ग-निगम प्रवर्तित योजनाएं		
22	21- आवास एवं पर्यावरण	6217-02-001-0900-5244- काउंटर - मैग्नेट योजना के अंतर्गत सहायता	32.00
		योग (ग)	**32.00**
		महायोग (क+ख+ग)	**299.27**

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः कंण्डिका 2.3.1 पृष्ठ 41)

योजनाओ के अंतर्गत सारभूत आधिक्यों वाले प्रकरण

(करोड़ रूपयें में)

संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	क- राजस्व दत्तमत			
1	07- वाणिज्यक कर	2030-02-102-2455- गैर न्यायिक टिकटों के विक्रय पर व्यय	6.14	102.3
2	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-748- औषधालय	11.70	166.4
3	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-859- कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	9.95	122.8
4	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25- आदिमजाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-8832- आश्रमों/छात्रावासों का सशक्तीकरण	16.08	268
5	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे राहत पर व्यय	2245-01-101-7102- तहसीलदारो के माध्यम से राहत कार्यों का कार्यान्वयन	22.25	818
6	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-80-799-1051- स्कंध	12.09	151.1
7	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	2216-80-001-2300- निर्देशन एवं प्रशासन	5.53	55334
8	95- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा छोड़कर)	2202-02-109-6866- हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवनों का रख रखाव	16.47	549
		योग (क)	**100.21**	
	ख- राजस्व भारित			
9	*- ब्याज भुगतान और ऋण सेवा*	*2049-01-101-6767-5.85% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2015*	*46.80*	*363.6*
10	*- ब्याज भुगतान और ऋण सेवा*	*2049-01-101-8301-12.50% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2004*	*5.18*	*34556*
11	*- ब्याज भुगतान और ऋण सेवा*	*2049-01-200-6904- हुडको से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज*	*42.87*	*सांकेतिक* प्रावधान*
		योग (ख)	**94.85**	
	(ग) पूंजीगत दत्तमत			
12	06- वित्त	6075-800-6787- प्रत्याभूत ऋणे के निपटारे हेतु प्रावधान	34.78	347.8
13	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-01-796-235-0102-8905- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निगम को प्रदत्त परियोजना का अंश	60.51	605100
14	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए	4701-01-211-1201-2884- नहर तथा अनुबद्ध कार्य	66.25	245
		योग (ग)		**161.54**
		महायोग (क+ख+ग)		**356.60**

* *सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य*

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ3 कंडिका 2.3.1 पृष्ठ 41)

योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचतों की राशि	बचतों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क- राजस्व दत्तमत			
1	06- वित्त	2070-797-6856- बैंको के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को संस्वीकृत ऋणों की वसूली	37.44	93.6
2	06- वित्त	2070-800-0101-224- अन्य व्यय	150.00	100
3	06- वित्त	2071-01-102-9998- मध्यप्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य के लिए	16.74	93
4	06- वित्त	2071-01-102-9999- मध्यप्रदेश के संयुक्त राज्य के लिये	31.12	88.9
5	07- वाणिज्यक कर	2030-01-001-0101-8808- सूचना तकनीकी से संबंधित कार्य	9.83	99.9
6	07- वाणिज्यक कर	2039-800-4034- विभाग द्वारा मदिरा की दुकानों का संचालन	22.44	90.5
7	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0101-5045- भू-कर सर्वेक्षण मानचित्रो का अंकीकरण	7.00	100
8	10- वन	2406-01-101-0101-6699- वन विकास उपकर निधि से व्यय	8.30	100
9	13- कृषि	2401-119-0701-1580- वृहद प्रबंधन योजना	7.24	100
10	13- कृषि	2401-119-0801-6893- राज्य उद्यानिकी मिशन	40.50	100
11	17- सहकारिता	2425-800-0701-6312- कृषि अनुपूरण का वृहद प्रबंधन	9.86	100
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-0801-859- कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	10.73	99.4
13	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-800-0801-1801- टी.सी.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री एवं उपकरणो की लागत	10.17	100
14	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-105-0801-4602 बंध्याकरण	23.62	98.4
15	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498- पारंपरिक गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	10.00	100
16	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106- विश्वव्यापी प्रतिरक्षण	15.00	100

17	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0101-2498- पारंपरिक गर्भनिरोधकों की आपूर्ति	10.00	100
18	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0101-4245- मलेरिया	10.00	100
19	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0101-6106- विश्वव्यापी प्रतिरक्षण	15.00	100
20	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-799-001- स्कंध	6.43	80.4
21	21- आवास एवं पर्यावरण	2216-02-103-0101-6908- गुजरात बाढ़ पीडितों के लिये गृह निर्माण हेतु मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को सहायता	5.00	100
22	29- विधि एवं विधायी मामले	2015-105-4311- लोक सभा चुनाव कराने के लिए प्रभार	20.12	95.8
23	29- विधि एवं विधायी मामले	2015-108-9503- मत दाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	8.69	80.8
24	30- ग्रामीण विकास	2515-800-0801-7886- मध्याह्न भोजन सामग्री का परिवहन	45.66	97.9
25	39- खाद्य, नामरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-3248- खाद्यानों की प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारिता विपणन संघ को हानियों की पूर्ति करना	6.90	86.3
26	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	07- राजस्व विभाग 2029-796-800-0102-8850- पट्टे पर भूमिहिनों को आवंटन करने के लिये निजि भूमी के क्रय हेतु योजना	9.58	95.8
27	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	14- कृषि विभाग 2401-796-110-0102-8792- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	8.00	86.8
28	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-796-110-0102-7892- चिकित्सा गारंटी योजना	10.50	100
29	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-03-796-103-0102-2779- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14.42	100
30	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0102-8849- अनुसूचित जाति क्षेत्रीय योजना के लिए एक मुश्त प्रावधान	18.12	90.6
31	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	50- महिला एवं बाल विकास विभाग 2236-02-796-101-0702-414- आदिम जाति क्षेत्रों मे विशेष पोषण कार्यक्रम	15.58	100

32	48- नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-0101-6818- सरदार सरोवर परियोजना मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को विक्रय, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	15.00	100
33	48- नर्मदा घाटी विकास	2801-80-800-6811- इन्द्रा सागर परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन विद्युत मण्डल को म.प्र. राज्य (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण)की बिजली का विक्रय	516.66	100
34	55- महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0801-8743- प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	60.00	100
35	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2215-01-102-4379- समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति	5.00	100
36	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-102-2661- पेय जल की आपूर्ति	40.13	80.3
37	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	07- राजस्व विभाग 2029-789-800-0103-8850- पट्टे पर भूमिहीनों को आवण्टन के लिये निजी भूमि के क्रय हेतु योजना	9.70	97.0
38	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	14- कृषि विभाग 2401-789-119-0803-6893- राज्य उद्यानिकी मिशन	7.33	100
39	64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-789-110-0103-7892- चिकित्सा गारंटी योजना	7.34	100
40	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-03-789-103-0103-1228- ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	5.25	100
41	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-03-789-103-0103-2779- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.00	100
42	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-03-789-103-0103-6159- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	5.49	100
43	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	20- शालेय शिक्षा विभाग सतत 2202-01-789-101-0703-7420- शिक्षा कार्यक्रम	5.90	93.9
44	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	50- महिला एवं बाल विकास 2236-02-789-101-0703-2179- सतत शहरी गंदी बस्तियों के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम	24.00	100

45	82- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय-सहायता त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाये	58- ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-796-102-0102-8743- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	6.54	100
		योग(क)	**1327.33**	
	प्रभारित राजस्व			
46	-- ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2017	46.80	100
47	-- ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3087- भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज	59.94	93.7
48	-- ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3089- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रोकड़ शेष में कमी की पूर्ति करने के लिये अर्थोपाय पेशगियों पर ब्याज	20.00	100
49	-- ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-200-6848- निगम/बोर्ड के व्यक्तिगत जमा खातों पर ब्याज	10.00	100
50	-- ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-03-104-4033- विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	16.09	91.9
51	-- ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-03-104-807- कामगारों की अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज	5.67	88.7
		योग(ख)	**158.5**	
	पूँजीगत दत्तमत			
52	01- सामान्य प्रशासन	4059-01-051-0101-6925- नई दिल्ली मे प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	6.00	100
53	06 - वित्त	6075-800-6788- सरकारी उपक्रमों तथा अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी किये गये एस.एल.आर. बंधपत्रों के निपटारे के लिये प्रावधान	5.00	100
54	12- ऊर्जा	4801-06-190-0701-6869- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	32.40	100
55	12- ऊर्जा	6801-800-0101-6454- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	8.00	100
56	12- ऊर्जा	6801-800-0101-8743- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	10.50	100
57	17- सहकारिता	4425-107-0101-2753- प्राथमिक कृषि उधार (क्रेडिट)/कृषक सेवा/वृहद स्तर पर बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की अंशपूंजी मे निवेश	9.97	373.4*
58	21- आवास एवं पर्यावरण	6217-02-001-0900-5244- काउन्टर मैग्नेट योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सहायता	32.00	100
59	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास - नगरीय निकाय	4217-04-052-1201-7905- चार नगरपालिका निगमों की आधारभूत सुविधाओं का विकास	30.00	100

60	23- लोक निमाण कार्य-सड़के एवं पुल	4701-03-800-0101-2304- निर्देशन एवं प्रशासन	22.06	100
61	24- लोक निमाण कार्य-सड़के एवं पुल	5054-03-101-0101-4149- बड़े पुलो का निर्माण	8.61	86.1
62	24- लोक निमाण कार्य-सड़के एवं पुल	5054-03-337-0101-4090- विशेष मरम्मत	10.30	100
63	24- लोक निमाण कार्य-सड़के एवं पुल	5054-04-337-0101-4090- विशेष मरम्मत	23.09	100
64	24-लोक निमाण कार्य-सड़के एवं पुल	5054-04-800-0101-7087- स्तरोन्नयन डामरीकरण तथा नवीकरण	25.00	100
65	24- लोक निमाण कार्य-सड़के एवं पुल	5054-80-800-0101-6841- मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	6.00	100
66	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-794-102-0602-5211- एकीकृत आदिमजाति विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	9.26	91.8
67	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-6859- शैक्षणिक संस्थाओं (नाबार्ड) के लिये भवनों का निर्माण	8.23	100
68	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-01-796-235-0102-9091- ओमकारेश्वर परियोजना	116.13	96.3
69	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-01-796-800-0102-5091- भारत सरकार की लघु परियोजना	8.13	87.0
70	42- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	19- लोक निर्माण विभाग 5054-03-796-101-0102-4149- मुख्य निर्माण कार्य	5.12	94.3
71	42- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल	19- लोक निर्माण विभाग 5054-04-796-800-0102-7081- राज्य राजमार्गों/ मुख्य जिला सड़को का नवीकरण, स्तरोन्नयन एवं डामरीकरण	10.00	100
72	45- लघु सिंचाई कार्य	4702-101-0701-3803- लघु एवं अतिलघु सिंचाई योजनाएं	12.42	100
73	45- लघु सिंचाई कार्य	4702-800-0101-2304- निर्देशन एवं प्रशासन	19.25	100
74	48- नर्मदा घाटी विकास	4701-80-800-0101-6399- इंदिरा सागर परियोजना इकाई-1	8.28	100
75	55- महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0701-5360- आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	17.6	95.0

76	55- महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0801-5357- सी.डी.पी.ओ. कार्यालय एवं गोदामों का निर्माण (विदेशी सहायता प्राप्त)	6.28	100
77	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-253-1201-6825- सेवा प्रदाता सिंचाई एवं जल निकासी संस्थान-जल संसाधन विभाग	12.35	96.1
78	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-253-1201-6826- 5 नदी क्षेत्रों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में संशोधन-कृषि विभाग	6.25	98.2
79	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-253-1201-6831- 5 नदी क्षेत्रों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजना की उत्पादकता में संशोधन - जल संसाधन विभाग	80.83	90.1
80	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	19- लोक निर्माण विभाग- 5054-04-789-800-0103-7081- राज्य राजमार्गों/मुख्यजिला सड़कों का नवीकरण स्तरोन्नयन एवं डामरीकरण	5.00	100
81	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-7094- जेल सुधार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य	28.04	100
82	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-0101-2304 निर्देशन एवं प्रशासन	9.14	100
83	76- लोक निर्माण कार्य से संबंधित नाबार्ड एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5054-04-800-0101-6657- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत जिला डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण	12.75	100
84	78- नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4801-01-203-0101-6401- इंदिरा सागर नहर तल विद्युत गृह	24.93	99.7
		योग (ग)	**628.48**	
	घ- पूंजीगत प्रभारित			
85	- लोक ऋण	6003-110-637- अर्थोपाय अग्रिम	5000.00	100
86	- लोक ऋण-	6003-110-779- कमी की पूर्ति के लिये अग्रिम	2500.00	100
		योग (घ)	**7500.00**	
		महायोग (क+ख+ग+घ)	**9614.31**	

* ऋणात्मक व्यय के कारण

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भःकंडिका 2.3.2 पृष्ठ 41)

सतत बचतों के प्रकरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.स	अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बचत की राशि (कोष्ठकों मे बचत का प्रतिशत)		
		2003-04	2004-05	2005-06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क-राजस्व दत्तमत			
1.	01- सामान्य प्रशासन	18.38 (21.8)	28.52 (23.2)	23.52 (23.7)
2	17- सहकारिता	16.90 (34.3)	10.74 (23.1)	18.79 (35.2)
3	21- आवास एवं पर्यावरण	22.13 (42.5)	11.63 (26.3)	10.60 (22.7)
4	25- खनिज संसाधन	2.80 (29)	2.59 (24.9)	2.88 (26.2)
5	29- वेधि एवं विधायी मामले	60.11 (32.3)	79.24 (35.5)	63.50 (33.5)
6	48- नर्मदा घाटी विकास	3.97 (43.1)	7.03(63.7)	538.57 (99.6)
7	51- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	2.10 (20.8)	2.08 (21.2)	2.38 (23.2)
8	55- महिला एवं बाल विकास	89.74 (27.9)	102.36 (30.7)	140.50 (37.2)
9	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना	118.07 (29.4)	82.96 (22.6)	135.30 (26.5)
10	71- जैविक विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	4.61 (92.2)	1.39 (63.2)	3.37 (69.1)
11	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेशों सहायता प्राप्त परियोजनायें	22.17 (100)	5.00 (100)	2.00 (100)
12	93- त्वरित ऊर्जा विकास से संबंधित व्यय	28.98 (55.2)	69.07 (93.2)	62.39 (73.5)
	ख- राजस्व प्रभारित			
13	06- वित्त	1.51 (88.8)	2.18 (82.3)	2.56 (91.8)
	ग-पूंजीगत दत्तमत			
14	07- वाणिज्यक कर	6.38 (62.9)	1.23 (81.5)	1.34 (61.2)
15	17- सहकारिता	53.53 (48.3)	18.30 (45.5)	15.67 (34.3)
16	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	14.13 (100)	3.69 (36.7)	7.20 (51.9)
17	42- आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के एवं पुल	34.85 (36.1)	48.75 (47.3)	51.70 (28)
18	45- लघु सिंचाई कार्य	19.61 (53.2)	20.02 (52.4)	24.14 (30.5)
19	55- महिला एवं बाल विकास	14.42 (55.7)	11.46 (46.6)	23.74 (96)
20	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना	39.88 (21.3)	83.57 (35.1)	80.75 (26)
21	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	29.94 (54.6)	32.14 (46.1)	35.38 (44.7)
22	87- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	7.75 (81.6)	3.24 (48.7)	4.67 (46.4)
23	93- त्वरित ऊर्जा विकास से सबंधित व्यय	28.98 (55.2)	69.07 (93.2)	62.39 (73.5)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.5 पृष्ठ 42)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम विनियोग	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A- राजस्व-दत्तमत				
1.	01- सामान्य प्रशासन	90.75	8.69	75.92	23.52
2.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय	17.52	0.50	14.77	3.25
3.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.49	0.27	9.44	1.32
4.	05- जेल	67.41	3.60	67.01	4.00
5.	06- वित्त	1786.72	100.06	1713.86	172.92
6.	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	332.79	10.88	299.49	44.18
7	09- राजस्व विभाग से सबंधित व्यय	23.38	0.50	19.49	4.39
8.	11- वाणिज्य एवं उद्योग	40.71	8.32	38.56	10.47
9.	13- कृषि	298.75	43.44	230.42	111.77
10.	14- पशु पालन विभाग	157.19	9.20	146.89	19.50
11.	16- मछलीपालन	11.93	0.48	10.33	2.08
12.	17- सहकारिता	49.06	4.37	34.64	18.79
13	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	607.68	72.92	600.85.	79.75
14.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	253.47	8.51	235.61	26.37
15	21- आवास एवं पर्यावरण	37.13	9.60	36.13	10.60
16.	23- जल संसाधन विभाग	281.87	18.20	276.97	23.10
17.	25- खनिज संसाधन	10.35	0.64	8.11	2.88
18.	28- राज्य विधानमंडल	24.99	2.09	22.57	4.51
19.	29- विधि एवं विधायी मामले	187.10	2.50	126.09	63.51
20.	31- योजनाकरण, अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी	25.45	0.67	18.80	7.32
21.	34- सामाजिक कल्याण	27.85	0.28	25.07	3.06
22.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	65.10	10.30	57.66	17.74
23.	44- उच्च शिक्षा	336.41	4.17	304.87	35.71
24.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	58.45	0.05	51.82	6.68
25	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	118.16	2.67	96.94	23.89
26.	48- नर्मदा घाटी विकास	540.63	0.04	2.11	538.56
27.	49- अनुसूचित जाति कल्याण	44.43	0.52	41.64	3.31
28.	55- महिला एवं बाल विकास	367.69	2.83	230.02	140.50
29.	62- पंचायत	46.97	0.56	45.15	2.38

30	64- अनूसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	445.47	64.46	374.63	135.30
31.	72- गैस दुर्घटना राहत तथा पुनर्वास	25.30	0.46	22.66	3.10
32	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	186.27	6.34	181.44	11.17
	योग (क)	**6577.47**	**398.12**	**5419.96**	**1555.63**
	ख- राजस्व-प्रभारित				
33	*01- सामान्य प्रशासन*	*6.54*	*0.68*	*6.24*	*0.98*
34	*06- वित्त*	*2.77*	*0.02*	*0.23*	*2.56*
35	*10- वन*	*13.29*	*1.00*	*13.19*	*1.10*
36	*13- कृषि*	*0.25*	*0.06*	*0.18*	*0.13*
37	*29- विधि एवं विधायी मामले*	*21.48*	*1.29*	*20.40*	*2.37*
	योग (ब)	**44.33**	**3.05**	**40.24**	**7.14**
	C- पूंजीगत-दत्तमत				
38	01- सामान्य प्रशासन	0.10	6.00	-निरंक-	6.10
39	07- वाणिज्यक कर	1.35	0.84	0.85	1.34
40	16- मछली पालन	-निरंक-	4.82	-निरंक-	4.82
41	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	32.80	1.50	32.14	2.16
42	21- आवास एवं पर्यावरण	51.03	11.01	29.74	32.30
43	23- जल संसाधन विभाग	504.47	2.87	400.89	106.45
44	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	417.32	21.00	383.19	55.13
45	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	12.06	1.82	6.68	7.20
46	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	578.30	88.67	474.67	192.30
47	42- आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	174.11	10.51	132.92	51.70
48	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	55.79	23.45	55.10	24.14
49	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	166.74	3.49	120.54	49.69
50	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0.66	15.64	-निरंक-	16.30
51	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 284.31	284.31	26.43	229.90	80.75
52	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	46.29	32.91	43.82	35.38
53	72- गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	3.51	2.00	2.17	3.34
54	75- जल संसाधन विभाग विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	169.14	0.40	123.58	45.96
55	76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित नाबार्ड एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	257.02	4.50	243.06	18.46

56	78- नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	171.28	71.47	160.50	82.25
57	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	16.23	0.35	4.30	12.28
	योग (ग)	**2942.51**	**329.68**	**2444.14**	**828.05**
	महायोग (क+ख+ग)	**9564.31**	**730.85**	**7904.34**	**2390.82**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः कंडिका 2.3.5 पृष्ठ 42)

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान /विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क- राजस्व-दत्तमत				
1.	03- पुलिस	979.17	51.57	987.51	43.23
2.	07- वाणिज्यक कर	368.00	34.81	378.20	24.61
3.	10- वन	487.04	60.49	501.32	46.21
4.	12- ऊर्जा	1616.76	509.01	1929.01	196.76
5.	15- अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष संघटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	254.49	63.45	272.67	45.27
6.	18- श्रम	43.59	6.48	44.27	5.80
7.	26- संस्कृति	17.65	3.84	19.86	1.63
8	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	1478.32	151.28	1556.65	72.95
9	30- ग्रामीण विकास	255.16	48.86	268.31	35.71
10	32- लोक संबंध	42.82	3.09	43.21	2.70
11	36- परिवहन	26.50	8.33	29.00	5.83
12	37- पर्यटन	5.23	1.15	5.79	0.59
13	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	665.33	163.67	700.50	128.50
14	43- खेलकूद एवं युवा कल्याण	8.48	2.96	10.00	1.44
15	52- कृषि विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	3.58	1.62	4.68	0.52
16	53- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	16.15	12.41	25.89	2.67
17	56- ग्रामीण उद्योग	19.12	5.81	23.50	1.43
18	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	241.71	295.95	421.81	115.85
19	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	2.28	12.42	14.25	0.45
20	65- विमान उड्यन	5.13	0.51	5.43	0.21
21	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	86.02	37.69	119.88	3.83
22	69- सूचना प्रौद्योगिकी	0.84	34.17	34.66	0.35
23	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	874.91	201.53	1036.03	40.41
24	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	994.63	119.86	1077.86	36.63
25	82- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय-सहायता त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थायें	365.85	143.44	478.84	30.45
26	83- आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	10.08	9.94	17.80	2.22

27	95- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	371.22	26.74	385.46	12.50
28	96- 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित व्यय	-निरंक-	23.00	19.29	3.71
	- योग (क)	**9240.06**	**2034.08**	**10411.68**	**862.46**
	ख- पूँजीगत-भारित				
29	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	0.92	21.56	20.01	2.47
30	11- वाणिज्य एवं उद्योग	11.91	103.22	112.22	2.91
31	12- ऊर्जा	998.82	3845.00	4726.56	117.26
32	17- सहकारिता	28.36	17.27	29.95	15.68
33	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	144.32	100.27	237.72	6.87
34	26- संस्कृति	-निरंक-	1.35	1.20	0.15
35	37- पर्यटन	21.53	5.20	25.02	1.71
36	48- नर्मदा घाटी विकास	733.37	524.99	942.51	315.85
37	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.70	7.20	4.81	5.09
38	96- 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित व्यय	-Nil-	4.60	2.48	2.12
	योग (ब)	**1941.93**	**4630.66**	**6102.48**	**470.11**
	महायोग (क+ख)	**11181.99**	**6664.74**	**16514.16**	**1332.57**

अतिरिक्त आवश्यकता : - 16514.16 करोड़ रुपए (-) 11181.99. करोड़ रुपए = 5332.17 करोड़ रुपए

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः कंडिका 2.3.5 पृष्ठ 42)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क-राजस्व दत्तमत				
1	24- लोक निर्माण कार्य-सड़के एवं पुल	140.07	147.59	295.41	7.75
2.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	202.01	6.04	208.65	0.60
	योग (क)	**342.08**	**153.63**	**504.06**	**8.35**
	ख- पूंजीगत-दत्तमत				
3	06- वित्त	267.47	264.00	558.43	26.96
	योग (ख)	**267.47**	**264.00**	**558.43**	**26.96**
	महायोग (क+ख)	**609.55**	**417.63**	**1062.49**	**35.31**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः कण्डिका 2.3.6 पृष्ठ 43)

अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियों का अविवेक पूर्ण आहरण किया गया, यद्यपि लेखे में प्रावधान से अधिक व्यय पहले ही दर्शाया गया था।

(करोड रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व अधिक्य	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अंतिम अधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	07-वाणिज्यिक कर 2030-02-102-2455-गैर न्यायिक मुद्रांकों की ब्रिकी पर व्यय	6.00	12.14	6.14	1.64	7.78
2.	07- वाणिज्यिक कर 2039-104-4173- स्पिरिट का क्रय	26.00	33.66	7.66	1.36	9.02
3.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-03-103-0101-2777 प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र	76.46	103.32	26.86	2.04	28.90
4	23- जल संसाधन 2701-80-799-0101-1051-भंडार	4.50	6.22	1.72	1.96	3.68
5	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 50- महिला एवं बाल विकास विभाग 2236-02-796-101-0102-414- आदिमजाति क्षेत्रों मे विशेष पोषण कार्यक्रम	16.37	21.77	5.40	2.28	7.68
6	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता 2202-01-103-0101-2669- स्थानीय निकायों के संधारण अनुदान-ग्रामीण एवं शहरी	27.06	36.27	9.21	10.64	19.85

(ख) कुछ ऐसे प्रकरण जिनमे उपलब्ध बचत की तुलना मे पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा अधिक निधियाँ आहरित की, परिणामस्वरूप 10 लाख रुपए से अधिक का अंतिम अधिक्य

(करोड रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग /अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06-वित्त 2047-103-2696- प्रचार	32.79	21.07	11.72	13.90	2.18
2.	06- वित्त 6075-800-6842- राज्य शासन के उपक्रमो के पुनः स्थापन हेतु ऋण सहायता	450.00	449.54	0.46	30.00	29.54
3.	12- उर्जा 2801-02-800-7023- म.प्र. राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्ती कंपनियों को वित्तीय सहायता	661.00	473.34	187.66	187.81	0.15

4.	15- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तिय सहायता 20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103-4398- सरकारी प्राथमिक विद्यालय	15.53	8.82	6.71	6.94	0.23
5	19- लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण 2210-01-110-7892- चिकित्सा गांरटी योजना	17.84	11.73	6 11	15.37	9.26
6.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-03-103-2779- प्रारंभिक चिकित्सा केन्द्र	19.42	16.34	3 08	14.51	11.43
7.	19- लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण 2211-101-080 -621- अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	78.70	62.32	16 38	17.24	0.86
8.	19- लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण 2211-105-0801-4602- बध्याकरण	24.00	0.38	23.62	24.00	0.38
9.	19- लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण 4210-01-110-0101-7648- चिकित्सालयो एवं औषधालायों हेतु भवनों का निर्माण	20.00	12.31	7.69	10.00	2.31
10.	21- आवास एवं पर्यावरण 2217-01-001-0101-6755- तालाबो का नवीनीकरण/ सौंदर्यीकरण	5.01	2.50	2.51	4.86	2.35
11.	23- जल संसाधन विभाग 2701-01-800-5422- बांध सुरक्षा कार्य	2.00	0.42	1.58	1.75	0.17
12.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल 5054-04-800-0101-1513- जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	9.15	7.95	1.20	3.49	2.29
13.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल 5054-04-800-0101-2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	10.00	3.99	6.01	6.62	0.61
14.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202-02- 10-0101-3491- माध्यमिक विद्यालय	17.51	15.43	2.08	2.42	0.34
15.	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय	8.47	7.18	1.29	1.72	0.43
16.	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 3475-106-6112- मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	5.31	3.66	1.65	1.84	0.19
17.	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4210-02-796-103-0102-1209-ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	8.07	6.18	1.89	4.00	2.11
18.	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 25- आदिमजाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0802-6500- विशेष पिछडी जातियों का विकास	3.28	2.64	0.64	1.05	0.41

19	41- आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना 25- आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-794-800-0602-5211- एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं का स्थानीय विकास कार्यक्रम	13.48	10.15	3.33	12.61	9.28
20	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-01-796-235-0102-9091-ओमकारेश्वर परियोजना	120.59	4.45	116.14	119.37	3.23
21	48-नर्मदा घाटी विकास 4801-80-800-0101-4406-सरदार सरोवर के डूब में आये क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर व्यय	215.83	143.33	72.50	92.75	20.25
22	55- महिला एवं बाल विकास 2235-02-102-0801-5354-एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त योजना)	94.68	70.76	23.92	24.05	0.13
23.	55- महिला एवं बाल विकास 2235-02-102-0801-5355- एकीकृत बाल विकास कार्यब्रह्म के अंतर्गत आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)	8.69	3.60	5.09	5.72	0.63
24.	55- महिला एवं बाल विकास 2236-02-101-0101-9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण कार्यक्रम	72.12	61.83	10.29	12.20	1.91
25	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर राहत पर व्यय 2245-01-101-8874- सूखा राहत एवं रोजगार हेतु अतिरिक्त प्रावधान	90.00	73.28	16.72	22.94	6.22
26	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर राहत पर व्यय 2245-02-101-747- ओला पीड़ितों को राहत	25.00	22.28	2.72	9.03	6.31
27	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना 20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0703-7420- सतत् शिक्षा कार्यक्रम	6.28	0.38	5.90	6.01	0.11
28	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना 50-महिला एवं बाल विकास 2236-02-789-101-0103-2179- शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष पोषण कार्यक्रम	24.00	12.96	11.04	11.34	0.30
29	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना 55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-7560- विशेष संघटक योजना के लिये एक मुश्त प्रावधान	15.00	6.28	8.72	8.83	0.11

30	64- अनुसूचित जातिचयों के लिये विशेष संघटक योजना 55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0703-1400- आश्रम एवं छात्रावास भवन	24.05	11.99	12.06	12.22	0.16
31	76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित नाबार्ड एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं 5054-03-101-0101-6589- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत बड़े पुलों का निर्माण	33.69	27.11	6.58	8.19	1.61
32	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता 2202-01-103-0101-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन हेतु अनुदान	230.61	228.90	1.71	6.28	4.57

(ग) उपलब्ध बचत के बावजूद निधियों का अनावश्यक आवर्धन

(करोड रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	58- प्राकृतिक आपदाओ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रो पर राहत पर व्यय 2245-02-101-2018- नगद सहायता	25.00	18.80	6.20	14.00	20.20
2	58- प्राकृतिक आपदाओ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रो पर राहत पर व्यय 2245-80-800-8030- अन्य कार्यों के पुनःस्थापन हेतु सहायता	13.29	3.01	10.28	45.00	55.28

(घ) अधिक व्यय/आधिक्य को पूरा करने हेतु वांछित राशि से अधिक पुनर्विनियोग द्वारा आवर्धित निधियाँ

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान एवं लेखा शीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा 2049-01-200-6235-राष्ट्रीय पूँजी क्षेत्र योजना बोर्ड से ऋण पर ब्याज	4.85	5.75	0.90	3.45	2.55
2	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा 2049-01-200-6973- स्थानीय जमा निधियों पर देय ब्याज	सांकेतिक	0.86	0.86	6.00	5.14
3	लोक ऋण 6003-108-3751- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	25.00	43.01	18.01	20.28	2.27
4	07- वाणिज्यिक कर 2039-001-123- अधीक्षण	213.10	227.20	14.10	45.42	31.32

5	13- कृषि 2401-109-0701-6891- राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान	सांकेतिक	0.95	0.95	1.11	0.16
6	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-001-2283- निर्देश एवं प्रशासन	11.20	13.83	2.63	4.72	2.09
7	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-110-1473- जिला चिकित्सालय	96.57	134.29	37.72	41.34	3.62
8	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 4210-02-103-0101-7871- आधारभूत सेवाओं हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	8.00	12.92	4.92	10.00	5.08
9	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 2215-01-101-545- राज्य के जल प्रबंध निर्माण कार्यों की स्थापना तथा संधारण	33.58	35.35	1.77	2.04	0.27
10	23- जल संसाधन विभाग 2701-01-203-2894- बाँध एवं नहरें	8.48	9.26	0.78	1.33	0.55
11	23- जल संसाधन विभाग 4701-01-203-0101-2884- नहरें एवं अनुबद्ध कार्य	75.59	83.82	8.23	12.50	4.27
12	24- लोक निर्माण कार्य-सड़के एवं पुल 5054-03-101-0101-6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	1.28	2.27	0.99	2.00	1.01
13	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 17- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4210-02-796-104-0102-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उपस्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	Token	1.19	1.19	4.00	2.81
14	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 25- आदिमजाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-2773- प्राथमिक विद्यालय	33.28	37.80	4.52	5.47	0.95
15	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 25-आदिमजाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-8832- छात्रावासों/आश्रमों का सशक्तिकरण	6.00	22.08	16.08	16.48	0.40
16	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-03-796-201-0102-5223- मुख्य परियोजना (नाबार्ड)	1.72	3.41	1.69	2.11	0.42
17	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-03-796-202-0102-4647- जोबट परियोजना (नाबार्ड)	16.80	21.61	4.81	4.97	0.16
18	44- उच्च शिक्षा 2202-03-102-0101-1565- चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	2.20	2.95	0.75	1.30	0.55
19	44- उच्च शिक्षा 2202-03-102-1437- जबलपुर विश्वविद्यालय	6.88	7.71	0.83	1.51	0.68

20	44- उच्च शिक्षा 2202-03-102-1561- इंदौर विश्वविद्यालय	6.95	7.82	0.87	1.57	0.70
21	44- उच्च शिक्षा 2202-03-102-3939- विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	7.00	7.71	0.71	1.41	0.70
22	44- उच्च शिक्षा 2202-03-102-4460- सागर विश्वविद्यालय	13.10	15.33	2.23	3.54	1.31
23	79-चिकित्सकीय शिक्षा 2210-01-110-0101-1353- चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय	41.14	41.69	0.55	2.30	1.75
24	82- आदिमजाति उपयोजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओ को वित्तीय सहायता 25-आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना 2225-02-796-277-0102-1392- छात्रवृति एवं वजीफा	8.50	12.21	3.71	3.85	0.14
25	95- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) 2202-02-109-6866- हाईस्कूल एवं हायर सेकेंड्री स्कूल भवनों का रख रखाव	3.00	19.47	16.47	17.00	0.53

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ कंडिका 2.3.7.(अ) पृष्ठ 43)

महत्वपूर्ण बचतो का अभ्यर्पण न करना (5 करोड़ रुपए एवं अधिक)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि (कोष्ठको में कुल बचत का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
	क - राजस्व दतमत्त		
1.	01- सामान्य प्रशासन	23.52	12.90 (54.9)
2.	06- वित्त	172.92	158.83 (91.9)
3.	07- वाणिज्यिक कर	24.61	22.61 (91.9)
4	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	44.18	44.10 (99.8)
5	10- वन	46.21	26.39 (57.1)
6.	11- वाणिज्य एवं उद्योग	10.47	10.47 (100)
7.	13- कृषि	111.77	111.77 (100)
8.	14- पशुपालन विभाग	19.50	9.01 (46.2)
9	15- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता	45.27	15.18 (33.5)
10	17- सहकारिता	18.79	18.79 (100)
11	19- लेक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	79.76	28.73 (36)
12.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	26.37	26.37 (100)
13	21- आवास एवं पर्यावरण	10.60	5.79 (54.6)
14	23- जल संसाधन विभाग	23.10	18.67 (80.8)
15	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	72.95	21.95 (30.1)
16.	29- विधि एवं विधायी कार्य	63.50	25.21 (39.7)
17.	31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	7.32	7.32 (100)
18.	33- जनजाति कल्याण	17.37	13.17 (75.8)
19.	36- परिवहन	5.83	5.83 (100)
20.	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	128.50	54.00 (42)
21	44- उच्च शिक्षा	35.71	35.71 (100)
22	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	23.90	9.36 (39.2)
23.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे राहत पर व्यय	115.85	115.85 (100)
24.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक	135.30	40.36 (29.8)
25.	79- चिकित्सा आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे राहत पर व्यय	11.18	5.40 (48.3)
26.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	40.41	16.44 (40.7)
27	82- आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30.46	16.88 (55.4)
	योग (अ)	**1345.35**	**877.09 (65.2)**
	ख- राजस्व प्रभारित		
28	- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	781.03	781.01 (100)
	योग(ब)	**781.03**	**781.01 (100)**

	ग- पूंजीगत दत्तमत		
29	03- पुलिस	72.81	46.08 (63.3)
30	17- सहकारिता	15.67	15.67 (100)
31	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6.87	6.87 (100)
32	23- जल संसाधन विभाग	106.45	62.64 (58.9)
33	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	7.20	7.20 (100)
34	36- परिवहन	22.52	22.52 (100)
35	41- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	192.30	42.55 (22.1)
36	42- आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़के एवं पुल	51.70	41.13 (79.6)
37	45- लघु सिंचाई कार्य	24.14	21.38 (88.6)
38	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	49.70	47.61 (95.8)
39	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रो पर राहत पर व्यय	16.30	16.30 (100)
40	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना	80.75	24.77 (30.7)
41	66- पिछड़े वर्ग का कल्याण	5.09	5.09 (100)
42	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	35.38	35.38 (100)
43	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	45.96	32.53 (70.8)
	योग(ग)	**732.84**	**427.72 (58.4)**
	घ- पूंजीगत प्रभारित		
44	लोक ऋण	7577.46	7577.46 (100)
	योग(घ)	**7577.46**	**7577.46 (100)**
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**10436.68**	**9663.28 (92.6)**

परिशिष्ट 2.10

संदर्भः कंडिका 2.3.8 पृष्ठ 43)

अविवेकपूर्ण/अवास्तविक अभ्यर्पणों के प्रकरण

(क) उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि वाले प्रकरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
	क- राजस्व दत्तमत		
1	03- पुलिस	43.23	47.75
2	12- ऊर्जा	196.76	196.91
3	22- नगर प्रशासन एवं विकास-नगर निकाय	4.04	4.06
4	30- ग्रामीण विकास	35.71	37.88
5	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	17.74	18.13
6	49- अनुसूचित जाति कल्याण	3.31	4.58
7	50-20 सूत्रीय कार्यान्वयन	0.70	0.74
8	55- महिला एवं बाल विकास	140.50	142.09
9	81- नगर निकायों को वित्तीय सहायता	36.63	38.32
10	95- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	12.50	13.24
	योग(क)	**491.12**	**503.70**
	ख- पूंजीगत दत्तमत		
11	24- लोक निर्माण कार्य-सड़के एवं पुल	55.13	74.22
12	48- नर्मदा घाटी विभाग	315.85	325.58
13	76- लोक निर्माण कार्य से संबंधित नाबार्ड एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	18.46	19.94
	योग(ख)	**389.44**	**419.74**
	ग- पूंजीगत प्रभारित		
14	41- आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	0.07	0.10
	योग(ग)	**0.07**	**0.10**
	महायोग (क+ख+ग)	**880.63**	**923.54**

(ख) **प्रकरण जिनमे प्रावधान से अधिक आधिक्य होने के बाद भी राशि अभ्यर्पित की गई।**

(करोड़ रुपए में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	प्रावधान पर आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
	क- राजस्व दत्तमत		
1	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	0.60	28.14
	योग (क)	**0.60**	**28.14**
	ख-पूंजीगत दत्तमत		
2	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2.27	3.33
	योग (ख)	2.27	3.33
	महायोग (क+ख)	2.87	31.47

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः कंडिका 2.3.9 पृष्ठ 43)

बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	व्यय की राशि
	क- पूंजीगत दत्तमत		
	06- वित्त	7610-202-5297- अन्य सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.13
	06- वित्त	7610-202-9085-अन्य सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.35
		योग(क)	**0.48**

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः कंडिका 2.4 पृष्ठ 44)

वर्ष 2005-06 के लिये मिलान नहीं किये गये व्यय के आँकड़े

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	लेखा का शीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान मिलान नहीं किये गये व्यय की राशि
1.	2.	3.	4.
1.	2053	8,50	4.33
2.	2202	27, 95	1044.52
3.	2211	19,41,64	256.19
4.	2217	53, 81	9.88
5.	2029	80	48.18
6.	2235	02	2.81
7.	2245	58	305.82
8.	2406	10,41,64, 96	32.13
9.	2425	17, 41, 64	8.85
10	4885	06	4.00
योग	मुख्य शीर्ष -10	अनुदान-15	**1716.71** कुल व्यय का **5.50** प्रतिशत

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भः कंडिका 2.5 पृष्ठ 44)

पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों के लिये दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

(करोड़ रुपए में)

स.क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओ का विवरण
1	25	04,08,09,11, 13,15,18,22, 26,36,41,45, 51,52,57,62, 64,80,82	248.35	वित्त वर्ष 2005-06 की समाप्ति के उपरांत संस्वीकृतियां जारी की गई।
2	9	05,06,15,20, 21,66,82,95	34.59	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी कार्यालय मे संस्वीकृतियों की विलंब से प्राप्ति अर्थात लेखाओ के बंद करने एवं अंतिम रूप देने के बाद
3	1	80	7.57	बज्ट के संबंधित शीर्ष मे बिना प्रावधानो के अभ्यर्पण
4	3	72,70.	0.07	पुनर्विनियोग द्वारा कार्यालय व्यय शीर्ष मे निधियों की वृद्धि।
5	1	-I P	3.60	एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग
6	3	41,64,3	1.49	बचतो की उपलब्धता के बिना अभ्यर्पण।
7	3	3,4,13	10.45	पुनर्विनियोग संस्वीकृतियां क्रम में नही हैं।
योग	**45**	**37**	**306.12**	

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भः कंडिका 2.6 पृष्ठ 44)

मार्च 2006 के दौरान व्यय की अत्यधिकता

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	अवधि तक व्यय			मार्च 2006 तक कुल व्यय	मार्च 2006 मे व्यय	कुल व्यय की तुलना मे मार्च के व्यय का प्रतिशत
			6/2005	9/2005	12/2005			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	11- वाणिज्यिक एवं उद्योग	164.27	7.34	19.27	29.45	150.85	113.00	74.9
2	12- ऊर्जा	7221.60	1100.73	1219.37	2008.09	6892.91	3675.48	53.3
3	37- पर्यटन	33.11	0.04	1.17	2.87	30.80	26.74	86.8
4	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे राहत पर व्यय	554.46	21.10	104.07	115.96	421.81	291.99	69.2
5	61- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें	58.37	0.03	0.03	8.03	23.03	15.00	65.1
6	69- सूचना तकनीकी	35.01	-निरंक-	2.93	3.82	34.66	30.84	89
7	71- जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	4.88	-निरंक-	-निरंक-	0.56	1.51	0.95	62.9
8	87- तकनीकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें	14.86	0.11	0.76	2.76	8.03	4.99	62.1
9	94- सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	9.00	0.06	(-)0.06	4.42	8.96	4.28	47.8
10	96- बारहवे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन वन विभाग से संबंधित व्यय	27.60	-निरंक-	-निरंक-	2.16	21.78	12.92	59.3

टिप्पणीः- अनुदान संख्या 11 एवं 96 के कॉलम (7) में दर्शाए गए व्यय में क्रमशः0.65 करोड़ रुपए एवं 4.00 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर 4.65 करोड़ रुपए की राशि समाविष्ट है जिसे 31 मार्च 2006 को मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 अन्य जमा में जमा किया गया ।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 46)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें

(करोड़ रुपए में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशत)		
		2005-06	2004-05	2003-04
	06- वित्त			
1.	2047-103-2696 प्रचार	11.72(35.7)	9.79(32.5)	2.44(10.0)
2.	2070-797-6856 बैंक द्वारा सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत कर्जों की वसूली	37.44(93.6)		--
3.	2070-800-0101-224 अन्य व्यय	150.00 (100)		--
4.	2071-01-102-9998 मध्यप्रदेश के उत्तरवर्ती राज्यों के लिये	16.74 (93.0)	24.35 (93.6)	--
5.	2071-01-102-9999 मध्यप्रदेश के संयुक्त राज्य के लिये	31.12 (88.9)	95.68 (95.7)	--
6.	2071-01-105-9998 मध्यप्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य के लिये	10.09 (20.0)	7.31 (15.3)	--
7.	2071-01-111-9999 मध्यप्रदेश के संयुक्त राज्यों के लियें	2.90 (54.3)	3.32 (62.2)	--
	15- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
8.	2202-01-789-101-0103-4398 सरकारी प्राथमिक विद्यालय	6.71(43.1)	3.51 (25.0)	2.95 (38.2)
9.	2215-02-789-107-0703-5206 ग्रामिण स्वच्छता कार्यक्रम	8.87(67.0)	7.37 (59.9)	0.22 (14.7)
10.	2225-01-789-277-0103-2952 लडकियों को स्कूल यूनिफार्म	3.88(82.7)	0.52(11.6)	0.32 (7.1)
11.	2216-03-789-102-0103-8743 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.20(100)	1.05 (47.8)	--
12.	2505-01-789-702-0703-6800 कार्य योना हेतु खाद्य पदार्थ	4.56(55.1)	0.32 (10.7)	--
	19- परिवार लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण			
13.	2210-01-110-7892 चिकित्सा गांरटी योजना	6.11(34.2)	--	--
14.	2210-01-110-0101-1493 जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अस्पतालों मे चिकित्सा सुवधाओं मे सुधार तथा विकास	2.65(23.2)	आधिक्य	आधिक्य
15.	2210-06-101-0701-4245 मलेरिया	2.16(44.1)	1.35 (35.0)	2.41 (54.0)
16.	2210-06-101-0801-859 कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	10.73 (99.4)	1.39 (13.5)	1.01 (11.5)
17.	2210-06-800-0801-1801 टी.सी.ए. कार्यक्रम के अधीन सामग्री एवं उपकरणों की लागत	10.17 (100)	10.17 (100)	9.73 (100)
18.	2211-001-0801-1508 जिला स्तर स्टाफ	3.82 (21.3)	2.93 (16.1)	आधिक्य
19.	2211-003-0801-336 सहायक नर्स, दाइयों एवं स्वास्थ्य परिचरों का प्रशिक्षण	3.24 (45.8)	2.24 (27.3)	1.48 (24.3)
20.	2211-101-0801-621 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	16.38 (20.8)	आधिक्य	20.13 (35.3)
21.	2211-105-0801-4602 बध्याकरण	23.62 (98.4)	3.08 (19.3)	1.29 (12.3)

22.	2211-800-0801-2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	10.00 (100)	10.00 (100)	7.00 (100)
23.	2211-800-0801-6106 व्यापक प्रतिरक्षण	15.00 (100)	15.00 (100)	10.00 (100)
24.	3606-237-0101-2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	10.00 (100)	10.00 (100)	--
25.	3606-237-0101-4245 मलेरिया	10.00 (100)	10.00 (100)	--
26.	3606-237-0101-6106- व्यापक प्रतिरक्षण	15.00 (100)	15.00 (100)	--
	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल			
27.	5054-03-101-0101-4149 बड़े पुलों का निर्माण	8.62(86.2)	आधिक्य	--
28.	5054-03-337-0101-4090 विशेष मरम्मत	10.30(100)	1.89 (62.9)	--
39.	5054-04-337-0101-4090 विशेष मरम्मत	23.09 (100)	0.84 (16.8)	--
30.	5054-04-800-0101-2457 न्यूनतम आवश्यक्ता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	6.01(60.1)	आधिक्य	1.25 (26.0)
31.	5054-04-800-0101-7087 स्तर उन्नयन, डामरीकरण तथा नवीकरण	25.00(100)	25.72 (25.7)	62.02 (47.7)
32	5054-80-800-0101-6841-मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा सड़कों का निर्माण	6.00 (100)	--	--
	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)			
33.	4202-01-201-0101-7901 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - मध्यान्ह भोजन	6.38 (63.4)	3.69 (36.7)	5.76 (100)
	29- विधि एवं विद्यार्थी कार्य			
34.	2014-114-3572 नगरेतर स्थापना एवं ग्राम न्यायालय	5.96(33.3)	6.31(35.1)	--
35.	2015-102-2409 चुनाव अधिकारी	2.07(37.9)	8.83(75.4)	3.24 (47.1)
36.	2015-103-3307 निर्वाचक नामावली को तैयार करना एवं मुद्रण	7.04(64.2)	5.79 (61.4)	7.54(51.5)
37.	2015-105-4311 लोकसभा निर्वाचनों के संचालन हेतु प्रभार	20.12(95.8)	32.96(74.4)	3.80(76.5)
38.	2015-106-4006 राज्य विधानसभा निर्वाचनों के संचालन हेतु प्रभार	2.53 (68.9)	4.21 (66.0)	19.78 (50.9)
39.	2015-108-9503 मतदाताओं को फोटो पहिचान पत्र जारी करना	8.69 (80.8)	8.32 (73.6)	12.32 (77.0)
	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
40.	4701-03-243-0101-7076 मचक नहर विस्तार	7.72(64.3)	4.82(60.2)	5.80(62.4)
41.	4701-03-252-0101-2897 बॉध एवं अनुबद्ध कार्य	8.16(60.9)	0.68 (13.6)	--
42.	4701-03-800-0101-2304 निर्देशन एवं प्रशासन	2.45(100)	2.50(100)	--
43.	4702-101-0101-2304 निर्देशन एवं प्रशासन	9.14(100)	9.30(100)	--

93- त्वरित उर्जा विकास से संबंधित व्यय				
44.	2801-02-800-0101-8729 त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता	62.39 (73.5)	69.1(93.3)	28.98 (55.2)
45.	6801-800-0101-8729 त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता	62.39(73.5)	69.1(93.3)	28.98 (55.2)
योग		**709.17**	**488.44**	**238.45**

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भः कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 46)

चयनित अनुदानों की योजनाओं केअंतर्गत सारभूत आधिक्य

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशत)		
		2005-06	2004-05	2003-04
	06- वित्त			
1.	2071-01-101-9998 म0 प्र0 के उत्तरवर्ती राज्य के लिये	15.08(10.4)	5.31(4.0)	--
2.	2071-01-101-9999 मध्यप्रदेश के संयुक्त राज्य के लिए	107.23(13.9)	39.95 (5.8)	
3.	2071-01-105-9999 मध्यप्रदेश के संयुक्त राज्य के लिए	13.65 (13.5)	7.46 (8.8)	
4.	2071-01-115-9999 मध्यप्रदेश के संयुक्त राज्य के लिए	3.78(6.2)	0.73 (1.3)	--
	15- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
5.	2515-789-101-1303-6907 ग्राम पंचायतो की न्यूनतम आधारभूत आवश्यक्ता हेतु	1.57(6.4)	--	--
6.	2225-01-789-277-0103-8805 प्राथमिक स्तर पर लड़कियों एवं लडकों को छात्रवृत्तियाँ	1.40 (13.1)	बचत	बचत
7.	2501-01-789-101-0103-7118 राष्ट्रीय समानान्तर विकास योजना	7.78(74.1)	--	--
	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
8.	2210-01-001-2283 निर्देशन एवं प्रशासन	2.63 (23.5)	--	--
9.	2210-01-110-1473 जिला चिकित्सालय	37.71 (39.1)	1.64 (2.0)	6.94 (16.0)
10.	2210-01-110-748 औषधालय	11.70(166.4)	बचत	1.27(6.6)
11.	2210-03-103-0101-2777 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	26.86 (35.1)	2.06 (2.2)	12.22 (14.9)
12.	2210-06-101-859 कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	9.95 (122.8)	0.28(3.9)	1.81(26.7)
	24- लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल			
13.	5054-03-337-0101-4336 राज्यों में सड़कों का निर्माण-राज्य राजमार्ग	5.18 (20.7)	41.69 (416.9)	0.49 (3.0)
14.	5054-03-337-0101-948 केन्द्रीय सड़क निधि	11.37 (21.9)	बचत	--
15.	5054-04-800-0101-7088 सर्वेक्षण कार्य	2.21 (147.3)	बचत	बचत
16.	5054-04-800-0701-1924 दस्यू प्रभावित क्षेत्रों मे सड़कों एवं पुलों का निर्माण	1.77 (708.0)	0.19(13.3)	1.68(33.6)
17.	5054-05-337-0701-6331 अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	7.04 (87.5)	बचत	--
	योग	**266.91**	**99.31**	**24.41**

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भः कंडिका 2.7.3 पृष्ठ 46)

(क) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों मे योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	अनुदान एवं योजना का विवरण	अप्रयुक्त पूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
15- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
1.	2505-01-789-702-0703-6800 काम के बदले अनाज योजना	4.05
19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
2.	2210-02-104-8743 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	0.95
3.	2210-05-105-2502 स्टाफ नर्सों का प्रशिक्षण	0.03
4.	2210-06-101-8150 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	0.52
5.	2211-001-0801-1508 जिला स्तरीय कर्मचारी वर्ग	0.41
24- लोक निर्माण कार्य		
6.	5054-80-800-0101-6841 म.प्र. सडक विकास निगम द्वारा सड़कों का निर्माण	6.00
29- लोक निर्माण कार्य सड़के एवं पुल		
7.	2014-105-4497 सामान्य स्थापना	2.50
75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाए		
8.	4702-101-0101-9469 नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत	0.40
	योग -	**14.86**

(ख) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानो में योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ।

(करोंड़ रुपए में)

क्र. सं.	अनुदान एवं योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	बचत(-)
19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
1.	2210-01-110-7892 चिकित्सा गांरटी योजना	--	17.84	11.73	6.11
2.	2210-01-110-0101-1491 जिला स्थित ब्लड बैकों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार	4.80	2.33	6.06	1.07
3.	2210-03-103-2779 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	--	19.42	16.34	3.08
4.	2210-03-103-8743 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	--	2.50	0.87	1.63
5.	2210-03-103-0101-5998 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3.37	1.90	3.57	1.70
6.	2210-06-003-8796 प्रशिक्षण कार्यक्रम	--	1.60	0.37	1.23

27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)					
7.	4202-01-201-0801-6865 जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के नये भवन का निर्माण	2.00	1.82	3.00	0.82
	योग	**10.17**	**47.41**	**41.94**	**15.64**

(ग) प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए ।

(करोड़ रुपए में)

क्र. स.	अनुदानों तथा योजनाओं का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	आधिक्य (+)
6- वित्त					
1.	2052-091-5338 राज्य वित्त आयोग	--	0.01	0.49	0.48
19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
2.	2210-01-001-2283 निर्देशन एवं प्रशासन	11.00	0.20	13.83	2.63
3.	2210-01-110-1473 जिला चिकित्सालय	95.16	1.42	134.29	37.71
4.	2210-01-110-748 औषधालय	6.91	0.12	18.73	11.70
5.	2210-06-101-859 कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	7.97	0.13	18.05	9.95
योग		**121.04**	**1.88**	**185.39**	**62.47**

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ ; कण्डिका 3.1.4, पृष्ठक्रमांक 52)

नमूना योजना (रूपांकन एवं आंकलन प्रक्रिया)

नमूना पद्धति

एक बहुपद स्तरीय योजना सर्वेक्षण के लिए अपनायी गई थी । प्रथम स्तरीय इकाईयाँ (एफ. एस.यू.) ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव एंव शहरी क्षेत्रों में शहरी ढ़ाँचा सर्वेक्षण (यू.एफ.एस.) खण्ड थे ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में दो बुनियादी स्तर बनाये गये (i) जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुये ग्रामीण स्तर एवं (ii) जिले के सभी शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुये शहरी स्तर । हालांकि 2001 की जनगणना के अनुसार एक जिले में एक या अधिक शहरों की आबादी 10 लाख या अधिक थी तो प्रत्येक को अन्य बुनियादी स्तर माना गया ।

प्राथमिक नमूना इकाईयों का चयन

ग्रामीण इकाईयाँः प्रत्येक जिले के लिए गाँवों का चयन विस्थापन सहित आकार के संभाव्य अनुपात (पी.पी.एस.) के माध्यम से नमूना ढाँचों में से किया गया ।

शहरी इकाईयाँः प्रत्येक जिले के लिए विकास-खण्डों की सूची नमूना ढाँचों में से बिना प्रतिस्थापन के सामान्य अक्रमागत नमूना पद्धति (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के माध्यम से चयन किया गया ।

नमूना रूपांकन - ग्रामीण नमूना

खेड़ा समूहों का चयन

पहला कार्य गाँव लेआउट पर गाँव की मुख्य सूचना दाताओं के साथ विचार विमर्श करके पी.एस.यू. की सही सीमाओं को निश्चित करना था । गाँव की सीमाओं एवं लेआउट की पहचान के बाद, यदि गाँव की आबादी 600 से अधिक पाई गई, तो इसको छोटे खेड़ा समूहों की उचित संख्या में बाँट दिया गया । गाँव की आबादी के ऊपर आधारित, बनाये गये खेड़ा समूहों की संख्या निम्नानुसार थी -

गाँव की जनसंख्या	बनाये गए खेड़ा समूहो की संख्या
600 से कम	1
600-1199	3
1200-1799	5
1800-2399	6 एवं इसी क्रम में आगे

प्रकार बनाये गए खेड़ा समूह में लगभग एक समान आबादी का आकार था (जैसे कि खेड़ो की आबादी लगभग एक समान रहती है) ।

नमूना रूपांकनः शहरी नमूना

विकास-खण्डों का चयन

पहला कार्य एन.एस.एस. मानचित्र के अनुसार यू.एफ.एस. विकास खण्ड की सही सीमाओं का निर्धारण करना था । विकास-खण्ड के सीमाओं एवं ले-आउट की पहचान के बाद, यदि विकास-खण्ड की आबादी 600 से अधिक पायी गयी, तो इसको खेड़ा समूहों के उचित संख्या में बाँट दिया गया । अन्यथा सभी विकास खण्ड सूचीबद्ध कर लिये गये । गाँव की आबादी के ऊपर आधारित, बनाये गये उप-खण्डों की संख्या निम्नानुसार थी -

पी.एस.यू. की जनसंख्या	बनाये गए खेड़ा समूहों की संख्या
600 से कम	1
600-1199	3
1200-1799	5
1800-2399	6 एवं इसी क्रम में आगे

इस प्रकार बनाये गये उप विकास-खण्डों में लगभग समान जनसंख्या थी । गंदी बस्ती वाले उप विकास-खण्डों को प्राथमिकता दी गई । जहाँ एक से अधिक गंदी बस्ती वाले उप विकास खण्डों थे तब द्वितीय उप विकास खण्ड को यादृच्छिक आधार पर चुना गया। ऐसे प्रकरण में जहाँ चयनित शहरी ढाँचा सर्वेक्षण (जो कि आकस्मिक तौर पर एक गंदी बस्ती वाला शहरी ढाँचा सर्वेक्षण नहीं था) में कुछ गंदी बस्तियों के संकुल थे, इन संकुलों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कुटुम्बों (पात्र कुटुम्बों के उपलब्धता की शर्त पर) से साक्षात्कार लिया गया ।

नमूना रूपांकनः विद्यालयों का नमूना

चयनित शहरी ढ़ाँचा सर्वेक्षण विकास-खण्डों/गाँवों में शासकीय विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक अनुभागों के साथ) को चिन्हित किया गया । हालांकि, यदि उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या नहीं थी, तब चयनित शहरी ढ़ाँचा सर्वेक्षण विकास-खण्डों/गाँवों में विद्यालयों का चयन जहाँ पर बच्चों की पहुँच थी यादृच्छिक नमूना पद्धति से किया गया।

आंकलन की विधि (ग्रामीण)
संकेतन

i= के लिए अंश वे पी.एस.यू. (गाँव (पंचायत वार्ड)/ विकास-खण्ड)
j= j के लिए अंश वे यू.एस.यू. (कुटुम्ब)
Z= जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या
H= गाँव/ खण्ड में सूचीबद्ध (कुटुम्बों) की संख्या
h= गाँव/खण्ड में पात्र (कुटुम्बों) की संख्या

z= चयन के लिए उपयोगित नमूना गाँव का आकार n= जिले में नमूनाकृत गाँवो की संख्या B*= गाँव में बनाये गए खेड़ा समूहो की संख्या,B*= 1 यदि बनाये गए खेड़ा स-मूहों की संख्या1 है एवंB*= B/2 यदि खेड़ा समूहों की संख्या 1 से ज्यादा है।

Y= चर y के लिए जनसंख्या का अनुमान कुल Y

ग्रामीण के लिए तहस्तर पर समिष्ट के अनुमान के लिए सूत्र

$$\hat{Y} = Z \; \frac{1}{n} \; \frac{n}{z_i} \sum \; \frac{H_j \; B^*_i}{h_{jz}} \sum^{h} y_{ij}$$

आंकलन की विधि - शहरी

संकेतन

i= i के लिए अंश वे पी.एस.यू. (गाँव (पंचायत वार्ड)/विकास-खण्ड)

j= j के लिए अंश वे यू.एस.यू. (कुटुम्ब)

N= जिले में एन.एस.एस.ओ. विकास-खण्डों की संख्या

n= जिले में नमूना कृत विकास खण्डों की संख्या

H= गाँव / विकास-खण्ड में सूचीबद्ध (कुटुम्बों) की कुल संख्या

h= गाँव/ विकास-खण्ड में पात्र (कुटुम्बों) की संख्या

B*= बनाये गए उप विकास-खण्डों की संख्या; B*= 1 यदि बनाये गये उप विकास-खण्डों की संख्या 1 है और B*= B/2यदि बनाये गये उपखण्डों की संख्या 1 से ज्यादा है ।

Y= चर y के लिए जनसंख्या का अनुमान कुल Y

ग्रामीण के लिए स्टेटम स्तर पर समिष्ट के अनुमान के लिए सूत्र

$$\hat{Y} = N \; \frac{n}{n} \sum \; \frac{H_j \; B^*_i \; y_{ij}}{h_j} \sum^{h}$$

सभी स्तरों के तह स्तरीय अनुमानों को जोड़कर राज्य के लिए पूरा अनुमान प्राप्त किया गया ।

गलतियों का अनुमान लगाना

उपरोक्त अनुमानों की अनुमानित भिन्नता होगी

$$\text{भिन्नता } (Y) = \sum_{s} \hat{} \quad \text{भिन्नता } (Y_s) = \sum_{s} \sum_{i} \hat{} \quad \text{भिन्नता } (Y_{si})$$

संगत मानक त्रुटि

$$\text{सं.मा.त्रु.- } (\hat{Y}) = \sqrt{\text{भिन्नता } (\hat{Y})}/Y \times 100$$

स्तर हेतु प्रथम अवस्था के लिये भिन्नतायें पृथक-पृथक पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.एवं एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.से चयन कर गणना की जावेगी ।

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.1.4 पृष्ठ क्रमांक 52)

एस.आर.आई के निष्कर्षों का सारांश

(i) विद्यालयों का सर्वेक्षण

- आवृत विद्यालयों में 67.5 प्रतिशत प्राथमिक शाला, 26.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शाला, 3.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शालाओं के साथ हाई स्कूल (हाईस्कूल) थे । लगभग 2.2 प्रतिशत शिक्षा गारंटी शाला स्थापित किये गये । राज्य में आवृत विद्यालयों में से 97.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 95.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 100 प्रतिशत हाई सकूल सहायता प्राप्त थे ।
- सभी आवृत विद्यालयों में 17.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 23.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 21.4 प्रतिशत हाई स्कूल पूर्णरूपेण लड़कों के लिए,19.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 23.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 26.2 प्रतिशत हाई स्कूल पूर्णरूपेण लड़कियों के लिए एवं 63.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 52.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 52.4 प्रतिशत हाई स्कूल सह-शिक्षण के थे ।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान एवं योजनाएं

- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों एवं शिक्षकों के लिए शैक्षणिक उपकरणों के प्रतिस्थापन एवं उपार्जन, पढाने सीखने के उपकरण तैयार करने, शिक्षा गारंटी शाला से प्राथमिक विद्यालय में उन्नयित विद्यालयों को उपकरण क्रय हेतु सहायता एवं अत्यधिक निःशक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदानों का प्रावधान किया गया है । यह पाया गया कि लगभग 94.7 प्रतिशत प्राथमिक शाला, 95.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शाला एवं 92.7 प्रतिशत हाई स्कूल अनुदान उपभोग कर चुके थे ।
- लगभग 94.2 प्रतिशत प्राथमिक शाला, 95.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शाला एवं 95.1 प्रतिशत हाई स्कूल शिक्षक अनुदान प्राप्त कर चुके थे एवं लगभग 4.4 प्रतिशत प्राधमिक शाला, 9.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शाला एवं 9.8 प्रतिशत हाई स्कूल निःशक्त बच्चों के लिए प्रावधानों के अंतर्गत अनुदान उपभोग कर चुके थे ।
- अध्ययन किये गये इन आवृत विद्यालयों में से लगभग 94.4 प्रतिशत प्राथमिक शाला, 96 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शाला एवं 97.6 प्रतिशत हाई स्कूल का सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया जाना प्रतिवेदित किया गया । इनमें से 98.4 प्रतिशत प्राथमिक शाला, 99.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शाला एवं 95.5 प्रतिशत हाई स्कूल शहरी क्षेत्रों में एवं 91.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 93.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय और 100 प्रतिशत हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त करते हुए बताये गए ।

विद्यालय समिति

- विद्यालय गतिविधियो की निगरानी एवं विद्यालय के सहभागी विकास के संबंध में समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है । यह पाया गया कि लगभग 61.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 25.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 3.6 प्रतिशत हाई स्कूल में

स्थानीय स्तर पर गठित शिक्षा समिति थी । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 88.5 प्रतिशत विद्यालयों के समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना प्रतिवेदित किया ।

संयुक्त बैंक खाते

- लगभग 60.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 24.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 3.5 प्रतिशत हाई स्कूल में समितियों ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ संयुक्त बैंक खाते भी शुरू कर दिये है । ऐसा शाला के विकास के लिए किये गये व्यय की जबाबदेही के लिए किया गया था ।

मध्यान्ह भोजन

- शासकीय विद्यालयों के 94.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 42.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 45.2 प्रतिशत हाई स्कूल में मध्यान्ह भोजन लागू किया जाना प्रतिवेदित किया गया ।

- निधिगत कार्यक्रमों में से 13.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 13.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 16.7 प्रतिशत हाई स्कूल में जनशाला लागू किया जाना प्रतिवेदित किया गया जो कि बुनियादि रूप से शासकीय विद्यालयों में सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ की सहायता से की गई पहल हैं ।

- शासकीय विद्यालयों में लागू की गई सभी योजनाओं में से अति महत्वपूर्ण मध्यान्ह भोजन योजना जनसंख्या के निचले सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के बच्चों को आकर्षित करने के लिए है । लगभग 58.5 प्रतिशत बच्चों ने बताया उनके विद्यालय में मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है । इनमें से 70.6 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के एवं 40.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के थे ।

एन.पी.ई.जी.ई.एल.

- बालिका शिक्षा की विशिष्ठ शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगभग 7.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 7.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 7.1 प्रतिशत हाई स्कूल में एन.पी.ई.जी.ई.एल. चलाया जा रहा है ।

- जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें स्कूल में वापसी के लिये शिविर लगाकर वापस लाने के लिए नूतनमार्गी योजनाएं भी लागू की जा रही है । लगभग 6.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 10.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 11.9 प्रतिशत हाई स्कूल ने प्रतिवेदित किया कि स्कूल में वापसी के शिविर लगाए जा रहे हैं ।

निःशुल्क पाठय पुस्तके

- उपरोक्त के अलावा शासन ने योजनाएं भी लागू की है जो कुछ हद तक अभिभावकों को उनके बच्चों के विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है । लेकिन ऐसी योजनाओं के उचित पहुँच का सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिससे लक्षित हितग्राही इन योजनाओं के वास्तविक लाभ को महसूस कर सकें । इस सम्बन्ध में लगभग 63.3 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उन्होंने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें समय पर प्राप्त की । स्थान के प्रकार के आधार पर जब पृथक किया गया तो, शहरी क्षेत्रों के 97.6 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के 96.8 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उन्हे सभी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें समय पर प्राप्त हुई ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ली गई गतिविंधियाँ

- किए गये सिविल निर्माण कार्य एवं अन्य सुविधाओ की स्थिति निम्नानुसार पाई गई -

आंकडे प्रतिशत में

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाई स्कूल
नये भवन का निर्माण	21.4	26.1	31.00
उपलब्ध ढ़ाचों की मरम्मत	48.8	53.5	57.1
शौचालयों का निर्माण	21.4	9.5	1.2
लड़कियों के लिए पृथक शौचालय	12.3	6.1	1.4
परिसर दीवार का निर्माण	9.3	4.4	1.1
परिसर दीवार की मरम्मत	9.1	5.1	0.8
दरवाजों का संस्थापन	10.3	5.6	0.7
पानी प्रदाय का संस्थापन	28.4	12.1	1.5
पुस्तकालय का निर्माण	7.0	4.4	1.0
शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष का निर्माण	11.3	7.8	1.8
प्रधान अध्यापक के लिए पृथक कक्ष	10.1	8.6	1.2
पुस्तकालय किताबें	28.4	15.3	2.2
संदर्भ किताब	32.7	13.9	2.5
कंप्यूटर्स	4.8	4.6	0.6

अध्यापन सहायतायें

- बच्चो में सीखने की रूचि उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों में सीखने पढ़ानें की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । इस संबंध में लगभग 94.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 94.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 100 प्रतिशत हाई स्कूल ने प्रतिवेदित किया कि पढ़ानें-सीखने की सामग्री सभी कक्षाओं को दी जा चुकी है एवं लगभग 4.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एवं 4.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय ने प्रतिवेदित किया कि पढाने सीखने की सामग्री कुछ कक्षाओं को दी जा चुकी है । लगभग 1.6 प्रतिशत प्राथाभिक विद्यालय एवं 1.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय ने प्रतिवेदित किया कि कोई पढ़ाने सीखने की सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई ।

(ii) परिवारों का सर्वेक्षण

विद्यालय से बाहर बच्चे

- 6 से 14 वर्ष की उम्र समूह के बच्चों की अनुमानित कुल संख्या 15073511 है जिनमें से 8388600 बालक एवं 6684911 बालिकाएं हैं । इन बच्चों में से ऐसा अनुमानित है कि 1438487 बच्चे विद्यालय से बाहर है, जिनमें से 785469 बालक एवं 653018 बालिकाएं है ।

- लगभग 21 प्रतिशत कुटुम्ब अनुसूचित जाति वर्ग से एवं 13.4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से थे । जबकि 42.8 प्रतिशत के नजदीक पिछड़ावर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग से एवं, 20.7 प्रतिशत सामान्य वर्ग से थे ।

- कुटुम्बों (24.4 प्रतिशत) के मुखिया का एक बड़ा अनुपात आकस्मिक या अन्य प्रकार की मजदूरी में संलग्न थे । जबकि 16.9 प्रतिशत कृषि मजदूर थे कुछ अन्य का मुख्य व्यवसाय छोटी खेती/पशुपालन (16.8 प्रतिशत) एवं छोटा व्यवसाय (11.4 प्रतिशत) था।

सर्व शिक्षा अभियान का समावेश

- जब एक ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के 1 कि.मी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालय नहीं होता, इसे परिभाषित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय द्वारा अनावृत एवं सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा अनावृत है । इससे प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 7.7 प्रतिशत एवं शहरी विकास खंडों के 20.7 प्रतिशत विद्यालयों से आवृत नहीं थे ।

नामांकन न होने एवं अनुपस्थिति के कारण

- यह देखा गया कि विद्यालयों में बच्चों के नामांकन न होने का मुख्य कारण समर्थता थी क्योंकि 19.9 प्रतिशत अभिभावकों ने ऐसा बताया । इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण जो बताए, वह थे विद्यालयों के लिए परिवहन की कमी (11.2 प्रतिशत) एवं अभिभावकों की सहमति की कमी (11.2 प्रतिशत) बताए गये । लिंगभेद के अनुसार यह पाया गया कि लड़कियों एवं लड़कों का नामांकन न कराने का मुख्य कारण समर्थता थी, क्रमशः 16.4 प्रतिशत एवं 23.5 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया । स्थान के प्रकार के अनुसार कारण समान थे, साथ ही शहरी क्षेत्रों से 24.3 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 17.7 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चों का स्कूल में नामांकन न कराने का मुख्य कारण समर्थता है ।

- इस बच्चों में से जो स्कूल जाते है, लगभग 0.9 प्रतिशत ने बताया कि उनका स्कूल समय पर नहीं खुलता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 0.4 प्रतिशत बच्चों ने ऐसा ही कहा । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों के 1.3 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उनका स्कूल समय पर नहीं खुलता । लेख करने के लिये यह रोचक तथ्य था कि लगभग 1 प्रतिशत ने प्रतिवेदित किया कि उनका स्कूल सभी दिन नहीं खुलता । इसका तात्पर्य है कि अनिर्धारित अवकाश दिए जा रहे हैं जो कि अंतिम रूप से स्कूल के दिनों की संख्या को प्रभावित करता हैं, जिसके लिए अपेक्षा की जाती है कि एक वर्ष में बच्चे स्कूल आवें ।

- लगभग 0.3 प्रतिशत बच्चों ने प्रतिवेदित किया कि शिक्षक बहुत अनियमित है एवं लगभग 1.3 प्रतिशत ने प्रतिवेदित किया कि शिक्षक विद्यालय के लिये उतने नियमित नहीं हैं।

- लगभग दो प्रतिशत बच्चो ने कहा कि शिक्षक पूरी अवधि के लिए कक्षाँए नहीं लेते है जिसके लिए कक्षाँए ली जानी चाहिए । ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 1.5 प्रतिशत बच्चों द्वारा प्रतिवेदित किया गया ।

शिक्षा की गुणवत्ता

- उन 2.8 प्रतिशत अभिभावकों; जिन्होंने कहा कि वे शिक्षा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे, जो कि उनके बच्चे स्कूल में प्राप्त कर रहे हैं, की तुलना में अतंतः लगभग 36.4 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि वे पूरी तरह संतुष्ट थे ।

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ कंडिका 3.2.6.3, पृष्ठ 79)

निर्धारित मान से कम खाद्यान्न का वितरण

(मात्रा मैट्रिक टन में)

स. क्र.	वर्ष	कार्ड की संख्या बी.पी.एल.+ ए.ए.वाय.	आवश्यकता	वितरित गेहूँ	वितरित चावल	योग	कम वितरण	प्रतिशत
1	2001-02	5669247	1615735	472506	144447	616953	998782	62
2	2002-03	5853814	2458602	725894	175082	900976	1557626	63
3	2003-04	6260703	2629495	890163	160919	1051082	1578413	60
4	2004-05	6314692	2652171	1059216	189448	1248664	1403507	53
5	2005-06	6425209	2698588	980099	240023	1220122	1478466	55

टीपः- वितरण की दर

अप्रैल 2000 से जून 2001- @ 20 किग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह

जुलाई 2001 से मार्च 2002- @ 25 किग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह

अप्रैल 2002 से मार्च 2005 - @ 35 किग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भ कंडिका 3.2.6.4, पृष्ठ क्रमांक 79.)

शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण

स. क्र.	जिले का नाम	उचित मूल्य दुकान की कुल संख्या	कुल निरिक्षित उ.मू. दु.	बिना राशन कार्ड पंजी की उ0.मू. दु.	बिना हितग्राही लेजर की उ.मू.दु.	उ.मू.दु. की संख्या जिसमें खाद्यान्न कम पाया गया	उ.मू.दु. जिनमें प्रदर्शन पटल नहीं पया गया	उ.मू.दुव की संख्या जिसमे खाद्यान्न का उठाव समय पर नही किया गया	उ.मू.दु. को संख्या जिसमें निरीक्षण टीप पुस्तिका मे डी.एफ.ओ./ निरीक्षण दर्ज नही किया गया	वितरित की गई मात्रा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	बैतूल	528	55	55	55	27	16	55	55	19किग्रा. से 25 किग्रा.
2	खरगौन	452	46	46	46	--	--	46	46	15किग्रा से 25 किग्रा
3	धार	587	60	60	60	14	41	60	60	15 किग्रा से 25 किग्रा
4	कटनी	390	41	41	41	--	--	41	41	15 किग्रा से 20 किग्रा
5	भोपाल	415	41	31	41	8	24	41	41	--
6	खण्डवा	320	32	32	32	--	--	32	32	बी.पी.एल. कार्ड पर 23 किग्रा
7	बालाघाट	460	43	43	43	1	--	--	--	बी.पी.एल. 20 किगा.
	योग	**3152**	**318**	**308**	**318**	**50**	**81**	**275**	**275**	

परिशिष्ट - 3.5

(संदर्भ कंडिका 3.3.6.4 पृष्ठ 90)

भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति न होने संबंधी प्रपत्र

वर्ष	टाइगर रिजर्व का नाम	काम का विवरण	निर्धारित लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य		कमी	
			भौतिक	वित्तीय (लाख रुपए में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपए में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपए में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2000-2001	1. कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला	परिवीक्षण एवं मूल्यांकन	-	0.75	-	-	-	0.75
	2. पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना	केन नदी से भदर टैक तक पानी की आपूर्ति	1	4.00	-	-	1	4.00
	3. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	घास क्षेत्र का विकास	500 हैक्ट	2.50	240 हैक्ट	1.20	260	1.30
		नये जल स्त्रोत का निर्माण	4 स्टाप डेम	8.00	1	1.30	3	6.70
2001-2002	1. कान्हा टी.आर. सिवनी	गोलाबारूद का क्रय	-	0.50	-	-	-	0.50
	2. पेंच टी.आर. सिवनी	टेक्टर ट्राली एवं पानी टेंकरो का क्रय	1	4.00	-	-	1	4.00
	3. बांधवगढ़ टी.आर. उमरिया	शिकार रोधी दल						
		(i) वायर लैंस हैण्ड सेट	-	3.20	-	-	-	3.20
		(ii) चार्जर	-	0.12	-	-	-	0.12
		(iii) चलित वायरलैस सैट	-	0.20	-	-	-	0.20
		गुप्तचर नेटवक्र	-	0.50	-	-	-	0.50
	4. सतपुड़ा टी.आर.	हाथियो के शेड का निर्माण	1	2.00	-	-	1	2.00
		नावों के शैड का निर्माण	1	1.50	-	-	1	1.50
		जल विकास एनीकट	3	3.50	2	2.00	1	1.50
		टेक्टर ट्राली, सहित	-	6.00	-	-	-	6.00
		मोटर-साइकल	5	2.50	-	-	5	2.50
2002-2003	1. कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला	नर्वे मोटर साइकल का क्रय	5	2.00	-	-	5	2.00
	2. बांधवगढ़ टी.आर. उमरिया	मवेशियों का टीकाकरण	8000 हेडस	5.00	-	-	8000 हेडस	5.00
	3. पन्ना टी.आर. पन्ना	गश्तीदल केम्प	7	6.00	4	6.00	3	-
		लेन्टना, वन तुलसी, एवं कासिया टोरा का उन्मूलन,	650 हैक्ट.	1.00	176 हैक्ट	0.99	474 हैक्ट	0.01
		सडको का रख रखाव	500 कि.मी.	3.00	78 कि.मी.	2.50	422 कि.मी	0.50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4. सतपुडा टी.आर.	बाड, बिजली, एवं जल आपूर्ति	-	2.00	-	-	-	2.00
2003-2004	1. कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला	जी.आई.एस.विश्लेषण की सेंवायें	1	0.84	-	-	1	0.84
	2. पेंच टी.आर. सिवनी,	गश्तीदल हेतु पेयजल की सुविधा	-	6.00	-	-	-	6.00
		प्राकृतिक जल स्त्रोतों का विकास एवं जल सुविधा	-	6.00	-	-	-	6.00
	3. पन्ना टी.आर. पन्ना	चारागाह में बशबुड का उन्मूलन	100 हैक्ट	1.00	69 हैक्ट	1.00	31 हैक्ट	-
		लेन्टना, वनतुलसी एवं कासिया तोरा का उन्मूलन,	300 हैक्ट	1.00	146.5 हैक्ट	1.00	153.5 हैक्ट	-
	4. सतपुडा टी.आर.	वाहनों का क्रय	1	5.00	-	-	1	5.00
2004-2005	1. पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी	मुंह एवं पैर को रोग से मुक्ति के लिए 86 गांवो में प्रोफाइलेक्टिक टीकाकरण,	-	15.00	-	9.69	-	5.31
		लेन्टना उन्मूलन अलीकटटा एवं रूखड बीट	300 हैक्ट 200 हैक्ट	4.50 3.00	- -	- -	300 हैक्ट 200 हैक्ट	4.50 3.00
	4. सतपुडा टाइगर रिजर्व	स्टाप डेम एवं रपटा का निर्माण,	1	4.50	-	1.79	-	2.71
		गांवो का पुर्नस्थापन	1	103.00	1	62.27	-	40.73

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः कंडिका 3.4.5.2 एवं 3.4.6.1, पृष्ठ 105 एवं 107)

स्वीकृत परियोजनाओं, प्राप्त ऋण एवं अस्वीकृत व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपए में)

श्रेणी/ वर्ष	परियोजना	स्वीकृत लागत	नाबार्ड ऋण	विमुक्त ऋण	व्यय	नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत राशि	रूपांकित सिंचाई क्षमता
ज.सं.वि.							
I / 1995-96	114	167.95	158.65	137.11	184.28	46.02	0.71 लाख
II / 1996-97	60	152.72	138.77	134.10	176.11	39.29	0.36
III /1997-98	76	137.24	121.52	111.66	150.16	31.17	0.24
IV / 1998-99	66	111.01	88.44	75.22	116.46	39.26	0.25
V/1999-2000	08	17.67	16.93	14.39	19.34	4.47	0.08
VI / 2000-01	19	12.00	10.60	7.52	9.23	1.55	0.04
VII/2001-02	25	85.93	73.70	64.72	82.25	16.48	0.22
VIII/2002-03	55	171.81	142.04	109.71	144.30	30.66	0.31
IX/2003-04	73	201.96	175.97	104.32	121.42	30.44	0.26
X/2004-05	83	159.12	143.66	66.21	71.03	9.52	0.21
XI / 2005-06	48	200.76	176.08	18.80	13.17	0.84	0.30
ज.सं.वि. योग	627	1418.17	1246.36	843.76	1087.75	249.70	2.98
न.घा.वि.प्रा.							
II/ 1996-97	04	119.14	101.73	98.93	139.67	35.92	0.49
V/1999-2000	05	89.40	87.61	81.30	90.68	8.49	0.22
VI / 2000-01	08	208.07	188.17	144.91	158.93	6.92	0.37
VII/2001-02	02	135.49	119.69	79.56	90.96	00.18	0.04
विद्युत	01	41.77	37.71	37.33	43.81	4.59	10 मेगावाट
VIII/2002-03	09	298.97	251.55	152.72	200.81	26.35	0.95
विद्युत	01	61.98	35.10	7.02	00.15	00.00	15 मेगावाट
IX/2003-04	01	68.56	58.35	29.19	35.60	00.70	0.10
X/2004-05	04	139.87	132.87	33.70	26.62	0.76	0.34
न.घा.वि.प्रा.	33	1059.50	939.97	620.31	743.27	79.32	2.51
विद्युत	02	103.75	72.81	44.35	43.96	4.59	25 मेगावाट
न.घा.वि.प्रा. योग	35	1163.25	1012.78	664.66	787.23	83.91	

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भः कंडिका 3.4.6.5, पृष्ठ 108)

प्रकरण, जिनमें निर्माण की लागत निर्धारित सीमा से अधिक हुई, को दर्शानेवाला विवरण-पत्र

(रूपये लाख में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	श्रेणी	स्वीकृत लागत	कुल व्यय	क्षमता हेक्टेयर	प्रति हेक्टेयर लागत
1	कुदॉरपुरा	गुना	II	106.9	111.09	97	1.14
2	फुन्दरा	सिहोर	II	155.89	308.80	220	1.40
3	सेमरीकलॉ	भोपाल	II	398.53	376.24	313	1.20
4	सरवतखेड़ा	उज्जैन	II	287.86	283.12	257	1.10
5	आमाहा	पन्ना	II	647.8	595.05	526	1.13
6	रुपादेरुण्दा	सिहोर	II	264.96	352.31	255	1.38
7	जामदार	खंडवा	II	43.46	47.92	40	1.20
8	खेड़ी	खरगोन	III	125	119.73	62	1.93
9	पौड़ीजैतगढ़	दमोह	III	144.86	233.10	193	1.21
10	गुजरी	कसरावत	II	65.29	62.52	49	1.28
11	बिटेर	खरगोन	II	192.69	176.28	150	1.18
12	अहिरखेड़ा	खरगोन	III	119.36	138.45	130	1.07
13	बिलवानी	बड़वानी	III	137.98	137.98	120	1.07
14	वरसलाई	खरगोन	IV	54.56	65.65	40	1.64
15	करनपुर	धार	IV	44.27	50.21	46	1.09
16	भातखेड़ी	इंदौर	IV	50.16	144.56	103	1.15
17	पगरा	सिहोर	IV	94.66	159.22	107	1.49
18	जगधर	बैतूल	IV	163.87	249.84	199	1.26
19	फुलेरी	धार	IV	238.39	272.02	240	1.13
20	चैनपुरा	सिहोर	V	247.98	415.60	372	1.12
21	मदरावल	रीवा	VI	257.71	307.10	139	2.21
22	काकासाहिब गाडगिल	मंदसौर	VII	2736.31	3795.08	3400	1.12
23	सेमलीपुरा	धार	VII	72.72	83.71	75	1.12
24	भैंसाखेड़ी	देवास	VIII	383.96	493.58	403	1.22
25	चैनामैना	देवास	VIII	189.20	264.05	245	1.08
26	अेरनी	देवास	VIII	153.08	166.34	153	1.09
27	सेमरोल	शाजापुर	VIII	344.57	410.48	405	1.01
28	टेमरनी	खरगोन	VIII	81.59	97.17	82	1.18
29	धवली	खरगोन	VIII	79.30	96.10	80	1.20
30	महावीरपचित्र	धार	VIII	540.52	591.88	542	1.09
31	हनमन्त्या	मंदसौर	VIII	126	138.44	129	1.07
32	जनकपुरा	इंदौर	IX	142.44	171.91	144	1.19
33	घेंपी	सिहोर	IX	209.62	289.98	262	1.11
34	सुआगॉव	शाजापुर	IX	129.32	146.34	130	1.13
35	गुजरी	खरगोन	IX	62.76	91.01	65	1.40
36	केवलारी	रायसेन	IX	380.30	481.33	392	1.23
37	रुस्तमीसाहू	विदिशा	IX	117.08	149.93	146	1.03
38	निमोनी	खरगोन	X	41.09	0.52	43	2.67*
39	धवलामनोहर	मंदसौर	X	107.3	134.45	110	1.23
40	विनायकपुरा	सिहोर	X	187.39	204.11	192	1.06
41	अशापुरी	रायसेन	X	318.97	392.25	324	1.21
	कुल				12805.95		

* परियोजना पुनरीक्षित होने के कारण लागत 114.65 लाख रुपए

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भः कंडिका 3.4.6.8, पृष्ठ 110)

वन प्रभावित परियोजनाओं का विवरण पत्रक

(रुपए लाख में)

स. क्र.	परियोजना	जिला	श्रेणी	स्वीकृत लागत	व्यय	भौतिक प्रगति		सिंचाई क्षमता
						शीर्ष कार्य	नहर कार्य	
1	कलमोड़ा	झाबुआ	III	115.22	75.50	30%	100%	200 हे.
2	निरंदरपुर	सागर	III	263.69	184.72	86%	95%	532
3	अमरपुरा	नीमच	III	447.95	498.85	98%	100%	543
4	सेमलीपुरा	धार	VII	68.99	84.70	100%	100%	75
5	बसंतपुरा	खरगोन	VIII	465.60	325.44	70%	50%	700
6	उमरिया	खरगोन	IX	38.41	25.91	5%	निरंक	46
7	निमोनी	खरगोन	IX	42.42	0.21	निरंक	निरंक	43
8	किराडिया	धार	IX	226.53	120.58	33%	निरंक	267
9	केकाड़िया	बड़वानी	IX	65.84	--	--	--	86
10	शांतिनगर	कटनी	X	343.25	70.66	--	--	405
11	जल्यापानी	बड़वानी	VIII	475.54	543.13	95%	90%	635
12	देहारी क्र.2	खरगोन	IX	652.14	442.82	100%	35%	850
	कुल			3205.58	2372.52			4382

परिशिष्ट 3.9
(सन्दर्भः कण्डिका 3.5.3.1 पृष्ठ 120)

विभाग को हस्तान्तरित न किये गये पूर्ण भवनों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिलों के नाम	थाना भवन			प्रशासकीय भवन			आवासीय भवन		
सं.		संख्या	राशि	पूर्णता दिनांक	संख्या	राशि	पूर्णता दिनांक	संख्या	राशि	पूर्णता दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	इन्दौर	1	12.96	8/05	2	32.00	8/04	--		
2	झाबुआ	1	10.84	8/05				--		
3	भोपाल	1	9.80	8/05	2	60.00	8/04	54	148.00	8/04 to 2/05
4	होशंगाबाद	1	11.72	8/05				--		
5	बालाघाट	3	33.08	8/05				--		
6	डिण्डोरी	3	34.78	8/05	1	8.63	8/05	--		
7	सिवनी	1	12.00	8/05				--		
8	नरसिंहपुर	2	24.11	8/05				--		
9	मण्डला	3	29.81	8/05	--			18	37.55	8/05
10	कटनी	1	9.33	8/05				--		
11	जबलपुर	1	11.75	8/05	1	12.00	2/04	54	150.80	2/04 to 12/04
12	छिन्दवाडा	3	35.44	8/05				--		
13	देवास	1	11.31	8/05				--		
14	शाजापुर	3	35.80	8/05				--		
15	मंदसौर	2	24.09	8/05	1	12.00	4/04	--		
16	उज्जैन	7	79.79	8/05	1	12.00	5/05	54	148.20	11/04
17	रीवा	2	21.18	3/05, 8/05	3	52.00	3/05, 8/05	--		
18	ग्वालियर	2	21.75	4/05, 8/05	2	24.35	4/05, 8/05	--		
19	भिण्ड	2	22.72	8/05				--		
20	छतरपुर	1	12.02	8/05				26	77.01	9/04
21	सागर	1	12.50	8/05	1	36.00	10/04	--		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22	बड़वानी	1	13.80	8/05				--		
23	रायसेन	1	7.43	8/05				--		
24	धार	--			1	12.00	11/04	--		
25	खण्डवा	--			1	11.50	7/05	--		
26	उमरिया	--			2	9.00	6/04	27	73.70	6/04 to 4/05
27	सतना	--			--			18	48.00	5/05
28	गुना	--			--			05	13.00	4/05
29	शिवपुरी	--			--			28	77.00	2/05
30	मुरैना	--						09	23.00	10/04
		44	**498.01**		**18**	**281.48**	.	**293**	**796.26**	

परिशिष्ट 3.10
(कंडिका 3.6.7.3 में संदर्भित पृष्ठ क्रमांक 132)

भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति न दर्शाने वाला पत्रक

क्रमांक	जिलो का नाम	उप संभागो की संख्या
1.	जबलपुर	4
2.	कटनी	4
3.	बालाधाट	4
4.	छिदबाडा	5
5.	सिवनी	4
6.	मण्डला	3
7.	डिंडोरी	2
8.	नरसिंहपुर	3
9.	रीवा	5
10.	सीधी	5
11.	सतना	6
12.	शहडोल	2
13.	अनुपपुर	3
14.	उमेरिया	1
15.	इन्दौर	4
16.	धार	4
17.	झाबुआ	5
18.	खरगोन	5
19.	बड़वानी	2
20.	खण्डवा	3
21.	बुरहानपुर	1
22.	रायसेन	5
23.	विदिशा	7
24.	राजगढ़	5
25.	होशंगाबाद	5
	योग	**97**

परिशिष्ट 3.11

(कंडिका 3.6.7.6 में संदर्भित पृष्ट क्रमांक 134)

जिलो द्वारा रखी गई डाटा एन्ट्री की व्यय न की गई राशि का विवरण

(राशि लाख रूपए में)

क्रमांक	जिले का नाम	वर्ष	जिलों को आवंटित राशि	कुल व्यय	शेष राशि
1	होशंगाबाद	1994-95 to 2001-02	50.00	47.96	2.04
2	रायसेन	1991-92 to 1992-93	4.12	1.01	3.11
3	सतना	1999-2000 to 2001-02	4.31	2.13	2.18
4	कटनी	2001-02	1.50	0.77	0.73
5	बैतुल	1999-2000 to 2002-03	9.38	9.22	0.16
6	सीधी	1994-95 to 2001-02	48.84	46.69	2.15
7	इन्दौर	1994-95	30.00	29.89	0.11
8	राजगढ़	Up to 2005-06	22.30	21.67	0.63
9	टीकमगढ़	2002-03	10.00	9.13	0.87
			योग		**11.98**

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भः कंडिका 3.7.8.8 पृष्ठ 150)

परिसमापन हानि के कम उद्ग्रहण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपए में)

स.क्र.	जिला	योजना	अनुबंध क्र./ दिनांक	ठेके की अनुमानित लागत	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब सप्ताहों में	परिसमापन हानि अनुबंध के अनुसार	परिसमापन हानि आरोपित प्रतिशतता/ राशि		परिसमापन हानि का कम उद्ग्रहण
1	सिहोर	के.स.नि.	10/02-03	193.34	20.3.03	30.9.03	25	3.02	-	-	3.02
2.	भोपाल	के.स.नि.	64/04-05	789.39	14.8.05	प्रगतिरत	23	11.35	-	-	11.35
		के.स.नि.	65/04-05	812.23	07.2.06	तदैव	23	11.67	-	-	11.67
3.	जबलपुर	के.स.नि.	01/01-02	928.00	05.11.02	25.3.03	21	5.75	-	1.10	4.65
4.	रायसेन	के.स.नि.	70/01-02	350.00	11.6.02	28.6.03	55	12.03	1/16	0.91	11.12
		के.स.नि.	107/01-02	642.43	07.8.03	31.3.04	34	13.65	2/16	0.80	12.85
		के.स.नि.	97/01-02	1365.00	23.1.04	29.7.04	47	39.36	1	13.85	25.81
		के.स.नि.	109/01-02	857.71	24.2.04	31.3.06	109	50.43	-	-	50.43
5.	इंदौर-I	के.स.नि	111/04-05	399.00	25.6.05	30.1.06	32	7.98	-	-	7.98
		के.स.नि.	147/01-02	450.48	25.4.02	30.6.03	62	17.46	2.90	13.06	4.40
		के.स.नि.	148/01-02	234.00	25.4.02	31.3.03	44	6.44	-	-	6.44
		के.स.नि.	149/01-02	212.00	25.4.02	22.7.03	65	8.61	-	-	8.61
6.	इदौर-II	के.स.नि.	28/01-02	349.00	25.8.02	12.3.03	28	6.46	-	-	6.46
7.	देवास	के.स.नि.	19/04-05	489.26	25.3.06	30.6.06	14	4.28	-	-	4.28
8.	रीवा	के.स.नि.	243/01-02	149.00	21.1.03	15.12.03	47	4.38	500 रुपए (एक मुश्त)	0.005	4.375
9.	कटनी	के.स.नि.	6/01-02	477.00	27.4.02	30.10.04	131	28.62		2.39	26.23
		के.स.नि.	160/00-01	1300.00	26.9.02	31.7.04	98	78.00	-	-	78.00
		के.स.नि.	161/00-01	362.00	27.3.02	31.12.04	144	21.72		0.90	20.82
		के.स.नि.	7/01-02	824.00	28/7/02	30.8.03	52	26.78		2.06	24.70
		के.स.नि.	1/01-02	928.00	11.7.02	30.6.03	55	31.90	-	-	31.90
		के.स.नि.	2/01-02	1101.00	11.10.02	30.6.03	37	23.15	-	-	23.15
	कुल							**413.34**		**35.075**	**378.245**
1.	जबलपुर	नाबार्ड		260.00	30.6.05	31.3.06	39	6.34	-	-	6.34
		नाबार्ड		72.55	26.12.03	10.3.05	63	3.75	0.26	-	3.75
2.	सतना	नाबार्ड	87/01-02	90.00	21.8.02	15.6.04	88	4.95	0.10	-	4.95
		नाबार्ड	43/02-03	68.08	11.2.02	31.3.06	150	4.08	-	-	4.08
3.	भोपाल	फा.ट्रे.स.	23/03-04	147.18	25.11.03	14.6.05	75	8.98	-	-	8.98
		फा.ट्रे.स.	39/03-04	201.13	01.7.03	28.2.06	139	3.80	-	-	3.80
4.	इंदौर-I	फा.ट्रे.स.	5/03-04	142.00	18.11.03	28.2.05	68	6.03	0.15	-	6.03
		फा.ट्रे.स.	3/03-04	83.00	26.10.03	30.4.06	77	4.98	-	-	4.98
5.	इंदौर-II	फा.ट्रे.स.	51/04-05	98.14	2.5.05	10.5.06 प्रगतिरत	51	3.13	-	-	3.13
6.	देवास	फा.ट्रे.स.	5/03-04	116.45	10.4.03	30.6.06	136	7.20	0.20	-	7.20
		फा.ट्रे.स.	3/03-04	215.68	25.11.03	17.1.05	60	8.09	-	-	8.09
		फा.ट्रे.स.	2/03-04	225.50	25.6.03	19.12.03	25	3.52	-	-	3.52
7.	सतना	फा.ट्रे.स.	45/03-04	51.30	17.10.03	31.3.06	79	2.53	-	-	2.53
8.	रीवा	फा.ट्रे.स.	3/03-04	149.00	1.7.03	15.7.05	106	8.94	-	-	8.94
	योग							**76.32**			**76.34**
	महायोग							**489.66**		**35.075**	**454.58**

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ कंडिका 3.7.8.10 एवं 3.7.8.11 पृष्ठ 151)

मूल्य विभिन्नता तथा सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट के अतिरिक्त बिटुमिन के लिए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	अनुबंध क्र.	योजना	अतिरिक्त बिटुमिन के लिए भुगतान/ मूल्य विभिन्नता (लाख रुपए में)			टिप्पणी
			मात्रा	दर	राशि	
रायसेन	70/01-02	के.स.नि.			9.95	गुणवत्ता परीक्षण के अनुसार, वास्तविक बिटुमिन पर खपत 4 प्रतिशत थी, फिर भी 1 प्रतिशत अतिरिक्त बिटुमिन (जॉब मिक्स में 5 प्रतिशत प्रस्तावित- अनुबंध में 4 प्रतिशत भुगतान किया गया)
कटनी	6/01-02	के.स.नि.	51.36 मैट्रिक टन	10950	5.42 15.00	मई 2002 के जॉबमिक्स में 4 प्रतिशत बिटुमिन अपेक्षित था एवं अक्टूबर 2002 में इसे 5 प्रतिशत के साथ संशोधित किया गया, समयपूर्व विफलता योग्य । मरम्मत लागत 15 लाख रुपए निकाली गई । कोई तौलकॉटा रसीद प्रस्तुत नहीं की गई एवं मिक्स विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण नहीं किए गए।
	7/01-02	के.स.नि.	72.72 मैट्रिक टन	10950	10.15	मई 2002 के जॉबमिक्स में 4 प्रतिशत बिटुमिन अपेक्षित था एवं अक्टूबर 2002 में इसे 5 प्रतिशत के साथ संशोधित किया गया, कार्य मई 2002 के जॉबमिक्स (4 प्रतिशत बिटुमिन) के साथ किया गया, कोई तौलकॉटा रसीद प्रस्तुत नहीं की गई एवं मिक्स विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण नहीं किए गए।
	160/01-02	के.स.नि.	198.716 मैट्रिक टन	10950	21.76 7.25	कोई तौलकॉटा रसीद प्रस्तुत नहीं की गई एवं मिक्स विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण नहीं किए गए।
	161/01-02	के.स.नि.	61.85 मैट्रिक टन	10950	6.77	कोई तौलकॉटा रसीद प्रस्तुत नहीं की गई एवं मिक्स विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण नहीं किए गए।
	1/01-02	के.स.नि.	97.73 मैट्रिक टन	10950	10.70	कोई तौलकॉटा रसीद प्रस्तुत नहीं की गई एवं मिक्स विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण नहीं किए गए।
	2/01-02	के.स.नि.	126.85	10950	13.89	कोई तौलकॉटा रसीद प्रस्तुत नहीं की गई एवं मिक्स विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण नहीं किए गए।
योग					**100.89**	
रायसेन	107/01-02	के.स.नि.	-	-	5.43	अनुबंध में बिटुमिन की लागत में विभिन्नता सूत्र में नहीं दी गई।
देवास	34 ए/04-05	नाबार्ड	-	-	7.07	पूर्णता अवधि 12 माह से कम थी, कोई मूल्य विभिन्नता देय नहीं थी।
सागर	68/04-05	के.स.नि.	1497.032	-	94.32	अनुबंध के अनुसार मात्र पैक्ड बिटुमिन उपयोग किया जाना था एवं मूल्य विभिन्नता उपयोग की गई सामग्री पर देय थी। ठेकेदार ने खुला (बल्क) बिटुमिन का उपयोग किया जिसके लिए कोई मूल्य की विभिन्नता देय नहीं थी।
अशोकनगर	55/04-05	के.स.नि.			26.40	स्वीकृत अतिरिक्त मद पर मूल्य विभिन्नता का प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया गया।
योग					**133.72**	
महायोग					**234.11**	

परिशिष्ट- 4.1

(संदर्भः कंडिका 4.1.3 पृष्ठ 157)

लो.स्वा.यां. संभाग भिंड में चेक की राशियों में हेर फेर कर अधिक आहरण

संभागीय लेखाओं के अनुसार जारी किए जाने का विवरण								कोषालय लेखाओं के अनुसार नगदीकरण का विवरण			
स.क्र	लेखा का माह	चैक आहरण प्राधिकारी	चैक क्र.	दिनांक	संभागीय लेखा के अनुसार चैक की राशि	किसको भुगतान योग्य	कोषालय लेखा का माह	चैक क्र.	कोषालय सूची के अनुसार नगदीकरण का दिनांक	कोषालय सूची के अनुसार नगदीकृत राशि	अंतर (अधिक आहरित राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10/1998	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी संभाग, भिंड	ए/15-766347	5/10/1998	20000.00	स्वयं	10/1998	ए/15-766347	05/10/98	120000	100000
2.	09/1998	"	ए/15-766329	15/09/1998	30000.00	"	09/1998	ए/15-766329	15/09/98	130000	100000
3.	11/1998	"	ए/15-766389	03/11/1998	30000.00	"	11/1998	ए/15-766389	05/11/98	230000	200000
4.	12/1998	"	ए/15-766399	03/12/1998	20000.00	"	12/1998	ए/15-766399	03/12/98	120000	100000
5.	01/1999	"	ए/15-767741	04/1/1999	30000.00	"	01/1999	ए/15-767741	04/01/99	130000	100000
6	02/1999	"	ए/15767745	02/02/1999	50000.00	"	02/1999	ए/15-767745	03/02/99	250000	200000
7	03/1999	"	791038	06/03/1999	50000.00	"	03/1999	791038	उपलब्ध नहीं	250000	200000
8	05/1999	"	ए/15791329	07/05/1999	50000.00	"	05/1999	ए/15-791329	10/05/99	150000	100000
9	06/1999	"	ए/15-791387	05/06/1999	20000.00	"	06/1999	ए/15-791387	07/06/98	220000	200000
10	07/1999	"	ए/15-792018	02/07/1999	20000.00	"	07/1999	ए/15-792018	03/07/99	220000	200000
11	08/1999	"	ए/15-792056	04/08/1999	20000.00	"	08/1999	ए/15-792056	06/08/99	220000	200000
12	09/1999	"	ए/15-792091	06/09/1999	15000.00	"	09/1999	ए/15-792091	06/09/99	215000	200000
13	10/1999	"	ए/15-102111	5/10/1999	15000.00	"	10/1999	ए/15-102111	06/10/99	215000	200000
14	11/1999	"	ए/17-012122	22/11/1999	10000.00	"	11/1999	ए/17-012122	24/11/99	210000	200000
15	12/1999	"	ए/17-012123	17/12/1999	20000.00	"	12/1999	ए/17-012123	30/12/99	220000	200000
16	02/2000	"	ए/17-012139	15/02/2000	15000.00	"	02/2000	ए/17-012139	17/12/00	215000	200000
17	03/2000	"	013635	09/03/2000	30000.00	"	03/2000	013635	उपलब्ध नहीं	230000	200000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	05/2000	"	ए-17/13745	09/05/2000	15000.00	"	05/2000	ए-17/13745	10/05/2000	215000	200000
19	05/2000	"	ए-17/13752	24/05/2000	15000.00	"	05/2000	ए-17/13752	24/05/2000	115000	100000
20	06/2000	"	ए-17/13770	16/06/2000	15000.00	"	06/2000	ए 17/13770	17/06/2000	115000	100000
21	06/2000	"	ए-17/13784	29/06/2000	15000.00	"	06/2000	ए-17/13784	30/06/2000	115000	100000
22	07/2000	"	ए-17/13794	10/07/2000	15000.00	"	07/2000	ए-17/13794	12/07/2000	215000	200000
23	07/2000	"	ए-17/13799	21/07/2000	15000.00	"	07/2000	ए-17/13799	22/07/2000	115000	100000
24	08/2000	"	ए-17/697210	18/08/2000	15000.00	"	08/2000	ए-17/697210	22/08/2000	215000	200000
25	09/2000	"	ए-17/697224	12/09/2000	15000.00	"	09/2000	ए-17/697224	13/09/2000	115000	100000
26	09/2000	"	ए-17/697231	21/09/2000	15000.00	"	09/2000	ए-17/697231	23/09/2000	215000	200000
27	11/2000	"	सी-420001	10/11/2000	25000.00	"	11/2000	सी-420001	14/11/2000	225000	200000
28	12/2000	"	सी-420038	11/12/2000	15000.00	"	12/2000	सी-420038	12/12/2000	215000	200000
29	01/2001	"	सी-420055	12/01/2001	30000.00	"	01/2001	सी-42055	13/01/2001	230000	200000
30	02/2001	"	सी-420072	09/02/2001	15000.00	"	02/2001	सी-420072	10/02/2001	215000	200000
31	03/2001	"	सी-6909313	08/03/2001	50000.00	"	03/2001	सी-6909313	09/03/2001	250000	200000
32	05/2001	"	सी-609359	11/05/2001	50000.00	"	05/2001	सी-609359	12/05/2001	350000	300000
33	06/2001	"	सी-609627	26/06/2001	20000.00	"	06/2001	सी-609627	28/06/2001	220000	200000
34	07/2001	"	सी-609670	07/07/2001	50000.00	"	07/2001	सी-609670	09/07/2001	350000	300000
35	11/2001	"	सी-424359	09/11/2001	10000.00	"	11/2001	सी-424359	09/11/2001	210000	200000
36	12/2001	"	सी-424374	11/12/2001	10000.00	"	12/2001	सी-424374	11/12/2001	210000	200000
37	01/2002	"	सी-424388	10/01/2002	15000.00	"	01/2001	सी-424388	12/01/2002	215000	200000
38	02/2002	"	सी-424935	07/02/2002	10000.00	"	02/2002	सी-424935	07/02/2002	210000	200000
39	02/2002	"	सी-424944	15/02/2002	10000.00	"	02/2002	सी-424944	15/02/2002	210000	200000
40	03/2002	"	ए/19-424988	11/03/2002	17000.00	"	03/2002	ए/19-424988	14/03/2002	217000	200000
41	05/2002	"	ए/19-425281	10/05/02	10000.00	"	5/2002	ए/19-425281	15/05/02	210000	200000
42	06/2002	"	ए/19-482024	27/06/02	5000.00	"	7/2002	ए/19-482024	01/07/02	305000	300000
43	07/2002	"	ए/19-482034	06/07/02	10000.00	"	7/2002	ए/19-482034	08/07/02	210000	200000
44	07/2002	"	ए/19-482040	18/07/02	10000.00	"	7/2002	ए/19-482040	20/07/02	210000	200000
45	09/2002	"	ए/19-482069	10/09/02	15000.00	"	9/2002	ए/19-482069	16/09/02	315000	300000
46	10/2002	"	ए/19-482081	03/10/02	10000.00	"	10/2002	ए/19-482081	12/10/02	210000	200000
47	11/2002	"	ए/19-482092	06/11/02	15000.00	"	11/2002	ए/19-482092	09/11/02	415000	400000
48	12/2002	"	ए/17-699105	04/12/02	25000.00	"		ए/17-699105		325000	300000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	01/2003	"	ए/17-699120	02/01/03	30000.00	"	01/2003	ए/17-699120	07/01/03	330000	300000
50	02/2003	"	ए/17-699160	10/02/03	25000.00	"	02/2003	ए/17-699160	11/02/03	325000	300000
51	02/2003	"	699162	21/02/2003	30000.00	"	02/2003	सी-930232	22/02/2003	430000	400000
52	03/2003	"	ए/17-699184	10/03/03	40000.00	"		ए/17-699184		240000	200000
53	05/2003	"	सी-929054	08/05/03	30000.00	"	05/2003	सी-929054	10/05/03	430000	400000
54	06/2003	"	सी-929090	10/06/03	60000.00	"	06/2003	सी-929090	14/06/03	460000	400000
55	07/2003	"	सी-929732	09/07/03	35000.00	"	07/2003	सी-929732	12/07/03	235000	200000
56	09/2003	"	सी-930232	01/09/2003	35000.00	"	09/2003	सी-930232	02/09/2003	435000	400000
57	10/2003	"	सी-930296	17/10/03	30000.00	"	10/2003	सी-930296	18/10/03	430000	400000
58	11/2003	"	सी-930298	07/11/03	40000.00	"	11/2003	सी-930298	11/11/03	240000	200000
59	12/2003	"	सी-930619	16/12/03	35000.00	"	12/2003	सी-930619	17/12/03	235000	200000
60	01/2004	"	सी-930623	06/01/04	45000.00	"	01/2004	सी-930623	08/01/04	245000	200000
61	02/2004	"	सी-946343	16/02/04	40000.00	"	02/2004	सी-946343	16/02/04	340000	300000
62	02//2004	"	सी-946346	26/02/04	20000.00	"	03/2004	सी-946346	03/03/04	420000	400000
63	03/2004	"	सी-946373	11/03/04	50000.00	"	03/2004	सी-946373	12/03/04	250000	200000
64	06/2004	"	सी-962395	07/06/04	40000.00	"	06/2004	सी-962395	09/06/04	640000	600000
65	06/2004	"	सी-962924	24/06/04	40000.00	"	06/2004	सी-962924	25/06/04	340000	300000
66	08/2004	"	सी-962965	11/08/04	20000.00	"	08/2004	सी-962965	14/08/04	620000	600000
67	09/2004	"	सी-962988	23/09/04	10000.00	"	10/2004	सी-962988	05/10/04	610000	600000
68	12/2004	"	सी-975519	08/12/04	25000.00	"	12/2005	सी-975519	14/12/04	625000	600000
69	01/2005	"	सी-975539	25/01/05	10000.00	"	01/2005	सी-975539	28/01/05	610000	600000
70	02/2005	"	सी-975553	25/02/05	30000.00	"	03/2005	सी-975553	01/03/05	630000	600000
71	05/2005	"	सी-975578	09/05/05	50000.00	"	05/2005	सी-975578	14/05/05	650000	600000
72	06/2005	"	डी-501812	10/06/05	60000.00	"	06/2005	डी-501812	10/06/05	660000	600000
	कुल				**1837000**					**20737000**	**18900000**

परिशिष्ट - 4.2

(संदर्भ कंडिका 4.3.1पृष्ठ 173)

असंतुलित दरों हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति जमा रोककर न रखने के कारण हुई हानि दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	कार्य की मद	प्राक्कलित मात्रा	निष्पादित मात्रा	उद्धृत दरें (रुपए)	भुगतान योग्य दरें (निविदा प्रतिशत सहित)	अंतर (5-6)	अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की अपेक्षित राशि (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सूखी एवं गीली खुदाई	1775304.30 घन मी.	1096219.39 घन मी.	28.00	25.73	2.27	24,88,418.00
2	फिल्टर सामग्री	24439.09 घन मी.	1331.85 घन मी.	170.00	167.14	2.86	3809.10
3	160 मि.मी. छिद्रयुक्त पी.व्ही.सी.पाईप	28662.86 मीटर	1580.26 मीटर	255.00	240.55	14.45	22,834.75
4	40 मि.मी.गिट्टी से सीमेंट कांक्रीट 1:3:6	13122.01 घन मी.	4875.21 घन मी.	1097.00	1031.41	65.59	3,19,765.00
5	स्थल पर ढाली गई सीमेंट कांक्रीट 1:3:6	10244.06 घन मी.	2158.08 घन मी.	1393.00	1313.24	79.76	1,72,128.45
6	20 मि.मी.गिट्टी से प्रबलित सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3	154.62 घन मी.	54.00 घन मी.	2025.00	1909.38	115.62	6243.50
7	सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3	182.88 घन मी.	17.40 घन मी.	2100.00	1981.31	118.69	2065.20
8	स्थल पर ही ढाली गई नियंत्रित कांक्रीट	10641.26 घन मी.	3092.84 घन मी.	2000.00	1807.42	192.58	5,95,638.40
9	प्रबलित सीमेंट कांक्रीट 1:2:4	110.53 घन मी.	42.64 घन मी.	1868.00	1761.21	106.79	4553.52
10	स्टील कार्य	877.04 मी.टन	318.22 मी.टन	20000	19699.85	300.15	95513.75
11	प्री-मोल्डेड फाल्टर्स	449.97 वर्ग मीटर	197.555 वर्ग मी.	620.00	586.45	33.55	6627.95
कुल							**37,17,597.62**

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ : कंडिका 4.3.2 पृष्ठ 174)

अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली न होने सम्बन्धी विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	मदों की संख्या (असंतुलित दरें)	अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की राशि (रुपए)
1.	एन. डी. 21 सनावद	02/ 2000-01	7	62,48,553.00
2.	एन. डी. 21 सनावद	05/03-04	6	35,75,791.00
3.	एन. डी. 21 सनावद	01/03-04	11	2,08,93,132.00
4.	एन. डी. 32 बड़वाहा	01/03-04	10	1,12,39,840.00
5.	एन. डी. 8 सनावद	01/03-04	11	57,67,228.00
			योग	**4,77,24,544.00**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ कंडिका 4.6.6 पृष्ठ 189)

30 सितम्बर 2006 को चयनित विभागों के संबंध में लंबित निरीक्षण प्रतिवदेनों एवं कंडिकाओं के दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1.	उधोग	127	356
2.	हस्तशिल्प	57	132
3.	पुरातत्व	38	75
4.	विधि एवं न्याय	204	319
5.	जेल	93	194
6.	पुलिस	195	352
7.	रेशम उत्पादन	48	109
8.	पॉलीटेक्नीक	105	310
9.	शिक्षा	617	1340
10.	खनिकर्म	14	33
11.	एन0सी0सी0	43	61
12.	नगर सेना	57	96
	योग-	**1598**	**3377**

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ कंडिका 4.6.6 पृष्ठ 189)

30 सितम्बर 2006 को चयनित विभागों के संबंध में लंबित निरीक्षण प्रतिवदेनों एवं कंडिकाओं की वर्ष बार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
Upto 1993-94	252	471
1994-95	49	76
1995-96	86	155
1996-97	77	145
1997-98	47	88
1998-99	164	279
1999-2000	38	38
2000-01	71	71
2001-02	225	452
2002-03	155	264
2003-04	105	233
2004-05	162	460
2005-06	167	645
Total	**1598**	**3377**

परिशिष्ट - 5.1

(सदर्भः- कंडिका 5.1.8.4. पृष्ठ 199)

पशुचिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के बिना संचालित किए जा रहे चिकित्सालयों एवं औषधालयों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	संस्थाओं का प्रकार	रिक्त चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या	भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते	औषधि	उपकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाए बालाघाट	चिकित्सालय	5	25.21	3.81	0.42	29.44
		औषधालय	7	10.41	1.72	0.19	12.32
2	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाए बैतूल	चिकित्सालय	1	0.99	0.25	0.05	1.29
		औषधालय	12	10.11	4.07	1.26	15.44
3	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाए भिन्ड	चिकित्सालय	2	4.88	0.54	0.10	5.52
		औषधालय	2	1.19	0.49	0.09	1.77
4	संयुक्त संचालक, पशुचिकित्सा सेवाए, भोपाल	चिकित्सालय					
		औषधालय					
5	उपसंचालक, पशुचिकित्सा सेवाए, छतरपुर	चिकित्सालय	9	63.26	4.60	0.41	68.27
		औषधालय	19	39.73	12.43	0.91	53.07
6	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं झाबुआ	चिकित्सालय					
		औषधालय					
7	उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाए, खंडवा	चिकित्सालय	9	16.34	0 70	-	17.04
		औषधालय	3	1.81	0.10	-	1.91
8	उपसंचालक, पशुचिकित्सा सेवाए मुरैना	चिकित्सालय	--	--	--	--	--
		औषधालय	33	57.16	12.95	1.42	71.53
9	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाए, पन्ना	चिकित्सालय	--	--	--	--	--
		औषधालय	39	78.49	13.66	0.61	92.76
10	सहायक पशु शल्यचिकित्सक मुख्य ग्राम इकाई पन्ना	चिकित्सालय	--	--	--	--	--
		औषधालय	5	14.74	2.41	--	17.15
11	संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाए सागर	चिकित्सालय	7	61.26	6.25	1.25	68.76
		औषधालय	19	19.82	5.58	1.90	27.30
12	सीधी	चिकित्सालय	2	14.13	3.07	0.40	17.60
		औषधालय	25	55.80	13.83	4.52	74.15
13	संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं उज्जैन	चिकित्सालय	--	--	--	--	--
		औषधालय	7	9.77	2.85	0.70	13.32
	योग	चिकित्सालय	**35**	**186.07**	**19.22**	**2.63**	**207.92**
		औषधालय	**171**	**299.03**	**70.09**	**11.60**	**380.72**
	महायोग		**206**	**485.10**	**89.31**	**14.23**	**588.64**

परिशिष्ट - 5.2

(सदर्भः- कंडिका 5.1.8.14. पृष्ठ204)

निषिद्ध औषधि डायक्लोफेनिक का उपयोग दर्शाने वाला पत्रक

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए बालाघाट	10/04 से 3/06	410x100 मि.ली.	34600
2	पशु चिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक- पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी, बालाघाट	तदैव	40x100 मि.ली.	3056
3	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए - बैतूल	तदैव	170x100 मि.ली.	8990
4	उपसंचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं भिण्ड	तदैव	100x100मि.ली. 1160x30 मि.ली. 200x30 मि.ली.	5288 25009 4400
5	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवा भोपाल	तदैव		
6	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं राज्य चिकित्सालय भोपाल	तदैव	50x100 मि.ली.	3600
7	उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं छतरपुर	तदैव	335x100 मि.ली.	17714
8	उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं झाबुआ	तदैव		
9	उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं खण्डवा	तदैव	1537x30मि.ली.	36485
10	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुरैना	तदैव	454x30 मि.ली.	9988
11	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पन्ना	तदैव	62x10 मि.ली.	3278
12	संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सागर	तदैव	400x30 मि.ली. 1000x30 मि.ली. 206x20 पै.	33600 6440 96220
13	उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं सीधी	तदैव	2580x30 मि.ली. 244x100 मि.ली. 100x20 पै.	68572 12903 11600
14	संयुक्त संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, उज्जैन	तदैव	1016x30 मि.ली. 400x100 मि.ली.	77725 8990
15	सहायक पशु शल्यचिकित्सक माता महामारी	तदैव	110x20 पै. 60x30 मि.ली.	14250 1370
	योग			**484078**